(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 3] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 16वां दिवस [संख्या 13

बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री नाथूराम।

श्री ओंकारलाल चौहान (प्रटक) : प्रश्न संख्या 243।

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रार्थना-पत्र पेश कर दिया जिसमें मुझे पूछने का अधिकार दिया गया है।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : दूसरा पूछ सकता है। उत्तर न देने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Yes। मंत्री महोदय।

राज्य में अवर नियोजन अधिकारियों की नियुक्ति

243. **श्री ओंकारलाल चौहान** (प्रटक) : [श्री नाथूराम (बागीदोरा) की अनुपस्थिति में] : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में नियोजन सेवा निदेशालय द्वारा कितने अवर नियोजन अधिकारियों की नियुक्तियां की गयी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भारत सरकार की रीति-नीति के अनुसार अवर नियोजन अधिकारी का पद मंत्रालयिक कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाना चाहिये किन्तु राजस्थान में इसका पालन नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों व नियोजन सेवा विभाग में मंत्रालयिक श्रेणी से अधीनस्थ सेवा में पदोन्नति के आरक्षण के सम्बन्ध में क्या कोई व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो अब तक अवर नियोजन अधिकारी के पद पर कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग में कार्यरत क्वालिफाइड कर्मचारी उपलब्ध होते हुए भी चयन समिति ने समस्त मान्य सिद्धान्तों के विपरीत विभागीय कर्मचारियों को अवसर नहीं देने की दृष्टि से असंवैधानिक रीति निर्धारित कर अन्य आशार्थियों के साथ-साथ विभागीय कर्मचारियों का साक्षात्कार लेने की औपचारिकता की ? यदि नहीं, तो अवर नियोजन अधिकारी के

Page No 2

(2)

(श्री औंकारलाल चौहान)
पद के लिये निर्धारित योग्यता क्या है और तदनुरूप कितने विभागीय कर्मचारी साक्षात्कार के लिये आए, उनकी क्या-क्या योग्यता व अनुभव था व जिन्हें नियुक्तियां दी गयीं उनकी क्या योग्यताएं थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि साक्षात्कार में आने वाले विभागीय कर्मचारियों का यदि प्रथम रूप से साक्षात्कार लिया जाता तो उपलब्ध रिक्त स्थानों की पूर्ति हो सकती थी और राज्य सरकार के काम में बाधा नहीं होती ? यदि नहीं, तो नव नियुक्तियां कितने आशार्थियों को दी गयीं और उनमें से कितनों ने कार्य नहीं सम्भाला तथा पूरे रिक्त स्थान भरने में कितना समय लगा ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नियोजन मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) चालू वित्तीय वर्ष 1977-78 में नियोजन सेवा निदेशालय द्वारा 12 रिक्त अवर नियोजन अधिकारियों के पदों पर नियुक्तियां की गयीं ।

(2) जी नहीं । विभाग से संबंधित राज्य के प्रशासनिक मामलों में भारत सरकार द्वारा कोई रीति-नीति निर्धारित नहीं की जाती है । अभी तक किसी पदोन्नति के द्वारा अवर नियोजन अधिकारी का पद नहीं भरा गया ।

(3) जी नहीं । अवर नियोजन अधिकारी के पद के लिये निर्धारित योग्यता निम्न प्रकार से है :—

(1) सांख्यिकी विषय के ऐच्छिक प्रश्न-पत्र के साथ कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातकोत्तर ।

सांख्यिकी विषय के ऐच्छिक प्रश्न-पत्र सहित स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं इसके साथ राज्य के अथवा अन्य प्रतिष्ठान में सांख्यिकीय कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

(2) प्रार्थी को हिन्दी का अच्छा ज्ञान होना चाहिये ।

कुल 11 विभागीय कर्मचारियों को बुलाया गया जिनकी योग्यता एवं अनुभव संलग्न सूची में अंकित है । इन विभागीय कर्मचारियों में से एक कर्मचारी श्री पदमसिंह को नियुक्ति दी गयी जो द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर था तथा सन् 1960 से वरिष्ठ लिपिक के पद पर सांख्यिकीय कार्य कर रहा था । विभागीय कर्मचारियों के अतिरिक्त जिन्हें नियुक्तियां दी गयीं उनकी योग्यता निम्न प्रकार थी :—

(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति : द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर ।

(2) अन्य : प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर ।

(4) विभागीय कर्मचारियों में से पदोन्नति का नियमों में कोई प्रावधान नहीं होने से अलग से बुलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । कुल रिक्तियां केवल 12 थीं परन्तु समय पर कार्यभार न सम्भालने के कारण शेष आशार्थियों को भी मेरिट के हिसाब से नम्बर आने पर नियुक्तियां दी जाती रहीं । इसलिये कुल 33 आशार्थियों को नियुक्तियों के आदेश जारी करने पड़े ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन करूंगा कि 12 सदस्य बैठे तो कितने उनमें से अनुसूचित जाति और कितने अनुसूचित जन-जाति के थे ?

श्री केदारनाथ : 12 वेकेन्सीज थीं। 3 अनुसूचित जाति और 4 अनुसूचित जन-जाति के केन्डीडेट्स से भरी गयीं। 12 में से 7।

एक माननीय सदस्य : Very good. बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष : श्री रिणमल सिंह।

सीकर जिले के गांव में पेयजल की सुविधा

244. **श्री रणमल सिंह (ओसियां)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के ग्राम माण्डोलो (दांतारामगढ़), बिडोलो, अर्जुनपुरा, गोठड़ा तगालाम, आन्तरी, मांडोता व चौखा का बास तथा जीवणवास (दांतारामगढ़) में 300 से 400 फीट तक गहरा पानी है तथा फ्लोराइड युक्त भी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन संकट-ग्रस्त ग्रामों में, जो कि जिला आयोजन समिति से स्वीकृत है, प्राथमिकता के आधार पर पेय-जल सुलभ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले की फतेहपुर पंचायत समिति के 22 गांव, जो चूरू जिले की सीमा से लगते हैं, का पानी बहुत ही खारा है और फ्लोराइड युक्त है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन गांवों के लिये मीठे जल को सुलभ करवाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : (1) यह सही है कि सीकर जिले के ग्राम मांडोली, बिडोली, अर्जुनपुरा, गोठड़ा तगालाम, आंतरी, माडोता, चौखा का बास एवं जीणावास में पानी 300 से 400 फीट तक गहरा है। इन ग्रामों में सिर्फ ग्राम बिडोली में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम मांडोली एवं जीणा-वास को छोड़कर शेष सभी ग्राम जिला आयो-जना समिति सीकर द्वारा वर्ष 1977-78 के लिये प्रस्तावित हैं। इन प्रस्तावों को तकनीकी जांच की जा रही है। तत्पश्चात् प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति को अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(2) सीकर जिले की फतेहपुर पंचायत समिति के अधिकांश ग्राम, जो कि चूरू जिले के समीपवर्ती हैं, में उपलब्ध भू-जल खारा एवं फ्लोराइड युक्त है। नई ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें जिला आयोजना समिति द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर प्राथमिकता, तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जाती हैं। चूरू जिले के समीपवर्ती ग्रामों से 6 ग्रामों को जल वितरण चालू किया जा चुका है।

सरकार समस्याग्रस्त ग्रामों में शुद्ध एवं पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिये प्रयत्नशील है।

श्री रणमल सिंह : दो गांव क्यों छोड़ दिये गये ?

श्री महबूब अली : उनमें समस्या नहीं है।

Page No 4

(5)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : मैं माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अन्य जिलों में भी इस प्रकार का खारा और फ्लोराइड युक्त पानी है। प्राथमिकता के आधार पर प्रावधान करने का गत अधिवेशन में आश्वासन भी दिया गया था। अब जो ग्रामीण जलप्रदाय योजना के लिये 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है तो प्राथमिकता को ध्यान में रखा गया है या नहीं ?

श्री महबूब अली : प्राथमिकता को ध्यान में रखा गया है।

श्री किशनसिंह भाटी : फ्लोराइड युक्त और खारा पानी जहां पर है अब उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर बजट में प्रावधान किया गया है या नहीं ?

श्री महबूब अली : विभाग में प्राथमिकतायें निश्चित की हुई हैं। जहां बिल्कुल पानी नहीं है और खारा पानी है वहां प्रथम वरीयता उनको होती है। पहले मौका उनको दिया जाता है।

श्री किशनसिंह भाटी : जन स्वास्थ्य के के लिये जो हानिकारक है, खारा पानी है एवं गहरा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है बजट में ?

श्री महबूब अली : इसको ध्यान में रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद जहूर।

श्री अयूब खां : यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। इसको पूछने की मुझे इजाजत दीजिये।

प्रश्न संख्या 245

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद जहूर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट। श्री एच. एन. शर्मा।

श्री अयूब खां : बहुत इम्पोर्टेन्ट है इसलिये इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

अणुशक्ति परियोजना के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मामले

246. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान अणुशक्ति परियोजना एवं भारी पानी योजना के कर्मचारियों द्वारा की गयी 4 माह की हड़ताल के दौरान मारपीट एवं तोड़फोड़ की कार्यवाही कर्मचारियों द्वारा की गयी ? यदि हां, तो कुल कितने मुकदमे किन-किन धाराओं के तहत पुलिस द्वारा रजिस्टर किये गये हैं ?

(2) क्या इन मुकदमों को उठाने का कोई विचार राज्य सरकार रखती है ? अगर हां, तो किन-किन कारणों से ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) जी हां। कुल 9 मुकदमे दर्ज किये गये हैं। सूची संलग्न है।

(2) पांच मुकदमों को राज्य सरकार ने औद्योगिक शान्ति बनाये रखने व श्रमिक असंतोष दूर करने के उद्देश्य से जनहित में वापस लेना उपयुक्त समझा है। जिसके लिये जिला दण्डनायक चित्तौड़गढ़ को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। शेष मुकदमों को अदालत से वापस लेना विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

Page No 5

(5)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरजीराम बुरडक।

डीडवाना गोलीकाण्ड की जांच रिपोर्ट

247. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीडवाना जिला नागौर में हुए गोलीकाण्ड की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को कब पेश की गयी ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जांच रिपोर्ट में किन्हीं व्यक्तियों को दोषी पाया गया था ? यदि हां, तो किन-किन को और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही कब-कब की गयी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) अब इस संबंध में कोई कार्यवाही करना शेष है ? यदि है, तो किन-किन के खिलाफ क्या-क्या और कब तक ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) डीडवाना गोलीकाण्ड कमीशन की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 26-3-69 को पेश कर दी गयी। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी गयी है।

(2) कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में श्री बालकिशन, एस. डी. एम., श्री गुरु चरणसिंह, सी. ग्रो., श्री महाराजसिंह, एस. एच. ग्रो. व दीपसिंह कांस्टेबल, डीडवाना को दोषी पाया था। इस पर पुलिस उप-महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज, जोधपुर ने विभागीय कार्यवाही कर आदेश दिनांक 6-3-76 द्वारा श्री महाराजसिंह की 3 साल की वेतन वृद्धि और कांस्टेबल दीपसिंह की 2 साल की वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी। श्री गुरु चरणसिंह के सेवा निवृत्त हो जाने के कारण विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी। श्री बालकृष्ण दोहराय का दिनांक 20-7-71 को देहान्त हो गया जिससे उसके खिलाफ कार्यवाही ड्राप कर दी गयी।

(3) जी नहीं।

(प्रतिवेदन विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरजीराम बुरडक : जांच रिपोर्ट 69 में प्राप्त हुई थी। आपने कब कार्यवाही की ?

श्री सम्पतराम : 76 में की गयी थी। जल्दी की जानी चाहिये थी इसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री हरजीराम बुरडक : जांच रिपोर्ट में जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया उनके खिलाफ कार्यवाही करने में देरी क्यों की गयी ?

प्रश्न संख्या 248

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री मूलचन्द सामरिया और श्री कुन्जीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री बजरंग लाल शर्मा।

राज्य में अधिकारियों के सृजित नये पद

249. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनी पार्क, जयपुर) : क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 21 जून, 1977 के पश्चात्

Page No 6

(6)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

राज्य में निम्नलिखित कितने नये पद सृजित किये गये हैं :

(अ) आई.ए.एस. अफसरों द्वारा भरे जाने योग्य,

(ब) आई.पी.एस. अफसरों द्वारा भरे जाने योग्य,

(स) आर.ए.एस. अफसरों द्वारा भरे जाने योग्य, व

(द) आर.पी.एस. अफसरों द्वारा भरे जाने योग्य हैं ?

(2) उपरोक्त पदों के सृजन से राज्य कोष पर कितना अधिक व्यय भार पड़ा है ?

(3) उपरोक्त पदों के सृजन की विगतवार क्या आवश्यकता थी ?

राज्य मंत्री, कार्मिक विभाग (श्री महबूब अली) : (1) वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

(अ)	आई.ए.एस.	4 पद
(ब)	आई.पी.एस.	3 पद
(स)	आर.ए.एस.	7 पद
(द)	आर.पी.एस.	10 पद

(2) उपरोक्त पदों के सृजन से राज्य कोष पर करीब 5,93,000 रुपये का वार्षिक अधिक व्यय भार बढ़ा है।

(3) उपरोक्त पदों के सृजन की विगतवार आवश्यकता का विवरण संलग्न तालिकानुसार है जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने तालिका दी है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रमुख शासन सचिव का पद सृजित किया गया है उस पद के बारे में यह कहा गया है कि सिंचाई एवं विद्युत कार्य के महत्व को देखते हुए तथा इस पद की निरन्तरता को बनाये रखने के लिए यह पद सृजित किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे विभाग हैं उनके मुकाबले सिंचाई और विद्युत विभाग का काम ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यह कहा गया है जबकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सारे बजट भाषण में दूसरे विभागों का भी महत्व माना है फिर भी उनके लिए कोई पद सृजित नहीं किया गया है। दूसरे इसमें और दिया गया है कि 3000 रुपये वेतनमान वाले दो पद खाली हैं, तो एक पद को भरे जाने की क्या आवश्यकता थी ? या तो दोनों ही भर लेते या फिर दोनों ही खाली रखते।

दूसरे यह कहा था कि हमने प्रशासनिक व्यय में कमी करके 5 करोड़ 20 लाख की बचत की है। यहां पर 5 करोड़ 93 हजार रुपये के व्यय को बढ़ाने वाले पद सृजित नहीं भी करते तो इस राशि को बचाया जा सकता था। इसलिए उस नीति के अनुसरण में चलने के बजाय प्रतिकूल चलने का क्या विशेष जस्टीफिकेशन है ?

तीसरे राजस्थान नहर परियोजना के अध्यक्ष एवं पदेन शासन सचिव के पद की बात कही गयी है। उसमें सरकार ने यह माना है कि तकनीकी व्यक्ति की उस स्थान पर नियुक्ति होनी चाहिये, इसलिए भारत सरकार ने इनकी अध्यक्ष के स्थान पर नियुक्ति की अनुमति नहीं दी तो उसी का दूसरा वाया मोडिया निकाल कर सीधे ढंग

Page No 7

(7)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
से नाक नहीं पकड़ी गयी तो उल्टे तरीके से नाक पकड़ कर उनको अध्यक्ष एवं पदेन शासन सचिव बना दिया गया। सीधे रास्ते से इनको नहीं लिया जा सका तो इनडाइरेक्ट रूप से लेने की कोशिश की। दूसरे इसके अन्दर अधिकांश पद एक वर्ग विशेष को दिये गये। मैं सदा से कहता रहा हूं कि तकनीकी स्थान पर आई.ए.एस. आफिसर का अपाइन्टमेन्ट लगातार किया जा रहा है। जैसे विभिन्न स्थानों के लिए मैंने पहले भी बताया था, यह उसमें एक और कड़ी है। तो माननीय मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण करें कि किस प्रकार के तकनीकी व्यक्ति की आवश्यकता थी? राजस्थान में क्या तकनीकी आदमी की कमी थी? जैसा मैं जानता हूं कि ऐसे चीफ इन्जीनियर इरिगेशन को अपाइन्ट किया जाता है जैसे मोतीरामजी और दूसरे लोग थे तो वहां पर चार-चार चीफ इन्जीनियर्स हुए वहां फिर तकनीकी व्यक्ति का अभाव कैसे रहा? ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सप्लीमेन्ट्री पूछें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित प्रश्न पूछ रहा हूं। यह जो आपने उत्तर दिया है इससे ऐसे प्रश्न अपने आप उत्पन्न होते हैं। मैं उनका जवाब मांग रहा हूं। मैं अधिक संक्षेप में पूछूंगा तो हो सकता है कि खुलासा विवरण मंत्री महोदय मांगें। बहुत हो गया तो मैं बैठ जाता हूं। इतनी ही बात का मंत्री महोदय पहले जवाब दे दें। और बाद में पूछ लूंगा।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 3,000 रुपये के वेतनमान में 3 पद नवम्बर, 1977 को खाली थे। इन 3 पदों की स्वीकृति भारत सरकार से दो-तीन वर्ष पहले प्राप्त हुई थी। भारत सरकार की इस प्रकार की मान्यता रही है कि अधिकारियों के प्रमोशन के एवेन्यूज को बनाये रखने के लिए 3 पदों का सृजन इस प्रकार का किया जाना चाहिए। उस आधार पर यह पद सृजित किये गये, एक पद राजस्व मण्डल के अध्यक्ष का, दूसरे विकास आयुक्त का और तीसरा औद्योगिक सलाहकार का। विकास आयुक्त, श्री भनोत जब मुख्य सचिव बने तो उनका स्थान रिक्त हो गया। इसी प्रकार से औद्योगिक सलाहकार श्री ए.के. राय ने त्याग-पत्र दिया तो उनका स्थान भी रिक्त हो गया। श्री ए.के.राय के त्याग-पत्र देने के बाद उनके स्थान पर किसी की पदोन्नति नहीं की गयी। विकास आयुक्त पद पर क्योंकि श्री शेरसिंहजी सीनियर-मोस्ट थे, उनको प्रमोशन दिया। वह इस कारण से कि राजस्थान में विद्युत एवं सिंचाई इन दो में सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि यह बहुत इम्पार्टेन्ट विषय है, इस आधार पर जो व्यक्ति इस विभाग को कई दिनों से देख रहा था उसी को कन्टीन्युटी मेन्टेन करने की दृष्टि से उनकी पदोन्नति की गयी है। यह पद पहले का ही बना हुआ है। श्री शेरसिंहजी के लिए कोई नया नहीं बनाया गया।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया था राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में श्री भीमसिंहजी की नियुक्ति के बारे में। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि श्री भीमसिंहजी को किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं दी गयी। वह सेल्स टैक्स कमिश्नर थे। जो वेतन उनको पहले मिलता था, वही आज भी मिलता है। उनको राजस्थान कैनाल का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुभव है। वह पहले 8 वर्ष तक इसके सेक्रेटरी रहे हैं और फिर चेयरमैन भी रहे। राजस्थान कैनाल का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन गया है और ईरान से सहायता की बातचीत चल रही है। यह सम्भव है कि हमें सहायता जल्दी मिल जाये और इस काम को हमें गति देनी पड़े इसलिए कमिश्नर की पोस्ट बनायी गयी। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि राजस्थान कैनाल बोर्ड के चेयरमैन को भी जल्दी ही नियुक्त कर दें इस संबंध में हमारे स्टाफ में से और बाहर से किस प्रकार चयन किया जाये, इस बारे में राजस्थान सरकार विचार कर रही है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी निवेदन किया था कि जितने भी पद सृजित किये गये हैं उनके ऊपर वर्ग विशेष को रख दिया गया...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से दोनों ही अधिकारी राजपूत हैं और मैं भी राजपूत हूं, इसलिए माननीय सदस्य को यदि राजपूतों से चिढ़ है तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जो काबिल हैं उनको निश्चित रूप से प्रमोशन मिलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : किसी को बाई-पास तो नहीं किया गया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी को सुपरसीड नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : क्या इनको सीनियोरिटी के आधार पर लिया?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जी हां।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि प्रश्न के ऊपर और भी सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछने हैं। मैंने पहले निवेदन किया था कि ज्यादा लम्बा है तो मैं टुकड़े कर दूं। बाकी प्रश्न के जो आगे के हिस्से हैं, अनुमति हो तो मैं उनके बारे में कह दूं। पांच पेज की लिस्ट है। उसमें बहुत-सी बातें पूछनी हैं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न नहीं आ सकेंगे अगर एक-एक घण्टा एक प्रश्न में लग जायेगा तो।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कुछ और प्रश्न पूछने की मुझे इजाजत दी जाये।

आई.पी.एस. आॅफिसर्स के मामलों में और उप-महानिरीक्षक के मामलों में शाह कमीशन की राय के अनुसार पद सृजित किये गये, तो क्या मंत्री महोदय शाह कमीशन की उस राय को सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसमें और भी पार्ट्स हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकृष्ण दास।

मैडिकल कालिजों में ई. एन. टी. विभाग के रिक्त पद

250. **श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के मैडिकल कालेजों

(श्री. रामकृष्णदास गुप्ता)
में ई.एन.टी. विभागों में कितने पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं और योग्य उम्मीदवारों के होते हुए भी ये पद क्यों नहीं भरे गये ?

(2) क्या यह सही है कि सरदार पटेल मैडिकल कॉलेज, बीकानेर से संबंधित चिकित्सालय में कोई भी योग्यता प्राप्त मैडिकल जूरिस्ट नहीं है और इसी विभाग में लेक्चरार का पद कई वर्षों से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री त्रिलोकचन्द जैन) : (1) राजस्थान के निम्नांकित मैडिकल कॉलेजों में ई.एन.टी. विभागों में उनके सामने दर्शाये गये पद वर्णित तिथि से रिक्त हैं :—

1. सवाई मानसिंह मैडिकल कॉलेज, जयपुर, प्रवक्ता, 1 पद, 8-5-77 से ।

2. सरदार पटेल मैडिकल कॉलेज, बीकानेर, व्याख्याता, 1 पद, 19-6-77 से ।

3. रविन्द्रनाथ टैगोर मैडिकल कॉलेज, उदयपुर, ट्यूटर, 1 पद, 16-12-77 से ।

प्रवक्ता के रिक्त पद की पूर्ति कर दी गई है । व्याख्याता के पद की पूर्ति हेतु केन्द्रीय चयन समिति द्वारा दिनांक 9-3-1978 को साक्षात्कार किये जा चुके हैं । समिति की सिफारिश के आधार पर व्याख्याता पद की पूर्ति हेतु राजकीय आदेश जारी किये जा रहे हैं । ट्यूटर के पद को भरने का राज्य सरकार का फिलहाल विचार नहीं है, क्योंकि समस्त मैडिकल कॉलेजों के 'स्टाफिंग पेटर्न' पर पुर्नविचार किया जा रहा है ।

(2) जी नहीं ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जूरिस्ट के पद पर कोई नहीं है ?

श्री त्रिलोकचंद जैन : डॉ. एस. एस. असावा, डॉ. जी. पी. पुरोहित और डॉ. एन. के. यह तीनों ही मैडिकल जूरिस्ट के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन । श्री ईश्वर चंद्र ।

सूचना केन्द्र, दिल्ली

251. **श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा दिल्ली में सूचना केन्द्र की स्थापना से अब तक कितने सूचना अधिकारी कितनी अवधि तक वहां कार्यरत रहे हैं ? सूचना अधिकारियों के नाम व अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उक्त सूचना अधिकारियों के दिल्ली पदस्थापन एवं स्थानान्तरण के क्या आधार रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि दिल्ली सूचना केन्द्र के सहायक जन सम्पर्क अधिकारी लगभग पांच वर्षों से वहीं जमे हुए हैं जबकि प्रायः समस्त सूचना अधिकारियों ने इनके विरुद्ध उच्चाधिकारियों को निरन्तर लिखा है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सहायक जन सम्पर्क अधिकारी अभी तक स्थाई नहीं हैं व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता भी पूर्ण नहीं करते ?

(श्री ईश्वर चन्द्र)

(5) क्या यह सही है कि उक्त जन सम्पर्क अधिकारी को पिछली सरकार ने स्थाई करने हेतु योग्यता एवं नियुक्ति के मूल नियमों में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया था ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्री महबूब अली) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अधिकारियों के पदस्थापन एवं स्थानान्तर प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं ।

(3) जी हां, केवल दो सहायक निदेशकों ने श्री पुरोहित के विरुद्ध शिकायतें की हैं ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें ।)

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में दो-तीन सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा ।

कितने ही लोगों के ट्रांसफर हो गये, दाऊलाल पुरोहित वहीं पर विराजमान हैं। आपने कहा कि केवल दो शिकायतें कीं तो क्या 15-20 अधिकारी शिकायत करें तो आप पर असर होगा ? क्या यह सच है कि दिल्ली की जनता पार्टी ने इसकी कम्पलेंट की? एक बात । दूसरा यह आप बतायें कि यह स्टेनोग्राफर के पद से डेपूटेशन पर लिया गया था तो वापस स्टेनो क्यों नहीं बनाया गया है ? क्या श्री हरिदेव जोशी ने लगाया था ?

श्री महबूब अली : यह कर्मचारी 1972 से दिल्ली के सूचना केन्द्र पर है । इसकी कई शिकायतें हैं । जनता पार्टी की कोई शिकायत नहीं है; लेकिन जो अफसर हैं, दो अफसरों ने शिकायतें की हैं । वस्तुस्थिति यह है कि जो पिछली सरकार थी उनके मंत्रियों के साथ मेलजोल था, इसलिये दिल्ली के अन्दर रह गया था । शिकायतों के बारे में जांच करके, सदस्य महोदय को आश्वासन देता हूं, मगर उनके खिलाफ चार्जेज साबित हुए, तो एक्शन लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीमती नारंगी देवी ।

श्री ईश्वर चन्द्र : माननीय मंत्रीजी ने कह दिया, जांच कर देंगे ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । श्रीमती नारंगी देवी ।

राज्य के विस्थापित शिविरों में रहने वाले व्यक्ति

252. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विभिन्न विस्थापित शिविरों में कितने व्यक्ति रह रहे हैं ?

(2) ऐसे विस्थापित, जो अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं ले पाये हैं या जिनके नागरिकता संबंधी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं, की संख्या कितनी है ? सरकार उन्हें नागरिकता देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न विस्थापित शिविर के लोगों से अधिकारिगण आये दिन अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं?

(श्रीमती नारंगी देवी)

(4) क्या यह सही है कि नटाई कॉलोनी के कई विस्थापितों को अकारण ही केश डोल की राशि से वंचित किया जा रहा है? उन्हें अकृषि योग्य भूमि आवंटित की जा रही है? उन्हें तन ढकने तक के लिये कपड़ा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम): (1) राज्य में इस समय विभिन्न विस्थापित शिविरों में 43,113 व्यक्ति रह रहे हैं।

(2) अन्य देशों से आये विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। भारत-पाक संघर्ष, 1971 के फलस्वरूप आये हुए विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का मामला अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों को नागरिकता देने का प्रश्न है, इनको नागरिकता प्रदान करने के लिये भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा इन विस्थापितों से आवश्यक आवेदन-पत्र भरवाये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। जहां तक कपड़ा देने का प्रश्न है, वह उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्केल के अनुसार मुहैया कराया जाता रहा है। इस वर्ष के लिये भारतीय सूती वस्त्र नियम को इन्डेन्ट भेजा हुआ है। प्राप्त होने पर इस वर्ष का भी कपड़ा वितरित कर दिया जायेगा।

श्रीमती नारंगी देवी: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि शिविरों में बसने वाले विस्थापितों को 1976-77 और 1977-78 में कपड़ा नहीं दिया गया है, इसका क्या कारण है? दूसरा निवेदन है कि विस्थापित रोटी रोजी के लिये दर-दर फिरते हैं, फिर भी उनके साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया जाता है। 100 रुपया दिया जाता है, उन लोगों की संख्या 9 है। बंगला देश में जाने के लिये कोई व्यवस्था है? अभी मंत्री महोदय ने फर्माया, उनको सिटीजनशिप देने का मामला विचाराधीन है। हजारों लोगों को, जो वहां बसे हुए हैं कब तक नागरिकता मिल पायेगी?

श्री सम्पतराम: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने दो प्रश्न उठाये। एक कपड़ा संबंधी है। आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि कपड़ा बराबर मिलता रहता है। इस साल कपड़ा मिलने में कुछ देरी हुई है। इन्डेन्ट दिया हुआ है। उसमें जल्दी करेंगे ताकि कपड़ा मिल जाये।

दूसरा कैश डोल का प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा इसमें कुछ कम कर दिया गया है। अगर कोई शिकायत है, माननीय सदस्या आप चाहें तो शिकायत दे दें उसकी जांच करवा देंगे।

श्रीमती नारंगी देवी: अन्त्योदय योजना में क्या उन गरीब लोगों को, जो अपाहिज हैं, पेन्शन देने का प्रावधान है? यह लोग दिल्ली सरकार के लोग हैं, राज्य सरकार से पेन्शन नहीं मिल सकती?

श्री सम्पतराम: भारत सरकार से नागरिकता का फैसला हो चुका है। जो बंगला देश से आये हैं, उनको सरकार जल्दी से जल्दी नागरिकता दे रही है। जब नागरिकता प्राप्त हो जायेगी, राजस्थान

Page No 12

(12)

(श्री सम्पतराम)
के नागरिक या देश के नागरिक हो जायेंगे उस वक्त जो-जो सहूलियतें जिन लोगों को मिलती हैं उन लोगों को मिल जायेंगी।

श्रीमती मारंगी देवी : अपाहिज बीमार पड़ जायेंगे, उनके लिये क्या सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जो पाकिस्तान से विस्थापित आये और शिविरों में बसे हुए हैं उनकी नागरिकता के बारे में कब निर्णय लिया जायेगा ? उन पर एक करोड़ रुपया एक साल का खर्चा हो रहा है। 7 करोड़ रुपया खर्च हो गया है। 7 करोड़ रुपये में उनको अच्छी तरह से बसाया जा सकता था। इस संबंध में कब निर्णय लिया जा रहा है ? वह अधीर हो रहे हैं।

श्री सम्पतराम : माननीय अध्यक्ष, जितनी चिन्ता माननीय सदस्य को है, उतनी चिन्ता राज्य सरकार को भी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 29 जुलाई, 1977 को एक पत्र प्रधान मंत्रीजी को लिखा था। उसका जवाब उन्होंने 2 सितम्बर, 1977 को दिया है। In principle they have agreed. I may read out the letter if you like.

श्री रघुनाथ विश्नोई : आग्रह था जल्दी से जल्दी नागरिकता मिले। कब तक नागरिकता दिला देंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): माननीय मुख्य मंत्रीजी को शुरू से ही चिन्ता रही लेकिन खेद की बात है कि 8-9 महीने के बावजूद भी इस दिशा में सफलता नहीं मिली। प्रधान मंत्री से कोआर्डियल रिलेशन्स के बावजूद अभी भी सफलता नहीं मिल पाई, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय मुख्य मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, सरकार का उत्तर पर्याप्त है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वे उत्तर दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : राजस्थान का मामला है। खाली लापरवाही से कुछ नहीं होगा। आपका बड़ा प्रभाव है दिल्ली में।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, निरन्तर यह प्रश्न विधान सभा में और बाहर उठा है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी नागरिकता के अधिकार दिये जायें। पहले सरकार का प्रयत्न था कि पाकिस्तान भेजा जाये, लेकिन अब पाकिस्तान भेजने का प्रश्न नहीं है बल्कि इस प्रश्न के ऊपर जल्दी निर्णय हो जायेगा कि इनको नागरिकता के अधिकार दिये जायें। मैंने इस संबंध में प्रधान मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी है, स्वयं भी मिला हूं। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं भी इस मामले में कुछ करना चाहता हूं। जल्दी इनको नागरिकता के अधिकार मिल जायें तो जो खर्चा होता है उस खर्चे को पर्मानेन्टली रिहेबिलिटेट करने में लगाया जाये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमें समय तो बता दीजिए कि कितने समय में कर देंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने 7 वर्ष तक तय नहीं किया ......

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिए आप भी नहीं करना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह जानते हैं कि ये 71 में यहां पर आए और 77 तक नहीं तय कर पाए । मैं आपको बतला दूं कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाएगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जल्दी से जल्दी का क्या मतलब है, तारीख बताइये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तारीख नहीं दे सकता।

प्रश्न संख्या 253

श्री अध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भूरालाल ।

ग्राम सेमड़, जलवन्तगढ़, पदराड़ा, ककोल तथा भानपुरा की जलप्रदाय योजना

254. **श्री भूरालाल** (गोगुन्दा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम सेमड़, जलवन्तगढ़, पदराड़ा, ककोल, भानपुरा द्वारा जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत पैसा जमा करा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों नहीं ? यह योजना प्रारम्भ की जा रही है जबकि उक्त सभी ग्रामों में करीब 5 वर्ष पूर्व ही पैसा जमा करवा दिया है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : ग्राम सेमड़ द्वारा रु. 3,750) की धनराशि सितम्बर 1972 एवं जलवन्तगढ़ द्वारा रु. 3,750) की धनराशि अगस्त, '72 में जन सहयोग की जमा कराई गई है । ग्राम पदराड़ा, ककोल एवं भानपुरा द्वारा जन सहयोग की राशि जमा नहीं कराई गई है । जहां तक योजना स्वीकृत कर चालू करने का प्रश्न है सिर्फ जन सहयोग जमा कराने से ही, योजनायें स्वीकृत नहीं की जाती हैं । योजनायें आयोजना समिति की सिफारिश पर प्राथमिक, तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत की जाती हैं ।

श्री भूरालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उक्त गांवों की राशि जमा कराने का क्या हेतु था ? इसको पूरा कराने में कितना समय राज्य सरकार को लग सकता है ? कितनी बार वहां के निवासियों द्वारा निवेदन करने पर और अधिकारियों के पास जाने के पश्चात् उनके दिए हुए पैसों का सदुपयोग हो सकेगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब पैसा जमा है तो फिर बीच में रोड़ा अटकाने से क्या मतलब है ? पानी देना है तो पानी क्यों नहीं दे देते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आयोजना समिति की सिफारिश के बिना धनराशि आप क्यों जमा कराते हैं ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर क्या होता है कि पेयजल प्राप्त करने के लिए ग्रामवासियों में बहुत उत्सुकता रहती है । इसी उत्सुकता के कारण गांवों में पैसा जमा कर लिया जाता है और निश्चित धनराशि सरकार में जमा करा दी जाती है ।

(श्री. महबूब अली)

धनराशि जमा कराने की भी एक कण्डीशन है। पैसा जमा होने के बाद आयोजना समिति की बैठक होती है जिसके जिला कलक्टर, एम. एल. ए. साहबान और वहां के एक्स. ई- एन. सदस्य होते हैं। वे सब बैठकर प्रस्तावों पर विचार करते हैं और प्राथमिकता के आधार पर सिफारिश करते हैं। वह सिफारिश विभाग के पास आती है। विभाग प्राथमिकताओं के आधार पर, उनकी टैक्निकल जांच करके उनकी स्वीकृति प्रदान करता है। धन की उपलब्धि के आधार पर ये योजनायें पूरी की जाती हैं। यह इसकी प्रक्रिया है। केवल पैसा जमा करा देने मात्र से ही यदि कोई यह समझे कि चूंकि पैसा जमा करा दिया है इसलिए योजना चालू हो जानी चाहिए, यह सम्भव नहीं है। यदि कोई पैसा जमा कराने के पश्चात् वापस पैसा लेना चाहे तो राज्य सरकार को इसमें कोई एतराज नहीं है। जब उनकी योजना स्वीकृत हो जावे तो वे पैसा जमा करा सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे गांव बताऊंगा जिनमें ग्रामवासियों ने सम्पूर्ण पैसा लगा दिया और योजना का पूरा पैसा खर्च कर दिया, नल लगा दिए अब वे चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनकी योजना को अपने हाथ में ले ले।

श्री भूरालाल : जब आपके पास पैसा नहीं था तो आपने क्यों योजना प्रसारित की और क्यों गांव वालों का पैसा जमा किया ? पैसा जमा कराते समय उनको किसने प्रेरित किया, किसने कहा था गांव वालों को कि खजाने में पैसा जमा कराओ ? यदि आपने इसके लिए प्रेरित किया तो पांच साल तक पैसा रखने के पश्चात् अब आप उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार करते हैं ? ये योजना कब तक चालू कर दी जाएगी ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कई वर्षों तक सरकार के पास पैसा जमा रहा। मेरे ख्याल से राज्य सरकार को इस बात के लिए अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए कि जब तक योजना स्वीकृत न हो पैसा जमा नहीं कराया जाय। योजना की स्वीकृति होने के बाद ही पैसा जमा कराये। पैसा जमा होने के बाद में जब दूसरे क्राइटेरिया होते हैं तो उनका पैसा अपने पास रखते ही क्यों हैं ? क्या इस बारे में राज्य सरकार विचार करेगी ?

श्री महबूब अली : वास्तव में माननीय सदस्यों को यह चिन्ता है ......

श्रीमती श्यामाकुमारी (कपासन) : पैसा जमा करने की जिम्मेदारी जनता पार्टी की सरकार की नहीं थी बल्कि कांग्रेस के राज की थी। गांव के लोगों को यह कहा गया था कि आप पैसा जमा करा दो, आपको जल्दी ही पानी देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि जिन गांवों का पैसा जमा है वे लोग पानी के लिए इन्तजार कर रहे हैं इसलिए मेहरबानी करके उन गांवों को जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की जावे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : नहीं तो ब्याज सहित पैसा वापस लौटा दो।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार के आमंत्रण पर मानपुरा ग्राम, जो मेरे क्षेत्र में है, द्वारा सन् 72 में पांच हजार रुपया जमा कराया गया। यह कहा गया था कि आपके यहां जलप्रदाय योजना लागू कर देंगे। लेकिन खेद है कि मेरे बार-बार निवेदन करने पर भी अभी तक यह योजना लागू नहीं की गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि यह योजना कब तक लागू कर दी जाएगी ?

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली): अध्यक्ष महोदय, मेरे मावली क्षेत्र में भी सन् 73 में पलाना खुर्द एवं कलां गांव में पेयजल का पैसा जमा करा लिया गया था। 73 से 77 हो गया, लेकिन अभी तक भी योजना लागू नहीं की गई है। उनका पूरा पैसा जमा हो चुका है। मंत्री महोदय को भी कई बार लिखा, मंत्री महोदय उसका जवाब भी दे रहे हैं लेकिन योजना चालू नहीं हो रही है। ग्रामवासी पानी बिना बहुत परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और बतायें कि कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय कृपया यह बताने का कष्ट करें कि राजस्थान में कितनी जलप्रदाय योजनायें चल रही हैं, कितनों के लिए धन जमा हो चुका है और कितनों में धनाभाव या अन्य कारणों से योजना चालू नहीं हो रही है ? क्या राज्य सरकार इस प्रकार से अपनी नीति में परिवर्तन करेगी कि जिससे कि लोगों की आकांक्षायें न बढ़ें और उनका पैसा व्यर्थ जमा न हो ? क्या आप अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहेंगे ? मेरे पुराने निर्वाचन क्षेत्र गंगरार का सात साल से पैसा जमा है गवर्नमेण्ट के पास, लेकिन अभी तक योजना लागू नहीं की जा सकी है। ऐसी हालत में क्या राज्य सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करना उचित समझेगी ?

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन करना है, पैसा जमा कराना तो क्या, सम्पूर्ण खर्चा कर दिया है, अब केवल यह कह रहे हैं कि इसको सरकार अपने हाथ में ले ले, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अपने-अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न करके सदन का समय निकाला जा रहा है। एक स्पेसिफिक सवाल पूछा गया है।

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, दूसरे प्रश्न हैं वे रह जायेंगे।

श्री एच. एन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह जानना चाहूंगा राज्य सरकार से कि इस सरकार के बनने के बाद ग्रामीण योजनाओं के लिए, जलप्रदाय योजनाओं के लिए कितना पैसा जमा कराया जा चुका है और कितनी योजनायें कार्यान्वित कर दी गई हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह स्पेसिफिक क्वेश्चन था .....

श्री एच. एन. शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि नई सरकार बनने के बाद में कितनी जलप्रदाय योजनायें लागू कर दी गई हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय

Page No 16

(16)

(श्री ओंकारलाल चौहान)
मेरा भी स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि क्या सरकार नीति में परिवर्तन करना चाहती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन । श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्पेसिफिक प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है । अब आप क्या सप्लीमेंट्री करना चाहते हैं ।

श्री भंवरलाल ऐरन : बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल है मेरा इस पर ।

श्री अध्यक्ष : जो व्यवस्था है राजस्थान में उसे आप सभी जानते हैं । रखना हो तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रखिये ।

श्री भंवरलाल ऐरन : इसी प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न पूछूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र द्वारा भी पैसा जमा कराये दो साल हो गए हैं लेकिन अभी तक योजना लागू नहीं हुई है ।

श्री भंवरलाल ऐरन : अध्यक्ष महोदय मेरे ग्राम रामसर व लीड़ो द्वारा सन् 72 में सारा पैसा एस्टीमेट के मुताबिक जमा करा दिया गया । सन् 77 में उन्होंने काम चालू किया उस वक्त तक हर चीज की कीमत बढ़ गई । अब वे कहते हैं कि पांच-पांच हजार रुपये और जमा कराओ तो काम करेंगे । अब तक सरकार के पास पूरा पैसा जमा रहा उसका ब्याज भी नहीं लगाया और अब कहते हैं कि और रुपया जमा कराओ तब नल योजना चालू की जावेगी । इसमें ग्राम वालों का क्या दोष है ? क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज में पांच-पांच साल तक पैसा जमा रहा लेकिन वह पानी नहीं दे सकी । जनता ने उनको पानी पिला दिया यह बात निश्चित है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भी कह दीजिए ।

श्री महबूब अली : माननीय सदस्यों की चिन्ता वास्तव में सही है । पिछली सरकार के अन्दर पिछले दिनों के अन्दर काफी पैसा जमा कराया गया था । उनको यह उम्मीद बंधाई गई थी कि पैसा जमा कराने से उनके यहां नल योजना बनेगी । जब से नई सरकार आई है इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि पैसे को उस वक्त तक जमा नहीं करायें जब तक योजना को टैक्निकल स्वीकृति न हो जाय, उसके लिए धनराशि उपलब्ध न हो जाय और प्राथमिकता के आधार पर उसकी स्वीकृति नहीं हो जाय । इसके बाद वे पैसा जमा करायें । जिन्होंने पैसा जमा करा रखा है उनके बारे में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अगर वे अपना पैसा वापस लेना चाहें तो उनको पैसा वापस दिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : No more now.

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्री एच. एल. शर्मा : पैसा वापस देना एक प्रकार से उनके साथ विश्वासघात होगा।..

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व सरकार ने ऐसा किया है। उसका जवाब तत्काल नहीं दिया जा सकता। You cannot expect anything more. यह पर्याप्त उत्तर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा।
प्रश्नसंख्या 255

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : भूतपूर्व सरकार पर आपका आक्षेप गलत है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे इसका अनुभव है, पैसा ले लिया और उसका क्या हुआ ? अब यहां पर यह चर्चा इतनी ही छोड़ दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : यह आसन भूतपूर्व सरकार पर इस तरह से आक्षेप लगाता है। मैं समझती हूं कि यहां बिना प्रसंग के ही इस प्रकार पुरानी सरकार पर आसन के द्वारा एसपर्सन किया जाना उचित नहीं है। ......

श्री मूलचन्द डागा : हकीकत हो तो भी आसन द्वारा ऐसा नहीं कहा जा सकता है।...

श्री रघुनाथ विश्नोई : ये तो बहाना ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जनता ने इनको पानी पिला दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आसन निष्पक्ष है। आसन द्वारा इस तरह से नहीं कहा जाना चाहिए।

विधि मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : जो कुछ कहा है वह निष्पक्षता की भावना से कहा गया है आसन की ओर से।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह गलत है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बैठ जाओ।

श्री अध्यक्ष : यह समस्या विचाराधीन रखते हुए यह सरकार भी इसको डिस्पोज आफ नहीं करती है तो यह भी गुनहगार साबित होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री मूलचन्द डागा : यह सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाती है।

जयपुर शहर की गटर लाइन तथा
पीने के पानी की पाइप लाइन

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैंने बोल दिया है। परन्तु मंत्री महोदय से इसका उत्तर नहीं आ रहा है।

255. क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर शहर में गटर लाइन और पाइप लाइन साथ-साथ डली हुई है जिससे पीने का पानी स्वच्छ नहीं आता है और यहां के लोग पेट के रोग से पीड़ित हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री महबूब अली) : जी नहीं। जयपुर शहर की अधिकतर गटर लाइनें पाइप लाइनों से अधिक गहराई पर डाली हुई हैं। हो सकता है कुछ

Page No 18

(18)

(श्री महबूब अली)

गलियों एवं रास्तों में, जिनकी चौड़ाई कम है तथा गटर लाइनें कम गहराई पर हैं, पाइप लाइन एवं गटर लाइनें आस पास आ गई हैं। ऐसी जगह गटर लाइनों तथा पाइप लाइनों के बीच एक फुट अथवा डेढ़ फुट की दूरी है अतः गटर लाइनों की गन्दगी पानी में ज्यादा नहीं होती है तथा पानी स्वच्छ एवं पीने योग्य ही दिया जाता है। अतः पेट के रोग का कारण पीने के लिए दिया जाने वाला पानी नहीं है। जो पानी शहर में दिया जाता है उसका पूर्ण रसायनिक विश्लेषण वरिष्ठ रसायनिज्ञ द्वारा किया जाता है तथा उनकी राय पर पानी को दोषमुक्त रखने के लिए क्लोरीन की मात्रा घटाई-बढ़ाई जाती रहती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह अपर्याप्त है। कितनी ही गलियों व सड़कों पर गटर लाइन व पाइप लाइन बहुत पुराने समय की डाली हुई है। वे जीर्ण हो गई हैं। उनके बीच में छेद हो जाने से पानी का बहाव रुक जाता है और गटर का पानी उसमें चला जाता है। नल खोलने पर मल आदि सहित पानी आता है आये दिन हम लोगों के पास उसकी शिकायतें आती रहती हैं। इसलिए मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि यह जीर्ण लाइनें कब तक बदल दी जाएंगी? इसके बारे में मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए। कोई निश्चित समय मंत्री महोदय बतादें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : नई गटर लाइन कब तक डाल दी जाएगी?

श्री महबूब अली : इस प्रकार की कोई शिकायत माननीय सदस्यों के पास हैं तो वे कृपया विभाग में भेज दें ताकि उनकी जांच कराई जाए। हमारी सूचना के आधार पर मैं यह निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि गटर लाइन नीचे है और पाइप लाइन ऊपर है इसलिए उनके आपस में मिलने की कोई गुन्जाइश नहीं है। परन्तु कोई स्पेसिफिक केस माननीय सदस्य सामने रखेंगे तो सरकार जांच कराएगी। सरकार के समक्ष स्पेसिफिक केस प्रस्तुत करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह लाइन कब डाली गई, कृपया यह बताने का कष्ट करें?

श्री माणकचन्द सुराणा : क्या राज्य सरकार इस बात की जांच करेगी कि जयपुर में पेट के रोग का ताल्लुक जयपुर के पानी से है? इसके बारे में उत्तर दें।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, एस.एम.एस. अस्पताल के नीचे से एक गटर लाइन जाती है। हर साल एस.एम.एस. होर्प के बेसमेन्ट में पानी भर जाता है और लाखों करोड़ों रुपयों का होर्प-स्टोर बरबाद हो जाता है। यह गटर लाइन पुराने जमाने की है। जब यह डाली गई तो उसकी केपेसिटी कम थी, वह 12 इन्च की थी। पुलिस मेमोरियल के आसपास का एरिया भी इसमें शामिल कर दिया गया है जिससे हर साल एस.एम.एस. बेसमेन्ट में गंदा पानी भरता है। इसका उचित प्रबन्ध नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में उनके पास क्या इन्फार्मेशन है और वे इसके लिए क्या करेंगे?

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे....

(व्यवधान)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
ऊपर और नीचे पाइप लाइन व गटर लाइन रहने से क्या मिलने में कोई बाधा आती है ?

श्री महबूब अली : गटर लाइन गहराई में रहती है इसलिए मिलने का कोई सवाल नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान भर में पेट के कीड़े मारने की दवा सत्तर प्रतिशत जयपुर शहर में बिकती है ? जयपुर का पेयजल अशुद्ध होने के कारण लोगों के पेट में कीड़े पड़ते हैं, क्या यह बात सही है ? अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पुरानी पाइप लाइन में छेद हो जाने की वजह से पुरानी गटर लाइन का पानी वाटर लाइन में प्रविष्ट हो जाता है। जयपुर के लोगों को मल-मूत्र का पानी पुरानी सरकार द्वारा बराबर दिया जाता रहा है। एक बार नहीं अनेक बार मल-मूत्र मिला हुआ पानी सदन में मैंने पेश किया है। तो क्या वर्तमान सरकार से यह आशा करूं कि जो पुरानी वाटर लाइन है, उसको बदलने की कोशिश करेगी ? वरना सारा का सारा प्रभाव जयपुर के लोगों पर होगा और, अध्यक्ष महोदय, एक दिन आप पर भी और माननीय विधायकों पर भी इसका असर होगा।

श्री प्रतापसिंह मकासर : आप क्या पिला रहे हैं ? कौनसा अमृत पिला रहे हैं ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में यह समस्या वास्तव में गंभीर है। वैसे तो विभाग द्वारा रसायनिक जांच करा कर ही पानी उपलब्ध कराया जाता है पीने के लिए। पेट के रोग का जहां तक प्रश्न है, यह रोग केवल पानी से ही सम्बन्धित नहीं है, अन्य बहुत से कारण भी हैं। सब्जी जिस तरह से यहां पर बोई जाती है और जिस तरह का पानी उसमें दिया जाता है उसके कारण भी यह हो सकते हैं। यह कहना कि केवल पानी से ही पेट का रोग होता है, अधिक उपयुक्त मालूम नहीं पड़ता है। इसके बावजूद सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह तो फैक्ट है। इसको आप डिस्प्यूट कैसे कर सकते हैं ?

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : कुछ समय बाद मंत्री महोदय के पेट में कीड़े पड़ेंगे तब इनको मालूम होगा कि वास्तव में जयपुर का पानी खराब है। जयपुर शहर में जो पाइप लाइन डाली गई है उसको कितना अर्सा हो गया है, उसकी मियाद कितनी है और कितने अर्से में चेन्ज होनी चाहिए ? कृपया बतावें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : जलमहल का जो गंदा पानी है, वह पाइप लाइन में मिल रहा है। मंत्री महोदय ने इसका एक बार निरीक्षण किया था। जलमहल का गंदा पानी वाटर पाइप लाइन में न मिले इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय कब तक इसकी जांच करा लेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का मंत्री महोदय जवाब दें, वह कब तक इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ध्यान ग्रहण करें। काफी चर्चा हो गई है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय कब तक जांच करा लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जवाब हो गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मंत्री महोदय ने कहा है कि पानी ही कारण नहीं है। क्या उनके पास कोई और फैक्ट है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उन्होंने यह तय कर लिया है, अध्यक्ष महोदय, चाहे कोई कितना ही पूछता रहे, हम जवाब नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : अजीर्णभोजी मधुराम्लनित्य: द्रवसप्रियपिष्ट गुडोपभोक्ता। व्यायामवर्जी च दिवाशयानो विरुद्धभुक्-सन्नलभते क्रमेतत्: ॥

अजीर्ण भोजन करने से भी यह जरूर हो सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अपनी चूर्ण की गोली बेचनी है क्या आपको ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को मजाक में लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे विश्वास है, सरकार इस प्रश्न को गम्भीरता से लेगी। प्रश्न को टालना नहीं था। गम्भीरता से विचार कर रहे हैं इसलिए अभी उत्तर देना आवश्यक नहीं है।

नैक्स्ट। 256

खेतड़ी डिपो की बसें

256. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खेतड़ी डिपो में परिवहन निगम की कुल कितनी बसें हैं ? इनमें से कितनी सही हालत में हैं ? कितनी गाड़ियां प्रतिदिन रूट पर रहती हैं ? कितनी गाड़ियां प्रतिदिन ब्रेक डाउन होती हैं तथा इन गाड़ियों की सवारियों को पहुंचाने की निगम द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है ?

(2) गत तीन माह से प्रतिदिन किस किस रूट से कितनी-कितनी गाड़ियां कर्टेल की गई हैं ? सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था को सुधारने की मंशा रखती है ? यदि हां; तो किस प्रकार ?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) दिनांक 28-2-78 को खेतड़ी आगार में कुल 35 बसें आवंटित थीं जिसमें 25 बसें सही हालत में थीं, जो मार्ग पर रहीं। माह फरवरी, 78 में कुल 2 ब्रेक डाउन हुए। गाड़ियों के ब्रेक डाउन हो जाने पर यात्रियों को पीछे आने वाले वाहन में गन्तव्य स्थान पर पहुंचाये जाने की व्यवस्था की जाती है।

(2) दिनांक 10-12-77 से 28-2-78 तक की अवधि में संबंधित वांछित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(3) जी हां। खेतड़ी में नई कार्यशाला का निर्माण होने पर व्यवस्था में सुधार हो सकेगा।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

श्री आत्माराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं, आपकी 10-15 साल से रोडवेज की बसें चली हैं। उनकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। रोडवेज बसें रास्ते में फेल होती हैं। उस रूट पर कोई दूसरी बस खड़ी नहीं होती है।

श्री मूलचन्द डागा : नई-नई सरकार है, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैंने बसों से ट्रेवल किया है। एक बस से चल कर फिर कई बसें बदलीं। दूसरी आये और निकल जाये। इस तरह से थोड़ी सी दूरी पर 15 घण्टे में पहुंचा हूं। यह जो व्यवस्था है, घिसीपिटी व्यवस्था है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिसमें आप चढ़ेंगे, वह ऐसी ही हो जाएगी।

श्री रतनलाल वर्मा : बेईमानी भी चलती है। आप इसके लिए कमेटी नियुक्त करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री दूलाराम : गंगानगर जिले में ब्रेक डाउन सबसे ज्यादा होता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्पेसिफिक प्रश्न है बसों के संबंध में।

नेक्स्ट 257

भीलवाड़ा-माण्डलगढ़ जाने वाली बसें

257. श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा से बडल्यास, बरुंदनी, सिंगोली होती हुई मोटरों का खेड़ा, सराना, पलासिया और बलदरसा होती हुई माण्डलगढ़ बसें जाती थीं?

(2) क्या यह भी सही है कि अब जो भी बसें भीलवाड़ा से मांडलगढ़, बरुंदनी, सिंगोली होती हुई जाती हैं, वे अब सराना, पलासिया और बलदरसा होती हुई नहीं जातीं? जिससे तीन पंचायतों के सब ही गांवों को भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है?

(3) इन सब गांवों का कष्ट दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

यातायात मंत्री (श्री केदारनाथ) :

(1) जी हां।

(2) भीलवाड़ा से मांडलगढ़ जानेवाली बसें सराना, पलासिया, बलदरखा होती हुई नहीं जाती। क्योंकि सिंगोली मांडलगढ़ के बीच बांध बन जाने व नहरें हो जाने के कारण उधर से बसें चलाना कठिन हो गया है। इस मार्ग की बसें जोजवा से उदयसिंह, खेड़ा तक डामर सड़क बन जाने के कारण पक्की सड़क से जोजवा धकड़ोली होकर चल रही है।

(3) यदि इन गांवों से होकर मार्ग बस चलाने योग्य हो जावे तो उन्हें पुनः बस सेवा से जोड़ने की कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मनोहरसिंह मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से पूछता हूं, कि जब भीलवाड़ा से सराना, पलासिया होकर बसें जाती थीं, तो उसके बाद क्या

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कोई नया बांध बना है, कोई पुलिया थी, जिस कारण अब उधर से होकर नहीं जाती हैं? तीन पंचायतें मुसीबत में फंस गई हैं। इन तीनों पंचायतों के लिए क्या कोई आप व्यवस्था करेंगे?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, जो पहले का सही कट है, उसके अनुसार व्यवस्था की जाएगी।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आपके हाकिम नहीं मानेंगे तो क्या होगा?

एक माननीय सदस्य : यह कैसे हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : डॉ. गंगासहाय।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : यह सारे राजस्थान का प्रश्न है।

श्री केदारनाथ : भीलवाड़ा से संबंधित प्रश्न नहीं है।

श्री बूलाराम : गंगानगर जिले में सब से ज्यादा ब्रेक डाउन क्यों होते हैं, यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री गंगासहाय।

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर के कनिष्ठ लिपिक का पद

258. **डॉ. गंगासहाय** (कठूमर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर में एक और कनिष्ठ लिपिक के पद की स्वीकृति होते हुए भी एक कनिष्ठ लिपिक से ही काम लिया जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि लिपिक की कमी के कारण इस कार्यालय की पत्रावलियां, पंजिकाएं एवं भण्डार पुस्तकालय की व्यवस्था बहुत ही बिगड़ी हुई है व अस्त-व्यस्त हालत में है?

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र के इन्चार्ज अपनी अनियमितताओं के पर्दाफाश हो जाने के डर से दूसरे लिपिक की नियुक्ति नहीं करवा रहे हैं यदि नहीं तो कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति न कराने के और कौन-कौन से कारण हैं?

राज्य मंत्री, वन (श्री मालचन्द) :

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग से कनिष्ठ लिपिक उपलब्ध न होने के कारण इस पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न जो बच जाते हैं उनके उत्तर भी नहीं मिलते, इसलिए उनके उत्तर तो दिलवाने की कृपा करें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कामां-पहाड़ी ड्रेन पर व्यय की गई राशि

245. श्री मोहम्मद जहूर (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कामां-पहाड़ी ड्रेन के बनाने तथा निर्माण दिन से वर्ष 1977 तक इसके रख-रखाव पर कितना धन खर्च हुआ है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जब-जब बाढ़ आई है उसकी रोक-थाम के उपायों पर कितना धन खर्च हुआ है? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कामां-पहाड़ी ड्रेन के निर्माण पर कुल राशि 80.58 लाख रुपये व्यय की गई तथा इसके रिमोडलिंग पर एवं रख-रखाव पर क्रमशः 3.25 लाख एवं 3.19 लाख रुपये व्यय हुए। वर्षवार सूचना संलग्न तालिका 'अ' में अंकित है।

(2) बाढ़ की रोकथाम के लिए किये गये कार्यों पर 17.38 लाख रुपये व्यय हुये जिसकी वर्षवार सूचना संलग्न तालिका 'ब' में अंकित हैं।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

राज्य प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार

248. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) श्री कुंजी लाल (वामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कमी नहीं आई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त भ्रष्टाचार को रोकने अथवा समाप्त करने के बारे में कोई नई नीति निर्धारित कर रही है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आयी है।

(2) राज्य सरकार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अधिक प्रभावी एवं चुस्त बनाने के लिये कार्यवाही कर रही है। इस दिशा में प्रथम पग के रूप में पांच विशिष्ठ अनुसंधान इकाइयां कायम की गई हैं। इसमें एक इकाई स्पेशल इन्टेलीजेन्स यूनिट है। अभी तक उठाये गये नये कदमों में विभागीय पुनर्गठन की दिशा में की गयी कार्यवाही का विवरण अलग दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

पंचायत समिति, भीण्डर के ग्रामों का विद्युतीकरण

253. श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभ-नगर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 74 में पंचायत समति, भीण्डर के ग्राम कोकाधास, धमानीया, बागथल के विद्युतीकरण का आदेश हो गया था? यदि हां, तो आज तक इन गांवों में बिजली क्यों नहीं पहुंची?

(2) इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा हो जावेगा?

Page No 24

(24)

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां इन ग्रामों के नियमन (रेगुलाइजेशन) के आदेश दिनांक 22-2-74 को प्रसारित हुए। इन ग्रामों में पास के ग्रामों से एल.टी. लाइनों द्वारा कनेक्शन होने के कारण विद्युतीकृत ग्रामों में नियमन किया गया।

(2) ये गांव विद्युतीकृत घोषित हैं। घामनिया व बागथलम में नये कनेक्शनों के डिमांड नोटस जारी किये जा रहे हैं। विभाग में अभी कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति

1. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बी.ए., एम.ए., बी.एस.सी., बी.एड. आदि कितने व्यक्ति हैं जिनको समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति मिल रही है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति पर हो कार्यालयों और विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं?

उत्तर

(1) जो छात्र बी.ए., एम.ए., बी.एस.टी.सी. तथा बी.एड. आदि होते हैं उन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। अतः सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाड़मेर, बालोतरा एवं बायतू नगरों में अपराधों की संख्या

3. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर नगर, बालोतरा नगर एवं बायतू ग्राम मे गत चार सालों में नकबजनी एवं चोरियां किन-किन व्यक्तियों की बीस हजार रुपये से अधिक की हुई? उनके नामों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) बाड़मेर जिले की पुलिस ने उक्त मामलों को खोलने के लिये क्या-क्या प्रयास किये और उनमें किस प्रकार सफलता और असफलता प्राप्त हुई?

(3) उक्त मामलों में से किन-किन मामलों में कितनी-कितनी राशि की बरामदगियां की गई?

(4) उक्त मामलों में से कितने मामलों में चोर जिले के बाहर के हैं? क्या वे गिरोह संगठित हैं? उन पर काबू पाने के लिये जिला एवं राज्य की पुलिस ने क्या-क्या कदम उठाये?

उत्तर

(1) बाड़मेर नगर, बालोतरा नगर एवं बायतू ग्राम में गत 4 वर्षों में जिन व्यक्तियों के 20,000/- रुपयों से अधिक की नकबजनी व चोरी की वारदातें हुईं उनके नामों की सूची मय पते के संलग्न है।

Page No 25

(गृह मंत्री)

(2) संलग्न सूची में अंकित है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) उक्त मामलों में से एक मामले में पकड़े गये 3 मुलजिमान जिला जोधपुर के हैं जो संगठित गिरोह के सदस्य नहीं पाये गये। उन पर काबू पाने हेतु कानूनी प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

लाडनूं में अस्पताल बनाने का एग्रीमेन्ट

5. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लाडनूं जिला नागौर के सेठ गनपत राय सरावगी अस्पताल व श्रीमती केसर देवी सेठी जनाना अस्पताल के लिये सरकार और दानदाता के बीच कोई एग्रीमेन्ट हुआ है? यदि हां, तो कब और उक्त एग्रीमेन्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। दिनांक 12 मई, 1961 को। एग्रीमेन्ट की प्रति संलग्न है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा स्ट्रिप आफ लैण्ड के निपटाये गये मामले

6. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा 'स्ट्रिप आफ लैण्ड' के मामले सन् 1972-73 से 1977-78 (जनवरी) तक कितने निपटाये? कृपया विवरण निम्न प्रकार सदन की मेज पर प्रस्तुत करें:—

वर्ष	नाम आवेदक व आवेदन का दिनांक	स्थान व भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग फुट	दर
	दर निश्चित की गई सूची की क्र. सं. का प्रसंग	स्ट्रिप स्वीकृति का दिनांक	—	
			—	

(2) दरों की सूचियें, जो सन् 1961 से 1978 तक प्रचलित रही हों, की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास द्वारा स्ट्रिप आफ लैण्ड के मामले 72-73 से 1977-78 (जनवरी, 78) तक के मामले की सूची संलग्न है। मामले सभी निपटाये जा चुके हैं। कुल मामले 262 हुए जो निपटाये गये।

(2) दरों की सूची, जो सन् 1961 से 70 तक प्रचलित रही, संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

तहसील पचपहाड़ एवं पिड़ावा को काबिल काश्त भूमि

7. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़ व तहसील पिड़ावा में वन विभाग की काबिल काश्त भूमि कहां-कहां पर कितनी है ?

(2) उक्त काश्त भूमि रेवेन्यू विभाग को आवन्टन हेतु देने की कोई योजना है या नहीं ?

उत्तर

(1) वन विभाग में वन भूमि को काबिल काश्त अथवा ना काबिल काश्त में वर्गीकृत नहीं किया जाता।

(2) कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

राज्य नियोजन कार्यालयों में पंजीबद्ध व्यक्ति

8. **श्री राम नारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

दिनांक 31-12-76 को कितने व्यक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में बेरोजगार कार्यालयों में नियोजन हेतु पंजीबद्ध थे तथा इस प्रकार से पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या दिनांक 31-12-77 को क्या थी ? इस अवधि में कितने लोगों को रोजगार दिया गया तथा कितने लोगों के नये नाम रोजगार हेतु दर्ज किए गये ?

उत्तर

दिनांक 31-12-76 को राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में 2,72,017 आशार्थी रोजगार प्राप्त करने हेतु पंजीकृत थे तथा इसी प्रकार दिनांक 31-12-77 को विभिन्न नियोजन कार्यालयों में 2,83,630 अभ्यार्थी पंजीकृत थे। (जिलेवार सूची संलग्न है)। दिनांक 1-1-77 से 31-12-77 की अवधि में राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों द्वारा 17,299 व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया। (जिलावार सूची संलग्न है)। दिनांक 1-1-77 से 31-12-77 तक राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने हेतु 1,55,109 नये लोगों ने नाम दर्ज कराये। (जिलेवार सूची संलग्न है)।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति क्षेत्र, खेतड़ी के बांधों का सर्वे

9. **श्री माला राम** (खेतड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खेतड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में सन् 1967 से आज तक कुल कितने बांधों की सर्वे हुई तथा कितने बांधों का काम चलाने के आदेश दिये गये और इन बांधों का काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

(2) किस बांध से कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और कौन से बांध की नहर पक्की है ? यदि नहर पक्की नहीं है, तो क्यों नहीं है ?

उत्तर

(1) खेतड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में सन् 1967 से अब तक केवल दो कार्य

(सिंचाई मंत्री)

(1) बन्सीयाल/भजोतसागर फीडर एवं (2) लायल बांध हेतु सर्वेक्षण कराया गया है।

उपरोक्त में से एक बांध बन्सीयाल/भजोतसागर फीडर का कार्य लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत सन् 1976 में पूर्ण कराया गया। इस योजना से 184 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। भजीतसागर फीडर नहर पक्की नहीं है। स्वीकृत योजना में इस नहर को पक्का करने का प्रावधान नहीं था।

(2) लायल बांध एक बाढ़ नियन्त्रण कार्य है जिसके निर्माण से लायल ग्राम को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जावेगी। इस बांध से किसी प्रकार की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

पंचायत समिति क्षेत्र, खेतड़ी के गांवों का विद्युतीकरण

10. श्री माला राम (खेतड़ी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

खेतड़ी पचायत समिति क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिये कितने गांव स्वीकृत हैं? क्या उन सब का विद्युतीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

पंचायत समिति, खेतड़ी की एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना "खेतड़ी-चिड़ावा" के नाम से चल रही है। इस योजना के अन्तर्गत खेतड़ी पंचायत समिति के 20 ग्राम स्वीकृत हुए हैं तथा सभी का विद्युतीकरण भी हो चुका है।

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के तालाब

11. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के किन किन ग्रामों के तालाब सिंचाई विभाग के नियन्त्रण में हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले दो वर्षों में सिंचाई विभाग ने उक्त तालाबों पर कितना व्यय किया है?

उक्त तालाबों से कितनी सिंचाई हो रही है?

(4) क्या सिंचाई विभाग अगले दो वर्षों में इन तालाबों की मरम्मत, खुदाई आदि का विचार रखता है? यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा क्या है?

उत्तर

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत केवल एक तालाब रामनिवास घटोद है जिससे सिंचाई होती है।

(2) इस तालाब पर वर्ष 1976-77 में रुपये 1,775/- व्यय किया गया था।

(3) इस तालाब से अधिकतम रकबा 61 एकड़ तक सिंचित होता है।

(4) जी नहीं। इस तालाब पर अभी मरम्मत, खुदाई आदि की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, थानागाजी

12. **श्री शिव नारायण** (थानागाजी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या वर्ष 1978-79 में थानागाजी तहसील में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की जा सकेगी ? यदि हां, तो इस वर्ष कितने ग्रामों को लाभान्वित किया जा सकेगा ?

उत्तर

वर्ष 1978-79 में थानागाजी में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना लागू की जा सकेगी या नहीं इस विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के ग्रामों में बिजली

13. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में कौन-कौन से गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों को प्रस्तावित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक बाड़मेर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

(4) अगले वित्तीय वर्ष सन् 78-79 में कितनी धनराशि व्यय की जावेगी ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) आवश्यक ट्रांसमीशन व सब-ट्रांसमीशन सिस्टम के अभाव में अभी योजना बनाना सम्भव नहीं है।

(3) खर्च की गई धनराशि का ब्योरा एकत्रित करने में समय लगेगा।

(4) जिलेवार धनराशि का कोई आवन्टन नहीं किया जाता है। यद्यपि बालोतरा को 132 के. वी. लाइन से जोड़ने व बालोतरा में सब-स्टेशन बनाने के लिये अगले वर्ष में 44.43 लाख रुपयों का प्रावधान है। इसी प्रकार 33 के.वी. कार्यों व सिविल वर्क्स पर करीब 6.5 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा करीब 25 लाख रुपये 11 के. वी. व उससे नीचे के वोल्टेज के कार्यों व सर्विस कनेक्शनों पर खर्च किये जाने का अनुमान है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

चक नं. 9-एच. में बिजली के कनेक्शन

14. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील गंगानगर के अन्तर्गत चक 9-H में विद्युत् की लाइन होने पर भी कनेक्शन अभी तक भी उपलब्ध नहीं करवाये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? निकट भविष्य में अब कब तक विद्युत् कनेक्शन चालू हो जाने की सम्भावना है ?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

अभी ग्राम चक 9-एच. विद्युतीकृत नहीं है। इस ग्राम का विद्युतीकरण कन्ट्रीब्यूटरी स्कीम के अन्तर्गत पंचायत समिति, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तावित पूरी राशि जमा नहीं कराने के कारण कार्य रोक दिया गया था। पंचायत समिति द्वारा बेची हुई राशि जमा कराने पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर दिया जावेगा।

तहसील पिड़ावा एवं तहसील पचपहाड़ के गांवों का विद्युतीकरण

15. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील पिड़ावा एवं तहसील पचपहाड़ के जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ है वहां के कितने लोगों के आवेदन-पत्र घरेलू कनेक्शन व कुओं के कनेक्शन के विचाराधीन हैं?

(2) इन आवेदनकर्ताओं को कब तक बिजली कनेक्शन मिलने की सम्भावना है?

(3) जिन गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है उन के विद्युतीकरण की क्या योजना है तथा कब तक इन्हें बिजली दी जा सकेगी?

उत्तर

(1) पिड़ावा तहसील के 38 घरेलू एवं 84 कुओं के कनेक्शनों के प्रार्थना-पत्र व तहसील पचपहाड़ के 33 घरेलू एवं 43 कुओं के कनेक्शनों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(2) कनेक्शन देने का कार्य चालू है। जैसे-जैसे प्रार्थीगण डिमान्ड नोटिस की रकम जमा कराकर अपने कुओं पर फिटिंग पूरी करवाकर 'एल' फार्म दे रहे हैं कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) झालावाड़ जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को गति देने के लिये 132 के.वी. लाइनों का प्रसार किया जा रहा है और मोडक (जिला कोटा) व झालावाड़ में 132 के.वी. के ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जा रहे हैं। इन सब-स्टेशनों के बनने के पश्चात् ही पिड़ावा व पचपहाड़ तहसीलों के शेष रहे ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

तहसील नादौती एवं टोडाभीम के ग्रामों की विद्युतीकरण की योजना

16. **श्री बत्ती लाल** (टोडाभीम) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नादौती व टोडाभीम की विद्युतीकरण की योजना के तहत कितने ग्रामों में बिजली पहुंचा दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त योजनाओं के तहत कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु सर्वे हो चुका है जहां कि अभी बिजली नहीं पहुंची है? विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायगा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस समय टोडाभीम तहसील के 52 ग्राम व नादौती तहसील का एक ग्राम विद्युतीकृत है। ग्रामों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विद्युत मंत्री)

(2) नादौती पंचायत समिति (नादौती व वामनवास तहसीलों) के लिये बनाई गई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में 101 ग्राम (जिनमें तहसील नादौती के 68 ग्राम व तहसील वामनवास के 33 ग्राम सम्मिलित हैं) की एक योजना चालू वित्त वर्ष में निगम द्वारा स्वीकृत की गई है तथा योजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। यह योजना पांच वर्ष के लिये है। योजना में स्वीकृत गांवों की सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है। टोडाभीम क्षेत्र के बचे हुए ग्रामों का अभी सर्वे नहीं हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

खेतड़ी में पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में बिजली के कनेक्शन

17. **श्री माला राम (खेतड़ी)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खेतड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में किन-किन गांवों में कितने-कितने कुओं पर विद्युत कनेक्शन सन् 72 से अब तक दिये गये हैं तथा कितने प्रार्थना-पत्र पैन्डिग हैं? इन पैन्डिग मामलों में कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

(2) इस क्षेत्र में सन् 72 से अब तक कितने रिहायशी मकानों में कनेक्शन दिये गये हैं और कितने पैन्डिग हैं?

उत्तर

(1) 31 दिसम्बर, 72 तक 12 ग्राम विद्युतीकृत हुए थे और 130 कुओं पर विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं तथा 28-2-78 तक 254 प्रार्थना-पत्र कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन हैं जिनमें से 118 के लिये डिमान्ड नोट जारी किये जा चुके हैं। ग्रामवार सूचियां संलग्न हैं। कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे यह धन की उपलब्धि, तकनीकी एवं आर्थिक सहायता पर निर्भर है। अतः निश्चित रूप से कहना अभी संभव नहीं है।

(2) कुल 1,035 मकानों को कनेक्शन दिये गये हैं व 255 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जालौर जिले की आर. ई. सी. की योजना

18. **श्री टीकमचन्द कान्त (जालौर)** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर जिले की आर.ई.सी. योजना सायला, रानीवाड़ा व जसवन्तपुरा से किन-किन गांवों का बिजलीकरण सम्भव है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति, सायला व जालौर के उन ग्रामों का जिनका कि बिजलीकरण अभी संभव नहीं है यह कैसे व कब संभव है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जालौर जिले की कितनी हरिजन व भील बस्तियों को बिजली पहुंचाई गई है? शेष को बिजली पहुंचाने हेतु राज्य सरकार कौन से शीघ्र कदम उठायेगी?

(4) जालौर जिले के ट्रान्सफार्मर, जो ओवर लोडेड है, की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(5) इनको बदल कर अधिक शक्ति वाले ट्रान्सफार्मर्स कब लगाये जायेंगे जिससे कि किसानों को नये कनेक्शन दिये जा सकें एवं पुराने कनेक्शन वाले किसानों को सुचारु रूप से बिजली दी जा सके ?

(6) बागरा का बिजली सब-स्टेशन इसी वर्ष तैयार होकर क्या कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ? जालौर जिले के कौन से ग्रामों को बागरा बिजली सब-स्टेशन से लाभ पहुंचाया जा सकेगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) योजनावार-सूची संलग्न है।

(2) सायला पंचायत समिति के बचे हुए ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये अभी हाल ही में एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हो चुकी है जिसे पांच वर्ष में पूरा किया जाना है। जालौर पंचायत समिति के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

(3) जालौर जिले में 19 अनुसूचित जाति, जन-जाति एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अभी हाल ही में 6 और ऐसी बस्तियों के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र व अनुबन्ध-पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्राप्त हुए हैं जिनके एस्टीमेट्स बनाये जा रहे हैं। अन्य विद्युतीकृत ग्रामों की सम्बन्धित पंचायत समितियों से जो प्रार्थना-पत्र एवं अन्डरटेकिंग प्राप्त होंगे उन पर भी धनराशि की उपलब्धता के सन्दर्भ में स्वीकृति के लिये विचार किया जायगा।

(4) जालौर जिले में इस समय कोई भी 33/11 के.वी. ट्रांसफार्मर ओवर-लोडेड नहीं है।

(5) इस वर्ष रबी सीजन में 574 कुओं के कनेक्शन ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने के बाद दिये गये हैं।

(6) जी हां। ग्राम बागरा, साथू, इडर्सा, आकोली, डोगांव, सोयाणा, चादणा, कांदर, रायपुरिया, सिवना ग्रामों को लाभ पहुंचेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

केसरीसिंहपुर में हरिजन परिवारों को आवंटित भू-खण्ड

19. श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

केसरीसिंहपुर मंडी के कितने हरिजन परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाये गये हैं और कितने परिवार बिना भू-खण्डों के हैं एवं शेष लोगों को भू-खण्ड कब तक अलॉट करवाये जावेंगे ?

उत्तर

केसरीसिंहपुर मंडी में 25 हरिजन परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाये गए हैं और 24 परिवार अब बिना भू-खण्डों के हैं, जिन्हें बसाये जाने की योजना स्वीकृत होने पर आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर जिले में कार्यरत शिक्षक

21. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले की संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय संस्कृत स्कूल, चौथवाड़ा (जयपुर) में कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो उसी ग्राम के रहने वाले हैं एवं उनकी नियुक्ति यहीं हुई है एवं करीब 20 वर्षों से उसी ग्राम में रह रहे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे अध्यापकों का स्थानान्तरण करने के बारे में विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। ऐसा केवल मात्र एक अध्यापक है जो नियुक्ति की तिथि (1-12-66) से चौथवाड़ा संस्कृत कॉलेज में कार्यरत है।

(3) स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अध्यापिका के बकाया वेतन का भुगतान

22. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती कुसुमलता चौबे को अध्यापिका के रूप में उप-निदेशिका (महिला शिक्षा), जोधपुर द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक कन्या पाठशाला, सांचोर में 1971-72 सत्र में अस्थाई तौर पर एक माह के लिए नियुक्त किया गया था ? अगर हां, तो किस माह में एवं कितनी तनख्वाह पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीमती कुसुमलता चौबे ने कई पत्र लिखे, परन्तु उनके वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापिका ने राज्य सरकार को वेतन देने का अदालत में सरकार पर दावा करने का भी नोटिस दिया है ? अगर हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस बारे में वेतन भुगतान करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? अब उक्त अध्यापिका के बकाया वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती कुसुमलता चौबे को सहायक अध्यापिका के पद पर राजस्थान बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सांचोर में दिनांक 18-9-1971 तक अवकाश काल में 105/- माह पर नियुक्त किया गया।

(2) जी हां। उक्त अध्यापिका को शीघ्र ही वेतन भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है।

Page No 33

(33)

नगरपालिका, लाडनूं के अनिवार्य सेवामुक्त कर्मचारी का मामला

23. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री आत्माराम व्यास को नगरपालिका, लाडनूं से प्रशासन ने अनिवार्य सेवा निवृत्त कर दिया था, तो कब और किस कारण से ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश के खिलाफ राज्य सरकार को श्री आत्माराम व्यास ने कोई शिकायतें कीं ? यदि हां, तो कब-कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश गलत तरीके से अनियमित रूप से दिया गया था जिसको निरस्त करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब से और उसका फैसला कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री आत्माराम व्यास को दिनांक 1-10-75 से नगरपालिका, लाडनूं द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया। सम्बंधित आदेश दिनांक 30-9-75 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन कारणों से अनिवार्य सेवामुक्त किया गया, उसका विवरण उक्त आदेश में दिया गया है।

(2) जी हां। दिनांक 4-6-77 एवं 29-6-77 को शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन्हें पुनरावलोकन समिति को भिजवा दिया गया है।

(3) चूंकि मामला पुनरावलोकन समिति के समक्ष विचाराधीन है, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

सवाई माधोपुर में शिक्षा व्यवस्था

24. श्री कुंजीलाल (बामनवास); श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में इस समय कुल कितने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शालायें कार्यरत हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विभिन्न तहसीलों में आबादी, छात्र संख्या, स्थानीय पर्यावरण, नियत दूरी आदि की दृष्टि से कितनी-कितनी शालायें वांछनीय हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जिले की कुछ तहसीलों में शिक्षा विभाग के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन कर आवश्यकता से अधिक शालायें खोली गई हैं और कुछ तहसीलों को निर्धारित मापदण्डों में आवश्यक होने पर भी राजनैतिक कारणों से शालायें खोलने से वंचित रख दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया वंचित रखी गई तहसीलों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) ऐसी कौन-कौनसी तहसीलें हैं, जिनमें उक्त शालाओं के खोलने में दूरी के

Page No 34

(34)

(श्री कुंजीलाल)

मापदण्ड की बिलकुल पालना नहीं की गई है ?

(5) क्या राज्य सरकार शालाओं की इस असंगति व शिक्षा से वंचित रहने वाली तहसीलों को मद्देनजर रखती हुई भविष्य में नई माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शालायें ऐसे स्थानों पर ही खोलेगी जहां वास्तविक रूप में आवश्यक हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) वर्तमान सत्र में किन्हीं स्थानों पर राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन कर अनावश्यक रूप में जो नई माध्यमिक शालायें खोली गई उनका जिम्मेदार कौन है ? क्या राज्य सरकार ऐसे तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में इस समय 57 माध्यमिक विद्यालय बालकों के, 6 बालिकाओं के तथा 11 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालकों के व 1 बालिकाओं का है । विद्यालयों की सूची संलग्न है ।

(2) सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं।

(3) जो शालायें इस जिले में खोली गई हैं, वे निर्धारित मानदण्ड के अनुसार ही खोली गई हैं ।

(4) यह सूचना एकत्रित की जा रही है।

(5) वर्ष 78-79 में उन स्थानों पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया गया है, जिनकी जनसंख्या 3000 से (1971 की जनगणना के आधार पर) अधिक है और अभी तक वहां माध्यमिक शाला नहीं खोली गई है ।

(6) नई शाला में निर्धारित मानदण्डों, जनता की मांग, स्थान विशेष की परिस्थितियां आदि कई बिन्दुओं को ध्यान में रखकर खोली जाती हैं अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

जोधपुर की कच्ची बस्तियों का नियमन

27. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर में कितनी कच्ची बस्तियों का नियमन स्वीकृत हो चुका है, कितने भू-खण्ड दिये गये और कितने भू-खण्ड बस्तीवार 31-1-78 तक खाली पड़े रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भविष्य में नियमन की जाने वाली कच्ची बस्तियों में बस्तीवार अन्दाजन कितने भू-खण्ड प्राप्त होंगे या बनेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जोधपुर में किन-किन कच्ची बस्तियों में कितनी-कितनी धनराशि का कार्य किन-किन मदों (जल, विद्युत, सड़क, नालियों) में सन् 1973-74, 74-75, 75-76, 76-77 में हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जोधपुर में कुल 54 कच्ची बस्तियां हैं जिनमें से 46 बस्तियों में नियमन का कार्य हो चुका है। 3008 प्लाटों का नियमन हो चुका है। शेष 781 प्लाट्स पर रहे हुए

Page No 35

(35)

(नगर आयोजन मंत्री)
काबिज परिवार नियमन की परिभाषा में नहीं आते हैं। आवंटन होना शेष है। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) भविष्य में नियमन की जाने वाली कच्ची बस्तियों में बस्तीवार अन्दाजन 1200 भू-खण्ड प्राप्त होंगे या बनेंगे। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जोधपुर में विभिन्न बस्तियों में वर्षवार खर्च निम्न प्रकार हो चुका है :—

73-74 तक	9,16,000/-
74-75 में	13,02,442/-
75-76 में	10,51,692/-
76-77 में	13,64,238/-

इस प्रकार न्यास द्वारा 46,34,372/- रुपये खर्च किये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

जोधपुर शहर में निजी भूमि मालिकों की सम्पत्तियों का स्वीकृत सब-डिवीजन प्लान

28. **श्री माधोसिंह कछवाहा** (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में निजी भूमि मालिकों की सम्पत्तियों के 'सब-डिवीजन प्लान' बस्तियों, मोहल्लों, कोलोनीज में जोधपुर नगर सुधार न्यास या नगरपालिका द्वारा स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो उनका विवरण निम्न प्रकार से सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें:—

—भू-संपत्तियों के मालिक का नाम, विकास राशि की वसूली

क्षेत्रफल
—सब-डिवीजन स्वीकृति दिनांक या वर्ष
बकाया विकास राशि
विकास राशि की मांग

(2) उपरोक्त 'सब-डिवीजन प्लान' के अन्तर्गत स्वीकृत बस्तियों में नगर सुधार न्यास द्वारा आगामी वर्ष में सड़कें, रोडलाइट, नालियों आदि के लिये क्या विकास योजना है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण प्रोफार्मा में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(2) उपरोक्त सब-डिवीजन प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत बस्तियों में नगर सुधार न्यास द्वारा आगामी वर्ष में सड़कें, रोडलाइट, नालियां आदि के लिये विकास योजनायें जितनी राशि भू-स्वामियों ने जमा करायी है, उतनी ही राशि के कार्य हेतु योजनायें क्रियान्वित की जावेंगी। कुछ कार्य पूर्व में किये जा चुके हैं। शेष अगले वर्ष में किये जाने प्रस्तावित हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

राज्य में जांच आयोगों का गठन

29. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1977-78, तक कौन-कौन से जांच आयोग व समितियों का गठन किया गया है और उनकी क्या-क्या शर्तें तथा विचारणीय विषय क्या हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 36

(36)

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) उक्त आयोगों व समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं ?

(3) इनकी रिपोर्ट कब प्राप्त होनी चाहिये थी और अब कब प्राप्त होगी ?

(4) इनकी आवश्यकता किस रूप में कैसे महसूस की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 यानी 1 अप्रेल, 1977 से 14-3-78 तक राज्य सरकार ने निम्नलिखित जांच आयोग एवं जांच समितियों का गठन किया है:--

आयोग

1. बेरी जांच आयोग :

विचारणीय विषय:--

राजस्थान के निर्माण के समय से कृषि भूमि के बेनामी प्रकृति के समनुदेशनों सहित भूमि के आवंटन, अनुदान, विनियमितिकरण, अर्जन, दान, विनिमय, विभाजन अथवा अंतरण के मामलों में की गई अविधिपूर्ण कार्यवाहियों, अनियमितताओं, अनौचित्यपूर्ण कार्यवाहियों की अथवा दिखाये गये पक्षपात के मामलों में जांच करना (पूर्ण विवरण के लिये अधिसूचना की प्रति संलग्न है) ।

समितियां

1. तथ्यान्वेषण समिति:

विचारणीय विषय:--

आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय अधिसूचना के पैरा 2 (क) (1) से (6) तक में यथा निर्दिष्ट अभिकथन और घटनाओं की शृंखलाएं प्राप्त करने, जांच करने और कार्यवाही करने के लिये (पूर्ण विवरण के लिये आज्ञा की प्रति संलग्न है) ।

2. बेरी आयोग:

सेवा निवृत न्यायमूर्ति श्री बी. पी. बेरी, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यालय .. .. अध्यक्ष

तथ्यान्वेषण समिति:

1. न्यायमूर्ति श्री कानसिंह परिहार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय .. अध्यक्ष

2 श्री रामरजलाल गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सदस्य-सचिव

3. बेरी आयोग :

30 जून, 1978

तथ्यान्वेषण समिति:--

31-10-77 परन्तु अवधि दिनांक 31-3-78 तक बढ़ाई गई ।

4. बेरी आयोग :

जनता के विभिन्न वर्गों की व्यापक व लगातार मांग होने की वजह से ।

तथ्यान्वेषण समिति:--

केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित शाह आयोग को तथ्य पेश करने हेतु ।

(विवरण आदि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

केसरीसिंहपुर मंडी में वाटर वर्क्स का कार्य

30. श्री मनफूल राम (केसरीसिंहपुर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के अन्तर्गत मण्डी केसरीसिंहपुर में वाटर वर्क्स का जो कार्य चल रहा था वह फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा शेष कार्य कब तक पूरा होगा ?

(2) क्या इसमें कोई प्रशासनिक अथवा आर्थिक समस्या तो नहीं उठ खड़ी हुई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि केशरीसिंहपुर में वाटर वर्क्स का जो कार्य चल रहा था वह फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस वर्ष रॉ वाटर सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। आउटलेट के बारे में मंजूरी लेने के लिये सिंचाई विभाग से कार्यवाही की जा रही है। ऐसी सम्भावना है कि रॉ वाटर मार्च माह के अन्त तक उपलब्ध कराया जा सकेगा। शेष कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने की संभावना है।

(2) जी नहीं।

राज्य के गांवों में पेयजल की व्यवस्था

31. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आजकल ऐसे कितने गांव हैं जहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और कितने गांव ऐसे हैं जिनमें सर्दियों तक पीने का पानी उपलब्ध होता है और गर्मी के दिनों में उन ग्रामों के रहने वालों को मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है ?

(2) यदि इन दो उपरोक्त ढंग के गांवों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार करे तो राज्य सरकार को कुल कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी और इस समस्या का निवारण कब तक हो जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य में 33281 आबाद ग्रामों में से कुल 24037 ग्राम समस्याग्रस्त है जिनका अलग-अलग वर्गों में विवरण नीचे दिया जा रहा है —

1. बगैर जलस्रोत के ग्राम एवं अत्यधिक खारे पानी के ग्राम।	7199
2. अत्यधिक फ्लोराइडग्रस्त ग्राम	5991
3. नारुग्रस्त ग्राम	3888
4. खारे पानी के ग्राम	3739
5. असंतोषजनक जलस्रोत के ग्राम।	3220
योग ..	24037
6. शेष ग्राम जिनमें कोई समस्या नहीं है।	9244
कुल योग ..	33281

राज्य सरकार द्वारा 4146 ग्रामों में पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से समस्याग्रस्त ग्रामों में से अब तक

Page No 38

(38)

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
4026 ग्रामों में पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है। अभी तक राज्य के 3143 ग्रामों में शुद्ध पेयजल दिया जा चुका है। 188 ग्रामों में माह मार्च के अन्त तक जल वितरण प्रारम्भ कर दिया जावेगा। शेष 815 ग्रामों में अगले वित्तीय वर्ष में योजनाएं निर्माणाधीन रहेंगी।

राज्य में बगैर जलस्रोत या अत्यधिक खारे पानी के कुल 7199 ग्राम हैं जिनमें से 1152 ग्रामों में मार्च, 77 तक पेयजल योजना स्वीकृत की जा चुकी है। राज्य में ऐसे ग्राम, जिनमें सर्दियों तक पीने का पानी उपलब्ध रहता है और गर्मी में उन ग्रामों में रहने वालों को मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, के आंकड़े उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है क्योंकि विभाग इस प्रकार की सूचना एकत्रित नहीं करता है।

(2) राज्य सरकार को उपरोक्त शेष समस्याग्रस्त ग्रामों के समाधान हेतु 1975 के मूल्य के आधार पर लगभग 220 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार समस्या-ग्रस्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री श्योपतसिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से खेतड़ी तांबा परियोजना में काफी अर्से से चल रही हड़ताल के विषय में।

इस मामले में नवीनतम स्थिति की जानकारी करने के लिए राज्य सरकार को लिखा जा रहा है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(2) श्री सुखलाल सैणचा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 11 मार्च को पाली जिले में ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान होने के विषय में।

राज्य में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में सदन में पूर्व में चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री अब्दुल अजीज, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेड़ता सिटी सदर बाजार में आसार कदीमा की जामा मस्जिद एवं मन्दोर इमारत के फट जाने से जान व माल का खतरा होने की संभावना के विषय में।

(4) श्री खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर तथा जोधपुर संभाग में बिजली की कटौती से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(5) श्री दूला राम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के कुछ गांवों में हरिजनों को मन्दिर में प्रवेश नहीं करने देने एवं छुआछूत की घटनाओं के विषय में।

(6) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला जोधपुर में सीमेन्ट की कमी के विषय में।

यह सब प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक-महत्व के नहीं हैं अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने

(श्री अध्यक्ष)

में असमर्थ हूं । इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव प्रयोगशाला के सहायकों की 27 दिनों से चली आ रही हड़ताल के विषय में था ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव, रींवा के अन्दर राजनारायणजी ने जो घोषणा की कि जनता पार्टी का स्वरूप ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस सदन से सम्बन्धित नहीं है । इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था ।

श्री सभापति : स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अब चर्चा नहीं होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में मेरे कक्ष में जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता पार्टी इतनी कुरूप हो गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री सभापति : यह तो दलीय समस्या है, यह तो चलती ही रहती है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : हां ।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव खेतड़ी तांबा परियोजना में चल रही लम्बी हड़ताल के बारे में दिया है । आज बीस रोज से एक बहुत बड़ी परियोजना, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है, में हड़ताल चल रही है । हजारों लोग भूख के कगार पर पहुंच चुके हैं केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की वजह से । माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर स्थित परियोजना में हड़ताल होने से हमारे सामने क्या-क्या मुसीबतें आती हैं उनको केन्द्रीय सरकार शायद महसूस नहीं करती । हमारा पहले का भी तजुर्बा है, सवा चार महीने तक अणु शक्ति परियोजना रावतभाटा में हड़ताल चली, उसमें करोड़ों का नुकसान हुआ ।

एक माननीय सदस्य : आपने करायी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने नहीं कराई, यह बहुत दफा बात हुई है । मैं कह सकता हूं कि जनता पार्टी के राज में हड़ताल हुई है वह सबसे ज्यादा बी. एम. एस. और जनता पार्टी के संगठनों ने करवाई है, हमारी पार्टी ने नहीं कराई । अगर हमारी पार्टी ने करवाई तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करवाई है । हड़तालों पर कोई पाबन्दी नहीं है, आप पाबन्दी लगा देंगे तो नहीं होगी । मगर हड़ताल के सम्बन्ध में राज्य सरकार के मन्त्रियों को

Page No 40

(40)

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)

आश्वास्त कर दिया है, मुख्य मन्त्रीजी को आश्वस्त कर दिया और श्रम मन्त्रीजी को आश्वस्त किया है। उसके बावजूद भी चार महीने के बाद काफी प्रयत्न करने के बाद, इन्टरवीन करने के बाद हड़ताल टूटी। जो मध्यस्थता राज्य सरकार ने की और हड़ताल खतम करवाई उसकी आज हालत क्या है? रावतभाटा के अन्दर मजदूर परेशान हो रहे हैं, उनसे बात नहीं की जाती है। जितने वायदे किये गये केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के द्वारा, उनका क्या हुआ? मगर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी और श्रम मन्त्रीजी को याद दिलाना चाहूंगा कि मध्यस्थता के बाद में जो फैसले हुए थे उनको लागू नहीं किया जा रहा है, उनको लागू नहीं करने से नतीजा क्या होगा, कौन बरदाश्त करेगा, कौन सफर करेगा? आज राजस्थान में, चार महीने की हड़ताल का ही परिणाम है, बिजली की कटौती की जा रही है, कारखाने सफर कर रहे हैं। यह क्यों हुआ? मैं निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को बहुत ही संजीदगी से लें। रावतभाटा के मजदूरों में तथा हैवी वाटर के मजदूरों में भारी असंतोष है। वे लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं, सरकार के पास अप्रोच करते हैं, मन्त्री महोदय कमिटमेन्ट करते हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की लापरवाही है। वे यह महसूस करने को कोई जरूरत नहीं समझते कि राजस्थान में किसी परियोजना में हड़ताल हुई तो उसका कितना असर पड़ता है। उनको महसूस करवाया जाय। मैं निवेदन करूंगा ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इसको संजीदगी के साथ लें।

इसी के साथ तांबा परियोजना में जो हड़ताल चल रही है वह क्यों चल रही है, क्या मतलब है इस हड़ताल का? नेताओं की वजह से या किसी की हिम पर हड़ताल नहीं चलती। चाहे सीटू के हों, चाहे कोई हों किसी की मन्शा से हड़ताल नहीं चलती उसके पीछे लोगों को परेशानी होती है। मजदूर तंग आकर हड़ताल करते हैं। हड़ताल करना कोई आसान बात नहीं है। किसी के भड़काने से हड़ताल नहीं होती है माननीय मुख्य मन्त्रीजी, मैं आपका फिर दुबारा इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस तरह से करोड़ों का नुकसान राजस्थान में केन्द्रीय नेताओं की हठधर्मी की वजह से हुआ इसी तरह से अब तांबा परियोजना के अन्दर नुकसान हो रहा है। जैसे लम्बी हड़ताल केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से चली, ऐसी ही नीति क्यों अपनाना चाहते हैं? क्या वजह है?

अगर हड़ताल करने वालों की मांगें जायज नहीं है तो इंकार कर दीजिए कि तुम्हारी यह मांग नहीं मानेंगे। मगर अड़ियल रुख आप अपनाते हैं कि पहले हड़ताल वापस लो। तो फिर यह वही बात हो गई जैसे इंदिरा गांधी कहती थी, नो हड़ताल। आप भी उसकी नीति पर चलेंगे तो दोनों तरफ नुकसान होगा, राजस्थान का बेमिसाल नुकसान होगा और मजदूर परेशान होंगे। आखिर में मैं इतना ही आपकी मार्फत गुजारिश करना चाहूंगा कि 20 हजार लोग इससे संबद्ध हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। राज्य को इस नुकसान से और उन लोगों को परेशानी से बचाया जाए, यही मेरे स्थगन प्रस्ताव की मन्शा है।

श्री केदार नाथ (श्रम मंत्री) : कल लेबर डिपार्टमेंट की मांग है, मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि इसका जवाब दिया जाएगा । इससे पहले नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, कॉल अटेन्शन नोटिस भी दिया है खेतड़ी प्रोजेक्ट की, हड़ताल के बारे में, उसका जवाब भी साथ में दिया जाएगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है स्थगन प्रस्ताव के जरिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : यदि अनुमति हो तो, निवेदन करूं ? यहां पर स्थगन प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जो नोटिसेज दिए जाते हैं, उसके बाद हर माननीय सदस्य उन पर विस्तृत रूप से बोलते हैं । हमारी स्थिति विचित्र बन जाती है । इकतरफा बात सदन में आती है । सरकार को जानकारी न मिलने के कारण उस समय हम कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं । कॉल अटेन्शन नोटिस हो या स्थगन प्रस्ताव हों, जिसको श्री आप अनुमति दें, उसकी जानकारी हमें पहले दी जाए । हम आपको लिखित सूचना दे दें कि हम उसके लिए तैयार हैं, उस समय चर्चा उठायें तब तो ठीक है वरना इकतरफा कार्यवाही ठीक नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह परम्परा कई वर्षों से चल रही है ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा काम है, 10 बजे आकर प्रस्ताव देना ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : स्थगन प्रस्ताव की तीन प्रतियां जाती हैं । एक अध्यक्ष के पास, एक मंत्री महोदय के पास । टाइम तो आपको देते ही हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिर्फ एक ही स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : सदन की परम्परा के विपरीत मैं कोई व्यवस्था नहीं करना चाहता किन्तु मुख्य मंत्री का सुझाव है वह भी विचार के योग्य है । यदि विपक्ष सरकारी पक्ष के साथ सहयोग करे तो इस सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल सकती है, यह मेरा विश्वास है ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा शत प्रतिशत सहयोग है ।

श्री अध्यक्ष : फिर तो चर्चा समाप्त हो जाए । आधे घंटे की चर्चा ।

श्री मूलचंद डागा : जनता सरकार इतनी जागरूक है कि किसी भी कॉल अटेंशन मोशन का जवाब नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष : एक बार हां फिर उसी के साथ ना ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने जो व्यवस्था दी वह तो शिरोधार्य है । परम्परा अब तक चलती आ रही है किन्तु मुख्य मंत्री को अब महसूस हो रहा है । जब सत्ता में कोई आता है तब महसूस होता है । बात यह है कि जालोर जिले में मुख्य मंत्री को पता है, उद्योग मंत्री को पता है या नहीं, कुएं बनाए गए । सीमेंट फर्मों द्वारा बेरा बांधा जाता है । कच्चे कुए पर पम्प सेट यदि लगता है तो वह सफल नहीं होता । विशेषकर जालोर जिले में पिछले 6 महीने से सीमेंट नहीं जा रहा है

Page No 42

(42)

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
क्या कठिनाई है ? जिन जिलों में स्टाक नहीं है, वहां धांधली है। वास्तव में 50-60 रुपया एक कट्टे का भाव है, वह भी उपलब्ध नहीं। उद्योग मंत्री रिपोर्ट मंगा सकते हैं, कंपनियां मिलकर ब्लैक करती हैं और काश्तकारों की लूट-खसोट होती है। जब सीमेंट पर कन्ट्रोल नहीं है तो फिर यह तंगी क्यों ?

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा।

श्री मूलचंद डागा : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, वह महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। देशव्यापी सवाल था। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : कल दे दिया था, आज आना चाहिए था। भारत के विधि मंत्री श्री शांति भूषण ने अपने साले सतीशचन्द्र को चीफ जस्टिस बनाने के लिए ......

(व्यवधान)

मैं बोल रहा हूं, फिर यह कैसे बोल सकते हैं ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : इस पर मुझे सख्त एतराज है।

(व्यवधान)

जो बातें आपने केवल सुन रखी हैं उनके लिए इस सदन के समय का दुरुपयोग करने का हक नहीं है ....

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : भारत सरकार के विधि मंत्री है....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस सदन के समय का दुरुपयोग करने का आपको हक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसे भ्रष्टाचारी आदमियों को मंत्री बना दिया जाए ......

श्री सूर्यनारायण चौधरी : भ्रष्टाचारी आप हैं। आखिर कोई नियम हैं, नियमों के अंतर्गत कोई व्यवस्था होती है। आकर खड़े हो गये ......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : Chair is on its legs.

श्री मूलचंद डागा : आप खड़े हैं, मंत्री महोदय भी खड़े हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मंत्री महोदय बैठ गए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को कुछ कहना हो तो मुझसे चेम्बर में मिलकर बात करें। आधे घंटे की चर्चा।

श्री मूलचंद डागा : व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : There is a point of order.

श्री माणक लाल ठाकोर : बूंदी जिले की तहसील नैनवा ....

व्यवस्था का प्रश्न

सभा पटल पर रखे गये प्रश्नोत्तर की सदस्य को प्राप्ति

श्री मूलचंद डागा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 42 की तरफ दिलाना चाहता हूं :

"Lengthy answers to starred

(73)

(श्री मूलचन्द डागा)

questions may, on statement by the Minister concerned, be laid on the Table without being read but a copy in such case may be delivered to the member asking such question in advance of the answer being laid on the Table."

कल भी मैंने कहा। मुझे जो आपका जवाब मिला है, उसके साथ कोई सूची नहीं दी और इन्कम्पलीट जवाब दे दिया। मैं कई बार कह चुका हूं कि मेहरबानी करके आप हमें जिस दिन जवाब दें उस समय दे दें लेकिन सूची नहीं मिलती।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्री मूलचंद डागा : मैंने सवाल किया था पाली तहसील के .....

श्री अध्यक्ष : मैं सवाल को मेरिट्स पर कन्सीडर करके, व्यवस्था दे सकता हूं, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : इनका पाइंट हाइपोथेटीकल है........

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने उनसे कह दिया कि चेम्बर में आकर आपसे मिलें।

श्री मूलचंद डागा : चेम्बर में क्यों ?

श्री माणकचंद सुराणा : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप बीच में स्थगन प्रस्ताव उठा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये बोल चुके हैं।

श्री मूलचंद डागा : जी नहीं।

श्री माणकचंद सुराणा : आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे।

श्री माणकचंद सुराणा : डागाजी, मैं तो आपको बचा रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : वाह साहब! आपकी बड़ी मेहरबानी है। बड़ी कृपा आपकी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये मुझे कोई सूचना नहीं है आपके प्रस्ताव की।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है उसके संबंध में.....

श्री अध्यक्ष : मैंने रिजेक्ट कर दिया है आपके स्थगन प्रस्ताव को। मैं आपको आगे

(व्यवधान)

बोलने की परमिशन नहीं दूंगा। आप चर्चा करना बन्द कर दें। मैं आपको अनुमति देने में विवश हूं। श्री डागाजी, आप बिराजें। आप का प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, कौनसे स्थगन प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। मैंने तो अभी स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई बात निवेदन नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

(श्री ग्रध्यक्ष)

कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य। जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये उनमें से जिनके रिजेक्ट कर दिये गये हैं वह यहां पांच-पांच मिनट तक सदन में राज्य सरकार का ध्यान ग्राकर्षित कर दें।

श्री चुन्नीलाल संचवा (रायपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री ग्रध्यक्ष : हां है। ग्रापको भी पांच मिनट दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्रध्यक्ष महोदय मेरा नम्बर कब ग्रायेगा ?

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका भी नम्बर ग्रा रहा है। श्री ग्रब्दुल ग्रजीज !

श्री ग्रब्दुल ग्रजीज (मकराना) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव मेड़ता सिटी के सदर बाजार में ग्रासार कदीमा की जामा मस्जिद के बारे में दिया है। वह करीब 150 फीट ऊंची मीनार की है ग्रौर करीब 325 साल पुरानी इमारत है। उसकी दीवार फट जाने से तथा उसके साथ ही एक पास में मन्दिर है उसकी इमारत की दीवार फट जाने से हजारों ग्रादमियों की जान व माल को खतरा हो गया है। वहां कई लोगों की जानमाल को नुकसान उस इमारत के फट जाने से हुग्रा है ग्रौर ग्रभी तक खतरा बना हुग्रा है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ग्रोर ग्राकर्षित करना चाहता हूं। ग्रध्यक्ष महोदय, यह जो बिल्डिंग गिरी है वह कोई एक्ट ग्रॉफ गोड नहीं है, खुदा की मर्जी नहीं है। मेड़ता सिटी के सदर बाजार में वाटर वर्क्स वालों ने एक पाइप लाइन नो इन्च की डाली। उस पाइप लाइन के फटने के कारण वहां पर दूर-दूर तक पानी फैल गया। ट्रकों से लाकर वहां रेत डाली गई। ट्रक के धक्के लगने से मन्दिर ग्रौर मस्जिद की इमारत को खतरा पैदा हो गया है। ग्रध्यक्ष महोदय, मस्जिद की बहुत पुरानी इमारत है तथा उसकी मीनार 150 फीट ऊंची है उसके गिरने की सम्भावना से ग्रल्पसंख्यकों की भावना को ठेस पहुंची है। उस मस्जिद की मीनार में दरार पड़ गयी है। ग्रध्यक्ष महोदय, उस मस्जिद की मीनार में दरार पड़ जाने ग्रौर उससे ग्रल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने की ग्रोर ग्रापकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सरकार उसको ठीक कराने के लिये तुरन्त ध्यान दे। उस इमारत के गिरने का खतरा बना हुग्रा है जिससे कि सदर बाजार, जो कि बहुत ग्राबाद है ग्रौर उस मस्जिद के नीचे 52 दुकानें हैं, ग्रध्यक्ष महोदय, उन सभी को खतरा हो गया है। हालांकि मेड़ता शहर के काजी ने कलैक्टर, नागौर को भी इस बारे में निवेदन किया ग्रौर उसके गिरने के क्या कान्सीक्वेन्सेज हो सकते हैं वह भी बताये लेकिन चूंकि, वाटर वर्क्स की गलती के कारण यह हुग्रा है इसलिये, उसकी जिम्मेदारी लेने को कलक्टर तैयार नहीं हुए। इसलिये मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार को इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करने के लिये गुजारिश करना चाहता हूं। ग्रध्यक्ष महोदय, इसी पुरानी इमारत के पास में एक मन्दिर भी है जिसकी इमारत को भी खतरा बना हुग्रा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार मेहरबानी करके इमारतों को ठीक कराने की तुरन्त व्यवस्था करे ताकि उस इमारत के गिरने से कोई ग्रप्रिय घटना नहीं घटे ग्रौर लोगों को जान माल को खतरा नहीं पहुंचे।

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री उगमराज मेहता : ग्रॉन ए पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर। एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : क्या है व्यवस्था का प्रश्न आपका।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, कल यहां हाउस में श्री श्योपतसिंह मकासर ने अपना भाषण देते वक्त वकीलों की तुलना ××× की तरह की। इस प्रकार के शब्द कुछ कहे जिनके संबंध में व्यवस्था का प्रश्न कल उठाया गया था और यह कहा गया था कि उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से इसपंज किया जाय। उसके ऊपर आपने क्या व्यवस्था दी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसपन्ज नहीं एक्सपन्ज कहिये।

श्री मूलचन्द डागा : कहने दो, जो चाहे कहने दो। इनको तो कहना है, जनता पार्टी के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि कल मैं यहां नहीं था। मूल क्या बात थी उस पर मैं सारी कार्यवाही को देख कर ही अपनी व्यवस्था दे सकता हूं। सारी प्रोसिडिंग्ज को देखे बिना मैं अभी क्या व्यवस्था दे सकता हूं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुखलाल सेणचा : अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में अभी हाल में दिनांक 11-3-78 को हुई ओलावृष्टि के कारण काश्तकारों की फसलें नष्ट हो गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर भयंकर ओलावृष्टि हुई और तेज हवा चली जिससे सारी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इस बार में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपको दिया है। उस स्थगन प्रस्ताव की ओर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रायपुर तहसील व जैतारण तहसील के सभी गांवों में फसलों के बरबाद हो जाने से वहां अकाल की स्थिति बन गयी है लेकिन अभी तक कोई राहत कार्य वहां पर शुरू नहीं किया गया है। पहले पाली जिलाधीश ने एक सड़क मंजूर की थी किन्तु अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, इसका कारण यह है कि वहां पर मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वह तीन रुपये और ढाई रुपये ही दी जाती है। इतनी कम मजदूरी में वहां पर कोई काम करने को तैयार नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मगरे का इलाका है जहां पर लोग बेचारे गरीब हैं और जंगल से लकड़ी काट-काट कर बेच कर अपना पेट भरते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिलाने की कृपा करें। साथ ही आप वहां राहत-कार्य ज्यादा से ज्यादा अच्छी मजदूरी के साथ खुलवाने की व्यवस्था करावें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैंने कल ही व्यवस्था दे दी थी, वह रिजेक्ट हो गया है। इसके संबंध में माननीय सदस्य कोई चर्चा अब इस सदन में नहीं करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही पब्लिक इम्पार्टेन्स का मामला है—

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

श्रीमान्, जोधपुर के अन्दर अभी बिजली की बहुत कमी है। जोधपुर शहर की करीब पौने चार लाख लोगों की आबादी है और जिले की आबादी करीब 13 लाख है। वहां बिजली की कमी . . .

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपको अगर कुछ कहना है तो आप अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में मेरे चेम्बर में आकर मिल लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जब आपने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो फिर चेम्बर में आकर क्या निवेदन करूं। यहां पर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित आपके माध्यम से कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। आपका स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ यह आप घोर अन्याय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आप मेरे चेम्बर में पधार कर मुझे अपने विचार बता दें, मैं उस पर पुनर्विचार करूंगा। मैं पुनः विचार करने को तैयार हूं। पर एक बार जो मैंने यहां व्यवस्था दे दी है, वह फाइनल है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने तो उसे रिजेक्ट ही कर दिया।

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर पुनः विचार करने को तैयार हूं। एक समस्या एक पहलू से रिजेक्ट हो सकती है पर उस समस्या के और भी पहलू हो सकते हैं उन पर भी विचार करके मैं उसको मन्जूर कर सकता हूं। इसलिये अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

आपका क्या प्रस्ताव है ?

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में और विशेष तौर से हमारे नैनवा क्षेत्र में भयंकर सूखा की स्थिति पैदा हो गयी है। अभी दिनांक 11-3-78 को नैनवा तहसील के गांवों में ओलावृष्टि हुई जिससे सभी फसल नष्ट हो गयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका तो कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है। आप बेकार ही सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। आप अवास्तविक चर्चा कर रहे है। यह अनुचित है कृपया चर्चा नहीं करें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माणक लाल ठाकोर : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री बूलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव यह दिया है कि जोधपुर में ग्राम बाप, फलौदी और मलार आदि में वहां के लोग, हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते हैं तथा लाठी हथियारों से उनको मन्दिरों में जाने से रोकते हैं तथा मारने की धमकी देते हैं। अध्यक्ष महोदय, फलौदी के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था इसलिये वहां के लोग हरिजनों से बहुत नाराज हैं।

(व्यवधान)

उन्हें मन्दिरों में आने-जाने से जाति एवं छुआछूत के आधार पर रोकते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं।

(श्री दूलाराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की समस्याएं, जो एक नहीं अनेक है के बारे में विचार प्रकट कर रहा हूं। यह विशेष तौर से जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान में कुछ ज्यादा हैं। वहां पर हरिजनों को कुओं पर पानी नहीं भरने दिया जाता है और मंदिरों में दाखिल नहीं होने दिया जाता है। अगर कोई इस बात का चैलेन्ज करते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं जोधपुर का रहने वाला हूं। वैसे मैं गंगानगर चला गया, यह तो मैंने गंगानगर का हक छीना है, लेकिन मैं हूं जोधपुर का, तहसील फलौदी, जिला जैसलमेर का। अगर कोई चैलेन्ज करने को तैयार हैं तो मैं साबित करने को तैयार हूं। मान्यवर, बाप में कुछ हरिजनों ने मंदिर में प्रवेश की आवाज उठाई, फलौदी में भी वह चाहते हैं और मलार में भी वह चाहते हैं तथा कुछ अन्य जगहों पर भी वह चाहते हैं कि वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का मंदिरों में प्रवेश होने दिया जाय। 30 साल पूर्व भी कांग्रेस सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नारा लगाती थी और यह नारा लगाते हुए चली भी गई। आपने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक विज्ञप्ति-पत्र जारी किया है। आपने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के बारे में कार्य किये हैं, उनकी घोषणा इसमें की गई है। इसमें जनता पार्टी की सरकार ने 46 ऐसे काम उनके लिए कर दिये बताये गये हैं। यह पुस्तिका मेरे पास है। उन्होंने हरिजनों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को राहत दी है इसके लिए तो जनता पार्टी को धन्यवाद है, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण मामले दिये गये हैं, जैसे कि किसी हरिजन की भैंस चली गई तो वापस दिला दी, किसी हरिजन की बकरी चली गई तो वापस दिला दी। यह मेरे पास पेम्फलेट है। इस तरह की बातें बताकर अगर जनता पार्टी की सरकार यह समझे कि उसने उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण कार्य किये हों तो यह सही नहीं है। किसी हरिजन की भैंस चोरी हो जाय उसको वापिस दिला दिया जाय, किसी हरिजन का ऊंट चोरी हो जाय तो वह वापस करा दिया जाय, तो नॉन-हरिजन का भी ऊंट चोरी हो जाय तो वह भी वापस आता है। प्रश्न यह है कि क्या मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी बाप के मंदिर में, मलार के मंदिर में, अलग्यार माता के मंदिर में....

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : यह बिल्कुल गलत है। कौनसे मंदिर में हरिजन प्रवेश करना चाहते हैं? आप ले चलिये, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं।

श्री दूलाराम : मैं, माननीय सदस्य का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं हरिजनों का डेपुटेशन लेकर वह प्रवेश करा दें। अगर वे प्रवेश करा देंगे तो मैं इस सदन से त्याग-पत्र देने को तैयार...

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं आपको चैलेन्ज देता हूं....

श्री दूलाराम : आपको पता नहीं। आप जोश दिला रहे हैं....

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर दूं....

श्री रतना राम : फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप भलखार को माता के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश करायेंगे ?

श्री बालकृष्ण बामणी : आप बात करिये।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। हमको इस तरह से बोलने नहीं दिया जाता है। यह हमारे विशेषाधिकारों का हनन है हमको भी बोलने का अधिकार है....

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): माननीय अध्यक्ष, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय अध्यक्ष, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह जो माननीय सदस्या....

कई माननीय सदस्य : लेंग्वेज प्लीज, सदस्य हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : माननीय सदस्य, जो विरोधी पक्ष की तरफ बैठे हैं एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। उनको आपसे आज्ञा लेकर खड़ा होना चाहिए। कल भी जनता पार्टी के सदस्य भाषण दे रहे थे तो दो-तीन माननीय सदस्य बार-बार खड़े होकर व्यवधान पैदा कर रहे थे। मैं आपसे यह कहूंगा कि जो बोलने वाले सदस्य हैं अगर वे कुछ कहना चाहें, चाहे वे ना पक्ष के हों या हां पक्ष के हों, वह आपकी आज्ञा लेकर खड़े हों। अगर वे आपकी आज्ञा के बगैर खड़े होकर व्यवधान करते हैं तो उनके खिलाफ.....

श्री मदनसिंह दांता : शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई थी जबकि माननीय सदस्य बोल रहे थे।

श्री बालकृष्ण बामणी : मैंने उनकी बात का खण्डन किया था।

श्री दूलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं.....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मदनसिंह दांता : This is correct.

श्री दूलाराम : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की समस्याओं का समाधान करें। हमारे कैलाशजी समाज कल्याण के मंत्री महोदय हैं, वह भी हरिजन हैं मगर आज भी हमारी स्थिति ऐसी है। जबकि हिन्दुस्तान को आजाद हुए 30 साल हो गये, हम आज तक आजाद नहीं हुए। हमारे क्षेत्र में आज भी हरिजनों से बेगार ली जाती है। हमें बाध्य किया जाता है कि हम बोले नहीं। फलौदी क्षेत्र के चुनाव में इन्हीं माननीय सदस्य ने उन हरिजनों को बाध्य कर दिया था कि उनके खिलाफ वोट नहीं डालें। जिन्होंने उनके खिलाफ वोट डाले हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि उनको पीटा गया है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं गांव

(श्री डूलाराम) का नाम भी बता सकता हूं और चाहें तो उन लोगों का नाम भी बता सकता हूं।

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं इनको ले जाने को तैयार हूं।

श्री डूलाराम : क्या तैयार हैं? आपके पास है क्या?, माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय सदस्य की तो कद्र करता हूं, मगर उसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से कि आप वहां से चुनकर आये हैं तो आप केवल ब्राह्मणों के ही नहीं, राजपूतों के ही नहीं, जाटों के ही नहीं हैं, आप सबके हैं। अगर आप मेरी बात को चैलेन्ज करते हैं तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप अगर चलें और घोषणा करें कि फलौदी में हरिजनों को मंदिर प्रवेश करायेंगे...

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं आपका स्वागत करने को तैयार हूं।

(दर्शक दीर्घा से सदन की अवमानना)

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन है।

श्री डूलाराम : पहले समाजवाद का नारा देकर हमें भुलावा दिया गया। अब मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान में सबसे पहले गृहमंत्री अनुसूचित जाति का बनाया है। राजस्थान में हरिजनों की और अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति की 40-45 पर्सेन्ट पॉपूलेशन है लेकिन मुझे दुःख हुआ है कि अंत्योदय योजना में 35 पर्सेन्ट ही हरिजनों का नाम लिया गया है और 65 पर्सेन्ट दूसरे लोग हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। पर्चे अभी सदन में गिराये गये हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से...

श्री मदन सिंह दांता : जनता पार्टी का राज्य है। खूब हल्ला करने को इजाजत दी गई है।

एक माननीय सदस्य : आज तो पर्चे आये हैं कल से गोली आयेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह जानें।

श्री डूलाराम : मेरे क्षेत्र में हरिजनों की बहुत बुरी हालत है। हम किसी चीज के हाथ लगा दें तो रोटी खाने को प्राप्त नहीं होती है। मैं माननीय सदस्य, जो फलौदी से आये हैं, से निवेदन कर दूं कि उन्हें और मुझे दोनों सदस्यों को अलग-अलग बिठाकर शिक्षा दी गई है। वे मेरी बात को चैलेन्ज कर रहे हैं। उनको कुछ ज्ञान नहीं है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति होती क्या है? आपने सुन रखा होगा अनुसूचित जाति का मगर आपको ज्ञान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बारे में सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देगी तो राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग कभी भी इस जनता पार्टी की सरकार के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। जनता पार्टी की सरकार बन जाने के बाद एक भी रोज ऐसा नहीं निकला कि यह स्थिति न बनी हो। कांग्रेस आई-आई बस। जब मौका आवेगा तब जो करना होगा वह हम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दे दें तो पता चल जावेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य ने कुछ बातें सदन के सामने रखी हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि जिन जगहों के नाम उन्होंने बताये हैं मैं उनकी स्वयं जांच करवाऊंगा और शिकायत को दूर करने की चेष्टा करूंगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य फलौदी से जीत कर आये हैं, माननीय सदस्य उन्हें जानते हैं या नहीं, लेकिन मैं स्वयं उनको जानता हूं। उनका सारा जीवन हरिजनों के उत्थान में लगा है, हमेशा से वे संघर्ष करते रहे हैं और इसी का परिणाम था कि उनका जब चुनाव हुआ तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स ने अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव के उनको भारी बहुमत से जिताया।

श्री मूलचन्द डागा : भारी कहां ?

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : गलत कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यदि चुनाव में किसी दबाव के कारण से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वोट पड़े तो ज्यादा अच्छा होता कि श्री थानवी के खिलाफ कोई इलेक्शन पिटीशन करते। इलेक्शन पिटीशन की नहीं, इसका सीधा सादा अर्थ यही निकलता है कि वहां कोई शिकायत नहीं है।

यह समस्या आज ही नहीं है पिछले तीस वर्षों से इस प्रकार की समस्यायें थीं, इस प्रकार की समस्यायें रही हैं। सामाजिक वातावरण को बदलने की एक प्रक्रिया है। इसका हम और आप मिल कर समाधान करने का प्रयत्न करें तो ही समाधान हो पायेगा। इसको उछालने और भावनाओं को व्यक्त करने से ही काम नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ कोई अन्याय हो। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसे लोग, जो बहुत पीछे रहे हुये हैं, आगे न आयें। जितना संरक्षण उनको दे सकते हैं आगे उनको देंगे इसमें कोई दुविधा नहीं है।

माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन गांवों का उन्होंने उल्लेख किया है मैं उनकी जांच करा लूंगा।

श्री बूलाराम : एक सैकिन्ड, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

आधा घंटे की चर्चा

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, मेरा प्रिविलेज मोशन था। बहुत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार का प्रश्न था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। आप प्रिविलेज मोशन के बारे में कह रहे हैं। रूल्स में तरीका है उसके देने का।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तीन दिन पहले नोटिस दे दिया था। मुझे चेयर से यह कहा गया था कि जांच करके उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल जिसको कोट कर रहे हैं उसमें साफ लिखा है कि बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं लिया जा सकता।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : चेम्बर में जाकर इसको उठाइये।

Page No 51

(51)

श्री मूलचन्द डागा : दो दिन बात की है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आपको इजाजत दी है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : इजाजत दी है। आप दिल्ली में रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहीं रहूं, लेकिन मैं पूरी जानकारी रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : हमें धमकी दे रहे हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप धमकी दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको भलीभांति विदित है, आपने 10.46 बजे इस समस्या को उठाया।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : समस्या विचाराधीन है। इसको मैं एक्जामिन कर रहा हूं कि यह प्रिविलेज मोशन बनता है या नहीं बनता है। उसका भी मैं निर्णय लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप व्यवस्था देंगे तो मुझे एतराज नहीं है।

आधे घंटे की चर्चा

राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. में अधिकारियों की नियुक्ति

(तारांकित प्रश्न संख्या 157)

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक के द्वारा किस प्रकार से खुले नियमों का उल्लंघन किया गया है उस पर मैंने 10 मार्च, 1978 को एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के जवाब में 10 तारीख को जो लिस्ट मिली थी। उसमें 35 आदमियों के नाम दिये गये थे जिनकी सीधी भर्ती भी की गयी थी और प्रमोशन भी किये गये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर के संचालक मंडल ने किस प्रकार की कार्यवाही की। राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. के संचालक मंडल की सभा 22-9-67 को हुई जिसके प्रस्ताव नम्बर 7 के 2 में लिखा है वह मैं आपको बता रहा हूं—

"The rest 50% should be filled by direct recruitment."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन नियमों के आधार पर संचालक मंडल को 50 पर्सेन्ट सीधी भर्ती से और बाकी 50 पर्सेन्ट मेरिट फार्म ले से लेने चाहिये थे लेकिन 6 आदमियों को मेरिट के हिसाब से लिया गया और 29 आदमियों को सीधी भर्ती के अनुसार लिया गया। यह कानून और नियमों का खुला उल्लंघन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि जो अधिकारी हैं उन्होंने आपको गुमराह किया है। जो 35 आदमियों की लिस्ट दी है वह गलत है। 36 आदमियों को लिया गया है और एक आदमी ओ. पी. कानूगो को प्रमोशन से लिया गया। बैंक के नियमों के अनुसार उसको एक साल से भी कम टाइम हुआ था और वह परमानेन्ट भी नहीं हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव संख्या 7, दिनांक 22-9-67 के पार्ट 5 में लिखा हुआ है—

"Minimum period of regular service of an employee for promotion

(श्री गुल मोहम्मद)

to a higher post should be at least five years.'

5 साल से कम का तजुर्बा जब तक नहीं हो तब तक उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। इसलिये यह प्रमोशन गलत हुआ है। माननीय मंत्री महोदय को गुमराह किया गया है और गलत जानकारी दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आपातकाल के दौरान जो संचालक मंडल की बैठक हुई है उसमें बैंक के बाई-लॉज को बदला गया है। जबकि राजस्थान स्टेट कोआँपरेटिव बाई-लाज अमेन्डडेड अपटू 30-4-1969 के रूल 14 में लिखा है, फंक्शन आॅफ दी जनरल बॉडी। चार नं. पर अमेण्डमेंट टू दी बाई-लाज लिखा है, जनरल बॉडी को ही बाई-लॉज को बदलने के पावर्स हैं, संचालक मंडल को नहीं। 30-11-75 के बाद कोई भी बैंक की जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, वह यह है कि भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री श्री गुलाबसिंहजी शक्तावत और श्री भीमनाथवाला ने मिलकर बैंक के पैसों का किस प्रकार से दुरुपयोग किया है। जिस प्रकार से एक मदारी और जमूरा मिलकर जनता की जेब साफ करते हैं उसी तरह से इन्होंने बैंक के धन को लूटा है। सत्ता के मद में अंधे श्री शक्तावतजी ने राजस्थान कोआँपरेटिव बैंक के नियमों को रद्दी की टोकरी में फैंक दिया था। उस बैंक में उनका शब्द ही कानून था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं उन्होंने बल्कि बैंक के संचालक मण्डल के सदस्यों को भी घूंस दी है। वह घूंस किस रूप में दी है? एच. एम. टी. की घड़ियां और ब्रीफ-केस दिये हैं। इस प्रकार का काम करने का हक सिर्फ जनरल बॉडी को था लेकिन उन्होंने उनको घूंस दी ताकि अपने एबों पर पर्दा डाल सकें।

श्रीमती मदन कौर : पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर सर, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कुछ आरोप लगाये जायें तो इसकी पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए। इस तरह का नियमों में प्रावधान है। इस पर आप कोई व्यवस्था दें।

श्री भवणलाल : बोल सकते हैं।

श्रीमती मदन कौर : जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है तो ....

श्री भवणलाल : पिछली सरकार के संबंध में बोल रहे हैं।

श्रीमती मदन कौर : इसकी सूचना पहले अध्यक्ष को दी जानी चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : बैंक के संबंध में कह रहे हैं। उसके बीच में उनका नाम आ गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को इस संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए।

श्री गुल मोहम्मद : अपेक्स बैंक के अन्दर वह अध्यक्ष भी थे इस दौरान में इसलिये उनका नाम आ ही सकता है। उन्होंने संचालक मण्डल के सदस्यों को एच. एम. टी. की घड़ियां और ब्रीफ-केस दिये हैं। इसके साथ ही साथ बैंक की राशि में से 5,63,195.43 रुपये की राशि निकाल करके उन्होंने जीपें खरीदीं। यह सहकारी अधिनियमों की धारा 61

(श्री गुल मोहम्मद)

का खुला उल्लंघन है। इसी प्रकार से 1 लाख रुपया और इन्हीं सदस्यों को सहकारी बैंक से अनुदान दिया जो कि नियमों के विरुद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात बताना चाहता हूं कि बैंक की इतनी बड़ी राशि के दुरुपयोग से बैंक के रिज़र्व फण्ड पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अहम मुद्दा है।

बैंक को लाभ होते हुए भी बैंक कर्मचारियों का बोनस बन्द करके उनके पेट पर लात मारी गई और श्री शक्तावत ने, जो कि उस समय पुलिस मंत्री थे, बैंक की 15 हजार रुपये की राशि पुलिस बेनोवलेन्ट फण्ड में दान कर दानवीर सेठ स्वर्गीय श्री सोहनलाल दुगड़ की सूची में अपना नाम अंकित कराया। श्री शक्तावतजी और उनके जमूरे श्री भीमनाथवाला ने राजस्थान कोआपरेटिव एक्ट, 1965 व चेरिटेबल एन्डोमेन्ट एक्ट की धारा 2 का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं बल्कि इसके अलावा श्री शक्तावतजी ने और श्री भीमनाथवाला ने, जो कि प्रबन्ध संचालक भी हैं, मिलकर 60 हजार रुपये की रकम दिल्ली में किसी बिल्डिंग के निर्माण के लिए दान कर दी। उक्त दान भी सहकारिता अधिनियम की धारा 62 (डी) व नियम 68 (6) के अनुसार लाभ के 10% से अधिक होने से नियम विरुद्ध था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से इन्होंने दान देकर बैंक को लूटा और खसोटा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं बल्कि मैं आपको इतना और कहना चाहूंगा कि उदयपुर में सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. के जिस समय श्री शक्तावतजी अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने अपने कार्यकर्त्ताओं की एक उदयपुर श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि. बनाई। इस बैंक की राशि में से 3 लाख रुपये का अनुदान दिनांक 3-8-62 को उदयपुर श्रमिक ठेका सहकारी समिति को दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अनुदान दिया गया है इसमें से एक पैसे की भी वसूली नहीं हुई है। बाद में जाकर इस पैसे को राइट आफ कर दिया गया जो राशि 4,67,103.64 थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राशि को क्यों राइट आफ किया गया? रकम चली गयी, मूल रुपया भी चला गया। आखिर यह लाखों रुपये के गबन का मामला है। इस तरह से जो गबन होते हैं और लूटखसोट होती है, मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि वह उनकी पूर्णतया जांच करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह मेरे आंकड़े नहीं हैं। यह मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं बल्कि आडिट रिपोर्ट में जो आब्जेक्शन्स हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वह आंकड़े हैं। मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इसकी जांच करायें। मैं यह भी मांग करता हूं कि सदन के अन्दर एक माह के अन्दर-अन्दर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें क्योंकि यह बहुत ही अहम मुद्दे का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी अधिकारी हैं चाहे शक्तावतजी हों या भीमनाथवाला हों या अन्य अधिकारीगण हों यदि वह दोषी पाये जायें तो उनको जेल के सींखचों में बन्द किया जाये। यह मेरी मांग है कि इन अपराधियों की सम्पत्ति को नीलाम करके बैंक की लूटी हुई राशि को वसूल किया जाये। हमें माननीय

(श्री गुल मोहम्मद)

मंत्री महोदय की ईमानदारी और निष्पक्षता पर पूरा-पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप इनके पापों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करेंगे। साथ ही एक बात और कह देना चाहता हूं, अगर आपने इनके पापों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की तो मैं तो क्या, सदन के और सदस्य भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप यह समझकर चल रहे हों कि आप उस दिन की तरह आज भी जवाब नहीं देंगे तो मैं सदन से बहिर्गमन पर जाऊंगा, यह आपकी गलतफहमी है। मैं अब उस गलती को दोबारा कभी भी दोहराने वाला नहीं हूं। अपने प्रश्न का उत्तर पाने का मुझे अधिकार है और मैं उस अधिकार को इसी सदन में बैठकर पूरा करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में जो भी सवाल पूछे जायें, उनका सही-सही हिसाब से रिप्लाई आना चाहिए। जैसा मैंने बताया है कि इसमें हमारे विशेषाधिकार का भी हनन हुआ है। इसमें 35 आदमियों की लिस्ट दी गयी है जबकि 36 आदमी लिये हैं ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आधा घन्टे की चर्चा है। आप 12-13 मिनट बोल चुके हैं। आधा घन्टे में यह चर्चा समाप्त होगी। सरकारी उत्तर भी आना है और दूसरे इस प्रश्न के समर्थक भी हैं वह भी बोलना चाहते हैं। कृपया समय का कुछ तो ध्यान रखिये। कुछ मुझे भी सुनिये।

श्री गुल मोहम्मद : Thank you.

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं भी दो मिनट बोलना चाहूंगा.....

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि 6 माननीय सदस्यों के नाम हैं उनमें से कोई भी 3 माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दे सकता हूं। सब के सब 6 माननीय सदस्य बोलें, यह सम्भव नहीं है। आधा घन्टे की चर्चा सार्थक रूप से करनी है तो आप आसन को सहयोग दीजिए। 3 माननीय सदस्य केवल बोलिये। मेरा संकेत पर्याप्त है अन्यथा मुझे विवश होकर कठोरता से व्यवहार करना पड़ेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्कालीन बैंक के अध्यक्ष के कारण से जो गबन घोटाले हुए हैं और जो गलतियां की गयी हैं उनकी तो जांच होगी ही लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो गलत लिस्ट दी है उसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ खुली जांच हो। कांग्रेस के शासन काल में इस प्रकार की बात हुई थी, मैं चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों को मुक्त नहीं किया जाये। उसके साथ ही श्री भीमनाथवाला ने लिस्ट दी है इसलिये उनके खिलाफ खुली जांच हो और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाये। यही मेरा निवेदन है।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट लेंगे तो मैं सबको बोलने दूंगा।

श्री कौशल किशोर जैन : पिछले सदन के अन्दर, अनेक माननीय सदस्यों ने श्री भीमनाथवाला पर अनेक आरोप लगाये थे।

(श्री कौशल किशोर जैन)
माननीय अध्यक्ष महोदय, 21 सितम्बर को श्री भीमनाथवाला का रिजर्व बैंक से डेपूटेशन खतम होने वाला था। इसी सदन के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि भीमनाथवाला की कारगुजारियों को देखते हुए उनका समय नहीं बढ़ाया जायेगा। किन्तु मुझे दुःख है, उस समय के मंत्री महोदय ने ......

श्री अध्यक्ष : जो नामावली मेरे पास आई है, उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : केवल एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष : नियमों के विपरीत है।

श्री कौशल किशोर जैन : आपकी आज्ञा हो तो बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : बोल लीजिये।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं आपका आभारी हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि इसी सदन के अन्दर 21 तारीख को श्री भीमनाथवाला पर अनेक सदस्यों ने आरोप लगाये थे। बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं, आज भी भीमनाथवाला प्रबन्ध संचालक के पद पर काम कर रहे हैं। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भीमनाथवाला ने उन कर्मचारियों, जिन्होंने इस बैंक में होने वाले घोटालों की जानकारी माननीय सदस्यों को दी, के खिलाफ कार्यवाही की तथा इन्क्वायरी कराई है। यह सदन के अधिकारों का हनन है। इस प्रकार के अधिकारी का तुरन्त डेपूटेशन समाप्त करके, उन्हें अपने स्थान पर भेजा जाना चाहिये। उनके खिलाफ पूर्ण जांच होनी चाहिये। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंग लाल, श्री माधोसिंह कछवाह, श्री ईश्वरचंद्र, श्री गोपाल पचेरवाल। इनमें से दो माननीय सदस्य, कोई भी बोलना चाहें वह बोल लें। नहीं तो सरकार को उत्तर के लिये इंगित करता हूं।

कई माननीय सदस्य : जवाब दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो सहयोग दिया है उसके लिये आभार। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जब पिछली बार सदन में आये थे, मैंने उस समय एक स्पष्ट उत्तर दिया था। संचालक मण्डल को दिये हुए अधिकारों का प्रयोग वे नियमों के अन्तर्गत करते हैं। माननीय सदस्य और अधिकांशतः माननीय सदस्य सहकारिता के बारे में जिस प्रकार के नियम वगैरह बने हुए हैं उनकी जानकारी न होने के अभाव में इस प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं। नियमों के विरुद्ध चर्चा हुई है, यह नहीं कहता। उस वक्त जो चेयर पर थे उन्होंने यह व्यवस्था दी कि प्रश्न काल समाप्त हो गया। शायद उस समय विधायकों ने इस व्यवस्था पर भी आपत्ति की थी। इसलिये मैं उचित समझता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में हमारे एक्ट में क्या प्रावधान हैं, बाई-लाज में क्या प्रावधान हैं और किस तरह से सहकारी क्षेत्र में बैंक आते हैं, समितियां आती हैं, यह स्थिति अगर समझ में आ जाय तो इस प्रश्न के बहुत सारे मुद्दे अपने आप हल हो जायें। आज सारे देश में

(श्री कैलाश मेघवाल)

सहकारी आन्दोलन चल रहा है। उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप कम से कम किया जावे। इस तरह की मांग चल रही है ताकि उनकी स्वायत्तता कायम रहे इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों का ध्यान राजस्थान कोआँपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के सैक्शन 4 की ओर दिलाना चाहता हूं। सैक्शन 4 है—

"Subject to the provisions of this Act, a co-operative society which has as its objects the promotion of the economic interests of its members in accordance with the co-operative principles, or a co-operative society established with the object of facilitating the operations of such society, may be registered under this Act."

यह रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कब होता है उसकी व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष महोदय, सैक्शन 6 में की गई है। वह है—

"An application for the registration of a co-operative society shall be made to the Registrar in such form as the Registrar may, from timo to time, specify; and the applicant shall furnish to him all such information about the society as he may require.

(2) Every such application shall conform to the following requirements, namely—

(a) the application shall be accompanied by three copies of the proposed bye-laws of the co-operative society;

(b) where all the applicants are individuals, the number of applicants shall not be less than fifteen and each of such persons shall be a member of a different family;

(c) where all the applicants are co-operative societies the number of applicants shall not be less than five......"

यह रिलेटिव पोर्शन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाय-लॉज प्रस्तुत होते हैं उन बाय-लॉज के तहत सोसाइटी को काम करना होता है। जब यह बैंक रजिस्टर हुआ उस समय इसके बाय-लॉज को प्रस्तुत किया गया। उन बाई-लॉज के नियम संख्या 32 (5) और 32 (8) को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं—

"32 (v) To prescribe or regulate from time to time the strength of office and field establishment and their salaries and allowances."

"32 (viii) To appoint, suspend, remove or dismiss or otherwise deal with the employees of the bank in accordance with such sudsidiary rules as may be framed in this behalf."

यह जो बोर्ड के अधिकार हैं इस बोर्ड के अधिकारों के तहत जो बोर्ड की पहली बैठक हुई उस पहली बैठक में अपने अधिकार क्षेत्र में जितनी बात लीं उनका थोड़ा बहुत रेफरेन्स दूंगा। इसके बाद जो सारी कार्यवाही होती है, बैंक के रिजोल्यूशन होते हैं और रिजोल्यूशन का फोर्स आँफ रूल होता है,

Page No 57

(श्री कैलाश मेघवाल)
नोटिफिकेशन इश्यू होता है। तो जो पहली मीटिंग हुई......

एक माननीय सदस्य : कार्यवाही करेंगे कि नहीं ?

श्री कौशल किशोर जैन : मेरी समझ में नहीं आता इतने भ्रष्ट अधिकारी के लिये क्यों दलील दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वाईलाज में कहीं यह भी है कि नियुक्ति तो हो बैंक में, पोस्टिंग सारे राजस्थान के किसी भी जिले में हो, यह बता दीजिये। राजस्थान सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में अपाइन्टेड व्यक्ति को सिरोही में, जालौर में नियुक्त करने के संचालक मण्डल को अधिकार दिये गये हैं ? वह बात बता दीजिये, बड़ी कृपा होगी।

श्री मदन सिंह दांता : क्या नियमों में यह भी है कि जो भ्रष्ट कर्मचारी है या आफिसर है उसका बचाव करना है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ऐसा मालूम पड़ता है कि मंत्री महोदय वकील रहे हैं और लॉ पढ़कर बचा रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो नियम बने हैं उनके तहत रकम निकाली गई है या ....

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : कानून का हवाला देकर उनको बचा रहे हैं जब कि सदन को भावना है कि उनको निलम्बित किया जाये।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इसका कोई कानून बना हुआ है, कोई प्रावधान है ?

(व्यवधान)

इसकी जानकारी करेंगे या नहीं ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता तो यह था कि मंत्रीजी अपना जवाब......

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मंत्रीजी को अपना उत्तर देने के लिए आप आदेश दीजिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं चाहता तो यह था कि मंत्रीजी जब अपनी बात पूरी कर लें तब कुछ समय लिया जाय ताकि उत्तर कितना उचित है या अनुचित है, इस बात पर चर्चा हो जाय.....

श्री नूरा : मंत्रीजी का उत्तर पोलिटिक्स भरा नहीं बल्कि फैक्ट्स पर होना चाहिए।

श्री बजरंगलाल शर्मा : लेकिन एक बात बीच में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी अपना उत्तर सही फैक्ट्स पर दें। उन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स हैं और आगे चल कर रूल 32 का हवाला भी दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपना उत्तर देते समय कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स के रूल 41 को भी देख लें। सर्विसेज के बारे में कोई भी अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं है। वह प्रोवाइड करता है :

"The State Government shall make rules regarding service conditions of the employees."

यह रूल 148 प्रोवाइड करता है और उसके तहत 141 में प्रोवीजन है :

"Registrar is empowered to specify the service conditions."

Page No 58

(58)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

इसलिए इन बायलाज से कोई शक्तियों को ग्रहण करें जो रूल्स से कंसिस्टेंट हों। उन रूल्स को लॉ का फोर्स नहीं है। कैसे उन्होंने इसको किया है, स्टेटुअरी रूल्स के मुकाबले में बायलाज का फोर्स नहीं है। नम्बर 2. मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कंसिस्टेंटली रूलिंग दी है को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के बायलाज और रूल आफ लॉ के बारे में, उनके अनुसार कोई बायलाज रूल आफ लॉ का फोर्स नहीं रखते। मंत्री महोदय ने यह बताने की कोशिश की, रूल आफ लॉ का फोर्स बायलाज रखते हैं तो यह गलत है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर दें। हालांकि वे स्वयं भी वकील रहे हैं लेकिन उन्होंने प्रेक्टिस कितनी की है यह मैं नहीं जानता। जितनी भी उनकी प्रेक्टिस रही हो इतनी बात तो वे जानते ही होंगे कि बायलाज रूल ऑफ लॉ का फोर्स नहीं रखते। इसलिए इन बातों को ध्यान में मंत्रीजी रखें और गलत आधार पर उत्तर देकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स को सेफगार्ड करने की चेष्टा न करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : रजिस्ट्रार महोदय द्वारा परसिस्टेंटली विरोध किया गया है। रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज को बराबर नेग्लेक्ट करते हुए बराबर यह सारी कार्यवाही की जाती रही है। पिछले दो वर्षों से वे बराबर इसका विरोध कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी कोई नियम हो तो बता दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल बीच में, बिना मेरा पूरा जवाब सुने और बिना वह पृष्ठभूमि देखे जिसके आधार पर सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली चल रही है, कार्य करने का तौर-तरीका है, केवल किसी बात को पिनपोइन्ट करने की दृष्टि से जिस तरह से यहां पर आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं, उस सारी बात को साफ करने की दृष्टि से, पदोन्नतियों के बारे में जैसे अभी कुछ माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए और कहा कि कई लाख रुपयों का गबन-घोटाला है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना जवाब दे रहा हूं, आधे घण्टे की चर्चा में ये सब चर्चायें उठाई जा सकती हैं....

श्री अध्यक्ष : आधा घण्टा तो समाप्त हो चुका।

श्री कैलाश मेघवाल : अभी बनीपार्क से आने वाले माननीय विधायक जिस तरह से आज कल.....

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भी आपत्ति की है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क से आने वाले माननीय विधायक आज कल जिस तरह बोल रहे हैं और उस दिन भी इस तरह की बात कही थी कि एक मंत्री गैर जिम्मेदाराना ढंग से जवाब दे रहे हैं। मैं सम्मानपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उनका इस तरह से कहना उचित नहीं है और आज भी जिस ढंग से उन्होंने बात कही है उसको गलत मानता हूं। पहले मेरे जवाब को सुन लीजिये। समझ की दृष्टि से, इण्टर-प्रिटेशन की दृष्टि से मतभेद हो सकते हैं। वे स्वयं जानते हैं कि एक-एक शब्द के

(श्री कैलाश मेघवाल)

इण्टरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंचेज बैठती हैं। लेकिन जिस तरह के आलोचनात्मक और टोंटिंग भाषा में उन्होंने बात कही है कि मै वकालत करता था और मुझे कितना ज्ञान है, मैं समझता हूं कि उनका इस तरह से बोलना उचित नहीं है। इस बारे में मैं फिर कहना चाहता हूं कि वे इस तरह की भाषा का आयन्दा प्रयोग नहीं करें तो अच्छा रहे। उनकी आदत हो सकती है लेकिन आदत को सुधारना भी चाहिए।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो नियमों की स्थिति है, वह नियमों की स्थिति इस प्रकार है; बोर्ड ने जो पहला रिजोल्यूशन किया, वह था :

"The Board of Directors reserve to themselves the absolute discretion to modify, change or abrogate the time-scale pay and other allowances in any particular case or in general, and to modify, change or abrogate any of the regulations as they may deem fit." यह अधिकार बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने अपनी पहली मीटिंग में अपने पास रख लिया। इसके बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कार्य प्रणाली चालू की गई। जैसा कि मैंने उत्तर में कहा था और जिसके बारे में यहां पर कहा गया कि मैंने जो सूची 35 व्यक्तियों की दी है उसमें ओ. पी. कानूगो का नाम नहीं दिया गया है। मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन 35 व्यक्तियों की सूची दी है वे ट्रेनीज हैं और ट्रेनीज की स्कीम रिजर्व बैंक के आदेशानुसार लागू हुई है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक में प्रोबेशनर्स को लेकर ट्रेनीज को ट्रेण्ड करने की एक प्रणाली लागू हुई। जिस व्यक्ति का नाम लिया गया, ओ. पी. कानूगो का, वे एज ट्रेनी सलेक्ट नहीं हुए। ट्रेनीज की सूची में उनका नाम नहीं दिया गया है। ये एज ए क्लर्क रिक्रूट हुए थे और रुटिन में उनके प्रमोशन हुए। और उस प्रमोशन के आधार पर वे एक स्टेनोग्राफर के रूप में वर्क कर रहे हैं लेकिन एज ट्रेनी सलेक्ट नहीं हुए। जिस तरह से बैंक के डाइरेक्शन आए थे ट्रेनीज को सलेक्ट करने के उसके आधार पर ट्रेनीज का सलेक्शन किया गया जिसमें ओ. पी. कानूगो सलेक्ट नहीं हो सके, इसलिए उनका नाम सूची में नहीं दिया गया है।

श्रीमान्, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने श्री भीमनाथवाला के सम्बन्ध में जो बात कही थी, मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि 31 मार्च, 78 के बाद, जब कि भीमनाथवाला के डेपूटेशन की अवधि समाप्त होती है, उसके बाद उनकी अवधि नहीं बढ़ाई जाय, इस बात का राज्य सरकार ने फैसला ले लिया है। आगे उनको प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखा जा रहा है, यह मैं उनको निवेदन कर देना चाहता हूं।

अब मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सलेक्शन किए गए, इन सलेक्शन्स में समय समय पर बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किए। उन सारे रिजोल्यूशन्स की प्रतियां, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो मैं आपके समक्ष रख सकता हूं। दस-बारह रिजोल्यूशन्स हैं जिनसे सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अब चूंकि कार्य प्रणाली डालनी थी तो बोर्ड

Page No 60

(60)

(श्री कैलाश मेघवाल)
ऑफ डाइरेक्टर्स ने यह सोचा कि क्योंकि लिखित में कुछ नियम नहीं हैं इसलिए सारे अधिकार निर्णय लेने के, जब जैसी स्थिति आवे उसके आधार पर निर्णय करने के अधिकार ले लिये। उस स्थिति में रिजोल्यूशन्स लिए हैं तथा उन रिजोल्यूशन्स में रिजर्व बैंक ने जो क्वालिफिकेशन्स, योग्यताओं के मापदण्ड दिए, उन मापदण्डों को थोड़ा बहुत काट दिया। इसके बारे में रिजर्व बैंक के ओब्जेक्शन भी थे। उन आब्जेक्शन्स को मोटआउट किया गया। इस रिजोल्यूशन्स के अन्दर अलग-अलग समय पर जब-जब जैसी स्थिति आई, उसके अनुसार सलेक्शन के तरीके तय किए। यह भी सही है कि सारे सलेक्शन एक साथ नहीं हुए। माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि पांच-छः बार चयन समितियां बैठीं। कभी दो का सलेक्शन किया, कभी तीन का किया, कभी पांच का, तो कभी छः का सलेक्शन किया। इस तरह से कुल मिला कर चयन हुआ है। जो रिजोल्यूशन्स हैं और जो उनकी भावना है, मुझे इस बारे में कहीं भी किसी प्रकार का गिला नहीं है कि इसमें उनको डिफेण्ड करूं। उस समय कार्य प्रणाली का जो तौर-तरीका था, जिन रिजोल्यूशन्स के तहत कार्य करने की शक्ति बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में निहित थी, उसके तहत जो कार्य हुए हैं, वे सारे रिजोल्यूशन्स मैं सदन की मेज पर रखने को तत्पर हूं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैंने भी इन सब रिजोल्यूशन्स का अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद जो भी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, उसके बाद भी जैसा यहां पर कहा गया कि चयन में रिश्वत भी गई है, एच.एम.टी. की घड़ियां और ब्रीफ-केस दिये गये हैं, इस प्रकार की शिकायतें मेरे पास नहीं आई हैं और न ही मुझे मिली हैं देखने को, फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लिखित रूप में सप्रमाण अगर शिकायत दी गई तो मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी अधिकारी हो, जिसके विरुद्ध सप्रमाण शिकायत दी जायगी उसकी निश्चित रूप से जांच कराऊंगा और जांच में शिकायत सही पाई गई तो निश्चित रूप से मैं उसको सजा देने के लिए तत्पर हूं और सजा दूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : मंत्री महोदय, एक कर्मचारी के विरुद्ध साठ हजार के भ्रष्टाचार के बारे में कहा था....

श्री कैलाश मेघवाल : अजी महाराज, वह दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं कोई विशेष चर्चा का अवसर नहीं दूंगा। मंत्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में भी निवेदन कर दूं। यह साठ हजार वाली बात किसी और प्रश्न के दौरान उठाई गई थी और अभी फिर यह बात उठाई गई तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सारे देश का एक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली में उसका ऑर्गेनाइजेशन है। देश की अन्य कोऑपरेटिव सोसायटीज उसकी अफिलियेटेड यूनिट्स हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में सभी प्रदेशों से कण्ट्रीब्यूशन लिया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन

(श्री कैलाश मेघवाल)
करना चाहता हूं कि कण्ट्रीब्यूशन और ग्रान्ट में फर्क है, अनुदान और अंशदान में फर्क करके चलना होगा। अफिलियेटेड यूनिट होने के कारण, दिल्ली में जो उनकी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के लिये सारे देश की अलग-अलग जो संस्थायें हैं उनसे कण्ट्रीब्यूशन लिया जा रहा है। उस कण्ट्रीब्यूशन में हमने भी साठ हजार एक बार दिए, साठ हजार दूसरी बार दिए हैं। यह भी संचालक मण्डल के अधिकार से दिये हैं। यहां पर चेरिटेबल एण्डोमेंट्स एक्ट का हवाला भी दिया गया कि यह इसमें नहीं आता है। इसको पूरी तौर पर देखने के बाद जो कण्ट्रीब्यूशन दिया गया है, उसके बारे में सारी फाइल को देखने के बाद उसके औचित्य में किसी तरह की कोई गड़बड़ नजर नहीं आती।

इतना निवेदन करने के बाद मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर उनके पास किसी कर्मचारी द्वारा विशेष रियायत देने, रिश्वत लेने का चार्ज है तो वे लिख कर दें। मैं निश्चित तौर पर उसकी जांच करवाऊंगा।

एक माननीय सदस्य ने रजिस्ट्रार का सवाल उठाया।। रजिस्ट्रार बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में सैकिण्ड नम्बर पर है। जितने भी सारे रिजोल्यूशन वहां पर लिए जाते हैं, उनमें रजिस्ट्रार की सहमति ली जाती है अकार्डिंग टू लॉ कन्सेन्ट रजिस्ट्रार की ली जाती है। राजस्थान कोआपरेटिव एक्ट के तहत रजिस्ट्रार इस तरह की सहमति देने का अधिकारी है। इस तरह की कार्य प्रणाली है। कानून में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती है। फिर भी अगर कोई है तो माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे बतावें मैं जांच करवा दूंगा।

श्री गुल मोहम्मद : मंत्री महोदय के अनुसार हम गलत हैं। इसका मतलब यह हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गुल मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं, बायलाज...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अब चर्चा नहीं होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई

श्री गुल मोहम्मद : एक बहुत जरूरी बात है। संचालक मण्डल को यह पावर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : No more.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जिला जालौर में अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा अकाल घोषित न करने से उत्पन्न स्थिति

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत जिला जालौर में अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा अकाल घोषित न करने से उत्पन्न स्थिति की ओर अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत मंत्री महोदय ।

श्री जय नारायण पूनिया (अकाल राहत मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राज्य के अन्य भागों की भांति जालौर जिले में भी सामान्य से अधिक वर्षा हुई है । अधिक वर्षा होने के कारण तहसील सांचोर के ग्राम सुराचा में बड़गांव नदी के कारण तथा अन्य 13 गांवों में फसलों के नुकसान होने की सूचना जिलाधीश ने दी थी लेकिन यह नुकसान 8 आने से कम था । जिलाधीश से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार सम्पूर्ण जालौर जिले में खरीफ की फसल सामान्य रूप से ठीक बताई गई थी एवं अभाव स्थिति की घोषणा किए जाने की आवश्यकता नहीं थी ।

इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जालौर जिले में अभावग्रस्त स्थिति के प्रश्न के उठाये जाने पर जिलाधीश, जालौर को स्थिति की पुनः जांच करने को कहा गया और जिलाधीश ने पुनः जांच कर अब यह सूचित किया है कि तहसील जालौर में 3, आहोर में 8, भीनमाल में 16 और सांचोर में 8, कुल 35 ऐसे गांव हैं जिनमें पिछले दो वर्षों यानी संवत् 2033 के मुकाबले फसल की बुआई क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण लगभग 50 प्रतिशत की कमी हुई है । इस कमी के कारण वहां अभाव की सी स्थिति बन गई है । जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर राहत हेतु सहायता विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

जिले में खाद्यान्न की उपलब्धि के बारे में कोई समस्या नहीं है । मजदूर को सामान्य तौर पर कार्य उपलब्ध हो रहा है व अन्य लोग खेती के कार्य में व्यस्त हैं । जिले में भुखमरी की स्थिति नहीं है । सरकार स्थिति के प्रति जागरूक है और आवश्यकतानुसार राहत की व्यवस्था की जावेगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है.....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद उस पर चर्चा नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्वयं नियमों को जानते हैं । यह परम्परा है । फिर भी दो मिनट, माननीय सदस्य, आप बोल लें । इससे अधिक समय न लें.......

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह बराबर परम्परा रही है । मंत्री के स्टेटमेंट के बाद प्रश्न पूछे जा सकते हैं । मैंने तो सिर्फ प्रस्ताव को पढ़ा है । कुछ नहीं कहा है । मैं पहले कह सकता था, परन्तु मैंने उस समय नहीं कहा....

श्री अध्यक्ष : अभी तक तो पढ़ने का ही नियम है...

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह परम्परा रही है.....

श्री मूलचन्द डागा : सवाल कर सकते हैं ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नियमों के अन्तर्गत प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसी व्यवस्था हो चुकी है । रखने के समय सदस्य चाहे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
तो बोल सकते हैं। और उस समय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। पहले भी या बाद में क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। बराबर यह परम्परा है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में सिर्फ दो-तीन प्रश्न ही पूछना चाहूंगा। दुबारा जो रिपोर्ट कलक्टर ने दी है, उसके पहले जो रिपोर्ट दी उस समय राजस्व अभियान के अन्दर सारे अफसर लगे हुए थे। उन्होंने गलती यह की कि खेतवार रिपोर्ट नहीं की। जनरल तौर पर एक रिपोर्ट सरकार को भेज दी। क्या यह रिपोर्ट कलक्टर की आपको प्राप्त हो चुकी है कि बाजरे की फसल जो सावलू फसल होती है, वहां पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है? क्या यह रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई है?

दूसरे, बाजरे की फसल सावलू में है, पूरे जिले में है और उसमें पूरा खराबा बताया है। यह मुद्दा लेते हैं। इस मुद्दे के ऊपर ही पाली, सिरोही और बाड़मेर में अकाल डिक्लेअर हुआ। यह गिरदावरी वाली बात है। पचास पर्सेन्ट काश्त नहीं हुई। पिछले दो-तीन सालों की रिपोर्ट आप देख लें। इन गांवों में गिरदावरी के आधार पर ही अकाल डिक्लेअर हुआ है। वर्षा से नुकसान नहीं बताया। मंत्री महोदय से मैं यह आग्रह करना हूं कि आपके नियम हैं, फेमिन कोड है उनके आधार पर इन जिलों की कलक्टर ने, रेवेन्यू अधिकारियों ने जो रिपोर्ट की है वह गलत की है। यह हमें मालूम है। उन्होंने हमसे कहा है, पहले रिपोर्ट हम दे चुके हैं, दुबारा लिखते हैं तो सरकार हम को खा जाएगी। ये लोग उसमें फंस गये हैं। इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मानवीय दृष्टिकोण से और लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से निवेदन करना चाहूंगा कि जब जिला पाली, सिरोही, बाड़मेर, जालौर में फेमिन डिक्लेअर हो गया है, तो जालौर में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ कुछ गांवों को ही डिक्लेअर करना न्यायोचित नहीं है। सिर्फ बदनामी से बचने के लिए, कुछ गांवों की बात कहना गलत है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वहां के कौन से भाग में कौन सी फसल हुई है? यह बतावें। वरना वे कृपया यहां से डिप्टी कमिश्नर रिलीफ को भेज कर सारी रिपोर्ट मंगावें। आठ आना, बारह आना कौन सी फसल वहां पर हुई है। मूंग, मोठ, बाजरा, ये ही फसलें वहां पर होती हैं। कोई न कोई तो रिपोर्ट होनी चाहिए। गिरदावरी नहीं हो पाई है और जो रकबा काश्त हुई है उसके अन्दर खराबा हुआ है, वह कितना हुआ है, उसका यहां से कमिश्नर को भेज कर पता लगावें वरना लोगों के साथ अन्याय होगा और रेवेन्यू वसूली सस्पेन्ड नहीं होगी। दूसरी जो वसूलियां हैं, वे भी लोगों से की जायेंगी। रिलीफ का काम तो डूबे, परन्तु फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट उनको खा जायगा। आप कहते हैं कि काम की वहां पर आवश्यकता नहीं है। आप एक टीम यहां से भेज दीजिए। वह वहां की स्टडी कर के न्याय करे वरना लोगों के साथ अन्याय होगा। यह जांच दुबारा कराई जाए। कलक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ही न चलें। फेमिन डिपार्टमेन्ट की रिपोर्ट लें। हुआ साहब को भेजें

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
वे काफी अनुभवी हैं। वरना यहां के लोगों के साथ आप न्याय नहीं करेंगे।

श्री मदनसिंह दांता : कलक्टर की दो रिपोर्ट आ चुकी हैं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : कलक्टर ने दो रिपोर्ट दी हैं। पहली रिपोर्ट को अमेन्ड कर के यह कह दिया है कि अमुक गांव अभावग्रस्त हैं। कुल कितना रकबा कल्टीवेट हुआ, यह बतावें। जो मलेरिया अफेक्टेड क्षेत्र हैं, वहां कौनसी रबी या सावलू फसल हुई है ? दुबारा जांच हो जाएगी तो वहां पर अन्याय होने से बच जाएंगे। हमेशा वहां पर फेमिन डिक्लेअर हुआ है। अब क्या हो गया है ?

श्री **रतनाराम** : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम है....

श्री **अध्यक्ष** : किस सम्बन्ध में...

श्री **रतनाराम** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में। मैंने भी दिया है।

श्री **अध्यक्ष** : दो मिनट।

श्री रतनाराम : माननीय अकाल मंत्रीजी, जालौर जिले में भयंकर अकाल छाया हुआ है। यह पूरे जालौर जिले का सवाल है। अकाल के कारण बहुत से लोग मजबूर होकर गुजरात चले गये हैं और जा रहे हैं इसलिए अकाल सहायता मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह दल को भेज कर वहां की स्थिति का जायजा ले लें। जालौर जिले को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया है, यह वहां की जनता के साथ अन्याय किया गया है। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सरकार तुरन्त ध्यान दे। और अकाल घोषित करे।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरः स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

माननीय वित्त मन्त्री महोदय।

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, कि राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री आदित्येन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

विभागों के प्रगति विवरण की उपलब्धि में विलम्ब

श्री मूलचन्द डागा : ऑन ए पाइण्ट ग्राफ आर्डर, सर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार आपका अमूल्य समय ले चुका हूं। तीन मांगों पर चर्चा है। जिला प्रशासन, राजस्व और वन, इनमें से दो पर तो कुछ सामग्री का वितरण ही नहीं हुआ। वन पर एक छोटी सी 4 पृष्ठ की पुस्तिका है। जब कि साफ लिखा

(श्री मूलचन्द डागा)।

हुआ है, किसी भी विभाग की रिपोर्ट हो वह कम से कम एक दिन पहले माननीय सदस्यों को मिल जाये। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। आपके सचिवालय की गलती नहीं है। कई वार आपने जनता पार्टी की सरकार को ताड़ना दी है। भगवान जाने उनके कानों पर जूं क्यों नहीं रेंगती है। राजस्व की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मैं चाहूंगा कि इनकी मांगों को स्वीकार नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से पूर्ण सहमत हूं। मेरी उनसे सहानुभूति है। जब तक विपक्ष को विभाग की रिपोर्ट नहीं मिलती है तब तक कहने को क्या मिलता है।

श्री पुरुषोतम मन्त्री (राजस्व मंत्री) : मैं निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष : जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

श्री पुरुषोतम मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, इजाजत हो तो मैं निवदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग की कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है। राजस्व मंडल और देवस्थान की भेज दी है। राजस्व की प्रकाशित नहीं होती है।

श्री **मूलचन्द डागा** : आपने राजस्व अभियान चलाया है। अभियान में क्या-क्या विशेष उपलब्धियां हुई हैं? लाखों रुपया खर्च करके यह अभियान चलाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया है, आप उसको चैलेंज करते हैं।

श्री **पुरुषोतम मन्त्री** : मैं चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट पेश नहीं होती है।

श्री **मूलचन्द डागा** : क्यों नहीं होती है?

श्री पुरुषोतम मन्त्री : मैंने कहा है, रेवेन्यू बोर्ड की भेज दी गई है। उसी में जिला प्रशासन का भी है। राजस्व विभाग की कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव :

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन 8 राजस्व व 9 वन की प्रस्तुती

श्री **ओंकारलाल चौहान** : माननीय अध्यक्ष-महोदय, पहले मांगें रखी जायेंगी।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री **पुरुषोतम मन्त्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,60,85,000/- रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 8, राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,85,06,000/- रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री **मूलचन्द डागा** : लीजिए।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय वन मन्त्री महोदय।

श्री **लालचन्द** (राज्य मन्त्री, वन) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9

(श्री लालचन्द)
वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,57,51,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : 69 तक माँग रहे है?

श्री लालचन्द शर्मा 79 है। बोलने में आपको ऐसा लगा होगा।

माँग संख्या 4, 8 व 9 पर कटौती प्रस्ताव

माँग संख्या 4, मुख्य शीर्षक जिला जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

(1) **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल बाजार, जयपुर),

(2) श्री **बजरंग लाल शर्मा** (बनी-पार्क, जयपुर):

1. (जिला कार्यालय में जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये)

(1) **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण),

(2) श्री **गुल मोहम्मद** (जौहरी बाजार, जयपुर),

(3) श्री **ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी) :

2. (जिलाधीश कार्यालय में जनता को होने वाली कठिनाइयों के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।)

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) :

3. (जिला स्तर के प्रशासन में अधिक गति आये इस हेतु जिला विकास अधिकारी अन्यत्र से नियुक्त किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) :

4. (जिलाधीश हर माह में एक दिन के लिये 20,000 से ऊपर की आबादी वाले शहर में अपना आफिस समस्याओं के समाधान हेतु लगाए, इस पर चर्चा के लिये।)

(1) श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा),

(2) श्री **विजय सिंह नबेरा** (बान्दी-कुई);

5. (दौसा उप जिले को पूर्ण जिले का दर्जा प्रदान करने बाबत।)

6. (राजस्थान में बने हुए असमान जिलों के पुनर्गठन के बाबत चर्चा के लिये।)

श्री **राम करण सिंह** (कोटपूतली) :

7. (जिला प्रशासन में फैले कुप्रबन्ध पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

8. (जिलाधीश कार्यालयों में जनता के काम में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये।)

9. (जिलाधीशों द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में सप्ताह में एक दिन वहाँ जाकर ही राजस्व के मामलों का निपटारा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

10. (गाँवों की समस्या के समाधान हेतु सब-डिविजनल ऑफिसरों द्वारा उनके क्षेत्र का दौरा नहीं करने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री मिश्रीमल सिंघवी (जोधपुर) :

11. (जिलाधीशों के कार्यालयों में मितव्ययता लाने एवं प्रशासन में सुदृढ़ता लाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री अजीतसिंह (टोंक)

12. (टोंक जिले में जिले के प्रशासन अधिकारी द्वारा चपरासियों एवं तामील कुनिन्दाओं से घरू कार्य करवाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।)

श्री सुरेश कुमार- (भरतपुर) :

13. (जिला प्रशासन में सुधार एवं अधिकारियों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

14. (हनुमानगढ़ सब-डिविजन मुख्यालय पर दो सहायक जिलाधीश कार्यालय, दो अतिरिक्त जिलाधीश कार्यालय एवं एक उप-जिलाधीश का कार्यालय है जबकि सूरतगढ़ का बाहरी क्षेत्र हनुमानगढ़ से 150 किलोमीटर से दूर है । बिना खर्चे के प्रशासन इकाइयों का विकेन्द्रीकरण करके दक्ष एवं चुस्त बनाकर लोगों को सस्ता इन्साफ दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।)

15. (सत्तारूढ़ पार्टी विकेन्द्रीयकरण नीति की परिपालना हेतु गंगानगर जिला का प्रशासन दक्ष बनाने हेतु दो जिले बनाये जावें, चार सब-डिविजन नये बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

16. (सरकार के द्वारा अनड्यू इन्टरफियरेन्स के कारण सरकारी अधिकारियों का मनोबल गिरने पर चर्चा के लिये ।)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) :

17. (झालावाड़ जिले में प्रशासन में चुस्ती लाने व विभिन्न विभागों में तालमेल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

18. (जिला प्रशासन में अधिकारियों का लोकतांत्रिक रवैया न होकर अभी तक तानाशाही तरीके से जनता के साथ व्यवहार करने पर चर्चा के लिये ।)

19. (जिला प्रशासन का अनावश्यक खर्चा व अफसरों की अनावश्यक भरमार को कम करने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) :

20. (जिला स्तर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर):

21. (जिला प्रशासन में व्यापक सुधार एवं भ्रष्टाचार दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री समरथ लाल (राजगढ़) :

22. [ए. सी. एम., राजगढ़ का हैडक्वार्टर राजगढ़ (अलवर) में ही स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।]

(श्री समरथ लाल)

23. (जिला कमेटियों की अध्यक्षता निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा करने के संबंध में चर्चा के लिये।)

24. (एस. डी. ग्रो., राजगढ़ का हैडक्वार्टर अलवर के बजाय राजगढ़ में रखने के संबंध में चर्चा के लिये।)

25. (जिला प्रशासन की शक्तियां कम करने एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों को बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

26. (जिला प्रशासन द्वारा जनता की शिकायतें नहीं सुनने तथा सरकार के द्वारा कोई निर्देश ग्रादि नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

27. (जिला प्रशासन को अधिक सक्रिय एवं ग्रासान पहुंच वाला बनाने पर चर्चा के लिये।)

28. (जिला प्रशासन को ग्रामोन्मुखी बनाने हेतु चर्चा के लिये।)

29. (उप-खण्ड स्तर पर भी सतर्कता समितियां बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।)

30. (जिला एवं उप-खण्ड स्तर पर समस्त विभागाधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की एक समन्वय समिति बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) :

31. (भू-राजस्व के मामलों में डेगाना तहसीलदार द्वारा की जा रही धांधली के संबंध में चर्चा के लिए।)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

32. (धौलपुर उप-जिले को जिला न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) :

33. (तहसील पिड़ावा में दमनकारी तरीकों से लगान व बकाया वसूली किये जाने से उत्पन्न ग्राक्रोश पर चर्चा के लिये।)

34. (भवानी मण्डी में एस. डी. ग्रो. न्यायालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।)

35. (दिनांक 5 व 6 नवम्बर सन् 1977 को तहसील पिड़ावा में उप-जलाधीश द्वारा गलत ग्रावंटन किये जाने व भ्रष्टाचार पनपाने के संबंध में चर्चा के लिये।)

36. (तहसीलदार पिड़ावा व गंगधार के किसान विरोधी रवैये व भ्रष्टाचार की चर्चा के लिये।)

37. (राजस्व अभियान में तहसील पिड़ावा के कर्मचारियों की उपेक्षावृत्ति से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।)

38. (तहसील पिड़ावा के पटवारियों द्वारा डबल लगान वसूल किये जाने व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

39. (राजस्व व अन्य वसूलियों में तहसील शेरगढ़ में बहुत सख्ती करने पर चर्चा के लिये।)

श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा):

40. (जिलों में राजस्व अधिकारियों द्वारा आम लोगों को परेशान करने की प्रवृत्ति को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

41. (राजस्व अदालतों में पड़े हुए मामलों को शीघ्र निपटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़):

42. (तहसीलदारों के सर्किट कोर्ट्स बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

43. (भूमि सम्बंधी विवादों को तुरन्त निर्णीत न करने पर चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

44. (भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु जिलों में से अपर डिविजनल क्लर्कों का स्थानान्तरण दूसरे जिलों में किया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री जयनारायण वाल्लोविया (निवाई):

45. (जिला अधिकारियों द्वारा जन-प्रतिनिधियों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

46. (जिला प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता व लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

47. (जिला प्रशासन द्वारा जनता के अभाव अभियोग न निपटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

48. (जिला व सब-डिविजनल स्थापनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये ।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

49. (भीलवाड़ा उप-खण्ड के कार्य को देखते हुए इसके विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

50. (जिलों में विकास कार्यों की देखरेख के लिये जिला विकास अधिकारी आई. ए. एस. केडर की नियुक्ति बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

51. (एम. एल. ए. के साथ जिलाधीश का दौरा माह में एक बार चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, इस पर चर्चा के लिये ।)

52. (जिला स्तर पर विकास अधिकारी हो, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।)

53. (माण्डल में एस. डी. ओ. कोर्ट कायम कराने बाबत चर्चा के लिये ।)

54. (सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्ति के लिए तहसील मांडल में एस. डी. ओ. रेवेन्यू के कोर्ट्स कम से कम तीन जगह हों, इस पर चर्चा के लिये।)

Page No 70

(70)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) :

55. (प्रदेश में जिला प्रशासन तंत्र द्वारा बरती जाने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

56. (जिला प्रशासन की समस्त प्रमुख ईकाइयों को मिल कर गांवों में जाकर समस्या हल करने पर चर्चा के लिये ।)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

57. (जिला प्रशासन को विकास कार्यों के मद में राशि स्वीकृत करने तथा अधिकारों में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री **माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) :

58. (जिलाधीशों को अत्यधिक कार्यभार सुपुर्द कर दिये जाने से जिला प्रशासन में व्याप्त ढिलाई पर चर्चा के लिये।)

श्री माणकलाल ठाकौर (नैनवा) :

59. (जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण राजकीय नीति के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत की गई बैठकें अनावश्यक रूप से स्थगित की गई इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

60. (जिला प्रशासन में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) :

61. (जनता की असुविधा को देखते हुए मनोहर थाना में सब-तहसील की स्थापना पर चर्चा के लिये ।)

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) :

62. (भवानी मण्डी में एस. डी. एम. हैडक्वार्टर रखे जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

63. [जिला प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने में जन प्रतिनिधियों के अधिक सहयोग (इन्वाल्वमेन्ट) लिये जाने हेतु चर्चा के लिये ।]

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) :

64. (बून्दी जिले के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

65. (झुन्झुनूं जिले के जिलाधीश कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

66. (झुन्झुनूं जिलाधीश के कार्यालय में कर्मचारियों के समय पर उपस्थित न होने से उत्पन्न जनता की परेशानियों पर चर्चा के लिये ।)

श्री रावत राम आर्य (सुजानगढ़) :

67. (जिला प्रशासन में सक्रिय भूमिका अदा करने हेतु जिला पूल की गाड़ियों को निर्धारित माइलेज शुल्क देने पर संबंधित जिले के विधान सभा सदस्य को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

68. (हनुमानगढ़ क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी तथा प्रशासनिक कार्यभार की क्षमता बढ़ने के कारणों को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन को जिला बनाने के बारे में चर्चा के लिये।)

69. (जिलों में जन सामितयां बनाकर जिले का समस्त विकास कार्य इस समिति को निर्दिष्ट किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

70. (जिला प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिये जिलों के क्षेत्र को छोटा करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) :

71. (राजस्व संबंधी चल रहे मामलों का निपटारा करने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये।)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

72. (झुंझुनू जिले की तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

73. (तहसीलदारों का अपने तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में रात्रि विश्राम नहीं किये जाने से संबंधित विषय पर चर्चा के लिये।)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल बाजार, जयपुर) :

74. (जिलाधीश कार्यालय में जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री बत्ती लाल (टोडाभीम) :

75. (जिला प्रशासन को जनता के प्रति दायित्व निभाने में ढिलाई पर चर्चा के लिये।)

श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) :

76. (नायब तहसील इन्द्रगढ़ में किसानों की जमीनों के नम्बर बदलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

श्री काशी नाथ गुप्त (कुम्हेर) :

77. (कुम्हेर उप-तहसील आज भी राजस्थान की एक-तिहाई तहसीलों से हर दशा में बड़ी है, अतः इस उप-तहसील को पूर्ण तहसील के रूप में परिणित किये जाते हेतु चर्चा के लिये।)

श्री नाथू राम (बागीडोरा) :

78. (बांसवाड़ा जिला प्रशासन के कार्यालयों में अव्यवस्था से आम जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।)

श्री मदन सिंह दांता (दांतारामगढ़) :

79. (दांतारामगढ़ तहसील में सब-तहसील, ग्राम पलसाना में नियुक्त करवाने पर चर्चा के लिये।)

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

80. (सैंपउ व सरमथुरा सब-तहसील को तहसील बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

81. (राजस्व जिलों को पुनर्गठित करने संबंधी चर्चा के लिये।)

Page No 72

(72)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

82. जिला प्रशासन में सक्रिय भूमिका अदा करने के लिये विधायकों को जिला प्रशासन द्वारा साधन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

83. (जिला प्रशासन को ज्यादा विकासोन्मुख बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मण-गढ़) :

84. (जिला प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को उचित संरक्षण देने में असफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

85. (जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, निष्क्रियता एवं पुरानी प्रचलित ढर्रे की पद्धति में परिवर्तन व उसमें सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) :

86. (जिला प्रशासन को चुस्त कर जनता की भावना के अनुरूप बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़) :

87. (जिला प्रशासन में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री जगदीश चन्द शर्मा (रतनगढ़) :

88. (जिला प्रशासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था करने एवं जिलाधीश के पद को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

(1) श्री **उमराव सिंह गूजर** (महुवा ।)

(2) श्री **रंगजी** (सपोटरा):

89. (राजस्व अभियान के अन्तर्गत नामान्तरकरण एवं अन्य मामलों को निपटाने में राजस्व अधिकारियों की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री **नाथूलाल** (घाटोल):

90. (घाटोल तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री **चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार) :

91. (अन्त्योदय योजना की क्रियान्विति में जिला अधिकारियों की सुस्ती पर चर्चा के लिये ।)

श्री **आर० डी० यादव (चौमू):**

92. (क्षेत्र व आबादी के आधार पर जिलों एवं तहसीलों के पुनर्गठन करने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

93. (जिला प्रशासन एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता में भारी असन्तोष होने पर चर्चा के लिये ।)

94. (चौमू में तहसील मुख्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

95. (अलवर जिले में 4 सब-डिविजन हैं जो बहुत बड़े हैं और भौगोलिक दृष्टि से उनका गठन उचित नहीं है अतः पांचवां सब-डिविजन बानसूर को बनाने के औचित्य के विषय में चर्चा के लिये।)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

96. (जिला प्रशासन पर अधिक दायित्व भार होने से उसमें अक्षमता, निष्क्रियता, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बढ़ी है, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर शहर) :

97. (जिला प्रशासन में सुधार करने बाबत चर्चा के लिये।)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

98. (जिला प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा के लिये।)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) :

99. (जिले के राजकीय कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर न होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री बासचन्द आर्य (बग) :

100. (जिला अधिकारियों के सक्रिय नहीं होने से उनके कार्य में आई गिरावट पर चर्चा के लिये।)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

101. (जिला अधिकारियों द्वारा पीपल्दा तहसील की उपेक्षा बरते जाने के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री बृद्धिचन्द्र जैन (बड़ी सादड़ी) :

102. (चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन में विसंगतियों को दूर कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

103. (बिजोलियां को तहसील का दर्जा देने के बारे में चर्चा के लिये।)

104. (शासन को पवित्र करने हेतु शराब पीने वाले व्यक्तियों को जिला प्रशासन के समस्त पदों से हटाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

105. (जिला प्रशासन को चुस्त एवं व्यवस्थित बनाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

106. (रेवेन्यू केसेज जो जिला अधिकारियों के पास पेंडिंग हैं और जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है, उस पर चर्चा के लिये।)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी (मावली) :

107. जिला प्रशासन में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री ताराचन्द (रूपवास) :

108. (जिला प्रशासन में अनेकों प्रकार की अव्यवस्था है, उन पर चर्चा के लिये ।)

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

109. (उप-जिलाधीश, राजगढ़ को थानागाजी मुख्यावास पर कैम्प कोर्ट न लगाने से गरीब जनता की कठिनाई एवं असुविधा पर चर्चा के लिये ।)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

110. (दौसा उप-जिला मुख्यालय को जिला मुख्यालय न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

111. (दौसा को जिला मुख्यालय बनाने की मांग के औचित्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के बावजूद दौसा को जिला न बनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

112. (दौसा उप-जिला मुख्यालय पर एस. डी. एम. कार्यालय प्रारम्भ न करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

113. (जयपुर जिले में करीब सोलह जिला स्तरीय कार्यालयों का दो-दो की संख्या में होने के बावजूद उनमें से एक-एक कार्यालय को जिले के अत्यधिक महत्व के उप-जिला मुख्यालय, दौसा में स्थानान्तरित न करने के कारणों पर चर्चा के लिये ।)

114. (राज्य में समान रूप के जिले न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

115. (दौसा एस. डी. एम. के पास अन्य कार्यों की बाहुल्यता के कारण राजस्व मुकद्दमात को समय न मिलने के बावजूद दौसा में ए. सी. एम. न्यायालय न होने के कारणों पर चर्चा के लिये ।)

116. (भौगोलिक व जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के जिलों में भयंकर असमानता को दूर न करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

117. (राज्य की समस्त जनता को जिला प्रशासन से समान रूप से लाभ प्राप्त न होने के कारण चर्चा के लिये ।)

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

118. [अजमेर तहसील को दो हिस्सों में विभाजित करना अनिवार्य— (1) अजमेर तहसील (2) नसीराबाद तहसील तथा नई बनने वाली अजमेर तहसील में पीसांगन को सब-तहसील बनाना, इस पर चर्चा के लिये ।]

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

119. (जिला प्रशासन में विधायकों को सीधा ताल्लुक रखने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री लाल शंकर डेडोर (सागवाड़ा) :

120. सागवाड़ा में एस. डी. ओ. कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री मानशंकर डेडोर :

121. (तहसील क्षेत्र को पंचायत समिति की सीमा के आधार में शामिल कराने हेतु ग्राम जनता को सुविधा दिलाने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत):

122. (जिला प्रशासन स्तर पर विकास कार्यों में सलाह देने व निगरानी रखने हेतु जिलाधीश के साथ जन प्रतिनिधियों, संसद सदस्य व विधायकों की स्थायी कमेटी बनाने हेतु व ऐसी कमेटियों का अध्यक्ष जन प्रतिनिधि हो, इस पर चर्चा के लिये ।)

123. (जिलाधीश के पद पर उन्हीं अधिकारियों को नियुक्त किया जाये जिन्हें कम से कम पांच वर्ष का एस. डी. ओ. या एस. डी. एम. के पद के कार्य का अनुभव हो, इस पर चर्चा के लिये ।)

124. (जिला स्तर पर जिलाधीश कार्यालयों में सूचना व स्वागत कक्ष बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

(1) श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय),
(2) श्री हरिकृष्ण (नदबई),
(3) श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़),
(4) श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़):

125. (जिला प्रशासन जनता को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने में उपयोगी हो, इस पर चर्चा के लिये ।)

(1) श्री आर. डी. यादव,
(2) श्री आलम अलीखां (फतहपुर),
(3) श्री हनवन्तसिंह (बाली),
(4) श्री उगमराज मेहता (ब्यावर),
(5) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),
(6) श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़),
(7) श्री हरिकृष्ण (नदबई),
(8) श्री सुभाषचन्द्र (सूरजगढ़),
(9) श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़):

126. (राज्य के जिलाधीश कार्यालयों में जनता को सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त कराने पर चर्चा के लिये ।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

127. (जिला प्रशासन को और अधिक अफेक्टिव बनाने हेतु जिला स्तरीय अन्य विभागीय मुख्यालयों को चूरू में लाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर):

128. (जिला प्रशासन के वर्तमान संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हेतु सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर जन प्रतिनिधियों के सहयोग से इसे कम खर्चीली व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

129. (जिला प्रशासन स्तर पर सभी अधिकारियों के घर पर सरकारी कर्मचारियों से घरेलू काम कराने पर रोक न लगाने बाबत चर्चा के लिये ।

130. (जिला अधिकारियों के रोटेरी व लाइन्स क्लब आदि के सदस्य बन कर पूंजीपतियों के प्रभाव से प्रशासन में होने वाले भारी नुकसान पर चर्चा के लिये ।)

Page No 76

(76)

(श्री मूलचन्द डागा)

131. (जिला प्रशासन स्तर पर जन प्रतिनिधियों के प्रति आवश्यक आदर भाव की भारी कमी के कारणों पर चर्चा के लिये ।)

132. (जिलाधीश स्वयं सस्ती वाहवाही लूटने के कारण जन प्रतिनिधियों के होते हुए उद्घाटन करने की प्रवृत्ति को रोकने पर चर्चा के लिये ।)

133. (जिला प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, ढिलाई व निष्क्रियता के कारणों को सरकार मिटाने में असफल रही, उस पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

134. (सिकराय में ए. सी. एम. कोर्ट स्थापित न किए जाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।)

135. (जयपुर जिले को प्रशासनिक दृष्टि से चुस्त बनाने के लिये जिले के पुनर्निर्धारण व दौसा को जिला बनाए जाने पर चर्चा के लिये ।)

136. (जिला प्रशासन के अनावश्यक खर्चों में कमी किए जाने के लिए सुझावों पर चर्चा के लिये ।)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

137. (जिला प्रशासन को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की क्रियान्विति का सशक्त और सक्षम माध्यम बनाने संबंधी विषय पर चर्चा के लिये ।)

138. (जिला प्रशासन में जन प्रतिनिधियों के जनसम्पर्क स्थानीय समस्याओं के सघन अध्ययन आदि का पर्याप्त लाभ उठाने की उचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।)

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) :

139. (उदयपुर जैसे बड़े जिले का प्रशासनिक दृष्टि से पुनर्गठन किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

140. (फतेहपुर स्थित एस. डी. ओ. तथा तहसीलदार कार्यालय भवन के निर्माण की व्यवस्था करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

141. (जिला प्रशासन बाड़मेर के सुचारू रूप से नियंत्रण न होने के कारण जिले की विभिन्न तहसीलों में रजिस्ट्रेशन के अवसर पर स्टाफ द्वारा रिश्वत लेने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

142. (जिलाधीश पर काम का अधिक भार होने के कारण सब कार्य व्यवस्थित करने में असमर्थता रहती है, अतः विकास एवं अन्य कार्यों के लिए उनकी सेवायें हटाकर जन प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाय, इस पर चर्चा के लिये ।)

143. (प्रत्येक जिला स्तर तर प्रशासनिक सुधार के लिए एक सलाहकार समिति जन प्रतिनिधियों की बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

144. (जिला प्रशासन में विद्यालयों एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों को भी प्रशासन में सम्मिलित

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

किया जाय जिससे उनके विशिष्ट अनुभव एवं सलाह का लाभ समाज को मिल सके, इस पर चर्चा के लिये।)

145. (जिला प्रशासन में काम को निपटाने की एक सीमा निश्चित कराने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

146. (कार्य व आवश्यकता के अनुसार जिलों व सब-डीविजनों का पुनर्गठन करने पर चर्चा के लिये।)

147. (लाडनूं, जिला नागौर के तहसील कार्यालय में फर्नीचर की अत्यधिक कमी पर चर्चा के लिये।)

148. (सब-डिविजनल कार्यालय, डीडवाना में फर्नीचर व स्टेशनरी की कमी पर चर्चा के लिये।)

(1) श्री उमरावसिंह गजर (महुआ),

(2) श्री जगदीशसिंह (धौलपुर):

149. (जिला प्रशासन में अफसरों की अनावश्यक भीड़ और अनावश्यक मीटिंग करने के कारण जनता का काम हो नहीं पाता, इस पर चर्चा के लिये।)

150. (गरीब जनता जिला प्रशासन स्तर पर न्याय नहीं पाती है इसके कारण जनता में भारी असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना):

151. (जिलाधीश कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री गुरुशरण छाबड़ा, (सूरतगढ़):

152. (जिला प्रशासन को प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव पर चर्चा के लिये।)

मांग संख्या 8, मुख्य शीर्षक—राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय:—

(1) श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशन पोल बाजार, जयपुर),

(2) श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

1. (जयपुर जिले में अन्य सुविधा प्राप्त जिलों की तुलना में अधिक भू-राजस्व वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

2. (राजस्थान में भू-राजस्व की दरों का पुनर्वर्गीकरण किये जाने पर चर्चा के लिये।)

(1) श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण),

(2) श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर)

(3) श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी):

3. (भू-राजस्व की समान दरों के न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल):

4. (अकालग्रस्त क्षेत्रों में छोटे-छोटे काश्तकारों का लगान माफ किया जाये, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना):

5. (पटवारियों की भर्ती के सम्बन्ध में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।)

(1) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),

(2) श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई):

6. (राजस्व वसूली में होने वाली

(श्री मूलचन्द सामरिया व श्रीविजयसिंह नवेरा)
कठिनाई व पेचीदगियों पर चर्चा के लिये।)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

7. (जोधपुर तहसील के गांव करनीयाली में सैटलमेंट नहीं होने से पटवारी व तहसीलदार द्वारा काश्तकारों को तंग करने बाबत चर्चा के लिये।)

8. (बिलाड़ा कस्बे में नाडी की भूमि को आबादी में नहीं बदलने से हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

9. (चरागाह, रास्ते, नाडी तथा अंगोर पर हुये अतिक्रमणों को रोकने में असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

10. (भू-राजस्व की वसूली के साथ-साथ अन्य वसूली के दौरान की जा रही ज्यादती के संबंध में चर्चा के लिये।)

11. [डेगाना तहसील, जिला नागौर में पटवारियों के (रहवास) पटवारघरों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये।]

12. (डेगाना तहसील, जिला नागौर के पटवारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री रामदेव चौधरी (मूण्डवा) :

13. (अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आवण्टित भूमि में हुई व भू-राजस्व वसूली में बरती गई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के बारे में लिये।)

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

14. [लघु कृषकों (छोटी जोतों) पर जो लगान बन्द किया गया है उसे वसूल किया जाकर पंचायत को दे दें ताकि उसी क्षेत्र में खर्च कर सकें, इस पर चर्चा के लिये।]

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

15. (राजस्व विभाग के भू-प्रबन्ध विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

16. [भू-अभिलेख (रिकार्ड) सुधार में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।]

17. (सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल वैज्ञानिक ढंग से पुनः कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

18. (राजस्व मण्डल के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियों के किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

19. (राजस्व मण्डल की बैंच जयपुर में स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

20. (राजस्थान में भूमि सुधार कानून किताबों में ही रह गये इसे लागू नहीं किये जाने के कारणों पर चर्चा के लिये।)

21. (काश्त की भूमि जो चाही हो, अवाप्त न करने के कारणों पर चर्चा के लिये।)

22. (जो काश्त की भूमि कानून व नियमों के विरुद्ध गलत आवंटित कर दी गई उन्हें खारिज न करने के कारणों पर चर्चा के लिये।)

Page No 79

79

(श्री मूलचन्द डागा)

23. (सीलिंग कानून को अमली रूप म देने के कारणों पर और उससे गांवों में शोषण बढ़ने के कारणों पर चर्चा के लिये।)

मेजर श्री फतह सिंह (भीम):

24. (लगान माफी के लिये कुओं से पीने वाली भूमि को भी सिंचित नहीं माना जाय, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री विरदमल सिंघवी (जोधपुर):

25. (राजस्व न्यायालयों के कार्य को न्यायपालिका के अन्तर्गत देने पर चर्चा के लिये।)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

26. (किसानों के खातों में बंटवारों की पद्धति को सरल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

27. (बाड़मेर जिले में गत तीन वर्षों से राज्य की पड़त कृषि भूमि का राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन काश्तकारों को अलोटमेंट रोके एवं बन्द किये जाने के कारण उनमें व्याप्त असन्तोष के विषय पर चर्चा के लिये।)

28. (भूमि सुधार के बारे में कारगर कदम उठाने में सरकारी उपेक्षा पर चर्चा के लिये।)

29. (सीलिंग कानून के अन्तर्गत गलत तय किये गये मामलों पर पुनर्विचार हेतु कानून में संशोधन किये जाने के उपरान्त सरकार द्वारा मामलों के खोले जाने में ढिलमिल एवं पक्षपात की नीति अपनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

30. (बाड़मेर जिले में काश्तकारों को जो पास बुकें वितरित की गई हैं उनमें उनके खातेदारी के हकूकों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, यहाँ तक नक्शे भी साथ में नत्थी नहीं किये गये, अतः उनमें तीव्र असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये।)

31. (बाड़मेर जिले के ग्रामजिनका क्षेत्रफल 25 वर्ग मील से अधिक है, अनेक गाँवों में विभाजित करने का सदन में तत्कालीन राजस्व मंत्री द्वारा आश्वासन देने के उपरान्त भी विभाजन के विषय में कोई कदम न उठाने के कारण इन गाँवों की ग्रामीण जनता में गहरा असन्तोष है, इस विषय पर चर्चा के लिये।)

32. (राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-सम्पदा अवाप्ति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत भूतपूर्व राजाओं से भूमि अधिग्रहण कर भूमिहीन किसानों को कब्जा दिलाने में जनता सरकार की असफल नीति के विषय पर चर्चा के लिये।)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):

33. (राजस्व मण्डल में मामलों का समय पर व शीघ्र निपटारा कराने हेतु चर्चा के लिये।)

34. (बन्दोबस्त के समय पर सही रिकार्ड तैयार करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुर):

35. (निर्वाचन क्षेत्र खानपुर में असिंचित भूमि को सिंचित घोषित किया गया है इससे किसानों के साथ अन्याय हुआ है, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री अजीत सिंह (टौंक) :

36. (पटवारियों द्वारा नकल देने में व पत्थर गढ़ी करने में देरी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

37. (पटवारियों, गिरदावरों व नायब तहसीलदारों के ऑफिस गांवों में लगवाने की चर्चा के लिये ।)

38. लैंड रिकार्ड पटवारियों व वसूल पटवारियों को अलग-अलग करने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

39. (सैटलमेन्ट अमीनों को जिला केन्द्रों पर नियुक्त करने व लैंड रिकार्ड के सुधार में योगदान देने पर चर्चा के लिये ।)

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

40. [तहसील चौहटन (बाड़मेर) में गत राजस्व अभियान के दौरान कमेटी द्वारा किये गये नियमन पर रोक लगाई जाने के विषय पर चर्चा के लिये ।]

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

41. (काश्तकारों को उनके छीने हुए अधिकार वापस दिलाये जाने हेतु उचित कानूनी व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

42. (राजस्व वसूली में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) :

43. (सुनेल में उप-तहसील की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

44. (सीलिंग प्रकरणों में भूमिपतियों की मिलीभगत रोकने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये ।)

45. (अन्त्योदय में निर्धनों के गलत चयन व भू-आवंटन में हुई अनियमितताओं की चर्चा के लिये ।)

46. (राजस्व मण्डल में प्रशासनिक अधिकारियों की सुस्ती पर चर्चा के लिये।)

47. (धारा 175 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रकरणों में राज्य सरकार की दिशाहीन नीति की चर्चा के लिये ।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

48. (राजस्व मण्डल के सदस्य जो कानून से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं उनको शीघ्र हटाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

49. (राजस्व मण्डल की एक स्थायी बैन्च जोधपुर में लगाई जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये ।)

50. (राजस्व मण्डल में मुकदमों की भरमार को देखते हुए उनका निपटारा शीघ्र कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

51. (राजस्व अधिकारियों से सैटिलमेन्ट नहीं कराया न कन्सोलिडेशन कराया, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (लूणी) :

52. (आवंटित भूमि का भूमिहीन काश्तकारों को कब्जा दिए जाने की चर्चा के लिये ।)

53. (नाजायज कब्जों को नियमन करने हेतु चर्चा के लिये ।)

Page No 81

(81)

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

54. (पटवारी पद समाप्त कर यह कार्य पंचायत को दे दिया जावे इस पर चर्चा के लिये ।)

55. (आम रास्तों की भूमि, जो दबी हुई है, को वापस निकलवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

56. [एस. डी. ओ., राजगढ़ (अलवर) का हैडक्वार्टर अलवर के बजाय राजगढ़ में करने हेतु चर्चा के लिये ।]

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

57. (राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम एवं भू-राजस्व अधिनियम को समयानुकूल बनाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल):

58. (धानसा, भीनमाल, मेगलवा गाँवों के आई. एल0 आर0 ए0 के मामलों का शीघ्र निपटारा करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

59. (जालोर जिले में तहसीलों का गठन ठीक से नहीं होने के कारण अव्यवस्था तथा इसी संबंध में भीनमाल तहसील को तोड़कर बागोड़ा नई तहसील के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये ।)

60. (भू-राजस्व की बकाया वसूलियाँ, जो हजार रुपयों से अधिक हो उन्हें शीघ्र वसूल करने या बट्टे खाते में डालने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

61. (राजस्व अभियान में राजस्व के सारे मामलेनहीं निपटाये गये, इस पर चर्चा के लिये ।)

62. (अन्त्योदय योजना के तहत किये गये भू-आवंटन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।)

63. (राजस्व वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री करतार सिंह (किशनगढ़) :

64. (ग्रामीणों को सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलवाने हेतु तहसीलदार एवं उप-जिलाधीश के अस्थाई कैम्प ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

65. (पटवार मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पटवार मण्डल की व्यवस्था खतम करने की आवश्यकता की चर्चा के लिये ।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

66. (भीलवाड़ा नगर में गत 20 वर्षों से कृषि भूमि पर निर्माण तथा कृषि भूमि को हल्का आबादी में परिवर्तित करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।)

67. (नया सेटलमेन्ट होने से गलत खातेदारी दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।)

68. (भूमि के अवैध कब्जों को नियमित नहीं करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।)

श्री भंवर लाल ऐरन (नसीराबाद) :

69. (नसीराबाद नगर में उप-तहसील अविलम्ब स्थापित कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

70. (जहाँ सैटलमेन्ट हुए तीस वर्ष पूरे हो चुके वहाँ नया सैटलमेन्ट शुरू करने बाबत चर्चा के लिये ।)

71. (राजस्व वसूली का कार्य पंचायतों को सुपुर्द करने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री नूरा (मसूदा) :

72. (पंचायत क्षेत्र से वसूल किया गया भू-राजस्व पंचायत क्षेत्र को ही दिए जाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

73. (राजाजी का करेड़ा में नायब तहसील कायम कराने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री गंगाराम चौधरी (गुढामालानी):

74. (राजस्थान में भूमि सुधार को प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री परस राम मदेरणा (भोपालगढ़):

75. (भूमि सुधार हेतु वर्तमान सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी):

76. (चरागाह, आम रास्ते, श्मशान, कब्रिस्तान तथा देवस्थान की भूमि पर अतिक्रमण से उत्पन्न भारी परेशानी एवं खातेदारी नियमन के नियमों का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

77. (1500 बीघा जमीन तहसील माण्डलगढ़ तथा बेगूं दोनों के ही नक्शों में अंकित है उसे ठीक कर पुनः नये नक्शे बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

78. (तहसील स्तर पर राजस्व के मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिये मोबाइल न्यायालयों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री गंगाराम चौधरी (गुढामालानी) :

79. (ग्राम रावतसर), तहसील बाड़मेर की गिरदावरी 1977-78 के समय फसल की खराबी सही दर्ज न किये जाने पर चर्चा के लिये ।)

80. [तहसील चौहटन (बाड़मेर) के क्षेत्र में गत राजस्व अभियान के समय किये गये नियमन पर रोक लगाई जाने पर चर्चा के लिये ।]

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा):

81. (जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में संवत् 2000 के लगभग एवं संवत् 2012 तक के किसानों का खातेदारी अधिकारों का हक होते हुए भी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये ।)

Page No 83

(83)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

82. (अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत हरिजनों व अनुसूचित जातियों के लोगों को आवंटित भूमि का कब्जा दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

83. (भू-राजस्व वसूली की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) :

84. (झुन्झुनूं जिले में लगान की दरें राजस्थान के अन्य जिलों के मुकाबले बहुत अधिक होने पर चर्चा के लिये ।)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

85. (बूंदी में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राजस्व से सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों के रिश्वत के मामलों से सम्बन्धित कर्मचारियों को अब तक निलम्बित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

86. (बूंदी में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को जमीनें दी गई उनका अब तक उनके नाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

87. (राजस्व अभियान के दौरान हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।)

88. (राजस्थान में पेंडिंग नामान्तिरकरण व धारा 91 के मामलों का निपटारा शीघ्र नहीं होने से उत्पन्न कठिनाईयों पर चर्चा के लिए ।)

श्री स्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

89. (राजस्व मण्डल को समाप्त कर डिविजन-वाइज अपील अधिकारी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

90. (नामांतरकरण का अधिकार सरपंच को होना चाहिए व साथ ही हर नामांतरकरण की इत्तला तहसीलदार के पास भेजना अनिवार्य कर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

91. (राजस्व, पशुविभाग व सिंचाई के कार्य एक ही पटवारी के जिम्मे होने चाहिए तथा राजस्व व अन्य वसूलियों को वसूल करने का अधिकार सरपंच को दिया जावे व पटवारी को दिया जाने वाला खर्चा सरपंच को ही देने की चर्चा के लिये ।)

92. (पटवारी की सी. आर. में सरपंच की टिप्पणी अंकित की जाने के विषय में चर्चा के लिये ।)

श्री जंवल लाल (हिण्डौन) :

93. (सरकारी योजनाओं में आई हुई जमीनों का मुआवजा दिलाने एवं लगान समाप्त करने में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये ।)

94. (सवाई माधोपुर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पांच गरीब व्यक्तियों को चुने जाने के पश्चात्

(श्री धवलाल) :

अभी तक उन्हें भूमि आवन्टन नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये ।)

95. (जिला सवाई माधोपुर में राजस्व अभियान के अनुसार अलॉटमेंट की हुई जमीनों पर अभी तक कब्जा नहीं दिलाने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये ।)

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) :

96. (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार की नीति के अनुसार अनुकूल बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

97. (राजस्व अभियान के दौरान नक्शों में संशोधन नहीं किए जाने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये ।)

98. (राजस्व भूमि के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में अस्पष्ट और विरोधाभास से युक्त सर्क्यूलर निकाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

99. (किसानों को दी जाने वाली पास बुक को भूमि सम्बन्धी रिकार्ड का महत्वपूर्ण अंग नहीं बनाये जाने सम्बन्धी विषय पर चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

100. (ग्राम डूंडवा, तहसील सांचोर का वर्तमान पटवारी जब ग्राम सांकड के पटवार हल्के में नियुक्त था उस समय उसके विरुद्ध विभागीय जाँच करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।)

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

101. (राजस्व वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की चर्चा के लिये ।)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

102. (पुरानी वसूली करने के पीछे वर्तमान वर्ष का कर्जा जमा नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

103. (किसानों के नाबालिग पुत्रों को भी सीलिंग में यूनिट माने जाने के औचित्य के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

104. (सीलिंग के मामलों को शीघ्र निपटाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री नाथू राम (बागीदोरा) :

105. (बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील में राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत गिरदावरी करने के कारण दुष्काल होते हुए भी आदिवासी एवं हरिजनों को भयंकर भुखमरी एवं बेरोजगारी के बारे में चर्चा के लिये ।)

106. (बांसवाड़ा जिले की गढ़ी तहसील में पटवारियों द्वारा गलत गिरदावरी के आंकड़े दिये जाने के कारण वसूली हेतु की जाने वाली जोर जबरदस्ती एवं जुल्मों पर चर्चा के लिये ।)

107. (बांसवाड़ा जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटन एवं राजस्व अभियान में बकाया कार्य जारी रखने पर चर्चा के लिये ।)

Page No 85

(श्री माधूराम) :

108. (बांसवाड़ा जिले में राजस्व अभियान के अन्तर्गत आवंटित भूमि पर निशादेही न कराने एवं कब्जे नहीं दिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

श्री जगदीश सिंह (धोलपुर) :

109. (प्रशासन सुधार हेतु धौलपुर को जिला घोषित किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

110. (तहसील सोजत में सैटलमेन्ट में गलत तरीके अपनाने व गरीब काश्तकारों के प्रति अन्याय बरते जाने की चर्चा के लिये।)

111. (भूमि के नियमन संबंधी नीति पर चर्चा के लिये।)

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा) :

112. (बांध के डूब में आने वाले क्षेत्रों के किसानों को भूमि के अलॉटमेन्ट के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मण गढ़) :

113. (पटवारियों तथा गिरदावरों की भर्ती में सुरक्षित कोटा पूरा करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।)

114. (हरिजनों तथा अनुसूचित जाति के लोगों को निर्धारित संख्या में कृषि भूमि के आवंटन में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री सूर्यप्रकाश (खेरवाड़ा) :

115. (पंचायत कोमखास एवं खेरवाड़ा तहसील में गुजरात एवं राजस्थान राज्य के सरहद विवाद पर चर्चा के लिये।)

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

116. (भू-आवंटन एवं काश्तकारी कानून में नये सिरे से संशोधन करने की आवश्यकता एवं राजस्व की वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

117. (कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के प्रति लोक आकांक्षा के विपरीत एवं कानूनों के पालन में शिथिलता तथा निहित स्वार्थों के कारण कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

118. (जिला भीलवाड़ा नगर की 2001, 2002, 2003, नम्बर की आराजी जमीन को हल्के काश्त से हल्के आबादी में परिवर्तित करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।)

119. (भीलवाड़ा के जवाहर नगर, पीथोलाई की कृषि योग्य भूमि को हल्के आबादी में परिवर्तित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) :

120. (झालरापाटन तहसील में कृषकों को पास-बुकें वितरित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

(1) श्री गोपाल सिंह (खण्डेला),
(2) श्री अयूब खां (तिजारा),

(86)

(3) श्री हरि सिंह (फुलेरा),
(4) श्री बंशीलाल सारस्वत (नागोर),
(5) श्री नारायण मीणा (लसाड़िया),
(6) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),
(7) श्री मोहन लाल शर्मा (डूंगरगढ़),
(8) श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

121. (राजस्थान में पुराने शिकमी काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

(1) श्री गोपाल सिंह (खण्डेला),
(2) श्री अयूब खां (तिजारा),
(3) श्री हरिसिंह (फुलेरा),
(4) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

122. (राज्य के सभी जिलों के राजस्व (लगान) का पुनर्निर्धारण करने पर चर्चा के लिये ।)

(1) श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ),
(2) श्री रंगजी (सपोटरा) :

123. (अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पांच गरीब परिवारों को महुआ निर्वाचन क्षेत्र में भू-आवंटन किये जाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।)

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार) :

124. (राजस्व की वसूलियों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा राजस्व मण्डल में मामलों के निपटाने में अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमूं) :

125. (जयपुर डिविजन के राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, जयपुर में स्थायी राजस्व मण्डल की बेन्च स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

126. (तहसील आमेर का भू-प्रबन्ध कार्य करवा कर, कृषकों को पट्टे जारी करने हेतु चर्चा के लिये ।)

127. (राजस्थान में पंचायत क्षेत्रों के आधार पर पटवारियों के पद सृजित कर किसानों को राहत देने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

128. (राजस्व के मामलों को मौके पर जाकर निपटाने में राजस्व अधिकारियों की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

129. (राजस्व वसूलियों में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार, धांधली तथा सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।)

श्री बालचन्द्र आर्य (उग) :

130. (राजस्व मामलों में गरीबों को जमीन अलाट हो जाने पर भी उन्हें कब्जा नहीं दिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बड़ी सादड़ी) :

131. (राजस्व संबंधी रिकार्ड की शुद्धि एवं पंजीयन पद्धति में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

132. (भूमि सुधार की धीमी गति एवं कानून की खामियों के कारण किसान को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये ।)

Page No 87

(87)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

133. (रेवेन्यू वसूली के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

134. (पटवारियों की सेवाएं रेवेन्यू के बजाय ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने पर चर्चा के लिये ।)

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

135. (कोई राजस्व अधिकारी व कर्मचारी शराब पीने वाला न रहे, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

136. (राजस्व अभियान के दौरान चूरू जिले के तीनों सब-डिविजनल हैड-क्वार्टर्स चूरू, राजगढ़ एवं रतनगढ़ पर किसी भी जगह सब-डिविजनल अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण राजस्व अभियान अधूरा रहने बाबत चर्चा हेतु ।)

137. (राजस्व अभियान में महत्वपूर्ण और लोकमहत्व के जरूरी मामलों को टेक-अप न किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।)

138. (चूरू तहसील के गांवों की भू-राजस्व दरों में की गई अत्यधिक गैर कानूनी वृद्धि के मामले को सम्वत् 2025 से अब तक फैसला न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

139. (काश्तकारों को पुराने कर्जों से छुटकारा दिलाने हेतु कर्जा मशाहलती बोर्ड की स्थापना बावत चर्चा के लिये ।)

140. (चूरू जिले के पुराने जागीरी क्षेत्र एक-एक बड़े गांवों को जागीरी हिस्सा एवं रेख के आधार पर रेवेन्यू रेकार्ड में एक से अधिक रेवेन्यू गांवों के नाम से रिकार्ड में दर्ज किया हुआ है जिसके फलस्वरूप विकास एवं प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा आने पर चर्चा के लिये ।)

श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा) :

141. (आदिवासी भील क्षेत्र में डूंगर-सारण, सालेंडा, नई आबादी, कडाना (पुनर्वास में पटवार मण्डल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

142. (बीकानेर में रेवेन्यू बोर्ड की बैंच स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये ।)

143. (ग्राम पंचायतों को लगान वसूल करने के अधिकार दिलाये जाने, गिरदावरी व अन्य भूमि रिकार्ड्स बनाने वाले अधिकारी पंचायतों में लगाये जाने तथा पटवारियों को पंचायत के अधीन ही कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री हनवंत सिंह राणावत (बाली) :

144. सीलिंग में की गई अवाप्त जमीन का मुआवजा दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

145. (जवाई बांध के पेटे में आये किसानों को जमीन का मुआवजा अथवा जमीन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

(1) श्री रतन लाल वर्मा (भिनाय),
(2) श्री सुभाषचन्द्र आर्य (सूरजगढ़)
(3) श्री हरीकृष्ण (नदबई),
(4) श्री गुरुचरण छाबड़ा (सूरतगढ़):

146. (किसानों के खेतों के नक्शे में सही खसरा इन्द्राज हो तथा पास-बुकें तहसीलदार के हस्ताक्षरों सहित वितरित की जाये, इस पर चर्चा के लिये।)

(1) श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू),
(2) श्री आलम अली खां (फतेहपुर),
(3) श्री मस्थी सिंह (लक्ष्मनगढ़),
(4) श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली),
(5) श्री उगमराज मेहता (व्यावर),
(6) श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़),
(7) श्री हरीकृष्ण (नदबई),
(8) श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़),
(9) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

147. (राज्य के समस्त जिलों में राजस्व की दरें समान हों, इसके लिए पुन-र्वर्गीकरण कराने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू)

148. (चूरू तहसील के गांवों में रिविजन ऑफ सेटलमेन्ट के समय काश्तकारों के खातों की जमाबन्दियों में नियम विरुद्ध किये गये इन्द्राज जिनसे उनके हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

149. (भूमि सुधार संबंधी कानूनों में अब तक किये गये अत्यधिक संशोधनों का सामंजस्य बिठाकर एक अप-टू-डेट कोडीफाइड लॉ बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर):

150. (राजस्थान काश्तकारी कानून में संशोधन करने की आवश्यकता तथा सीमावर्ती रेगिस्तानी इलाकों में भू-प्रबन्ध पुनः किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली):

151. (तहसीलदार, एस. डी. ओ. व नायब-तहसीलदार के अनावश्यक गांवों में दौरे व अनावश्यक खर्चों को रोकने पर चर्चा के लिये।)

152. (रेवेन्यू बोर्ड व अन्य अदालतों में मुकदमों की भरमार को देखते हुए सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।)

153. (लैंड रेवेन्यू के अन्तंगत कलक्टरों की आज्ञा पर सरकारी कर्मचारियों को खेती की भूमि आवंटन करने पर रोक तथा दी हुई जमीन पाली जिले में वापिस लेने की कार्यवाही पर चर्चा के लिये।)

154. (राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत छोटे-छोटे काश्तकारों के खिलाफ कार्यवाही करके उनसे रकम गलत ढंग से पटवारी, तहसीलदार आदि के लेने पर रोक हेतु व विनियमित नहीं करने के कागजों पर चर्चा के लिये।)

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची):

155. (पाली जिले में हुए री-सैटलमेन्ट में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई ज्यादतियों से किसानों की परेशानी बाबत चर्चा के लिये।)

श्री लालूदास (फलासिया) :

156. (कोटड़ा क्षेत्र में भूमि के हुए बन्दोबस्त में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।)

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

157. (राजस्व वसूली में हुई अव्यवस्था के संबंध में विचार हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

158. (भू-प्रबन्ध विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

159. (भू-प्रबन्ध विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बन्दोबस्त व चकबन्दी न कराने पर चर्चा के लिये ।)

श्री जगतारसिंह कंग (करणपुर) :

160. (किसानों की भूमि के बिक्री का नामांतरण नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये ।)

161. (सरकार के राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न कृषकों की समस्याओं पर चर्चा के लिये ।)

श्री सुखलाल सैणवा (रायपुर) :

162. (पंचायत क्षेत्र से प्राप्त भू-राजस्व की राशि पंचायत क्षेत्र के विकास पर ही खर्च करने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) :

163. (ग्राम रास्तों की भूमि को पड़ोस के कृषकों द्वारा दबा लिए जाने से व रास्ते तंग हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

164. (ग्राम रास्ते राजस्व रिकार्ड में कटे हुए नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

165. (पटवारी द्वारा आये दिन गिरदावरी गलत कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

166. (सामूहिक खाते की भूमि को अलग-अलग काश्त करते हुए भी कब्जे के अनुसार रजामन्दी होते हुए भी खातेदारी अलग-अलग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

167. (श्री माधोपुर तहसील में गोचर भूमि को बिना ग्राम पंचायत की राय से काश्त के लिये अलाट करने से जनता में उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये ।)

168. (कृषकों के सींव-नींव के बारे में आये दिन हो रहे झगड़े, पत्थर गड़ी का प्रावधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

169. [सीकर जिले के रींगस कस्बे में सरकार ने दबाव डाल कर किसानों से सस्ती दर 50) रुपया प्रति बीघा से उद्योग (भारी) स्थापित करने के बहाने से पोद्दारों को दिलवाई के मसले पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये ।]

170. (नामांतरकरण के भरने में पटवारियों द्वारा बरती जा रही ढिलाई व भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिये ।)

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

171. (कुए की नाल का पर्चा कृषक के नाम पर नहीं होने से प्रायः दिन झगड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

172. (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फर्जी पट्टों के द्वारा राज्य की ज़मीन हड़पने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

173. (तहसीलदार, नागौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को बोर्ड द्वारा दबाने पर चर्चा के लिये ।)

174. (राजस्व मण्डल द्वारा राजस्व निरीक्षकों से व नायब-तहसीलदारों से पदोन्नतियों के मामलों में भयंकर घोटाले करने पर चर्चा के लिये ।)

175. (सैटलमेंट कमिश्नर द्वारा अमीनों के चयन में किए गए घोटालों पर चर्चा के लिये ।)

176. (पटवारियों को पदोन्नति के पूर्ण अवसर नहीं देने पर चर्चा के लिये ।)

177. (तहसील कार्यालयों व सब-डिवीजनल कार्यालयों में पैन्डिंग कार्य को निपटाने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये ।)

178. (ढाई हैक्टर भूमि पर लगान माफ करने के कारण वसूली स्टाफ व अन्य खर्चे कम करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।)

179. (राजस्व मण्डल द्वारा मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर चर्चा के लिये ।)

श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ) :

180. (प्रभावशाली लोगों को काश्त की भूमि सवाई माधोपुर जिले में अलाट की गई उनसे वापिस ली जाने पर चर्चा के लिये ।)

(1) **श्री उमराव सिंह गूजर** (महुआ) :

(2) **श्री जगदीशसिंह** (धौलपुर) :

181. (राजस्व अभियान में जो निर्णय लिये गये उनकी अनुपालना न होने के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।)

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

182. (राजस्व सम्बन्धित कुछ सुझाव पर चर्चा के लिये ।)

मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय—

(1) **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

(2) **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क, (जयपुर) :

1. (नाहरगढ़ किले पर वनों की रक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।)

(1) **श्रीमती उज्ला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) :

(2) श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(3) श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) :

2. (वनों के ठीक प्रकार से संरक्षण न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

3. (राष्ट्रीय मार्ग पर बनी फेन्सिग व मार्ग पर लगाये जाने वाले पेड़-पौधों के लिये फिजूल खर्ची व गबन के रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

4. (राजस्थान के उप-वनों की हालत सुधारने के लिये ।)

5. (वन विभाग के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

6. (वनों को और अधिक पनपाया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

7. (अवैज्ञानिक ढंग से वनों की की गई कटाई से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

8. (वनों का विकास करने हेतु, कुछ वर्षों के लिए वनों का कटाव रोका जावे, इस पर चर्चा के लिये ।)

9. (जालोर जिले में सूंदों पर्वत पर वनों को बढ़ाने तथा जालोर के किले से संबंधित पहाड़ों पर वृक्षारोपण करवाने हेतु चर्चा के लिये ।)

10. (आबू पर्वत पर वन विकास के नाम पर वनों की कटाई रोकने हेतु चर्चा के लिये ।)

(1) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

(2) श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई) :

11. (राजस्थान सरकार द्वारा वनों की उपेक्षा करने के बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

12. (वनों की अन्धा-धुन्ध हो रही कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

13. (जहां-जहां वन बर्बाद हो गये हैं वहां गांव के अनुपात से गांवाई जंगल बनाकर उसका रक्षण करने तथा उसकी फेन्सिंग में मदद देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अलाट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

14. (वन विभाग के प्रशासन को गतिशील बनाने की आवश्यकता तथा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

15. (जयपुर के नाहरगढ़ पर्वत पर स्थित जंगल में काले हिरनों की सेन्च्युरी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

16. (साऊ व नींबो (जमवारामगढ़ में) के जंगल से ग्रामीणों को स्वयं के उपयोग के लिये विभाग द्वारा लकड़ी न देने पर चर्चा के लिये ।)

Page No 92

(92)

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

17. (वन क्षेत्र में स्थित भीम, ताल व आयूनी के कुण्डों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

18. (गत सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार वन विभाग द्वारा अवैज्ञानिक ढंग से लगाये गये वृक्षों की उचित देख-भाल के अभाव से हुई वृक्षों की हानि पर चर्चा के लिये।)

19. (सरिस्का सैन्च्युरी में रहने वाले वन्य पशुओं की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये।)

20. (सरिस्का सैन्चुयरी के पर्वतों एवं इसके आस-पास के वन क्षेत्र के वृक्षों की कटाई हेतु विभाग द्वारा दिये जाने वाले जंगलों के काटने के ठेके से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

21. (वनों के ह्रास होने के कारणों व ह्रास को न रोकने के फलस्वरूप अपार हानि पर चर्चा के लिये।)

22. (वन विभाग में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार व उसको रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।)

23. (वनों का क्षेत्रफल घटते रहने के कारणों को जानते हुए भी वन विकास हेतु सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये।)

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) :

24. [ग्राम टेगी (तहसील देवगढ़) में देवगढ़ के निवासी को एस्बेस्टोज की लीज सुरक्षित जंगल में स्वीकृत की गई पर चर्चा के लिये।]

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

25. (वन सम्पदा के संरक्षण की आवश्यकता तथा आदिवासियों को वन सम्पदा का उचित मूल्य प्राप्ति के लिये चर्चा के लिये।)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

26. (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।)

27. (वन विकास, घास विकास एवं फौडर बैंक्स की स्थापना हेतु सरकार द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।)

28. (बाड़मेर में वन विभाग ने राणीगांव, बैसाला, जूना, जालेरा, आंटा में जो पहाड़ों पर फारेस्ट एरिया तय किया है वह बहुत ही विस्तृत है, अतः उक्त एरिया में से अधिक से अधिक क्षेत्र को वापिस चारागाह में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

29. (राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गडरा रोड, शिव तहसील से जैसलमेर जिले के क्षेत्र में एरिड जोन में लाखों रुपया व्यय करने के उपरांत भी वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं बे-ईमानी बरतने के कारण उचित फल न निकलने के विषय पर चर्चा के लिये।)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

30. (तेन्दू पत्तों की व्यापार योजनाओं में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये।)

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) :

31. (वनों के उत्पादन के नाम पर किये जाने वाले धन का अपव्यय व वन उजड़ गये हैं जिससे किसान परेशान हैं उसे हल कुली की लकड़ी भी उपलब्ध नहीं होती, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

32. (फोग का झाड़ी को वृक्ष की परिभाषा से निकाला जावे। काश्तकारों के खेतों के रास्ते व गांवों के रास्तों को एवं आबादियों को वनों के विकास के नाम पर न रोका जावे व आरक्षित न किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

33. (राजस्थान के वनों में समुचित विकास पर ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये।)

श्री ईश्वर बाबू (पिड़ावा) :

34. पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में चरनोट के भीषण अतिक्रमण की चर्चा के लिये।)

35. (पिड़ावा क्षेत्र में वनों की अन्धा-धुन्ध कटाई को रोकने व संरक्षण की योजना बनाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

36. (कत्था व्यापार योजना के अन्तर्गत हुई अनियमितताओं एवं इससे उत्पन्न जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

37. (वनों को बुरी तरह से नष्ट किये जाने से वन्य प्राणियों की निरन्तर कमी होने पर चर्चा के लिये।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

38. (जिला जालौर में घास बीड़ों के विकास एवं पशुओं को चराने की सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये।)

39. (जिला जालौर में वनों के विकास हेतु चर्चा के लिये।)

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

40. (वन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी वनों से पूर्व में लकड़ियों के भारे, चिट्ठी काट कर दी जाने वाली सुविधा खत्म कर दी जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा हेतु।)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

41. [वन विभाग के जोड़ों में (घास बीड़) को पशुपालकों द्वारा पशुओं को चराने हेतु खुलवाने पर चर्चा के लिये।]

42. (जोड़ों में जहां वन विभाग द्वारा पौधे लगाये गये थे, उन पौधों के नहीं पनपने से हुए धन के अपव्यय बाबत चर्चा के लिये।)

43. (सड़कों पर वन विभाग द्वारा पौधे लगाये गये उनकी सुरक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये।)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

44. (वनों की अन्धा-धुन्ध कटाई से गेम सैन्च्युरियों के समाप्त होने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

45. (लकड़हारों को वन अधिकारियों द्वारा नाजायज परेशान किये जाने पर चर्चा के लिये ।)

46. (आमतौर से जंगलों के पेड़-पौधों को काटे जाने से रोकने के क्रम में चर्चा के लिये ।)

47. (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभाग में निर्धारित कोटे के अनुसार चयन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

48. (राजस्व एवं वन एरिया का पुनः सीमांकन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

49. (सिरस्का गेम सैन्च्युरी के आस-पास के ग्रामीणों को कुछ एरिया में मवेशी व बकरियां चराने की अनुमति देने हेतु चर्चा के लिये ।)

50. (सिरस्का गेम सैन्च्युरी को टाइगर प्रोजेक्ट बनाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

51. (ग्राम पंचायत के अधीनस्थ चरागाहों के विकास हेतु विभाग द्वारा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये ।)

52. (वनों की दिन प्रति दिन हो रही दुर्दशा पर चर्चा के लिये ।)

53. (ग्राम पंचायत स्तर पर प्लान्टेशन लगाने की चर्चा के लिये ।)

54. (किशनगढ़ क्षेत्र में वनों को फेन्सिग के कारण सार्वजनिक रास्तों को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

55. (वन्य जीवों के निरन्तर हो रहे ह्रास पर चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

56. (आबू तथा दूसरे वनों में उत्पन्न होने वाली ईंधन की लकड़ी को कोयला योजना के नाम से काट कर वनों को नष्ट होने से रोकने पर चर्चा के लिये ।)

57. (वनों के संरक्षण की योजना तथा वनों की बागान योजनाओं पर चर्चा के लिये ।)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

58. (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।)

59. (वनों की नाजायज कटाई से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

60. (वनों में हिरण सैन्च्युरीज बनाने एवं हिरणों का शिकार बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

61. (राजस्थान में जंगलात की भूमि पर अतिक्रमण को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।)

Page No 95

(95)

श्री खेतसिंह राठौड़ (ओसियां) :

62. (गेम सैन्च्युरी में जानवरों की संख्या बढ़ जाने पर उन्हें परमिट पर मारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री नेरा (मसूदा) :

63. (वनों की सुरक्षा करने व नये वनों का विकास करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) :

64. (मांडल क्षेत्र में वन विकास की व्यापक संभावनाओं का पूरा-पूरा उपयोग कराने सम्बन्धी चर्चा के लिये।)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ) :

65. (वन विकास की वर्तमान नीति अलाभप्रद होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री रामेश्वर प्रसाद गुजर (जमवा-रामगढ़) :

66. (वनों के विकास में सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।)

श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंज मण्डी) :

67. (सरावदा बोड़, तहसील रामगंज मण्डी का आवंटन की आवश्यकता एवं वन विभाग की भूमि पर मकान एवं जो जमीन जोत रखी है, उनका नियमन कराने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

68. (प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में 5 मील के क्षेत्र में जानवरों को चराई की राहत अथवा कैटल गार्डों द्वारा जानवरों को पकड़ने की प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

69. (वन पौधशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों पर इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

70. (वनों को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा वनों के विकास करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये।)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

71. (आदिवासियों का जीवन पूर्णतः जंगलों पर निर्भर है। अतः वनों का मालिकाना हक आदिवासियों को दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

72. (वनों का तीव्र गति से सफाया किया जा रहा है जिससे वर्षा एवं भूमि कटाने की समस्या उत्पन्न हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) :

73. (वनों की रक्षा किये जाने व वन सम्पदा की चोरियों को कारगार ढंग से रोके जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री माणक लाल ठाकोर (नेनवा) :

74. (वन विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण किसानों को लकड़ी की सुविधा नहीं दी जा रही है एवं भूमि व प्लाट जो वन विभाग में हैं उनसे कृषकों को बेदखल कराने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।)

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

75. (विभाग, वनों में किस प्रकार तथा कहां-कहां वृद्धि की जाय इसकी वैज्ञानिक ढंग से कोई योजना नहीं बना पायी, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) :

76. (राज्य में वनों का ह्रास होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) :

77. (वनों के निरन्तर होने वाले सफाये से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

78. (तेंदू पत्ते के राष्ट्रीयकरण के बाद हर वर्ष की गिरती आमदनी के कारणों पर चर्चा के लिये।)

श्री रावत राम आर्य (डग) :

79. (ताल छापर, जिला चूरू में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादती बाबत चर्चा के लिये।)

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमान गढ़) :

80. (कम आबाद वनों की जमीन भूमिहीनों में बांटी जावे तथा किसानों के काम आने वाले पेड़ों की पौध देने के लिए नर्सरियां लगाई जावे व मुफ्त पेड़ बांटे जाने की चर्चा के लिये।)

81. (वनों के इर्द-गिर्द दीवार या कांटेदार तारों की बाढ़ लगाकर पड़ौस के खेतों को जंगली जानवरों की तबाही से बचाने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।)

82. (वन विभाग के सारे अमले को नहरों, सड़कों व रेल्वे लाइन्स के आजू-बाजू पड़ी धरती पर पेड़ लगाने के कार्य में लगाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) :

83. (वर्तमान वन नीति से वनों का विनाश नहीं रुकने संबंधी विषय पर चर्चा के लिये।)

84. (विभिन्न ग्रामों में पर्याप्त पौष्टिक घास के वन विभाग के चरागाहों के अभाव के संबंध में चर्चा के लिये।)

85. (प्रदेश के पश्चिमी मरुक्षेत्र में वृक्षारोपण पर राज्य सरकार द्वारा समुचित ध्यान नहीं दिये जाने संबंधी विषय पर चर्चा के लिये।)

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

86. (झुन्झुनूं जिले में वनों के विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

87. (नवलगढ़ में वृक्ष पौधशाला के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

88. (चरनोट की जमीन पर अवैध कब्जों से उत्पन्न समस्या की चर्चा के लिये।)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

89. (वन कर्मचारियों द्वारा किसानों

(श्री हीरालाल आर्य)
तथा पशुपालकों को परेशान करने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

90. (वनों के संरक्षण के संबंध में आवश्यक कदम उठाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) :

91. (चरागाहों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इनके विकास की आवश्यकताओं पर चर्चा के लिये ।)

92. (वन सम्पदा का राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होने पर भी राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा वरतने पर चर्चा के लिये ।)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

93. (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) :

94. (गंगानगर जिले में वन विभाग द्वारा आरक्षित वनों के नाम पर भूमि का गलत इस्तेमाल करने से रोका जावे, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

95. (बांसवाड़ा जिले में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा जंगलों को नष्ट करने एवं काबिल काश्त भूमि को बिना वृक्षों के वन विभाग द्वारा रोके रखने पर चर्चा के लिये ।)

96. (बांसवाड़ा जिले में वनों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।)

97. (बांसवाड़ा जिले में वन विभाग द्वारा खोले गये बिक्री केन्द्रों पर लकड़ी व कोल उपलब्ध नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये ।)

98. (बांसवाड़ा जिला में वन विभाग द्वारा खोले गये बिक्री केन्द्रों पर इमारती लकड़ी उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

99. (बांसवाड़ा जिला में वन विभाग की भूमि पर कडाणा पुनर्वास के लिए दिये गये भू-खण्डों के सबंध में चर्चा के लिये ।)

(1) श्री **रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल),
(2) श्री **भैरू लाल बैरवा** (शाहपुरा) :

100. (वन विभाग द्वारा काश्तकारों पर की जाने वाली ज्यादतियों और वर्षों से चले आ रहे कृषि भूमि के कब्जों को समाप्त करने की कार्यवाही को रोकने बावत चर्चा के लिये ।)

101. (पंचायत थाणा, प. स. मांडल में नये वन के विकास पर किये गये व्यय की जांच कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

102. (वन सम्पदा को प्रोत्साहन देने के लिए उपयोगी वृक्षों को लगाया जाये, इस पर चर्चा के लिये ।)

103. (वन विभाग की सरकारी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने हेतु व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार दिलाने पर चर्चा के लिये ।)

104. (वन विभाग की मिलीभगत से होने वाले नुकसान की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

105. (सरदार समंद, तहसील सोजत के आस-पास की जमीन में वन लगाने तथा रिजर्व जंगल बनाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री अय्यूब खां (तिजारा) :

106. (तहसील तिजारा के पहाड़ी क्षेत्रों को वन विभाग से मुक्त किया जाए, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

107. (धौलपुर क्षेत्र में जंगलात ने जंगली जानवरों को रोकने के लिये फेंसिंग नहीं लगाई जिससे काश्तकारों को नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।)

डॉ. गंगा सहाय (कठूमर) :

108. (वनों की अनधिकृत कटाई व वन अधिकारियों द्वारा जलाने की लकड़ियों के चोरी से बिक्री किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा) :

109. (वन विभाग की सम्पदा को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

110. (जिला झुन्झुनू के वन विकास हेतु योजनायें बनाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

111. (नागौर जिले के रेगिस्तानी क्षेत्र में उद्योग आधारित वन सम्पदा का विकास करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन):

112. (वनों की कटाई रोकने तथा ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था करने और वनों में जहां पेड़ नहीं है उस जमीन को गरीबों में वितरित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) :

113. (धरीयावद रेन्ज की काबिल काश्त वन भूमि को रेवेन्यू को हस्तान्तरित किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

(1) श्री गोपालसिंह (खण्डेला),
(2) श्री अय्यूब खां (तिजारा),
(3) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) व
(4) श्री हरिसिंह (फुलेरा):

114. (राज्य में वनों का निरन्तर नुकसान होने पर चर्चा के लिये ।)

(1) श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ) व
(2) श्री रंगजी (सपोटरा) :

115. (महुआ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बनावड़, हल्देना आदि ग्रामों में गरीब मजदूर, किसानों के साथ वनाधिकारियों के दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये ।)

श्री नाथूलाल (घाटोल) :

116. (घाटोल रेन्ज व पीपलखूंट की काबिल काश्त भूमि को वन विभाग से रेवेन्यू में स्थानान्तरित कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री दाऊदयाल जोशी (दोगोद) :

117. (तेंदू पत्तों को तुड़वाने में जो अनियमितता होती है, उसे रोकने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री चुन्नीलाल जेलिया (खण्डार) :

118. (राजस्थान के वनों में प्रति दन सैंकड़ों वृक्षों की कटाई रोकने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री रामेश्वरदयाल यादव (चौमू) :

119. (चौमू क्षेत्र में ग्राम हस्तेड़ा व सामोद में वन क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

120. (सरिसका, जिला अलवर को नेशनल पार्क बनाने के औचित्य के विषय में एवं इस हेतु क्षेत्र में बसे हुए पांच गांवों को आपात काल में निर्दयता से उजाड़े जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

121. (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं व धांधली पर चर्चा के लिये ।)

122. (विभाग के पास वन विकास के संबंध में कोई ठोस योजना नहीं है, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

123. (फलौदी तहसील में वन विकास की कोई योजना न होने पर चर्चा के लिये ।)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) :

124. (उदयपुर डिवीजन में नष्ट होते हुए जंगल को बचाने और इनके विकास करने के संबंध में तथा वन विभाग द्वारा श्रमिकों को समुचित वेतन नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

125. (वन विभाग के कर्मचारी रिश्वत लेकर जंगलों से लकड़ी काटने देते हैं, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

126. (बड़ंदनी, सींगोली, लाडपुरा, जलीन्डी, श्यामपुरा आदि गांवों में गांवाई जंगल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

127. (मांडलगढ़ किले पर वन लगा कर मृग अभयारण्य बनाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

128. (वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने एवं वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कराने पर चर्चा के लिये ।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

129. (आजादी के बाद वनों को असुरक्षा से राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों पर चर्चा के लिये ।)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) :

130. (उदयपुर जिले के वनों की दुर्दशा एवं वनों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

131. (मांडलगढ़ क्षेत्र में जहां-जहां खुले जंगल पड़े हैं, क्रमवार उनके पेडोक्स लगा कर फिर से हरा भरा करने तथा जहां-जहां देवस्थान हैं उनके चारों ओर फैंसिंग लगाकर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
वन विभाग द्वारा हराभरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री शिवनारायण (थानागाजी):

132. (वन विभाग द्वारा जंगली जानवरों से कृषकों की फसल रक्षार्थ फैंसिंग लगाने पर तथा जंगली जानवरों को मारने पर विचार करने हेतु चर्चा के लिये ।)

133. (वन विभाग द्वारा थानागाजी क्षेत्र में प्लान्टेशन न लगाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

134. (राज्य में देश के अन्य भागों की अपेक्षा कम वन होने व औसत से कम वृक्षों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

135. (राजस्थान के रेगिस्तान को रोकने में वनों के महत्व पर चर्चा के लिये ।)

136. (दौसा के पहाड़ को सुरक्षित रख कर वनों के विकास की स्कीम बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर) :

137. (वनों की लकड़ी कट कर जाती है उसका पैसा सरकार को नहीं मिलता, इसको रोकने के तरीके निकालने पर चर्चा के लिये ।)

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

138. (जंगलों की पैदावार बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) :

139. (राज्य में वनों की रक्षा करने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये ।)

140. (विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये ।)

141. (वन विभाग द्वारा पांच सूत्री कार्य के अन्तर्गत लगाये गये पेड़ों में हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

142. (चूरू जिले के गांवों में आबादी के नजदीक की चरागाह भूमियों पर किये जाने वाले नाजायज कब्जों में वन अधिकारियों की चुप्पी के संबंध में चर्चा हेतु ।)

श्री नूरा (मसूदा) :

143. (वन नीति का पुनः निर्धारण कर समस्त पंचायत स्तर पर ईंधन की व्यवस्था करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री लालशंकर डेडोर (सागवाड़ा) :

144. (ग्राम पंचायत की भूमि में राजकीय वनों का पेड़ लगा कर विस्तार कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

145. (प्रत्येक किसान अपनी निजी भूमि में एक या दो बीघा से उपरान्त वन उगाने के लिये पेड़ मुफ्त व अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

146. (गांवों में किसानों को घरेलू व कृषि औजारों के लिए जंगल से मुफ्त लकड़ी काटने का अधिकार दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।)

(1) श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय),
(2) श्री हरिकृष्ण (नदवई),
(3) श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़),
(4) श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़) :

147. (वन विभाग वनों की रक्षा नहीं कर सका है और जंगलों को बरबाद कर दिया गया है उसके सुधार के उपायों पर चर्चा के लिये ।)

(1) श्री मावजी भाई (सलूम्बर),
(2) श्री आलम अली खां (फतेहपुर),
(3) श्री नत्थी सिंह (लक्ष्मणगढ़),
(4) श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं),
(5) श्री हनुवन्त सिंह राणावत (वाली),
(6) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा),
(7) श्री उगमराज मेहता (ब्यावर),
(8) श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़),
(9) श्री हरिकृष्ण (नदवई),
(10) श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

148. (राजस्थान में वनों की बिगड़ती हुई दशा को ठीक करने पर चर्चा के लिये ।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

149. (इमरजेन्सी के वक्त चूरू जिले के गांवों को बीड़ तथा चरागाह भूमियों को गैर-कानूनी व पक्षपातपूर्ण तरीके से मनचले लोगों को कृषि भूमि के रूप में आवंटित भूमि को केन्सिल कर चरागाह भूमि बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

150. (जैसलमेर के काराहजोड़ से वन विभाग का कार्य क्षेत्र हटाने व इसे नगरों से दूर जंगल में ही स्थापित करने व अधिक वनारोपण करने तथा विभाग में व्याप्त अव्यवस्था व भ्रष्टाचार मिटाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

151. (वनों का चहुमुखी विकास कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) :

152. (पाली जिला के देसूरी के वनों में बढ़ते हुए सुअरों द्वारा फसलों को नुकसान होने पर चर्चा के लिये ।

श्री लाल दास (फलासिया) :

153. कालाखों क्षेत्र के वन विकास हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी),

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़):

154. (बून्दी वन में से लकड़ियां काट कर जंगल साफ कर दिया गया है इससे उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।)

155. (बून्दी क्षेत्र के गांव वालों को वन में से सूखी लकड़ी नहीं लाने देते तथा लकड़ी चुपचाप बाहर (बून्दी से बाहर) जाती है इससे राजकोष को होने वाली हानि पर चर्चा के लिये ।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) :

156. (पुराने समय से गांवों की चरागाह भूमियां जो बीड़ तथा बंजड़ इत्यादि कई नामों से रेवन्यू रिकार्ड में लिखी जाती आ रही हैं और ऐसी भूमि को पिछले कुछ

(श्री आलम अली खां)
वर्षों से वन विभाग के नीचे लिया गया है, को गांवों की चरागाह भूमि के रुपये, गांवाई पशु चरने हेतु विभागीय नियंत्रण से मुक्त किये जाने बाबत चर्चा के लिये।)

श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर) :

157. (पाली जिले के सेन्दड़ा वन में रैन्जर द्वारा बेचो जा रही अवैध लकड़ी पर चर्चा एवं किये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

158. (पाली जिले की सोजत पंचायत समिति की गुड़ा रेन्ज में वन के विस्तार पर चर्चा एवं भ्रष्टाचार कर रहे रेन्ज अधिकारियों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।)

श्री बालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

159. (वनों के विस्तार में आधुनिक उपाय के अभाव व बजट प्रावधान की कमी पर चर्चा के लिये।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

160. (वनों से उत्पादित कोयले का डिपो जिला स्तर पर तथा तहसीलदार स्तर पर खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :

161. (विभाग द्वारा की जा रही सामान की खरीद में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये।)

162. (विभाग में पदोन्नति में और नियुक्तियों में किये जा रहे पक्षपातों व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।)

163. (विभाग द्वारा की जा रही व्यापार योजनाओं में हो रहे घोटालों पर चर्चा के लिये।)

164. (नागौर जिले में विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों की असुरक्षा के कारण उनके नष्ट हो जाने पर चर्चा के लिये।)

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) :

165. (नागौर जिले में वन विभाग अधिकारियों द्वारा की जा रही धांधली व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

श्री दूलाराम (रायसिंहनगर) :

166. (राजस्थान कैनाल एरिया में वन विभाग द्वारा कृषकों की भूमि पर अनधिकृत कब्जे करने के बारे में चर्चा के लिये।)

167. (वन विभाग द्वारा पक्की सड़कों के दोनों तरफ लगाये गये तारों से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये।)

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

168. (वन संरक्षण हेतु कुछ सुझाव देने पर चर्चा के लिये।)

मांग संख्या 4, 8 व 9 पर विचार

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जयपुर नगर विकास न्यास ने जमीन की जो रेट 110 रु. और दूसरी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

130 रु. रखी है, यह कम की जानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से दिल्ली में कन्वर्शन चार्जेज माफ कर दिये गये हैं। यदि कोई सोसाइटी उसको स्वीकार कर लेती है तो डवलपमेंट चार्जेज भी सोसाइटी को दे दिये जाते हैं। सोसाइटी ही डवलपमेंट कराये। इसी तरह से नक्शे पास होने, पानी और बिजली की समस्या है। यह चीजें उनको नहीं मिली हैं। इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसके साथ सारी जमीन उसमें शामिल होनी चाहिए। राज्य सरकार को इस बारे में नियम बनाने चाहिएं।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा, जनता पार्टी ने कहा है कि सभी जिलों का पुनर्गठन किया जायेगा।

मेरा यह भी निवेदन कि किसान अपनी औरत के जेवर बेच कर कुआं बनाता है। किसान से जो लगान लिया जाता है, उसमें जयपुर जिले के किसानों पर लगान की दर ज्यादा क्यों है? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के सभी जिलों की रेट्स का पुनर्वर्गीकरण किया जाना आवश्यक है।

वसूलियां रेवेन्यू विभाग में ठीक नहीं हो रही हैं। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि विधायकों और प्रतिपक्ष के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, चाहे जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, जिससे सभी लोगों को न्याय मिले और गरीबों को राहत मिले। इसलिए सम्पूर्ण सदन को विश्वास में लेकर राजस्व अभियान चलाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल में कोई प्रगति नहीं हुई है। राजस्व बेंच यदा कदा जयपुर में आती है और मनमाने ढंग से मामले सुनती है, केवल सेल्स टैक्स के ही मामले लेती है। कोई व्यक्ति धौलपुर से आता है और दूरदराज से आता है तो उसको दावा पेश करने के लिये अजमेर जाना पड़ता है। फिर पेशी पड़े तो अजमेर जायगा, एडमीशन हो तो अजमेर जायेगा। इस तरह से बार-बार बार उसको अजमेर जाना पड़ेगा। तो ऐसी रेवेन्यू बेंच से गरीब लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? इसलिए मेरा निवेदन है कि जयपुर में ही रेवेन्यू की बेंच स्थापित की जानी चाहिए जिससे लोगों को बार-बार वकील नहीं करना पड़े और बार-बार अजमेर नहीं जाना पड़े। इससे इनका खर्चा भी कम होगा और जनता पार्टी ने जो जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की बात कही है उसकी भी पूर्ति हो जायगी।

पास-बुकें अभी सबको नहीं मिली हैं, लोगों के नक्शे भी ठीक नहीं हैं, उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। इसकी वजह से बैंक उनको लोन नहीं देता है। ये सारी बातें पूरी हो जायें तो वे लोग बैंक से लोन ले सकेंगे और खानापूर्ति हो जायगी।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 और राजस्थान रेवेन्यू अधिनियम, 1956 में बार-बार संशोधन किया गया है। पिछली सरकार ने एक प्रकार से सारे कानून को ही गलत बना दिया है। भूमि के बारे में क्या परिभाषा होनी चाहिए, कृषक कौन होगा, यह बात उसमें साफ नहीं है। इसका क्या रूप होगा, इस संबंध में कुछ विचार नहीं किया गया है।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितनी भूमि अवाप्त की गई और कितनी जमीन आवंटित की गई? कितने हरिजनों को जमीन दी

Page No 104

(104)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
गई ? और दी गई तो उनको जमीन का कब्जा मिला या नहीं ? इन सब बातों पर विचार किया जाना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भूमि संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय, राज्यस्तरीय संगोष्ठी की घोषणा की गई थी लेकिन अभी तक उसकी कोई क्रियान्विति नहीं की गई है ।

वन विभाग के बारे में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि चार महीनों में वनों का वास्ट मिसयूज हुआ है । वनों की कटाई और बिक्री में घोटाले हुए हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतने सारे मामले फोरेस्ट विजिलेन्स कमीशन के पास पड़े हुए हैं, गोंद के मामले में घोटाले हुए, कत्थे के मामले में घोटाले हुए और कई मामलों में घोटाले हुए और गोलमाल हुआ है । मैं विजिलेन्स कमीशन के अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये सारे मामले राज्य सरकार के ध्यान में ला दिये हैं । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस संबंध में अपना उत्तर अवश्य देवें ।

एक हाई पावर कमेटी की मांग मैं करना चाहूंगा । संजय गांधी के जयपुर आने पर पचास लाख रुपये के ढाई करोड़ वृक्ष खरीदे गये, उसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब पेड़ ही नहीं लगाये गये तो उनके मेन्टीनेन्स की बात कहां पर उत्पन्न होती है । इसलिए एक हाई पावर कमेटी का गठन इसकी जांच करने के लिए होना चाहिए । पचास लाख का घोटाला हुआ है संजय गांधी के नाम पर, उसकी जांच के लिए मैं मांग करता हूं कि एक हाई पावर कमेटी होनी चाहिए । पेड़ वास्तव में लगे ही नहीं ।

वन सहकारी समितियां जो हैं उनके बारे में निवेदन है कि ट्राइबल एरिया के लोगों के नाम पर जो गोलमाल किया गया है उस संबंध में जानकारी मिलनी चाहिए ।

राज्य सरकार ने नेशनल डेजर्ट पार्क, जैसलमेर में बनाने का विचार किया था, केन्द्र सरकार इस बारे में अनुदान भी देना चाहती थी । राजस्थान में नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर में होना चाहिए । इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी गई है ।

अब मैं जयपुर शहर की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । पिछले वन मंत्री महोदय ने कहा था, झालाना के अन्दर सरकारी पार्क बनाया जायगा और अभयारण्य होगा, उसमें शेर रखे जायेंगे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्रोकोडाइल का प्रजनन केन्द्र सबसे बड़ा रामनिवास बाग को जन्तुशाला में है। भारत सरकार ने भी इसकी तारीफ की है और विदेशों में भी इसकी तारीफ हुई है । लेकिन विश्व का सबसे बड़ा प्रजनन केन्द्र होने के बाद भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । भारत सरकार भी उसको सहायता देना चाहती है लेकिन सहायता लेने में राज्य सरकार उदासीन रही है । इसी उदासीनता के कारण काफी पशु नष्ट हो गये हैं । आज वाइल्ड लाइफ के नाम पर कुछ भी नहीं है । इस प्रकार से पशु-पक्षियों की कोई शाला नहीं हो और उनकी संभाल नहीं की जाय तो रामनिवास बाग में कोई आकर्षण नहीं रहेगा । रामनिवास बाग का जो जू. .

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

है आज उसकी हालत क्या है ? जन्तुशाला के अंदर जो अलवर की शेरनी है जो महलों के अन्दर रहती थी उसको एक छोटे से पिंजड़े के अन्दर बन्द कर रखा है। मैं समझता हूं कि वह दुःखी है। जिन महारानी साहिबा ने उसे दिया था वह भी दुःखी है यह देख कर कि जयपुर की जन्तुशाला में कोई प्रबन्ध नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, एक मिनट में समाप्त करता हूं।

गटर का पानी बह कर जू के भीतर आता है उससे पशुओं को नुकसान होता है। वहां पर हरे वृक्ष लगाने चाहिएं और हिरण छोड़े जाने चाहिएं, सारा वातावरण भली प्रकार का होना चाहिए। मवेशी गृह का विकास होना चाहिए। आज उसकी जगह पर रविन्द्र मंच हो गया। जहां पर गैण्डा बंधता था, वहां कोयले का डिपो बन गया, विद्युत विभाग बन गया, वाटर वर्क्स का दफ्तर खुल गया। इस तरह से रामनिवास बाग का महत्व कम किया जा रहा है। कोयले की गैस से पशुओं की मृत्यु हो जाती है इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके मार्फत आकर्षित करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसके विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। आखिर पशु-पक्षी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने और इस सरकार ने भी नाहरगढ़ को सुन्दर बनाने के लिए कहा था, वहां पर हिरण का अभयारण्य बनाने के लिये कहा था। वहां पर वृक्ष लगाये जाने चाहिए थे। जिन बन्धुओं को जयगढ़ और नाहरगढ़ जाने का मौका मिला है वे जानते हैं कि इससे बढ़कर विश्व में सुन्दर स्थान नहीं हो सकता।

आंतेड़ के कुण्ड की हालत बहुत खराब है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोयले का वितरण ठीक से नहीं हो रहा है। इसके डिपो अलग-अलग स्थानों पर खोले जाने चाहिएं। आज लोगों को कोयला मिलता नहीं है।

वन विकास व्यापार निगम कब तक बनायी जायगी ? पहले यह तय हुआ था कि वनों की भूमि यू. आई. टी. को ट्रान्सफर कर दी जायगी। उससे यह सुविधा होने वाली थी कि लोग उस पर अपना मकान बना सकते थे लेकिन आज भी यू. आई. टी. को जमीन ट्रान्सफर नहीं की गई है।

जोधपुर में क्षेत्रीय रेन्जर प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना है। वहां पर गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के रेन्जरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि वहां पर रेन्जरों को भेज कर प्रशिक्षण प्राप्त करायें।

चरागाह क्षेत्र के लिए भी राज्य सरकार ने घोषणा की थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इन सब बातों का, मैं समझता हूं, माननीय वन मंत्री महोदय अपना निश्चित उत्तर देंगे।

Page No 106

(106)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आधे मिनट में जिला प्रशासन पर निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करें। बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं समय का और घंटी का पूरा ध्यान रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको खूब जानता हूं, स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन है उस पर निश्चित रूप से ध्यान दें और नियमानुसार स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं।

इस समय प्रत्येक कमेटी में कलक्टर को लगाया गया है। इससे तो कलक्टर पर भार बढ़ गया है। कलक्टर अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता।

राज्य सरकार ने जिलों के पुनर्गठन के बारे में कहा था, राज्य सरकार ने स्टेटमेंट दिया था। राज्य सरकार का क्या इरादा है? तहसीलों का पुनर्गठन किस आधार पर होगा? पंचायतों का पुनर्गठन किस आधार पर होगा? सारी बातों का राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए।

अंत में, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जिला प्रशासन की कार्यकुशलता को ठीक प्रकार से करने के लिए। अपना उत्तर देते समय इन बातों को ध्यान में रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, युग बदल गया, क्रांति आ गई। आजादी आने के पिछले 30 वर्ष के बाद भी यदि देश में सबसे अधिक आवश्यकता महसूस की गई तो भूमि सुधारों की। देहातों में 80 प्रतिशत लोग रहते हैं, उनमें से जितने कमजोर वर्ग के हैं, जितने खेतिहर मजदूर हैं, भूमिहीन लोग हैं, जब देश आजाद हुआ तो सब आशा लगाकर बैठे थे कि देश की आजादी के साथ उन्हें कुछ मिलेगा। किन्तु सबसे बड़ी खेद की बात है कि पिछले 8 महीनों में खास तौर से यह जो बजट आया और जो अभिभाषण हुए राज्यपाल महोदय के, उनसे यही ध्वनि निकलती है कि भूमि सुधारों के प्रति हम पूरी तरह से सजग हैं। कोई भी विकासोन्मुख देश या प्रदेश इस तरह की कार्यवाही नहीं कर सकता जिससे अमीर गरीब के बीच की खाई दूर न हो। पिछड़ी जाति के लोगों, भूमिहीन लोगों को आज भी आप यह आशा पूरी नहीं कर पायेंगे कि उनके पास जमीन हो तो निश्चित तौर से जो परिवर्तन की बात आप कहते हैं वह थोथी लगेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को राजस्थान के उस हिस्से की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां से आप स्वयं पधारते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि। मैंने पहली बार उस इलाकों को देखा। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि पिछले 30 वर्ष में क्या हुआ, थोड़ी-थोड़ी पहाड़ियों से जमीन निकालकर क्यारियां बनाई, शायद इस सदन के क्षेत्रफल के बराबर जमीन एक किसान के पास होगी। किस तरह से वे खेती करेंगे? ऐसी हालत में जब देश का बड़ा हिस्सा ऐसी जमीनों पर खेती करता है और

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

पेट पालने में मजबूर है, उस समय भूमि सुधारों के प्रति हमारा यह रवैया हो, जो आज दृष्टिगोचर हो रहा है तो यह सबसे बड़ी खेद की बात है। मैं राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि यदि प्रदेश की तकदीर को बदलना चाहते हैं, जो लोग अभी तक दुःखी थे उनको सुखी करना चाहते हैं, जिनके जीवन में सदा अंधेरा था उनमें उजाला लाना चाहते हैं, तो भूमि सुधारों के प्रति सबसे अधिक ध्यान दें। पिछले 30 वर्ष में काफी कानून बने जैसा भाई गिरधारीलालजी ने कहा लेकिन वे दोषपूर्ण बने। उनके दोषों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे कहना पड़ेगा लैंड ओनर्स एस्टेट्स एक्ट के तहत आपातकाल स्थिति में जिन भूमिहीनों की भूमि अधिग्रहण की, कानून बनाए गए, उनमें पिछले 8 महीनों में कोई प्रगति नहीं हुई। यदि वे इस समय ली जातीं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का काश्तकार, जो पहाड़ी के थोड़े हिस्से में क्यारी की जमीन में खेती करता है, महसूस करता कि गरीबों की यह सरकार है वाकई यह सरकार क्रांति लाना चाहती है। इसलिए मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि सुधारों की तरफ सबसे अधिक ध्यान दें। यदि यह कार्य किया गया तो निश्चित तौर पर वे लोग, वह तबका जिनके बारे में आज शक शुबहा पैदा होने लगा है कि हमारे साथ रह पायेंगे या नहीं, वह शक दूर होगा।

दूसरी बात मैं जागीरदारों की भूमि के बारे में कहना चाहता हूं। उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। इस मामले में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उसको दूर करने की चेष्टा नहीं की जा रही है। जयपुर शहर में बहुत से जागीरदारों की भूमियां थीं, डिग्गी हाउस था, कानोता हाउस था, उनियारा हाउस, चौमू हाउस था। सब भूमियां कांग्रेस के जमाने में अवाप्त करके वापस रिलीज कर लीं ताकि वे जागीरदार मनमाने दाम पर बेच सकें। गिरधारीलालजी ने कन्वर्शन की समस्या उठाई। कन्वर्शन की समस्या इसलिए पैदा हुई कि बड़ी-बड़ी भूमियों को बड़े भूमिपतियों ने मनमाने दाम पर बेच दिया कांग्रेस सरकार से सांठगांठ करके। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के जो भूतपूर्व मंत्री व नेता थे, उन लोगों को प्लाट्स मिले, उनके बड़े-बड़े मकान खड़े हुए। लेकिन आज जब दूसरे लोगों का सवाल आता है, आम काश्तकार का सवाल आता है तो उनकी भूमि निर्दयता के साथ अवाप्त की जाती है। लाल कोठी की जमीन अवाप्त की गई, कितना मुआवजा दिया गया? शायद 15 पैसा प्रति गज के हिसाब से और जागीरदारों की जो पहाड़ी जमीन थी उनको 8, 10, 50, 60 व 100 रु. प्रति गज के हिसाब से मुआवजा दिया गया। काश्तकारों को दूसरी तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा तो क्या वे तबदीली महसूस करेंगे? क्योंकि राजस्व विभाग के अंतर्गत भूमि अवाप्ति का मामला भी आता है, मैं राजस्व मंत्री का एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लाल कोठी की भूमि अवाप्त हुई, 1965 में एक अवार्ड दिया गया उसके जरिए करीब 200-300 आदमियों के लिए अवार्ड दिया गया, उसके बदले में एक या दो हजार गज के प्लाट्स मिलेंगे। वह कितनी भूमि थी? किसी के पास आधा बिस्वा, किसी के पास एक बिस्वा, किसी के पास दो बिस्वा। बहुत से मामलों में जो उनके पास भूमि थी उससे अधिक उनको दी गई। जो यह अवार्ड दिया गया उसकी राजस्व मंत्री जांच करायें तो दिल्ली में जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव

(श्री बजरंगलाल शर्मा) सोसाइटी में वी. आई. पीज. के मामले खुले थे उससे ज्यादा भयानक मामले आपको मिलेंगे। वी. आई. पीज. ने प्लॉट्स अलॉट करवा दिए, सब लोगों ने लिए। उनका आज भी रिकॉर्ड है। इस तरह के घोटाले होते हैं। खास तौर से ऐसे स्थानों पर जहां भूमि की बहुत कमी है, जोधपुर, जयपुर जैसे स्थान, बीकानेर इत्यादि में अवाप्ति की गई। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के जो घोटाले हुए हैं, बेरा आयोग द्वारा उनकी जांच करवानी चाहिए। पहले ही इस बारे में बहुत सी इन्क्वायरी रिपोर्ट्स हैं। आप उन इन्क्वायरी रिपोर्ट्स पर क्यों नहीं अमल करते? आम चर्चा है कि बेरा आयोग में जिस प्रकार से देरी की जा रही है, उससे जो दोषी पाए गए हैं उनको एक और मौका दिया जा रहा है कि अपनी कमाई अपने पास रखो।

केन्द्रीय गृहमंत्री ने इन जमीनों के मामलों की फाइल मांगी लेकिन शिवचरण माथुर के अलावा बाकी फाइलें नहीं भेजी गई। आखिर बाकी लोगों से आपका क्या रिश्ता है? क्या गंगा नंदा के पवित्र मन्दिर में जाकर शपथ खाई है कि उनको बचायेंगे? तो फिर आयोग नियुक्त करने की क्या जरूरत है? आप ऐसा काम करें जिससे आम आदमी महसूस कर सके कि जिनकी जांच हो चुकी है, जो दोषी पाए गए हैं उनको दंडित करने में सरकार पीछे पड़ने वाली नहीं है।

यहां पर गिरधारीलालजी ने कन्वर्शन की बात कही। कन्वर्शन रेट्स का जहां तक ताल्लुक है सबसे बड़ी बाधा है बड़े जागीरदारों की, जो जमीनें दवाये बैठे हैं। उनसे कन्वर्शन चार्जेज वसूल करने चाहिए। लाखों, करोड़ों रुपये का मामला है। उन जागीरदारों से एग्रीमेन्ट हुआ जिसके तहत जागीरदार इस बात के लिए पाबन्द थे, कमिटेड थे कि डेवलपमेंट का जब सवाल आएगा तो वे लोग पैसा देंगे। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि वे दस्तावेज ही गायब हैं जिनमें कमिटमेंट है कि करोड़ों रुपये वसूल किये जायेंगे। वे सब फ्यूडल एलीमेंट्स हैं। राजस्व मंत्री इस बात की जांच करें कि उस एग्रीमेंट को अवाइड करने के लिए क्या उन जागीरदारों ने राज्य सरकार के अधिकारियों से मिलकर सांठगांठ की है और वे कागजात गायब किए गए हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा जिला प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन की जब भी बात आती है तो सदन में एक बात विशेष तौर से कही जाती है, हमारे राजस्थान का विकास इसलिये नहीं हो पाता है कि यहां के जिले बड़े-बड़े हैं। इसके साथ में कई बार राजस्थान के विकास की तुलना हरियाणा से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अन्दर विकास अधिक होने का सबसे बड़ा कारण एक यह भी है कि हरियाणा एक छोटा प्रान्त है और हरियाणा के अन्दर छोटे-छोटे जिले बनाये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान को हरियाणा की तरह छोटा तो नहीं बना सकते हैं लेकिन हम राजस्थान के जिलों का पुनर्गठन तो कर ही सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम राजस्थान के जिलों को छोटा कर दें तो उन जिलों में मैं समझता हूं कि ज्यादा मुस्तैदी से काम हो सकेगा। इसमें हमें ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। इतने ही आर्थिक साधनों में हम राजस्थान का भलीभांति से हरियाणा की तरह ही विकास कर सकते हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हालांकि हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने वैसे तो जिलों के पुनर्गठन

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

करने की बात से इंकार कर दिया है लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य निश्चित रूप से इस बात के पक्ष में होंगे कि राजस्थान में जिलों का पुनर्गठन होना चाहिए। जिले छोटे-छोटे बनाये जायें तो काफी विकास हमारे राजस्थान का हो सकता है। इसके साथ-साथ हमारे यहां जो विकास की गति है वह तेज हो सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, थोड़ा समय मैं और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वनों के संबंध में भी मुझे थोड़ा निवेदन करना है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वनों का हुआ है। वनों का नुकसान होने के कारण हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनको बहुत भारी नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, वनों के बारे में केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक ढेबर भाई कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि आदिवासी लोगों और वनों का जो संबंध है वह कभी भी विच्छेद नहीं हो सकता है। हमारे राष्ट्रपतिजी ने भी यही कहा था वनों के बारे में। लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार ने ऐसी कितनी ही योजनायें बनायी जिनसे कि हमारे यहां जो घने वन थे वह सभी काट दिये गये। इसके फलस्वरूप जो आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे उन्हें जंगलों से निकाल कर बाहर फेंक दिया। उनका वनों पर जो सदियों से स्वामित्व था वह समाप्त कर दिया गया। इसलिये मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वह वनों की रक्षा कर आदिवासी लोगों को वनों में बसाये तथा वनों का स्वामित्व उनको प्रदान करे। हमारे राजस्व मंत्रीजी नौजवान हैं, समाजवादी हैं और हवाई जहाज की तरह समाजवाद की ओर उड़ान भरते हैं, मेरे ख्याल से वह जरूर वनों का स्वामित्व आदिवासी लोगों को प्रदान करेंगे ....

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मान्यवर, मैं आपकी उदारता का नाजायज फायदा उठाना नहीं चाहता हूं, पर थोड़ा ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : उठा रहे हैं ना। 15 मिनट हो गये हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा समय लूंगा।

राजस्व के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व के मामले हजारों की तादाद में वर्षों से रेवेन्यू बोर्ड में अनिर्णीत पड़े हुए हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर साहबान अपनी यह परम्परा बनाये हुए हैं कि हम लन्च के बाद में नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री रतन लालजी वर्मा इस बात के लिये दूसरे विधान सभा सदस्यों के प्राण पी जाते हैं कि वह लोग रात के 12 बजे तक नहीं बैठें तो उन्हें 51 रुपये रोज का जो भत्ता है वह नहीं दिया जाये। पर हमारे जो रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स हैं उन्होंने यह परम्परा बना ली है कि हम लंच के बाद काम नहीं करेंगे। कुछ माननीय सदस्य वकील रहे हैं और आपको भी राजस्व मंत्रीजी, इसका अनुभव होगा। आप चाहें तो दूसरे वकीलों और उनके मुवक्किलों से [illegible] करवा लें। अगर

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
आप चाहते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड के केसेज को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी निपटाया जाय तो आप राजस्व मण्डल के सदस्यों को लंच के बाद भी बैठने के लिये पाबन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने तो पाँच मिनट ज्यादा ले लिये। अब तो स्थान ग्रहण करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो आई. ए. एस. ऑफिसर हैं उन्हें यहां से सीधे रेवेन्यू बोर्ड में भेजते हैं। वह लोग इस तरह की कार्यवाही करते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा वह राजस्व संबंधी मामले और भूमि के मामलों के निपटारे के लिये जिस तरह आपने नीचे के लेवल पर अभियान चलाया है उसी तरह आप भूमि के और दूसरे मामलों को ऊपर के लेवल पर अभियान के रूप में निपटायें तो काफी काम हो सकता है। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर, अध्यक्ष महोदय, अन्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि भूमि सुधार के लिये, भूमिहीनों को जमीन देने के लिये और वनों का स्वामित्व आदिवासियों को देने के लिये जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें ताकि हमारी जो समग्र क्रान्ति की बात है वह जल्दी ही पूरी हो जाय।

बस धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्व की मांग और वन की मांग पर बहस चल रही है इन पर मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम तो मैं जिला प्रशासन के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासक हैड कलक्टर होता है। कलक्टर उसका जो नाम है वह रेवेन्यू कलेक्टर होने के नाते पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन कलक्टर के पास रेवेन्यू के अलावा कई काम होते हैं। वह जिले का जिलाधीश भी होता है और वह उन बैठकों की अध्यक्षता भी करता है।

(2.05 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उन बैठकों की अध्यक्षता करने के कारण कलक्टर अपने काम को पूरी तरह नहीं कर पाता है व बैठकों में ही व्यस्त रहता है। इसके कारण राजस्व के मामले बिना निर्णय किये पड़े रह जाते हैं। इसके अलावा नीचे के जो अधिकारी हैं जैसे तहसीलदार तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारी हैं, वह भी उसके साथ कामों में संलग्न रहते हैं। इससे काफी काम खराब होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां पर काम में कमी होने का कारण यह भी है कि जो जिले हैं वह बहुत ही बड़े-बड़े हैं। इस कारण कलक्टर काम नहीं देख सकते और काम पैंडिग पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि हमारे यहां जिलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि जिले छोटे-छोटे हों और जो राजस्व के मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो भूमि सुधार के नियम हैं उनमें खास तौर से रेवेन्यू एक्ट में एक राजस्थान

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

टिनेन्सी एक्ट है और दूसरा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है उनके नियमों में संशोधन होना चाहिये। उसमें जो धारा 15-ए है उसमें भी संशोधन होना अनिवार्य है। यह राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की कन्सोलिडेटेड समस्या है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप इन नियमों में संशोधन करके काश्तकारों को लाभ पहुंचावें ताकि उन्हें राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस सरकार थी उनके जमाने में पिछले तीस सालों में जो जमीनों पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया था तथा उनके बड़े-बड़े नौकरशाही ऑफिसरों ने जो जमीनें हड़प ली थीं उनके लिये मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन है कि उनसे वह जमीन वापिस छीन कर भूमिहीनों को दी जावे। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जब वित्त मन्त्रीजी ने भाषण दिया था उस वक्त यह घोषणा की थी कि पिछली सरकार के मन्त्रियों और बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा जो जमीनें हड़पी गयी थीं वह उनसे वापस छीन ली जायेंगी। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, वह जमीनें अभी तक उन लोगों से नहीं छीनी गयी हैं। इस प्रकार हड़पी गई जमीनों की जांच करने के लिये एक कमीशन बैठाया गया है बेरी कमीशन, मैं इसके लिये भी थोड़ा निवेदन करना चाहती हूं कि पहले भी हमारे यहां पर सन् 67 में बेरी आयोग बैठाया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट भी दी थी लेकिन उस रिपोर्ट की क्रियान्विति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उस रिपोर्ट की जिस तरह से क्रियान्विति नहीं की गयी उसी तरह इस बेरी कमीशन की रिपोर्ट की गति होती हो तो फिर ऐसे आयोग को बैठाने से क्या फायदा ?

श्री मूलचन्द डागा : बस यही समझ लो यही गति होगी। यही हालत होगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : पकड़े जाओगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हम तो पकड़े नहीं जायेंगे। आप अच्छा भेष बदल लेते हैं, हाफपेन्ट को बदल कर आप पेन्ट पहन कर आ गये हो। खूब भेष बदल लेते हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप उन लोगों से जब तक नाजायज हथियाई गयी जमीनों का कब्जा लेकर वापस भूमिहीनों को नहीं दोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है।

अभी राजस्व अभियान चलाया गया था उसमें काफी मामले सुलझाये गये। पर अभी भी कई गांवों में काफी जमीनों के झगड़े हैं, जिसमें पंचायतों की गोचर भूमि है, जहां कि बस्तियां बस गयी हैं, लोग आबाद हो गये हैं, उन जमीनों को रेगुलेराइज किया जाना चाहिये, ऐसा मेरा राजस्व मन्त्रीजी को सुझाव है।

दूसरे कृषि भूमि जो है उसमें भी शहरों के लोग वर्षों से मकान बना कर रह रहे हैं। उनके मामलों को भी रेगुलेराइज किया जावे। आज भी उन लोगों को भय है कि कहीं उनके मकानों को वापस नहीं गिरा दिया जाय। इसलिये मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि एक तरफ तो शहरी क्षेत्रों में आवासीय

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
समस्या है, दूसरी तरफ जिस भूमि पर मकान बने हुए हैं उनका रेगुलेराइजेशन नहीं होने से लोगों के मन में भय है कि कहीं मकान उनके गिरा नहीं दिये जायें।

इसके अलावा मैं राजस्व मन्त्रीजी से आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि रेवेन्यू के मामलों को निपटाने के लिये आपने राजस्व कैम्प्स लगाये थे उसी तरह आपको इन शहरी मकानों और जमीनों को रेगुलेराइज करने के लिये यू. आई. टी. और नगर परिषदों के कैम्प्स लगाने चाहियें ताकि वर्षों से जो लोगों के मामले अनिर्णीत पड़े हैं वह शीघ्रता से निपटाये जा सकें।

सीलिंग कानून में जिन बड़े-बड़े लोगों की भूमि आई है, मैं कहना चाहूंगी कि उनसे भूमि लेकर शीघ्रातिशीघ्र जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उनको दे देनी चाहिए। इसके लिए कड़ाई से व शीघ्र ही कदम उठाये जाने चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा सजेशन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वनों के बारे में एक और बात कहना चाहूंगी कि प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए वनों का जो भू-भाग है वह लगभग एक-तिहाई भू-भाग होना चाहिए लेकिन राजस्थान में लगभग 12 हजार वर्ग मीटर के ही वन हैं, जबकि 3.42 लाख वर्ग मीटर भूमि है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अधिक पेड़ लगाये जाने चाहिएं और वनों का विकास किया जाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्राकृतिक सौन्दर्य को बनाये रखने के लिए, हमारे यहां जो वन-सम्पदा फैली हुई पड़ी है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि हमें ईंधन उपलब्ध हो, चारा उपलब्ध हो, हमारे गाय, भैंस और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो, इसके लिए इसका विकास जरूरी है। साथ ही साथ जो कच्चा माल कुटीर उद्योगों के लिए जरूरी है वह उपलब्ध कराने के लए भी वनों के विकास की जरूरत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बबूल, तेंदू, सागवान, खेर, बांस, साल के पेड़ों की लकड़ी हमें अच्छा पैसा देती है तो इनका जितना उत्पादन अभी होता है उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे अधिक तादाद में वे उत्पन्न हों और लाखों लोगों को रोजगार मिले।

श्री मूलचन्द डागा : मैं माफी चाहूंगा। उपलब्ध कराने की बात तो भगवान से करें। उपलब्ध इनसे होने की तो नहीं है। यह कुछ नहीं कर सकते हैं। यह भगवान से प्रार्थना करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमने तो आप से भी उम्मीद की थी। हम आशावादी हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आशावादी हैं तो भगवान से प्रार्थना करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, कृपया इन्टरप्शन न करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वनों के विकास के लिए राज्य पैसा देता है और विश्व बैंक से भी पैसा मिलता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वन मंत्री महोदय, कर्मचारियों और किसानों का सहयोग लेकर जो गलत काम कर रहे हैं उनको ताड़ना देकर, उनके

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
लिाफ कड़ी कार्यवाही करके वन-सम्पदा का विकास करें। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह से रेन्जरों की शिक्षा हो, किस तरह की फ़ारेस्टर्स की शिक्षा हो, उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है आपने 8 मिनट तो ले लिये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो बीज भंडार हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है। बीज भंडारों के लिए यदि जगह सुरक्षित नहीं की गई तो वनों का विकास किस तरह से कर पायेंगे? बीज भंडार जितने अब हैं उनसे अधिक बनाये जाने चाहिएं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर घाना में पक्षी सेन्क्चुरी है जिसकी चर्चा देश-विदेश में काफी है। इसी तरह से सिरस्का की सेन्क्चुरी है और रणथम्भोर का इलाका है। इन इलाकों में पशु-पक्षियों का विकास करने के लिए उन्हें अधिक साधन-सम्पन्न बनाया जाना चाहिए।

साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हमारे यहां जयपुर जू में जो शेर-शेरनी हैं और दूसरे पशु-पक्षी हैं उनके प्रजनन के लिए अच्छी जगह नहीं है, उनके घूमने-फिरने और खेलने-कूदने लिए पूरी जगह नहीं है। मैं मंत्री महोदय को बताऊं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने उनसे निवेदन किया था कि शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जाय। जिस समय मंत्री महोदय उत्तर दें तो हमको बतायें कि वनों के विकास के लिए, पशु-पक्षियों के विकास के लिए वे क्या करने जा रहे हैं?

मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया बिराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमन्, वे अभी तो जू में ही घूम रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको सुख-सुविधा मिल सके इसका प्रबन्ध करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा मानते हुए समाप्त करती हूं। वैसे सुझाव तो मेरे पास बहुत हैं लेकिन फिर कभी मौका आयेगा तो कहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, यह संतोष का विषय है कि जनता सरकार प्रशासन को स्वच्छ बनाने की दिशा में सारा कार्य कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले की बात है कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक महिला सदस्या जिलाधीश पद पर थीं। उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों के साथ में असामान्य व्यवहार किया। इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को की। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने उस शिकायत पर उनका स्थानान्तरण कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा : Transfer is no punishment.

श्री गुल मोहम्मद : इससे वहां की जनता को राहत मिली। बूंदी की जनता उसको मिनि इन्दिरा गांधी के नाम से पुकारती थी। वे विख्यात थीं मिनी इन्दिरा गांधी के नाम से। वहां की जनता ने राहत की सांस ली जब उनका स्थानान्तरण हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष, जिला प्रशासन में कलक्ट्री सब-डिविजन में और तहसीलों में जो नकलें ली जाती हैं फैसलों की या और दूसरी तो उन नकलों के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी घूसबाजी चलती है। महीने-महीने, दो-दो महीने और 15-15 दिन तक नकलें नहीं दी जाती हैं। मेरा सुझाव है कि अगर स्टाफ की कमी है तो स्टाफ बढ़ाया जाय, अगर पैसे की कमी है, फीस कम है तो और फीस बढ़ा दी जाय ताकि बाहर से जो आदमी नकल लेने सुबह आता है उसको शाम तक नकल मिल जाय, इसकी आप व्यवस्था करें। इस काम से आप बेरोजगार आदमियों को रोजगार दिलाना चाहें तो दिला सकते हैं। इस काम से उनको पैसा मिलेगा और लोगों का काम भी बड़ा जल्दी हो जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा। वर्तमान राजस्व के नियमों में संशोधन किया जाय और उनको सरल बना दिया जाय ताकि जनता को सुलभ, सस्ता और आसानी से न्याय मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, जिलाधीश, सब-डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदारों के लिए कुछ दिन ऐसे निश्चित करने चाहिएं जिन दिनों गांवों में जाकर गांव वालों के मामलों के फैसले वहीं पर निपटा दें। गांवों के अन्दर इस टाइप की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वहां के मामले वहीं पर निपटा दिये जायं ताकि गांव वालों को उनसे कोई परेशानी न हो और खर्चा उनका बच सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक भ्रष्टाचार का एक संगीन मामला है जो कि कब्र में गढ़ा हुआ है। उस कब्र को वापस खोदकर आदिवासियों को राहत पहुंचाई जाय। उस कब्र पर भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी का आलीशान बंगला बना हुआ है। वह भूमि गरीब आदिवासी कंजरों की भूमि थी जिसे जबरदस्ती उन्होंने छीन ली और उस पर अपना बंगला बना लिया। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इसकी स्वतन्त्र और निष्पक्ष जांच करायें और जिन आदिवासियों की भूमि ली गई है, हड़पी गई है उनको वापस दिलायें। मैं यह भी चाहूंगा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी स्वयं ही इसको छोड़ दें तो और भी अच्छा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष राजस्थान में बाढ़ के कारण जिनकी फसलें डूबीं उन लोगों को सरकार राहत पहुंचाये। सरकार ने अभी तक वहां का लगान माफ करने और तकावी दिये जाने की घोषणा भी नहीं की। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से गुजारिश करूंगा कि यह घोषणा जल्दी से जल्दी करने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक मामला मेवात इलाके का है वह मैं बता देना चाहता हूं। जिस समय हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना उस समय वहां के जो अल्पसंख्यक लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे और जो जा रहे थे, वे अलवर और भरतपुर के गांवों को खाली

(श्री गुल मोहम्मद)

करके गुड़गांवा चले गये। गुड़गांवा में उन मेव लोगों को काफी समझाया, बड़े-बड़े नेताओं ने समझाया कि आप अपने गांवों को वापस जाओ, आप पाकिस्तान न जाओ। वहां जाने से आपको परेशानी होगी। आपके रहने के लिए व्यवस्था कर दी जायगी। माननीय उपाध्यक्ष, वे लोग दो वर्ष बाद गुड़गांवा से वापस अपने अपने गांव आये तो आने के बाद उन लोगों को जमीनें नहीं मिलीं। उनकी जमीनें बाहर से आने वाले शरणार्थियों को दे दी गई। उनके मकान शरणार्थियों को दे दिये गये, बाद में राज्य सरकार ने उन लोगों को कुछ जमीनें लौटाई। उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों को जमीन तो अलॉट कर दी लेकिन उनसे चार-चार सौ रुपया बीघा के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है जबकि उनको फ्री जमीन दी जानी चाहिये थी और यही उनसे कहा गया था। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बात को वे गम्भीरता से लें। मैं केन्द्रीय मंत्रीजी से भी मिला था, श्री सिकन्दर बख्त साहब से। उन्होंने मुझे इसके लिये पूर्ण आश्वासन दिया था। मैं चाहूंगा कि इस बात को गम्भीरता से लेकर सुलझाया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वन सम्पदा पिछले वर्षों से उपेक्षित है। ऐसे वृक्ष नहीं हैं, ऐसे जंगल नहीं हैं जिससे वन सम्पदा काफी तादाद में हो और आगे बढ़ सके। जो लोग वृक्ष काटते हैं और बेचते हैं उन लोगों के लिये कठोर सजा का प्रोविजन कानून में होना चाहिये। जो वृक्ष काटते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। कई जगह ऐसा सुनने में आया है कि ये अधिकारी लोग ही वृक्ष कटवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री डागाजी अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : वह पढ़ रहा हूं जो संजय ने कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : अखबार आप नहीं पढ़ सकते।

श्री मूलचन्द डागा : वह सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं जो रेलेवेन्ट है।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : राष्ट्रीय अखबारों की ये मिसाल देते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो मिसाल कैसे देंगे ?

श्री किशनसिंह भाटी : अभी कोई इसका रेफरेन्स नहीं है। He is misleading the House.

श्री उपाध्यक्ष : We should believe him.

श्री किशनसिंह भाटी : He is misleading the House.

श्री उपाध्यक्ष : Let him continue please.

श्री गुल मोहम्मद : तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग ने जयपुर के आस-पास के इलाके में तार लगा दिये हैं। गांवों की मवेशियों को चरने के लिये कोई स्थान नहीं है काफी परेशानी होती है.........

(समय-समाप्ति—सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर को आस-पास जो फोरेस्ट लैंड है उसको यू. आई. टी. को दे दें

(श्री गुल मोहम्मद)

ताकि कच्ची बस्तियों की समस्या का समाधान हो सके। मैं इतना ही कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान के जिलों के गठन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब से राजस्थान बना है, जिस प्रकार से जिले बने हैं उसके कारण गांवों के लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। इसलिये गांवों की सहूलियत को देखते हुए तहसीलों के साथ इनका जुड़ाव ठीक प्रकार से हो इस दृष्टि से इनका पुनर्गठन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। जब आप जिलों का पुनर्गठन करें तो तहसीलों का भी इस प्रकार से पुनर्गठन किया जाय कि जिससे एक जिले का सम्बन्ध दूसरे जिले के साथ ही हो, अलग-अलग न हो।

जिलों का प्रशासन बिलकुल ढीला है। आज भी सही प्रकार का प्रशासन न होने के कारण बूंदी जिले में काश्तकारों के लिये बड़ी समस्या पैदा हो गयी है। बून्दी जिले में केशोरायपाटन शुगर मिल है। किसानों से गन्ना नहीं उठाया जा रहा है। किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, किसानों ने गन्ना पैदा किया और आज शुगर मिल गन्ना नहीं उठा रही है जिससे गन्ना सूख रहा है। इससे किसानों के सामने बड़ी भारी समस्या पैदा हो गयी है कि किस प्रकार से उसका उपयोग करें। यदि काश्तकार गन्ने ले जाय तो कहां ले जाय। इसलिये उस गन्ने को उठाने की तुरन्त व्यवस्था हो। यदि उठाने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो किसान के पास भूखे मरने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है क्योंकि उनकी आर्थिक दशा बिगड़ रही है। प्रशासन की ओर से इस मामले में बड़ी ढिलाई हो रही है।

इसी प्रकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूंजीपतियों का प्रशासन में बहुत दखल है। पुराने समय से लेकर आज तक सेठों के द्वारा जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। कलक्टर से मिलकर मोनोपोली बनाली है। बूंदी के अन्दर लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स है। उसने 26 मील का एरिया ले रखा है। प्रशासन के अधिकारी सब मिले हुए हैं पूंजीपतियों से। काफी उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

मैं राजस्व मंत्रीजी का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि भू-राजस्व की समान दरें न होने से प्रशासन के अधिकारी पूंजीपतियों से मिल जाते हैं और पूंजीपतियों से मिलकर भूमि का लगान तय कर देते हैं, इसलिये समान दरें होनी चाहियें।

राजस्व अभियान के समय में जब मैं गांवों में गया था, अन्त्योदय की योजना भी चली तो मैंने पाया कि पटवारियों की ओर से भ्रष्टाचार किया गया है। किसानों ने बयान दिये हैं कि पटवारियों ने पैसा लिया है लेकिन किसी का कुछ नहीं किया गया। कोटा में भी अन्त्योदय का काम हुआ था, वहां पर भी यह मामला रखा गया था। इस प्रकार के केसेज यदि अधिकारियों के पास आते भी हैं तो ऊपर से नीचे तक मिले हुए होने के कारण कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पटवारी का नाम बतावें ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : देवकीनन्दन नाम है । 9 आदमियों ने 4000 व्यक्तियों के मध्य ग्राम बरूधण में बयान दिये हैं । मैंने स्वंयं ने कहा है लेकिन एक भी पटवारी को निलम्बित नहीं किया गया ।

अन्त्योदय योजना के अन्दर हर गांव में से 5 व्यक्तियों को लिया गया लेकिन आज तक उनको जमीन नहीं दी गयी है । उन जमीनों पर बड़े काश्तकार और पूंजीपतियों का अभी भी आधिपत्य है । उनसे जमीनों को खाली कराया जाय ।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । जब मैं बूंदी की ओर जाता हूं और बूंदी में रहता हूं तो महसूस होता है कि बूंदी जो एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता था वह आज उजड गया है । भूतपूर्व मंत्री और अधिकारियों की मिली हुई साठ-गांठ थी । जो भेड़ें मेरे क्षेत्र बूंदी में जाती हैं वे घास तो खाती ही हैं लेकिन छोटे छोटे पेड़ों को भी नष्ट कर देती हैं जिससे उनकी रखवाली नहीं हो सकती है और न ही उनकी बढ़ोतरी हो सकती है ।

जंगलों को साफ कराया जा रहा है । इसके संबंध में मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है कि जंगलों को साफ करवाने में वहां के अधिकारियों का पूरा-पूरा हाथ है । अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वह जंगलों की रक्षा करें लेकिन वही रक्षक भक्षक हो रहे हैं । जंगल सीमित हो गया है । मैंने कई बार निवेदन किया कि वनों को बढ़ाने के लिए जितनी भी सड़कें हैं उसके सहारे-सहारे पेड़ लगा दिये जायें.........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरे क्षेत्र में चम्बल नदी से पानी खेतों को दिया जाता है । उसके कारण सीपेज होता है । सड़कों के किनारे यदि इस प्रकार के पेड़ लगा दिये जायें तो वह पानी को भी सोखेंगे और सीपेज की समस्या भी हल होगी । इससे सड़कें भी बच जायेंगी और साथ ही वनों का भी विकास होगा ।

मेरा सुझाव है कि जहां जंगल हैं वहां पर डी.एफ.ओ. पर जिम्मेदारी डाल दी जाये कि अगर कोई भी जंगल साफ हुआ तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा । इससे जंगल की रक्षा हो सकती है ।

सूखी जो लकड़ियां हैं वह गांव वालों को नहीं मिलती हैं बल्कि बाहर के लोग आ करके सूखी लकड़ियां ले जाते हैं । इससे गांव वाले परेशान हैं । अगर गांव वालों को सूखी लकड़ी के परमिट दे दिये जायें तो गांव वालों को लकड़ी मिलेगी और वह अपना खाना बनाकर भी खा सकेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद लड्ढा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

करूंगा कि इनकी ओर ध्यान दें। सारे अधिकार जिले में कलक्टर में निहित होते हैं, चाहे विकास के काम हों, या और कोई व्यवस्था हो प्रत्येक कमेटी का चेयरमैन या तो उसका हैड होता है या कलक्टर होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि विकास के सारे काम कलक्टर से हटाकर जिला अधिकारियों के तहत रखे जायें, उसके तहत कमेटी बने और उसमें जन प्रतिनिधि की मुख्य भूमिका हो।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश में 80 प्रतिशत भाग गावों में रहता है। काश्तकार जमीन का मालिक है और उसके जीवन का आधार खेती है...

श्री मदनसिंह दांता : सरकार है मालिक। काश्तकार मालिक नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार का मालिक किसान है। मेरा मतलब यह है कि जो काश्तकार गांवों में रहते हैं वह खेती पर आश्रित हैं। खेती से वह अपना जीवन चलाते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि कलक्टर एम.एल.ए. के साथ विधान सभा क्षेत्र में जाये ताकि वहाँ की जो लोकल समस्या है, जो जमीन के झगड़े हैं, उनको एक साथ निपटाया जा सके। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस.डी.ओ. जो उस क्षेत्र में मुकदमे निपटाते हैं, वह विधान सभाई क्षेत्र में महीने में या दो महीने में एक बार अवश्य जायें और हाथों हाथ मामले निपटायें।

इसके साथ ही विकास के मामलों को लेकर विकास नहीं हो पाता है। उसमें हर प्रकार के रोड़े आते हैं। प्रत्येक जिला स्थान पर प्रशासनिक सुधार के लिए एक सलाहकार समिति हो जिसका कि अध्यक्ष जन प्रतिनिधि हो, और उसमें अधिकारियों को भी लिया जाये।

इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन के कामों में बहुत ढिलाई है। इसी कारण भ्रष्टाचार पनपता है। जिला प्रशासन के कामों के बारे में मैं स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस शासन में जितना समय लगता था, उतना समय आज नहीं लगता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिला परिषदों में जिस प्रकार की कार्यवाही होती है उसमें काम की सीमा निश्चित होनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, उनका लगान स्थगित कर दिया जाता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जहाँ अकाल हो और ओलावृष्टि हुई हो, वहाँ लगान स्थगित नहीं किया जाये बल्कि उसको माफ किया जाये ताकि काश्तकारों को राहत मिले।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि वन हमारी खेती का आधार हैं और खेती ही देश की खुशहाली का आधार है। काश्तकारों का जिस जमीन पर काफी समय से कब्जा था उसको वन विभाग ने ले लिया है। मेरी पंचायत समिति का मैं आपको एक उदाहरण

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उसी क्षेत्र के हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के सामने मेरे क्षेत्र का एक उदाहरण रखना चाहूंगा। लघु गूजर, निवासी सात्या, पंचायत किड़ीमान, पंचायत समिति मांडल का जमीन पर पिछले 15-16 साल से कब्जा है। मैं मौके पर गया हूं और कलक्टर साहब भी गये हैं और मौके को भी देखा है। उसके खिलाफ पिछले 15-6 साल से कार्यवाही चल रही है लेकिन सरकार ने उसको राहत नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि उस मामले को जो कि पंचायत समिति मांडल का है, निपटाया जाये। साथ ही जिन काश्तकारों का काफी लम्बे समय से जमीन पर कब्जा है, वन विभाग से बात करके उनके मामलों को निपटाया जाये, ताकि जनता राज में उनको राहत मिल सके।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माण्डल चौराहा, जो कि रेवेन्यू जमीन के अन्दर बसा हुआ है, मैं बीस-बीस साल से मकान बने हुए हैं। कांग्रेस शासन के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि हम इनको रेगुलेराइज कर देंगे, लेकिन नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मांडल चौराहे पर जिन लोगों ने 15-20 साल से मकान बना रखे हैं वे बरबाद हो रहे हैं इसलिये उनके मामलों को तुरन्त ही निपटाया जाये।...

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री एक ही है और तीन डिमाण्ड चल रही हैं। यह क्या हालत हो रही है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माण्डल के अन्दर काफी ऐसा क्षेत्र है कि जहां जंगलों का निर्माण किया जा सकता है। सरकारी जमीन पड़ी है उसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसी जमीन वन विभाग को दे देनी चाहिए जिससे कि वहां पर जंगल लगाये जा सकें। उसका सर्वे कराकर उस पर जंगल लगाये जाने चाहिएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व के मामलों में जनता को राहत मिले। आप भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं इसलिए वहां की मैं मुख्य समस्या बताऊंगा। माण्डल तहसील में राजाजी का करेड़ा गांव है, वहां पर नायब-तहसील कायम होनी चाहिए। करेड़ा पहले तहसील केन्द्र था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों को राजस्व के मामलों में राहत मिले इसलिये नायब-तहसील कायम हो। यही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा

जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण मांग डिस्कस की जा रही है और मंत्री परिषद में से केवल एक ही सदस्य बैठे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया था कि मंत्री परिषद के अधिक से अधिक सदस्य उपस्थित रहेंगे यहां केबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री नहीं है इसलिए हाउस इस बारे में चिन्ता व्यक्त करे।

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में आसन पहले भी चिन्ता व्यक्त कर चुका है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी इस संबंध में आसन की तरफ से मंत्रिमण्डल को सचेत कर दिया गया था। उसके बावजूद मन्त्रिमण्डल के सदस्य इस सदन को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। कार्यवाही में न रुचि रखते हैं और न सदस्यों की बातें सुनते हैं। आखिर डिमाण्ड का क्या जवाद देंगे? आप ताड़ना दीजिए।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं तो पेशाब करने गया था।

श्री उपाध्यक्ष : जब इस मांग पर चर्चा हो रही है तो कम से कम संबंधित मंत्री अवश्य उपस्थित हों। इसको एक एक्सेप्शन के ही रूप में लें, जनरल रुप में नहीं लें।

श्रीमती सुमित्रासिंह : अगर आवश्यक हो तो कम से कम एक बार में एक ही जायं ताकि दूसरा केबिनेट स्तर का मंत्री तो रहे। केवल ताड़ना से काम नहीं चलेगा। आप कई बार ताड़ना दे चुके हैं। इनका तो अब और ही इलाज करना होगा।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य जो बोल रहे थे, वह जब वन के बारे में बोलने लगे तो मैं बाहर चला गया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप वन विहार कर रहे थे।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिला प्रशासन, राजस्व और वन के संबंध में माँगें हैं। जहाँ तक जिला प्रशासन का सवाल है। हमारे प्रदेश के जितने जिले हैं उनसे हमारी तरक्की के मन्सूबे बन सकते हैं। यहाँ जो कुछ फैसले करते हैं उन पर अमल जिला कलक्टर के माध्यम से ही होता है। अगर हम तमाम योजनाओं को सही मायने में जनता को राहत पहुंचाने के लिये क्रियान्वित करना चाहते हैं और बढ़ती हुई आबादी के कारण लोगों को इण्डस्ट्री पर्पज के लिये, और पर्पजेज के लिये जो सुविधायें होती हैं उनको सुलझाना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिलाधीश मय अपने पूरे अमले के, जिसमें एस.डी.ओ. हो, तहसीलदार हो, जो 20 हजार की आबादी के कस्बे हैं वहाँ जायें और वहाँ जाकर के उनकी समस्याओं को सुलझायें। आप महीने में एक दिन मुकर्रर कर दीजिये, जिसकी पूर्व सूचना स्थानीय लोगों को हो, जन प्रतिनिधि हैं उनको भी सूचना हो। इस प्रकार से बढ़ती हुई आबादी की जो समस्यायें हैं वे तुरन्त दूर होंगी। अगर जिलाधीश निश्चित तारीख को मौके पर जायेगा तो जिन गरीब लोगों की एस. डी. एम. तक सुनवाई नहीं है, क्योंकि एस.डी.-एम. पर मालदार लोग हावी रहते हैं, इस कारण उनकी कलम फैसला देने में लड़खड़ाती है या वे गुमराह हो जाते हैं, उनकी बहुत-सी समस्यायों का समाधान उसी समय हो जायगा। हमारी सरकार सस्ता न्याय दिलाने की बात करती है तो इस प्रकार का सुझाव उसके लिये फायदेमन्द हो सकता है। इसलिये राजस्व मंत्रीजी से पुरजोर अपील है कि अगर वे उचित समझें तो एक महीने में एक दिन मुकर्रर कर दें। एक जिले में ज्यादा से ज्यादा 5 कस्बे ऐसे हो सकते हैं जिनकी आबादी 20 हजार से ज्यादा हो। हर कस्बे में चाहे विकास का काम हो, चाहे इण्डस्ट्री का हो, उनमें जितनी भी दिक्कतें आती हैं उनको सुलझाने में यह काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। हम जितने भी फैसले यहाँ पर लेते हैं उनका अमल जिलाधीश करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसी

(श्री अब्दुल अजीज)

व्यवस्था करें कि 20 हजार की आबादी वाले कस्बे में एक निश्चित तारीख को जिलाधीश जायें, वहाँ एस. डी. ओ. मौजूद हों ताकि वहाँ के लोगों की समस्यायें हल हो सकें। वहाँ के लोगों को पहले से मालूम हो कि जिलाधीश फलां तारीख को आयेंगे तो जिनको अपनी शिकायतें रखनी हों, जो कानून के शिकंजे में दब रहे हों, पिछड़ी जाति के लोग हैं, माइनोरिटीज के लोग हैं उनके साथ कोई ज्यादती हो तो वे जिला प्रशासन, कलक्टर को अपनी शिकायतें कर सकेंगे। इसलिये अगर मेरे सुझाव को सरकार मान लेती है तो मैं समझूंगा कि हम कई समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगे।

अब राजस्व के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पटवारियों की भर्ती में मैंने देखा कि 1400 पटवारी लिये गये, उनमें से माइनोरिटी के सिर्फ 4 पटवारी लिये गये, इसका क्या कारण है? क्या लोग पटवारी बनना नहीं चाहते या उनको मौका नहीं दिया जाता? आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माइनोरिटीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, उसका अनुपात नौकरियों में बनाये रखें ताकि लोगों में फ्रस्ट्रेशन न हो। चाहे छोटी से छोटी नौकरी हो, चाहे बड़ी से बड़ी, उन सब में जो माइनोरिटीज का हिसाब रखा है उसको कायम रखना चाहिये।

मेरे इलाके मकराना में इण्डस्ट्री लीज का लाखों रुपया जमा किया हुआ है। इण्डस्ट्रियल पर्पज के लिये उनको बिना कारण ही आज तक जमीन लीज पर क्यों नहीं दी जा रही है? आपके माध्यम से राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब आपने पैसा ले लिया तो तत्काल उनको जमीन लीज पर देनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जंगलात के सिलसिले में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। इतना जरूर चाहता हूं कि जो लाखों रुपया पंचायत समितियों के माध्यम से वृक्षों पर खर्च करते हैं, कौन जानता है कि वृक्ष उगते भी हैं या नहीं? वह पैसा कहाँ जाता है? जो कुछ भी हो जंगलात का पूरा संरक्षण हो। आज जंगल काटे जाते हैं उसके बारे में मेरा सुझाव है कि ठेकेदार और एजेन्सियाँ मेनूपुलेशन करके सरकारी माल को इधर-उधर ले जाते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिये। हमारे राष्ट्र की जो पूंजी वनों से मिलती है वह चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, उसकी चोरी बन्द होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री रघुनन्दन व्यास : मेरा आपसे निवेदन है एक ही दिन मैंने सारे कटौती प्रस्ताव दिये थे। दो लिस्टें मिली हैं अलग-अलग। एक लिस्ट में मेरा नाम अब्दुल अजीज के नीचे है और दूसरी लिस्ट में मेरा नाम बहुत नीचे चला गया। जो हो गया अच्छा हुआ उसके प्रति कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक समय सारे के सारे कटौती प्रस्ताव दिये जाते हैं तो इतना अन्तर कैसे हो जाता है? इसकी जाँच करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में आकर इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वे ही कोई आदेश देंगे। अभी जो क्रम है उसी क्रम से बुलवाऊंगा।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व के मामलों में सर्व प्रथम......

श्रीमती मदन कौर : कटौती प्रस्ताव के ऊपर 20-20 मिनट तक बहस होती रही तो इस स्थिति में बोलने का कई सदस्यों को मौका नहीं मिलेगा। अधिक से अधिक 10 मिनट ही बोलें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो सूची है उसको देखते हुए 5 मिनट का समय काफी होगा। मैं चाहूंगा और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि 5 मिनट से ज्यादा न लें।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल के संबंध में मेरा यह सुझाव है कि राजस्व मण्डल के सदस्यगण की नियुक्तियाँ राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस से हो। आर. एच. जे. एस. के लोगों में से लिये जायें क्योंकि इनको रेवेन्यू का तजुर्बा अधिक होता है। स्टेट गवर्नमेन्ट के बजाय हाई कोर्ट से राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज के जो सीनियर जजेज हैं उन लोगों में से राजस्व मण्डल का मेम्बर नियुक्त किया जाये। इसके अलावा जो आई. ए. एस. अधिकारी हैं उनके विभाग में काम अधिक होते हुए भी उनकी एक तरह से जो स्थिति है वह रिलेशन ऑफ आई. ए. एस. एण्ड गवर्नमेंट आफिसर की वजह से ठीक होती है। वह मामलों में सुनवाई करें या न करें परन्तु राज्य सरकार का किसी तरह का नियंत्रण नहीं होता।

इस तरह की चीजें होती हैं। वे विभिन्न विभागों में एक प्रशासक की हैसियत से जाते हैं। उनका टेस्ट होता है। वह जुडिशियस नहीं होता है। इसलिये इस डिपार्टमेन्ट में सुधार के लिए, इसके महत्व को बनाए रखने के लिए मेरा यह सुझाव है कि राजस्व मण्डल के अन्दर सारे हायर जुडिशियल सर्विस के सीनियर अधिकारी होने चाहिएं।

दूसरी बात, चूंकि पांच मिनट में स्थान ग्रहण करना है, इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि क्या कारण है कि एक तरफ तो जो भी सरकार आए, जो भी व्यक्ति और जो भी नेता हों वे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की, किसान की, मजदूर की, अल्पसंख्यकों की बात जरूर करेंगे, उनका नाम जरूर लेंगे? क्योंकि वोटों के लिहाज से ये महत्वपूर्ण अंग हैं। चुनाव जिताने के महत्वपूर्ण अंग हैं इसलिए उन्हें खुश करने के लिए उनका, उनके नाम का उपयोग अधिक से अधिक किया जाता है। इस प्रदेश में आप किसी जगह पर जायें आप देखेंगे कि आज जो एक आई. ए. एस. अधिकारी है, जिसको दो हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, एक आई. पी. एस. अधिकारी है, या एक आर. ए. एस. और आर. पी. एम. अफसर है, जुडिशियल सर्विस के बड़े-बड़े अधिकारी हैं या फिर बहुत बड़ा जवाहरात का धंधा करने वाले सेठ या बड़े बड़े सोने चाँदी के व्यापारी हैं, दुकानदार, कपड़े के व्यापारी, लखपति, करोड़पति सेठ और बड़े-बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनके पास ब्लैक मनी का बहुत बड़ा साधन है और जिनके पास इतनी ज्यादा तादाद में इन्कम का साधन है, उनके पास खेती की जमीन है। उनके पास जमीन होने का क्या औचित्य है? हमारे प्रदेश के अन्दर लाखों एकड़ जमीन उन लोगों के पास खातेदारी में है, जिनको कोई खेती की

(श्री मूलचन्द सामरिया)

काबलियत नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं दावे के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग उस जमीन को दबा कर खेती नहीं करते बल्कि जो ब्लैक की इन्कम होती है, बहुत बड़ी इन्कम होती है उस काले धन को जमीन के अन्दर दिखवाकर उसको वाइट करने की प्रक्रिया में उस जमीन का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के पास जमीन रखने का क्या औचित्य है? मैं पहले की सरकार के लिए तो यह समझता था कि वह अपनी गिरी हुई नीतियों से बंधी हुई थी लेकिन जब क्रांतिकारी परिवर्तन की बात आज की सरकार करती है, जब समग्र क्रांति की बात हमें कहते हैं तो क्या कारण है कि एक लेमैन के पास खातेदारी में उसकी जमीन नहीं है? जिस जमीन को रखने का अधिकार केवल किसान को है, उसके पास तो खातेदारी नहीं है लेकिन खातेदारी है उन बड़े-बड़े अधिकारियों और सेठों के पास। उस जमीन को वे डवलप नहीं करते, उस जमीन का वे विकास नहीं करते। उनका जमीन से कोई लेना-देना नहीं है बल्कि अपने ब्लैकमनी को छुपाने के पर्पज से, मकानों को ठीक करने के लिए, मुनाफे को कम करके दिखाने के लिए जमीन लेते हैं। ऐसे अधिकारी और ऐसे सेठ लोग, जिनके पास जमीन के अलावा और बहुत अधिक तादाद में आमदनी के साधन हैं, जिनसे उनको बहुत बड़ी तादाद में आमदनी होती है, के पास जमीन है। लेकिन जिन लोगों का मुख्य धन्धा खेती है, जिनके पास एक बीघा, दो बीघा खेत है या जिनके पास कतई नहीं है, ऐसे लोगों को ये जमीन क्यों नहीं दी जाती हैं? जब किसानों के हितों की बात होती है, जब कोई रिलीफ की घोषणा की जाती है तो सर्व प्रथम रिलीफ इन लोगों को, इन सेठों को मिलता है और जिनके पास एक-दो बीघा जमीन है उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। रिलीफ मिलता है इन सेठों को जिनके पास दूसरा धन्धा है, ब्लैक मनी को दबाने के लिए। मैं तो कहता हूं कि जब वेरो आयोग राजनीतिज्ञों के खिलाफ जांच करे तो इन सेठों के खिलाफ जांच क्यों नहीं करे? जो लखपति-करोड़पति हैं, जिनके पास खातेदारी में जमीन है उसकी जांच क्यों नहीं करे? आज एक आई. ए. एस. अफसर का लड़का आई. ए. एस. अफसर बनता है, आर. ए. एस. अफसर का लड़का आर. ए. एस. बनता है और जो लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं, उनके लड़के भी ऊंचे पदों पर लगते हैं, उनको जरूरत क्या है जमीन को।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

लेकिन राज्य सरकार इसके लिए कानून बनाने को तैयार नहीं है कि इन लोगों से जमीन लेकर वास्तव में जो खेती से अपनी जीविका चलाते हैं, खेती करके ही अपना काम चलाते हैं, उनको जमीन दी जाय। लैंड टू दी टिलर के सिद्धांत को कार्य रूप में परिणित करने को तैयार नहीं हैं। इसके बिना चाहे हम कितने ही नारे दें, काश्तकारों का भला नहीं हो सकता। जो गांव के अशिक्षित लोग हैं उनका ये शिक्षित लोग फायदा उठाते हैं। जो सबसे मालदार हो गए हैं, जिनके पास इन्कम के दूसरे साधन हैं वे किसान की छाती पर बैठ कर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा दबाए रहेंगे और किसानों को दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसे मामलों में मैं समझता हूं कि सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो अस्सी प्रतिशत लोग हैं उनके बारे में अवश्य सोचना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पांच मिनट। दो-तीन मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर इसी तरह से सभी माननीय सदस्य दो-तीन मिनट लेते रहेंगे तो फिर तो यह सम्भव नहीं होगा। जो समय की सीमा बांधना चाहते हैं वह नहीं बांध सकेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : दरअसल मैं हरिजन हूं, मैं पीड़ित व्यक्ति हूं इसलिए समय चाहता हूं। इस डिपार्टमेन्ट का सेठों से क्या ताल्लुक है ?

(व्यवधान)

श्री ओंकारलाल चौहान : अगर ये पीड़ित हैं तो इनकी सहायता करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करें, सामरियाजी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ये वोट देंगे सेठों को और बात करेंगे हरिजनों की।

श्री मदनसिंह दांता : ये निश्चित रूप से मोरारका को ही वोट देंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : चरागाह के बारे में एक निवेदन करूंगा कि जो लोग रिपीटेडली चरागाहों पर कब्जा कर रहे हैं ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। इसके लिए कानून है लेकिन कितने बड़े लोगों को सजा करवाई अब तक ? वे चरागाहों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके ऊपर अधिकार कर लेते हैं लेकिन क्या उनको सजा दी जाती है।

इसके अलावा जो जिला प्रशासन है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह बहुत पुराने समय से मांग चली आ रही है कि जिलों का पुनर्गठन किया जाय। जिलों में इतनी असमानता है कि कहीं एक जिले में तीन तहसीलें हैं तो कहीं 13 तहसीलों का जिला है। कहीं पर एक जिले से 9-19 एम. एल. ए. आते हैं और किसी से सिर्फ तीन एम. एल. एज. ही आते हैं। ऐसे जिलों का पुनर्गठन करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। भूतपूर्व राजस्व मंत्री महोदय ने और वित्त मंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी उससे जनता को उम्मीद हुई थी कि जिलों का पुनर्गठन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की कि इस पर विचार नहीं कर रहे हैं तो यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब जनता चाहती है कि जिलों का पुनर्गठन होना चाहिए, तो करना चाहिए। अगर यह करते हैं तो इसका श्रेय शेखावत साहब को जाएगा तो मुझे खुशी होगी। वे हमारी पार्टी के नेता हैं। अगर वे इस काम को करते हैं तो हम सब को खुशी होगी, वे बधाई के पात्र होंगे।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि जहां पर एस. डी. एम. की कोर्ट्स नहीं हैं और जहां पर ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं वहां पर एस. डी. एम. की कोर्ट होनी चाहिए। दौसा में एस. डी. एम. की कोर्ट के लिए मांग की जा रही है, क्योंकि........

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह नदेरा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से किसान ने कल्याणकारी राज्य की कामना की थी और रात दिन जनता पार्टी के लोगों के लिए अपनी जेब से पैसे निकाले और जिस लगन से जिस टीस और जिस दर्द को दूर

Page No 125

(125)

(श्री रामकरण सिंह)

करने के लिए इन लोगों को यहां बिठाया था उसके लिए माननीय सदस्यों को भी टीस होगी। होनी भी चाहिए। माननीय मंत्रीजी या माननीय सदस्य जितने इधर बैठे हैं उनमें एक-दो के अलावा सब को टीस है और रहनी चाहिए। मगर जैसे-जैसे दिन निकलते जायें, आदत कहीं बदल न जाय आपकी। यह पंखों की हवा, यह कुर्सी का लालच और अधिकारियों का थोड़ा प्यार आपको बदल न दे, अगर आपने अपने मन की टीस और एम. पीज. के चुनाव के समय जो भावना थी, उसको आज नजरन्दाज कर दिया तो जनता और किसान भी आपको नजरन्दाज कर देगा, यह मान कर चलिए। मैं मानता हूं कि किसान की वजह से क्रांति आती है और किसान की वजह से ही एक नया परिवर्तन होता है, बाकी कोई चीज नहीं है। किसान नीचे से लेकर ऊपर तक है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं, चाहे पहाड़ हों, चाहे नदी के पाट हों, जहां किसान न मिलें। 'जहां जाय न रवि तहां रहे किसान' जहां किसी भी तरह से रोशनी नहीं पहुंचे वहां पर किसान रहता है। मैं कहता हूं कि किसान की टीस को दूर करने के लिए आपने किसी प्रकार के कदम नहीं उठाए हैं। माननीय राजस्व मंत्रीजो, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चन्द बातें आप किसानों के लिए सोचिये। किसान को सस्ता न्याय दिलायें, किसान की गोचर भूमि को बचाइये। आपका पटवारी रखवाली नहीं करता, तहसीलदार रखवाली नहीं करता और जब किसान कहता है कि गांव की गोचर भूमि जा रही है तो जो आपका रखवाला है उसकी आंखें बंद रहती हैं। इसका नतीजा यह है कि आप गोचर भूमि की रखवाली नहीं कर सकते। किसान के कुए की आप रखवाली नहीं कर सकते, किसान की जान और माल की रक्षा नहीं कर सकते। जिस किसान ने एम. पी. के इलेक्शन में आपको दिल्ली में बैठने का मौका दिया और जिसकी वजह से असेम्बलीज को पहले भंग करके आपने चुनाव कराये उसे आज आप भूल गए। आप उसको याद रखिये। आज भी उसको वही ट्रीटमेंट मिल रहा है जैसा कि स्टेट के टाइम में और राजाओं के टाइम में मिलता था। कहां उनके चरागाह हैं जहां पशु चर सकें? इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज न तो किसान को न्याय सस्ता मिलता है और न किसान को किसी प्रकार से लोन जल्दी मिल पाता है। लोन के लिए आपका तहसीलदार यह कहता है कि जयपुर जाओ। कोटपूतली यहां से सौ किलोमीटर दूर है, फिर भी किसान यहां आता है। यहां आने पर उसको दिक्कत यह होती है कि वह तस्दीक नहीं करा पाता है। वह किस की तलाश करे? इस तरह किसान को लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि वह तस्दीक नहीं करा सकता है। तहसीलदार, एस. डी. ओ. तस्दीक नहीं करते हैं। जिला अधिकारी भी मजबूर है। सैटलमेन्ट का रिकार्ड पूरा नहीं है। इस तरह से किसान को परेशान करते हैं। उसकी यह मजबूरी है। किसान ने रात दिन काम कर के आपको इस गद्दी पर बिठाया है और आज आप किसान को भूल गये हैं।

आज जो देहातों के क्षेत्र हैं, वन मंत्रीजी, आप वहां पर उप-वन लगाएं ताकि वहां पर आकर्षण हो। जैसे शहरों में बाग-बगीचे लगाते हैं, बड़े आबादी वाले नगरों में पार्क लगाने की तजवीज की जाती है जिससे विदेशों में माहौल बनता है, उसी तरह से गांवों के जीवन को भी आप उभारें, उनके मन में भी लालसा है, आशाएं हैं।

(श्री रामकरण सिंह)

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शहरों में भूमि अवाप्त की गई। कांग्रेस शासन के दौरान भूमि अवाप्त की गई। एक सड़क के किनारे दस रुपया कन्वर्शन चार्जेज हैं और दूसरी तरफ 30 रुपया है। यह अन्तर क्यों है? क्योंकि इधर का क्षेत्र तो किसान का है और उधर बड़े सरमायेदार और आपका खुद का क्षेत्र है। यह जो भेदभाव हो रहा है, उसको आपको मिटाना होगा। आप कहते हैं यह कोई मसला नहीं है। आपकी आंखें बंद हो गई हैं। यह मसला कैसे नहीं है? मसला है। एक तरफ कन्वर्शन चार्ज दस रुपया है और दूसरी तरफ तीस रुपया है। एक ही सड़क के दो किनारे कीमत अलग, अलग क्यों हैं? आपके अधिकारी जो आपको बता रहे हैं, वही आप कह रहे हैं। आप अपने अधिकारी महोदय का दिमाग बदलें। यह जो सिस्टम है, नीति है, उसको बदलें। उनके जो व्यवहार और काम करने के तरीके हैं, उनको आप बदलें। हमें आपसे हमदर्दी है। विकास के लिये किसान लालायित है। उसके दिल में टीस है।

वन मंत्री महोदय, आपके विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार भी अपने ढंग का है। जितने भी ठेके मंजूर होंगे वे दिन को नहीं होंगे, तो रात को मन्जूर हो जाएंगे। आपकी यह स्कीम बनेगी, इतने पेड़ लगाने हैं। पेड़ों की रक्षा करने के लिये आपके पास क्या दवाई है? आपके अधिकारियों में नैतिक बल होना चाहिए। उनमें नैतिकता आनी चाहिए वरना यह जवाब देंगे, आप यह बताएंगे कि बीज उगा नहीं, कीड़ा लग गया। परन्तु वहां पर तो पेड़ है ही नहीं। यह कीड़ा तो भ्रष्ट अधिकारी है, मैं यह नहीं कहता कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। परन्तु कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो दूसरों को भी बदनाम करते हैं। आपने जवाब दिया रेवेन्यू कोर्ट के लिए, आपने कहा कोई मामला नहीं है। आप देखेंगे कितने केसेज पेन्शन के वहां पर पड़े हैं। जो अधिकारी हमारे रिटायर होते हैं उनके पेन्शन केसेज नहीं बनते हैं। राजस्व मंडल के लोग कहते हैं आप कानसिंह नामक जो व्यक्ति है, उसके पास जाइये, उससे मिल लीजिए। यह कानसिंह नाम का व्यक्ति रेवेन्यू बोर्ड में कई वर्षों से बैठा हुआ है। वहां जितने भी कर्मचारी, अधिकारी जाते हैं, उनसे कहते हैं कि इतने रुपये लूंगा, यह केस आपका निपटा दूंगा, मैं यह सिद्ध कर सकता हूं। आप राजस्व मंडल में कानसिंह से मिल लीजिए। मैं नहीं समझता, यह कानसिंह राजस्थान या हिन्दुस्तान का खुदा है। कानसिंह क्या करता है, यह यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ भेष बदल कर चलिए। आपके मुंह पर कहलवा दूंगा, इतना लेगा। ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, उनको आप देखिए ताकि लोगों को सुविधा हो।

एक बात और कहना चाहता हूं। जयपुर जिला राजस्थान का आठवां हिस्सा है। 19 एम. एल. ए. इस जिले से आते हैं। इतनी बड़ी संख्या है। जयपुर जिले की जनसंख्या के अनुसार चार जिले होने चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं राजस्व मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही सदन के माननीय सदस्यों को भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ एक लाख पर एक जिला है और दूसरी तरफ 20-25 लाख पर एक जिला है। किसी ने गलती की है तो उसको आप भी मत दोहराइये। कलक्टर महोदय, एस. पी.

(श्री रामकरण सिंह)

महोदय इतनी बड़ी ग्राबादी वाले नगर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिर ग्रापकी खातिर तवोजोह में वे सुबह से हाजरी देने में लग जाते हैं तब वे क्या बाहर जाकर किसानों को सम्भालेंगे? हम लोग जो देहातों में रहते हैं, हम कलक्टर ग्रौर एस. पी. साहब को खुदा समझते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को देखते हुए दौसा डिजर्व करता है जिले के लिए। कोटपूतली यहां से 100 किलोमीटर दूर है, वह डिजर्व करता है जिले के लिए। इधर ग्राप जयपुर को ग्रलग से रख लीजिए। ग्राप ग्रच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, किसानों को संभालना चाहते हैं, उनको सुलभ न्याय देना चाहते हैं तो ग्रधिक जिले बनाये जायें। इससे ग्रापको कोई हानि नहीं होगी। इससे ग्रच्छा इन्तजाम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि ग्राप इस पर ध्यान दीजिए। किसानों ने रात दिन एक करके ग्रापको जिताया है। किसानों की वजह से यह परिवर्तन हुग्रा है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसानों की ग्राप नहीं सुनेंगे तो फिर परिवर्तन ग्रा जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले ग्रापके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि राजस्व न्याय जल्दी होना चाहिए। कुछ वर्ष पहले भंडारी ग्रायोग की स्थापना हुई थी। भंडारी ग्रायोग ने समस्त मुद्दों पर जाकर ग्रपनी सिफारिश की थी कि राजस्व न्यायालय न्याय प्रशासन के नीचे रहेगा तो वास्तव में लोगों को न्याय मिल सकेगा। स्थिति यह है, राजस्व न्याय ग्राज ऐसे ग्रधिकारियों के हाथ में है, जिनके पास समय नहीं है। दूसरे जिले के कक्लटर के पास इतना काम है कि वह इन केसेज को पूरा नहीं कर पाता है। लोग दूर दूर से ग्राते हैं। एस. डी. ग्रो. मीटिंग में चले जाते हैं। उनकी पेशी नहीं होती है। बार बार उनको चक्कर लगाना पड़ता है। न्याय मिलता नहीं है। श्रीमान्, बीस हजार रुपये के ऊपर के मुकदमों में, दीवानी मामलों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है। लाखों रुपये के खेत हैं। किसान की जिन्दगी का सवाल है। ग्राप इसको एक छोटे से एस. डी. एम. के भरोसे छोड़ देते हैं। चाहे कितने ही रुपयों का मामला हो, एस. डी. एम. के भरोसे छोड़ देते हैं। बड़े मामले उच्च ग्रधिकारियों के पास जाने चाहिएं। श्रीमान्, कलक्टर फैसला करता है, जो ग्राई. ए. एस. होता है उसकी ग्रपील होती है रेवेन्यू ग्रपीलेट ग्राथोरिटी में जो ग्राई. ए. एस. नहीं होता है। वह केवल ग्रार. ए. एस. होता है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि कलक्टर की ग्रपील ग्रार. ए. एस. के पास जाती है। ग्राई. ए. एस. की ग्रपील ग्रार. ए. एस. सुने, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह विडम्बना मिट सकती है।

राजस्व मंडल के सदस्य एक बजे उठ जाते हैं। एक बजे के बाद कोई कभी बैठता नहीं है। यह क्यों होता है? वहां इस प्रकार के लोग नहीं हैं जो न्याय में समझते हों, न्याय के महत्व को समझते हों। इसलिए न्याय प्रशासन हाई कोर्ट के नीचे काम करेगा तो इस प्रकार की शिकायत नहीं ग्राएगी कि एक बजे लोग उठ गये। राजस्व मण्डल में न्यायपालिका के लोगों को लिया जाना चाहिए। जुडिशियरी सर्विसेज के लोगों को लिया जाना चाहिए।

(श्री बिरदमल सिंघवी)
यह तभी हो सकता है जब कि भण्डारी समिति की सिफारिशों को मान लें। लेकिन उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि भण्डारी समिति की सिफारिशों को माना जाये। जब तक यह तय नहीं हो जाता है तब तक राजस्व मण्डल में एडवोकेट्स को लगाया जाये। हाई कोर्ट के जज का एडवोकेट्स में से चयन किया जाता है। राजस्व मण्डल से श्री कुदाल हाई कोर्ट में ले लिये गये हैं। एडवोकेट्स को लेंगे तो उनको टैक्सेशन वगैरह का ज्ञान होगा। राजस्व मण्डल में आधे सदस्य एडवोकेट्स होने चाहिएं। टिनेंसी एक्ट में भिन्न-भिन्न प्रकार के रूल्स आ चुके हैं। इतने अमेण्डमेण्ट निकल चुके हैं। एक अच्छे वकील को भी नहीं मालूम होता है कि लास्ट में क्या चेंज हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि एक कन्सोलिडेटेड रेवेन्यू लॉ, एक रेवेन्यू कोड बनाना चाहिए। मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय इसकी घोषणा करेंगे।

वन विभाग के बारे में निवेदन करूंगा कि चरागाह की भूमि को लोग तीन वर्ष के लिए एलॉट करवा लेते हैं। एक सालावास गांव जोधपुर में है। वहां के चारागाह को जमीन तीन वर्ष के लिये ली गई है लेकिन वन विभाग उसको छोड़ नहीं रहा है उससे लोगों को बहुत तकलीफ है। इसी तरह से अनेक गांव हैं। बेड़ा पाली जिले का एक गांव है। इसी प्रकार से जोधपुर जिले में भी अनेक गांव हैं।

मैं जिला प्रशासन के बारे में निवेदन करूंगा कि जिला प्रशासन को टोनअप किया जाये। जनता यह हिम्मत नहीं करती है कि वह जिला प्रशासन में जाये। कोई जाता है तो जिला प्रशासन वाले ऐसा समझते हैं जैसे हमारा दुश्मन है। तो इस बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि जो चपरासी हैं, उनसे बेगार ली जाती है। इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया था, उसके बारे में क्या कार्यवाही हुई है, उसके बारे में पता नहीं है। यह स्पष्ट है कि बेगार अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि अफसरों के साथ जो चपरासी जाता है, उसको टी. ए., डी. ए. मिलता है। दूसरे उनको सम्मन तामील करने को दिया जाता है, जिन चपरासियों को सजा देनी होती है, उनको तामील में डाल दिया जाता है। हमारी तहसील में 125 चपरासी हैं। लेकिन तामील में थोड़े से चपरासी जाते हैं। मैं यह तो नहीं चाहता हूं कि तहसीलदार के पास चपरासी न लगायें। उनके निजी काम के लिए अलग से व्यवस्था कर दें। तामील कुनिन्दा अलग रहें। आज हालत क्या है कि तामील वक्त पर हो नहीं पाती है। जनता को परेशानी होती है।

भू-राजस्व की पटवारियों द्वारा समय पर नकल नहीं दी जाती है। डबल फीस को भी कोई अहमियत नहीं है। भले ही आप उस डबल को और डबल कर दें फिर भी नकल नहीं दी जायगी। राजस्व अभियान के अन्दर भी जो फैसले हुए हैं, उनकी नकल भी आज तक नहीं मिली है। राजस्व अभियान में जो फैसले हुए वह रिकार्ड पर नहीं हैं। इसी तरह से पहले भी एक बार कांग्रेस के समय में राजस्व के मामले निपटाने का काम हुआ था। अगर

(श्री अजीतसिंह)

रिकार्ड पर फैसला नहीं हुआ तो दिक्कत पड़ेगी । इसीलिए जो अभियान चला है उसमें किये गये फैसलों का रिकार्ड में होना जरूरी है ताकि उसे अपने पास रखने के लिये उसकी नकल ले सके । पहले पटवारी की फोस जमा कराने पर नकल प्राप्त हो जाती थी, अब एस. डी. ओ. कोर्ट में जाकर नकल लेनी होती है । किसी की प्रापर्टी क्या है, उसको नापकर जो नकल दी जाती है उसमें असुविधा हो रही है । इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे झगड़े नहीं हों ।

इसके साथ-साथ राजस्व अभियान के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह कुछ दिन चलने वाला प्रोग्राम ही नहीं है । जो राजस्व के झगड़े हैं उनको निपटाने के लिये मैं चाहूंगा कि पटवारियों को हैडक्वार्टर छुड़ाने का ध्यान दें । आप पटवारियों, गिरदावरों, नायब-तहसीलदारों को गांवों में 15-15 पंचायतों का ग्रुप बनाकर, हैडक्वार्टर बनाकर लगा सकते हैं । आप गांवों को सुलभ न्याय दिलाना चाहते हैं तो नायब-तहसीलदार को गांव-गांव में बिठा दीजिए । इससे एडमिनिस्ट्रेशन में स्वच्छता आ जाएगी । बीच में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्वच्छ हुआ था लेकिन वह वापस खराब हो गया है । इसलिए गांवों के ग्रुप बनाकर नायब-तहसीलदार को लगा दें । इससे राजस्व के मामलों में घर बैठे न्याय देने की समस्या हल हो जाएगी ।

कांग्रेस सरकार ने राजस्व पटवारी, लैंड रिकार्ड पटवारी और लगान वसूल करने वाले पटवारी अलग-अलग रखे हैं । क्या यह सरकार उसी नीति पर चलेगी ? लैंड रिकार्ड के पटवारी अलग रखने चाहिए। लगान वसूल करने वाले अलग रखने चाहिएं । लैंड रिकार्ड में ठीक तरह से काम नहीं हो ता है । कहीं चुनाव में लगा रखे हैं तो कहीं और कोई काम में लगा रखे हैं । मेरा निवेदन है कि लैंड रिकार्ड पटवारी और वसूली वाले पटवारी अलग-अलग रखें ।

सैटलमेन्ट के फैसले की व्यवस्था भी जिला स्तर पर होनी चाहिए ताकि नक्शों में तरमीम हो सके, रिकार्ड में सही इन्द्राज हो सके । अगर राजस्व अभियान के अन्तर्गत किसी का रिकार्ड सही नहीं हो पाया तो उसको असुविधा होगी । मनमाने ढंग से उस पर फैसले कर दिये जाते हैं ।

जो सुझाव मैंने रखे है, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे उनका जवाब देने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेश कुमार ।

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिरंगियों ने साम्राज्य-वादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये जो प्रशासनिक ढांचा बनाया वही ढांचा अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चला आ रहा है । इसी कारण से देश के अन्दर विकास की गति धीमी है, विकास की गति कम है ।

श्रीमान्, हमारा देश एक विकासशील देश है । विकासशील देशों की आकांक्षाएं दूसरे किस्म की होती हैं इसलिये जो मौजूदा ढांचा है उसमें परिवर्तन किये बगैर देश की उन्नति नहीं हो सकती, देश का उत्थान नहीं हो सकता । इस विषय में मुझे निवेदन करना है, यह लगता मुश्किल है, बहुत-सी सरकारों ने प्रयत्न किये भी होंगे इसका शिकंजा ढीला करने के लिए, लेकिन देश की प्रभावशाली ट्रेड यूनियन आई. ए. एस.

(श्री सुरेशकुमार)
गुट का शिकंजा इतना मजबूत है कि किसी भी सरकार के लिए प्रशासनिक सुधार करना इसके शिकंजे को ढीले किये बिना संभव नहीं है । मन्त्रिमण्डल पूर्ण प्रभाव और दृढ़ता के साथ जब तक प्रशासन में सुधार की बात नहीं सोचेगा तब तक यह संभव नहीं है ।

जिले में पहले तो सबसे बड़ा हाकिम जिलाधीश है, मैं तो जिलाधीश नाम को भी लोकतान्त्रिक पद्धति के विरुद्ध मानता हूं । मैं समझता हूं कि इसका नाम परिवर्तन किया जाना चाहिए । जिलाधीश पीर, बावर्ची भिश्ती, खर बना हुआ है । वह सब बातों का ज्ञाता है, सब बातों का जानकार है । सारे के सारे निर्वाचित सदस्य उसके नीचे हैं । सतर्कता समिति में उसकी अध्यक्षता, फलानी समिति में उसकी अध्यक्षता, यह लोकतन्त्र का ढांचा बना हुआ है । श्रीमन्, उनके पास इतना काम है, इतना मानसिक दबाव है कि न तो वे राज का काम ठीक प्रकार से कर सकते हैं और न घर का काम ही ठीक प्रकार से कर सकते हैं ।

श्रीमन् मैं एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो आडिटर जनरल ऑफ इण्डिया की रिपोर्ट है । फालतू काम की अधिकता के कारण जिस पर अमल नहीं हुआ । इसमें लिखा है कि कन्वर्शन के मामलों में गफलत हुई है । जो कन्वर्शन की रकम वसूल होनी थी वह नहीं हुई, सिर्फ एक ही रिपोर्ट में 778 लाख रुपये बकाया बताये हैं । श्रीमन्, इसी तरह से मैंने कई केसेज पर स्लिप लगा रखी है उनको पढ़ कर मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता । माननीय मन्त्री महोदय खुद ही इसको देखेंगे तो पता चल जायगा । वित्त मन्त्रीजी जो कहते हैं कि घाटे को कैसे पूरा किया जाय ? यह पूरी रिपोर्ट ही काफी घाटा पूरा कर देगी, इसके लिये मैं निवेदन कर रहा हूं. यह एक रिपोर्ट है जिला प्रशासकों की अकर्मण्यता के नमूने की । इस तरह से कई रिपोर्टें मिल जायंगी । मैं तो श्रीमन्, एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों के ऊपर काम का दबाव बहुत है । मानसिक तनाव को दूर करने के लिये इनका काम हल्का करें । इनको सुविधायें देनी चाहिएं । आपको ताज्जुब होगा, कोटा का जिलाधीश, 32–33 साल का नवयुवक है, बड़ा ही उत्साही है लेकिन 225 रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) से बीमार पड़ा हुआ है । श्रीमन्, यह हालत है ।

मैं अपने तीन सुझाव पेश कर लूं, इसके बाद आप घंटी बजा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : तीनों सुझाव आप संक्षेप में कह दीजिये ।

श्री बाऊदयाल जोशी : कोटा में कलेक्टर जिस प्रकार का कार्य कर रहा है, वह एकदम सराहनीय है ।

श्री सुरेशकुमार : तो, श्रीमन्, मैं अपने तीन सुझाव सदन के सामने पेश करना चाहता हूं एक तो यह है कि जिलाधीश का पद समाप्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर राजस्व और न्याय व्यवस्था के लिए एक जिला प्रशासक के नाम से अधिकारी रखा जाय । उसका केवल यही काम हो कि वह राजस्व और न्याय व्यवस्था का काम देखें । जैसे अन्य सेवाएं हैं, आई. ए. एस., आर. ए. एस., मेडिकल और इन्जीनियरिंग सेवाएं हैं, उसी तरह से

(श्री सुरेशकुमार)

डवलपमेन्ट सर्विसेज अलग से स्थापित की जानी चाहिए। उस सेवा का कार्य यह हो कि वे विकास की नीति निर्धारित करें और योजनाओं को क्रियान्वित करें। ये दोनों विकास प्रशासक और जिला प्रशासक, जिले के निर्वाचित विधान सभा के सदस्य और लोक सभा के सदस्यों की जो समिति है, उसके सचिव का काम करें। इस तरीके से इनके ऊपर मानसिक तनाव कम होगा और लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास होगा।

श्रीमन्, प्रशासन में दक्षता लाने के लिये मेरा यह सुझाव है कि जिस तरीके से आई. ए. एस. कैडर के लिए सुपरटाइम स्केल का प्रावधान है वैसा ही आर. ए. एस. के लिए भी सुपरटाइम स्केल का प्रावधान रखा जाना चाहिए। आर. ए. एस. सेवाओं का व्यक्ति भी पदोन्नति की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा जिला प्रशासक बने और विकास प्रशासक बने, सचिव बने, आयुक्त बने और विभागाध्यक्ष बने ताकि उनके अनुभव का जनता को लाभ मिल सके, उनको भी मौका दिया जाय। यह एक रहम की बात है कि एक आर. ए. एस. व्यक्ति को, जो 52 साल का है, सलेक्शन लिस्ट में मौका न मिले उसका नम्बर नहीं आवे 52 साल में उसकी भी तमन्ना होती है कि मैं भी उच्च पद को प्राप्त करूं लेकिन होता क्या है कि वह महरूम रह जाता है और जिस नौजवान लड़के पर आई. ए. एस. का ठप्पा लगा हुआ है जो पारिवारिक प्रभाव से या राजनीतिक प्रभाव से किसी भी प्रकार से आ गया है वह चार पांच साल में ही उच्च पद पर आ जाता है।

दूसरा परिवर्तन मैंने यह बताया। आखिरी सुझाव मेरा यह है जिसे मैं मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा, मन्त्रिमण्डल से····

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय पधार रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय पधार सकते हैं, थोड़ी देर के लिए।

श्री सुरेशकुमार : मन्त्रीजी के बैठ रहने में मेरी दिलचस्पी इसलिए है कि वे समाजवादी विचारधारा के हैं।

श्रीमन्, अन्तिम सुझाव मेरा यह है, संसदीय प्रणाली में अगर मन्त्रिमण्डल अपने प्रभाव को काम में न लावे और जो परमानेन्ट सेक्रेटेरिएट है उसके कब्जे में फंस जाय तो लोकतान्त्रिक पद्धति ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। मन्त्रिमण्डल अपने विचार के लिये ऐसी व्यवस्था करे, तथा कान्स्टीट्यूशन में प्रावधान न हो तो उसको बदलने के प्रयास भी करना चाहिए। साथ ही साथ जो विशेषज्ञ अपने प्रदेश में हैं उनको छांट-छांटकर नीति निर्धारक और सलाहकार के रूप में अपने सेक्रेटेरिएट में लाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

परमानेन्ट जो सेक्रेटेरिएट है उसको नीति निर्धारण के अन्दर हस्तक्षेप का अधिकार न हो और सिर्फ मन्त्रिमण्डल के हुक्म की तामील करे चाहे नीति निर्धारक सरकार के चले जाने के बाद चले जायें। एक रेजिमेन्टेशन हो गया है, परमानेन्ट सेक्रेटेरियट जो है उसके विचारों में। कांग्रेस की सरकार थी जब तीस साल तक उसके साथ कार्य करते-करते उनका रेजिमेन्टेशन हो गया है। अब जनता सरकार आई तो आसानी से वह अपने आपको

(श्री सुरेशकुमार)

नई सरकार की नीतियों के अनुरूप ढाल नहीं पाते, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्रिमण्डल ने अपने विशेष सलाहकार नीति-निर्धारण का सेल बनाये, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी यहां। जो कल तक बजट अधिकारी था, जो आंकड़े बैठाता था, वह नीति निर्धारण सेल का कर्ताधर्ता बनाया गया है। मैं उसकी योग्यता पर शक नहीं करता, हिसाब किताब में वह काबिल है, मुझे उसकी व्यक्तिगत जानकारी है लेकिन, श्रीमान् . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेशकुमार : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह।

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : उपाध्यक्षजी, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा, घंटी कृपया जल्दी न बजायें।

सबसे पहले मैं प्रशासन संबंधित मांग पर बोलूंगा। जनता पार्टी शासनारूढ़ हुई, जिसने एक घोषणा-पत्र चुनाव लड़ते समय जारी किया जिसमें कुछ और नीतियों के अलावा विकेन्द्रीकरण की नीति की घोषणा भी की। अगर हम शासनारूढ़ हुए तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे। बाहर हमने लोगों के सामने यह बात कही लेकिन वास्तव में यह बात पहले कांग्रेस वाले भी कहते आए हैं। गांव में जो कहकर आते थे वह यहां आकर भूल जाते थे, वैसी ही प्रवृत्ति अब हमारी भी हो गई, हम भूल गए। काम का हम सेंट्रलाइजेशन करें और बातें डीसेंट्रलाइजेशन की करें। मैं गंगानगर जिले की बात करूंगा। उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। उसकी बहुत लंबी सीमा पाकिस्तान की सीमा से जुड़ी हुई है। उसमें 5 सब-डिवीजन्स हैं। सब-डिविजन रायसिंहनगर में दो तहसीलें हैं - अनूपगढ़ और रायसिंहनगर। करणपुर सब-डिविजन में करणपुर और पदमपुर। गंगानगर में केवल एक तहसील है गंगानगर। नोहर सब-डिविजन में केवल दो तहसीलें है नोहर व भादरा। हनुमानगढ़ सब-डिविजन में गंगानगर जिले का पूरा आधा भाग है उसमें 5 तहसीलें है टीबी, संगरिया, सादुलशहर, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़। सूरतगढ़ हनुमान गढ़ सब-डिविजन का आधा हिस्सा है। हनुमानगढ़ में एक सब-डिविजन नोहर रहता है, उसमें दो सहायक जिलाधीश नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा पहले एक अतिरिक्त जिलाधीश था, एक अभी और भेज दिया। इस तरह दो अतिरिक्त जिलाधीश, दो सहायक जिलाधीश, एक जिलाधीश है और काम कितना है? काश्तकार अपनी तकलीफ को रफा करने के लिए हनुमानगढ़ आएगा, उसको सुविधा हासिल करने के लिए 150 से 200 किलोमीटर का फैसला तय करना पड़ेगा और 3–4 दिन उसके जाया जायेंगे।

यहां राजस्व मंत्री विराजमान नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले के दो जिले बनाए जायं। उसमें दो नए सब-डिविजन्स कायम किए जायं। उसका स्वरूप यह होना चाहिए कि अनूपगढ़ राजस्व तहसील को दो तहसील बनाकर, बिजयनगर को राजस्व तहसील कायम किया जाए। सूरतगढ़ में दो तहसीलें कायम की जायें सूरतगढ़ व पीलीबंगा, सादुलशहर सब-डिविजन गंगानगर में शामिल किया जाए। दो सब-

(श्री हरचन्द सिंह)

डिविजन्स एक सूरतगढ़ सब-डिविजन, तथा दूसरा अनूपगढ़ सब-डिवीजन। इस तरह अनूपगढ़ सब-डिविजन, रायसिंहनगर सब-डिविजन, करणपुर सब-डिविजन, गंगानगर सब-डिविजन, जिला मुख्यालय गंगानगर, उसका ए० डी० एम० रायसिंहनगर बैठे ताकि अनूपगढ़ के लोगों को भी राहत आसानी से और कम दूरी पर हासिल हो सके। इस जिले को हम बोर्डर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, जिसकी सारी की सारी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। उस सीमा के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी समस्यायें हैं। अगर यह बोर्डर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए तो उसको सुरक्षा के लिहाज से विशेष इन्तजाम किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रशासन में चुस्ती आएगी, इसमें कोई-संदेह नहीं।

इसी तरह से सब-डिविजन सूरतगढ़, सब-डिविजन हनुमानगढ़, सब-डिविजन नोहर, जिला मुख्यालय सूरतगढ़ और ए० डी० एम० हनुमानगढ़ में रखा जाए तो नोहर, भादरा व सांगरिया के लोगों को हनुमानगढ़ जिले की सहूलियत मिल जाए. और सूरतगढ़ में भी जिले की फैसिलिटी मिल जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रशासन में दक्षता और स्वच्छता आएगी, भ्रष्टाचार में कमी होगी और मेरे खयाल से सरकार का खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं होगा।

वनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वनों की परिभाषा राजस्थान सेक्रेटेरियट में बैठकर लोग करते हैं, वह शायद राजस्थान के पूर्वी हिस्सों के लिए करते हैं। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों की झाड़ियों का उनको ज्ञान नहीं है। एक कटीली झाड़ी होती है, क्योंकि वर्षा बहुत कम है और अकसर वहां अकाल पड़ता है, लोग फोग की झाड़ी को काटकर बेचते हैं और जीवन निर्वाह करते हैं। वनों की परिभाषा में लाकर इसमें पाबंदी लगाई। ये वन हैं, इनको न काटा जाए। इस तरह वहां के लोगों की आजीविका पर कुठाराघात हुआ है। बड़े-बड़े इलाकों को वनों के रूप में दे दिया गया है, जिसके अंदर घास, सींवना, छीपड़ व धामन पैदा होती है। अधिकारी कहते हैं कि इनको तीन साल तक प्रिजर्व करके फिर खोलेंगे। अगर सींवना को हर साल नहीं काटा तो दूसरे साल नहीं मिलेगा। अधिकारी कहां से रिसर्च करके आए हैं? उन बड़े-बड़े इलाकों की तारबंदी कर दी, रास्तों को रोक दिया और नर्सरी के नाम पर गांव की आबादियों को घेर रखा है, लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मैंने यह बात सदन में कही थी कि कानोट, कठार व पीलोबंगा के कुछ हिस्सों की घेराबंदी करके नर्सरी लगा दी। लोगों की जहां आबादी हो वहां वनों से से उन्हें बचाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्षजी आपने समय तो सिर्फ 5 मिनट का दिया है इसलिए मैं ज्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूं। बदकिस्मती यह है कि राजस्व मंत्री चले गए हैं और यहां पर जिनसे नोट्स लेने को कह गए है उनके सामने जो बातें कहूंगा उनका उत्तर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरे और उनके विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, माननीय मंत्रीजी प्रोफेसर केदार यहां बैठे हुए हैं उनसे मुझे उम्मीद है कि वह जरूर मेरी कही बातों पर तवज्जोह देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे बड़ा काम जो

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

इस सरकार ने किया है वह यह है कि इसने लैंड रिफार्म्स की तरफ से आंख मींच ली है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब दक्षिण भारत में जनता पार्टी की सरकार को बुरी तरह हार हुई है तब शायद जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखरजी खुद ने यह कहा कि जब तक जनता पार्टी की सरकार अपनी इकानामिक पालिसी का सही ढंग से इम्पलीमेंटेशन नहीं करेगी चाहे वह लैंड रिफार्म्स के बारे में हो, चाहे वह सैटलमेंट के बारे में हो, चाहे वह कन्सोलिडेशन के बारे में हो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकेगी। लेकिन आपने तो इन सभी की तरफ से आंख मींच ली है। आपके पिछले काल के कार्यकलापों से यह तय हो गया है कि वह जनता पार्टी की सरकार गरीब किसानों को नहीं है, जनता पार्टी की सरकार सिर्फ सरमायेदारों की सरकार ही रह गयी है। इसे किसानों के हित का कोई ध्यान नहीं है। इसलिये, श्रीमान, एक तो मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता पार्टी की सरकार को यह चेतावनी के रूप में कह देना चाहता हूं कि अगर आप राजनैतिक पावर में रहना चाहते हैं तो इन कार्यों को आप करें, हालांकि मैं नहीं चाहता कि आप पावर में रहें लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप इस तरह के कार्यकलाप से ज्यादा दिन तक पावर में नहीं रह पायेंगे। खैर, जितने दिन भी पावर में रहें मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप लैंड रिफार्म्स की ओर विशेष तौर से ध्यान दें।

दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, स सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे बोर्ड आफ रेवेन्यू में जो बढ़ते हुए केसेज हैं जिनकी तादाद हजारों में हो सकती है उसका कारण एक तो यह है कि इस ओर कोई आज तक ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा यह है, जिन लोगों को रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बना कर भेजा जाता है वह सुपर टाइप के आई. ए. एस. स्केल के अधिकारी होते हैं। वह चाहे मुंह से नहीं कहें पर उनके मन में यह बात तय शुदा होती है कि जिन अधिकारियों को रेवेन्यू बोर्ड में भेजा जाता है उन्हें वहां पर बतौर पनिशमेंट के भेजा जाता है। आज मैंने आपको यहां कह दिया है, बाकी लोग मन में जानते ही हैं इसलिये वे लोग इसमें इन्ट्रेस्ट नहीं लेते हैं। तो, श्रीमन्, मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स जो आप रखें वह आर. एच. जे. एस. के रेन्क के अधिकारियों को रखें। श्रीमन्, अगर आप राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस के अधिकारियों को वहां लगायेंगे तो एक तो वे काम करेंगे, दूसरे न्याय की दृष्टि से भी अच्छा काम करेंगे और जो वे केसेज हैं वह भी आप भर पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये पिछली कांग्रेस सरकार ने निर्णय भी लिया था और राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस के लोगों को अपोइन्ट भी किया था। उपाध्यक्ष महोदय, आज कई केसेज में आई. ए. एस. अधिकारियों ने जो भी फैसले दिये हैं वह बहुत ही कनफ्लिक्टिंग जजमेंट दिये हैं। उनको रेवेन्यू लॉज की जानकारी भी पूरी नहीं होती है। भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने जो निर्णय लिया था उसके अनुसार कुछ आर. एच. जे. एस. सर्विस के व्यक्ति को वहां पर लगाया भी था, कुछ एडवोकेट्स में से भी लेने का था और लिया भी था, एकाध को तो वहां पर कुछ काम भी हुआ।

(श्री प्रद्युम्नसिह)
अगर आप सभी वेकेन्सीज उन्हीं से भर देंगे तो मैं समझता हूं, श्रीमन्, वहां काम ज्यादा हो सकेगा और लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ-साथ जो लोग सुपर टाइम स्केल के आज रेवेन्यू बोर्ड में बैठे हैं वह यहां जयपुर में सचिवालय में आकर अच्छा काम कर सकेंगे। ऐसा मेरा सुझाव है। आप इस ओर ध्यान दें, श्रीमन्।

इसके अलावा जो बात मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज चारों तरफ से यह मांग आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट्स का रीआर्गेनाइजेशन किया जाय, जिलों के पुनर्गठन के बारे में विचार किया जाय। श्रीमन्, आज सबसे बड़ी समस्या जो रेवेन्यू वर्क में आ रही है वह है जिलों का बड़ा होना। इन सबके अलावा हमारे तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब थे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे डाला, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये। उन्होंने तो लगे हाथों घोषणा ही कर डाली कि राज्य सरकार बड़े जिलों को छोटा जिला बना रही है तथा जिलों का पुनर्गठन भी शीघ्र करने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय खेतसिहजी, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूं कि आप खड़े-खड़े बात कर रहे हैं। आप जरा विराज कर बात कर लें तो ठीक रहेगा।

श्री प्रद्युम्नसिह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट्स के रीआर्गेनाइजेशन का जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके कारण कई जगह मांगें खड़ी हो गयीं नये जिले बनाने की। धौलपुर को जिला बनाने की वर्षों से पुरानी मांग चली आ रही थी, वह वापस जोर पकड़ने लग गयी। वहां पर धौलपुर को जिला बनाने के लिये आन्दोलन भी शायद होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही लोगों ने अखबारों में स्टेटमेंट पढ़ा सभी जगह से आवाज आने लग गयी। जनता पार्टी की सरकार में मंत्री लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में माहिर हैं। उनकी जबान के लगाम तो है नहीं, चाहे जैसे स्टेटमेंट दे देते हैं। नीति निदेश है नहीं। मंत्री तो स्टेटमेंट दे डालते हैं, बेचारे मुख्य मंत्रीजी बहुत ही पशोपेश में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई जिलों का पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन यही है कि चाहे आप दूसरे नये जिले नहीं बनायें लेकिन धौलपुर को जिला बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। जब हमारी सरकार थी तब भी हमने मांग की थी पर पूर्ण नहीं हो सकी। अब आप धौलपुर को जिला बना कर वहां की जनता को राहत दें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व में रिश्वत का बोलवाला है उसके बारे में भी, श्रीमन् आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज गांव के काश्तकार का सीधा सम्पर्क पटवारी से है। पटवारी से उसका सम्पर्क पड़ता है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जैसी कि मुख्य मंत्री-जी ने सदन में घोषणा की थी कि समझो, भ्रष्टाचार आज से राजस्थान में समाप्त हो गया। मैं यह तो नहीं कहता कि 'मेरे सुझावों से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया समझो लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इन सुझावों के इम्पलीमेन्टेशन से भ्रष्टाचार में कमी जरूर आयेगी। आज पटवारी रिश्वत किस तरह लेता है ? उसके पास दो काम हैं जिसके लिये वह रिश्वत लेता है। पहला तो है जब काश्तकार नकल लेता है, पहली बार अपनी जमीन की नकल लेता है तब रिश्वत लेता है। दूसरे जब लोग दूसरों

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

के नाम की जमीनें जोतते हैं तब नामान्तरण वगैरह में रिश्वत लेता है। मेरा सुझाव है कि आप यदि पंचायतों को इसमें इन्क्लुड कर लेते हैं तो मैं समझता हूं ग्राम पंचायतों का अंकुश रहेगा आपके पटवारी पर और वह इस प्रकार से उनसे पैसे वसूल करने में असमर्थ होगा। दूसरे आपको जो पंचायतें निष्क्रिय हैं उनके पास भी काम आ जायेगा।

अब, श्रीमन्, एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा। जो जिलाधीश हैं उन पर आपने दुनिया भर के कामों का बोझ डाल दिया है। इस प्रकार वह उन दुनिया भर के कामों की वजह से रेवेन्यू केसेज को अन्जाम से नहीं दे सकते। श्रीमन्, रेवेन्यू का ही क्या कहूं वह अपनी ड्यूटी को भी ठीक तरह अन्जाम नहीं दे पाते हैं। जिलाधीश बदलते रहते हैं और उनके पास रेवेन्यू के 5-6 साल के मुकदमे पड़े रहते हैं और, श्रीमन्, फैसले नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा आपने एक रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी बना रखी है वह कई बार कलक्टर के फैसलों के खिलाफ में फैसला दे देती है। इसका नतीजा बहुत ही खराब होता है। इससे आपके जिलाधीश की साख गिरती है। इसलिये आप अपने रेवेन्यू नियमों में थोड़ा संशोधन कर लें कि एस.डी.ओ. के केसेज रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के पास जायें और जिलाधीश के रेवेन्यू बोर्ड को, नहीं तो आपकी यह दोहरी नीति हमारे समझ में नहीं आयी। इसमें मेरा सुझाव है या तो आप कलक्टर की एस.डी.ओ. के फैसलों की अपील सुनने की पावर खतम कर दें या रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी को समाप्त कर दें। सीधे कलक्टर और बाद में रेवेन्यू बोर्ड को जायें अपील के लिये। श्रीमान्, इस ओर भी मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अब एक बात और है, श्रीमान्, जिसकी ओर मैं राज्य के राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है। कि हमारे धौलपुर सब-डिविजन में पिछले कई वर्षों से रेवेन्यू रिकार्ड में काफी बड़ा स्कन्डल हुआ है। वहां पर रेवेन्यू रिकार्ड में बहुत बड़ी मात्रा में हेरा फेरी हुई है। इससे वहां के लोगों के अधिकारों पर बहुत भारी कुठाराघात हुआ है। इससे लोग वहां पर बहुत परेशान हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जो बेईमानी हुई है उसकी जांच की जावे और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कार्यवाही की जावे। हमने सरकार से इसके लिये कई बार लिखा पढ़ी को, जिलाधीश को भी शिकायत की लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है। इसलिये, श्रीमान्, अब मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावे नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर काश्तकारों में बहुत भारी असन्तोष है।

अब एक बात और निवेदन कर दूं, श्रीमन्, यहां यह कहा जाता है कि यह तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने के कानून हैं, फिरंगियों की देन है। मेरा यह निवदन है कि आप आखिर किसलिये हो? आप इसमें इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहते तो यह हैं कि हम आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे पर आप कर नहीं पा रहे हैं। आमूलचूल परिवर्तन हो भी नहीं सकता है इसलिये नहीं कर पा रहे हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आप इसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं करके उसे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

स्ट्रीम लाइन जरूर दे सकते हैं। समय चूंकि थोड़ा है इसलिये मैं आपको और सुझाव नहीं देकर इतना जरूर निवेदन कर दूं कि आज हमारे यहां पर आपने जो एस. डी. ओज. को काम दे रखा है वह उसको नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि उनके पास, श्रीमान्, व्हिकल नहीं हैं। कभी तो वह इस डिपार्टमेंट से, कभी उस डिपार्टमेंट से व्हिकल मांगते फिरते हैं क्योंकि आपने उनके लिये दौरे के एक महीने में कुछ दिन फिक्स कर रखे हैं। इसके लिये कभी-कभी उनको प्राइवेट लोगों से भी व्हिकल मांगनी पड़ती है और बदले में उन लोगों को ओब्लाइज भी करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। इसलिये आप उन्हें व्हिकल प्रोवाइड करें ताकि उनके काम में एफिशियेन्सी आवे और अपने क्षेत्रों का वह पूरा दौरा कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में राजस्व मंत्रीजी तो हैं नहीं। मुझे कुछ विशेष बातें उनसे निवेदन करनी थीं, पर मैं अब आपके माध्यम से दूसरे मंत्रीजी, बैठे हैं उनसे निवेदन कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भवानी मंडी में एक सेठ जयपुरिया को करीब पांच हजार बीघा जमीन आज से 15 साल पहले कोई उद्योग लगाने के लिये राज्य सरकार ने दी थी, पर उस जमीन पर उस सेठ साहब ने कोई उद्योग नहीं लगाया। उस जमीन पर आजकल वहां के बड़े-बड़े अधिकारी और थानेदार के मवेशी चर रहे हैं। हम लोगों ने 9 अगस्त, 1970 को भूमिहीनों के आन्दोलन में वहां पर मांग उठाई कि इस जमीन को अवाप्त किया जाय और भूमिहीन लोगों में वितरित की जाय। सन् 1977 हो गया, 1978 आ गया लेकिन अभी तक न कोई कार्यवाही हुई है और न उस सेठ पर कोई मुकदमा चलाया गया है। वह सेठ जयपुरिया बहुत बड़ा सेठ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्व मंत्री महोदय से कि 3 हजार बीघा जमीन में से कोई 500 बीघा जमीन पर वहां खेती होती है। बाकी जमीन वैसे ही पड़ी हुई है। वह जमीन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत वितरित की जाय। इसके लिए कोई कार्यवाही राजस्व मंत्रीजी करें तो समाजवाद की बात का कुछ यथार्थ में मतलब हो।

भ्रष्टाचार और रेवेन्यू विभाग शायद दोनों ही पर्यायवाची हो गये हैं। यह दुर्भाग्य है हमारा। मैं आपको निवेदन करूंगा कि 5 व 6 नवम्बर, 1977 को तहसील पिड़ावा में अलॉटमेंट हुआ है जो सहायक जिलाधीश श्री भंवरसिंह चारण ने किया। उसके सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न भी यहां उठाया। उस प्रश्न के उत्तर में दिनांक 10-3-77 को लिखित में मंत्री महोदय ने बताया कि "दिनांक 5 व 6 नवम्बर, 1977 को 221 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी"। आप इसमें देखिये किस तरह से लिखते हैं हमारे अफसर लोग, "उनमें से प्रत्यक्ष में 4 मिसलों के अलावा जानबूझकर कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई हैं"। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 5 व 6 नवम्बर, 1977 को कम से कम 25 हजार रुपये की रिश्वत ली गई। श्री भंवरसिंह चारण को, इस सरकार ने पदोन्नत करके नवलगढ़ में

(श्री ईश्वरचन्द्र)
एस.डी.ओ. बना दिया। मैं बोल रहा हूं यहां पर वे इस वक्त वहां पर रिश्वत ले रहे होंगे...

एक माननीय सदस्य : वहां आप रिश्वत दे रहे होंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं एक उदाहरण आपको दूंगा कि नाथू सन् आफ भैरू कुलमी घरोनिया को खसरा नं. 1205 की, 1 बीघा 11 बिस्वा भूमि जो चरागाह की है, जिसे किसी को भी राजस्व मंत्रीजी अलॉट नहीं कर सकते हैं, अलॉट कर दी गई। इस तरह से 5 बीघा भूमि गोरीलाल सन आफ काना कुलमी को, जिसके पास पहले से ही 50 बीघा जमीन है, अन्त्योदय के नाम से चरागाह की भूमि अलॉट कर दी गई। एक व्यक्ति है मोतीलाल राजपूत बालदा का।

कौन लिखेगा ? मंत्री महोदय तो हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मंत्री महोदय हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : धन्यवाद !

मोतीलाल राजपूत बालदा का है इसके पास जमीन ऑलरेडी है। इसी जमीन, खसरा नं. 481 के बारे में गिरधारी चमार ने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन पर रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी का ऑर्डर है कि यह जमीन इस चमार को दी जाय लेकिन भंवरसिंह चारण ने बहुत बड़ी मात्रा में रिश्वत लेकर 6।। बीघा जमीन मोतीलाल राजपूत को अलॉट कर दी। मैं आपको निवेदन करूंगा कि यह आदमी भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था। उससे खास तौर से लिखवा लिया कि मैं 4।। बीघा भूमि समर्पित करता हूं सरकार को। वह भूमिहीन बन गया, और इस तरह से उसे भूमिहीन बनाकर वह जमीन अलॉट करा दी। इसके बारे में मैंने राजस्व मंत्रीजी को, मुख्य मंत्रीजी को और कलक्टर साहब को लिखकर दिया है। यह भ्रष्टाचार का ज्वलन्त उदाहरण है, लेकिन जनता सरकार ने अभी तक उस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ में जो सहायक जिलाधीश थे वह एक टाटपट्टी लेकर आये थे और 10 सोफासेट लेकर गये हैं। उन्होंने एक लाख रुपये की रिश्वत ली। कोई केस ऐसा नहीं है कि जिसमें उन्होंने पैसा नहीं खाया हो। वहां के वकीलों ने प्रस्ताव पास कर रेवेन्यू बोर्ड को भेजा, लेकिन उसने और खास तौर से जनता सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपसे पूछता हूं कि एक विधायक क्या करे ? क्या उसकी सहानुभूति राजस्व मंत्रीजी से होगी ? आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं लेकिन वह आदमी ओन प्रोबेशन था उसको इन शिकायतों के बावजूद प्रोबेशन से परमानेन्ट कर दिया।

मेरा निवेदन यह है कि इस तरह के भ्रष्टाचार तहसील पिड़ावा में हुए हैं। रेवेन्यू बोर्ड ने एक सर्क्यूलर निकाला उसमें लिखा है, कि "दमनकारी ढंग से वसूली" है। और दमनकारी के लिए आगे ब्रेकेट में लिखा "कोअर्सिव मेथड्स"। 'कोअर्सिव मेथड्स' की क्या हिन्दी होती है ? जहां तक मेरा ज्ञान है अंग्रेजी का "कोअर्सिव मेथड्स" का हिन्दी मतलब 'दमनकारी' नहीं है। हमारी सरकार कहती है कि डंडे के बल से वसूली करो। यह आपका कल्याणकारी राज्य है ? तहसीलदार पिड़ावा और तहसीलदार गंगधार यह दोनों एक एक लाख के आदमी हो चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 'आपकी' जगह 'हमारा कल्याणकारी राज्य' कहो।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपका भी कल्याण करेंगे।

मेरे कहने का मतलब यह है इस तरह का भ्रष्टाचार तहसील पिड़ावा में हुआ है। मैंने जब प्रश्न पूछा तो उसका जवाब झालावाड़ के जिलाधीश से पूछते हैं। वह उन्हीं कर्मचारियों की रिपोर्ट पर जवाब देते हैं। मैंने पूछा था "क्या यह सही है कि उप-जिलाधीश भंवरसिंह चारण द्वारा उक्त आवंटन में किये गये पक्षपात व दुर्व्यवहार के कारण, सरपंच दांता ने बैठक का बहिष्कार किया"? तो इसका जवाब दिया गया, "यह सही नहीं है। दिनांक 5 व 6 नवम्बर, 1977 को दांता गांव पंचायत में आवंटन नहीं हुआ है"। इस तरह का जवाब दिया गया इसलिये मैंने आपका ध्यान खींचा है।

दूसरे, मैं धारा 175 के बारे में निरन्तर कहता रहा हूं। जिला झालावाड़ में धारा 175 में.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे 15 प्रस्ताव हैं। अभी दो मिनट में ही खत्म करूंगा।

धारा 175 के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीन बेचने के लिए अधिकृत करने की बात आयेगी। वह जमीन उन्हीं लोगों को अलॉट कर दी गई जिन्होंने खरीदी थी। तर्क यह दिया गया है कि पैसा दिया है। इस तरह से हरिजनों से सस्ते दामों में जमीनें ले लेंगे तो एक तरफ तो हम उन लोगों को मीनों से डेप्राइव कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेगुलेराइजेशन के नाम पर जमीनों का आवंटन कर रहे हैं। इस नीति से जो थोड़े बहुत जनता पार्टी के साथ दिख रहे हैं वह भी नहीं रहेंगे। इस बात के लिए गलत जोर दिया जा रहा है कि राजस्व मंत्रीजी धारा 175 हटा लें और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को जमीन बेचने का अधिकार दे दें। यदि इस बुनियादी नीति से समझौता किया गया तो हरिजनों और आदिवासियों से उनकी मजबूरी में जमीन लेकर लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तब जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रान्ति कौन लायेगा?

कुछ माननीय सदस्य : वह लायेंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : मुझे सन्देह है कि वह लायेंगे। अगर सन्देह मिट जायगा तो उधर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक जनता पार्टी पर भरोसा है। आपकी जो नीति चल रही है उसको ठीक करें।

आपने रेवेन्यू विभाग में ऐसे आई.ए.एस. ऑफिसर्स बैठा रखे हैं जो यह नहीं जानते हैं कि मूंगफली जमीन के नीचे होती है या ऊपर होती है। वह क्या काम करेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस नीति में आप परिवर्तन करें। रेवेन्यू के वकील हैं जो कि जनता से और जमीन से जुड़े हुए हैं किन्तु जो भूमि के कानून की पेचीदगियां नहीं जानते हैं, ऐसे भेड़ व ऊन विभाग के ऑफिसर वहां पर जाकर क्या फैसला करेंगे? वह राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन 90 पर क्या फैसला करेंगे? कहां से कहां लाकर बैठा देते हैं उनको जैसे आई. ए. एस. सर्वोपरि ह्यूमनबीईंग हैं। राजस्व का काम जिनको प्रैक्टिकल अनुभव हो उनको दिया जाय। रेवेन्यू बोर्ड में देखा जाय तो वहां पर भी

(श्री ईश्वरचन्द्र)
वही हाल है। उनके फैसलों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक मेम्बर क्या कहता है और दूसरा मेम्बर क्या कहता है। कुछ क्वालिटेटिव चेन्ज लानी चाहिए राजस्व विभाग में, राजस्व बोर्ड में और उनका पुनर्गठन होना चाहिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : खतम ही कर दें No need.

श्री ईश्वरचन्द्र : लगान वसूली में आपने माफी दी है 10 बीघा तक की, लेकिन तहसील पिड़ावा और तहसील पचपहाड़ में आपने जो दमनकारी सर्क्यूलर भेजा है उसके तहत जिनका लगान माफ किया था उनसे भी लगान वसूल कर लिया गया। मैं चाहूंगा कि राजस्व मंत्रीजी देखें कि जिनका कि लगान माफ है उनसे वसूली कर ली गई है तो उनको वापस रकम दिलवायें। लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि सरकारी खजाने में पैसा जमा होने के बाद वापस नहीं होता है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों से रकम वसूल कर ली गई है उन लोगों को कम से कम रकम रिफण्ड करने के आदेश तो दे दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

भवानी मण्डी में एस. डी. ओ. की कोर्ट स्थापित होनी चाहिए तथा सुनेल के अन्दर सब-तहसील कायम होनी चाहिए। इनके लिए पुनर्गठन कमेटी की आपने घोषणा की है। पुनर्गठन कमेटी जल्दी से जल्दी बना कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

भण्डारी साहब ने रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट दी है। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी उस कमीशन की रिपोर्ट पर जो लैंड रिफार्म्स के बेसिस पर है उन सिफारिशों का क्या हुआ? उनको सरकार कब लागू करेगी? कब उनमें परिवर्तन करेगी तथा आप कमीशन कब बैठायेंगे? अब काश्तकारों के साथ लगातार खिलवाड़ की बात को बन्द करवा दीजिये।

सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गयी है वह यह कही गयी है कि सीलिंग के केसेज खोले जावेंगे और साजिश करके जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है उनको हटा कर भूमिहीनों को जमीनें दी जावेंगी। मुझे मालूम हुआ है कि सीलिंग के केसेज खोले जावें या नहीं, इसके लिये जिले में सब-कमेटी बैठी हैं, वह फिर विचार करेगी। जिन जागीरदारों, जमींदारों और कांग्रेसी नेताओं ने जमीनें हथिया ली हैं जब तक आप उनसे नहीं छीनेंगे तब तक यह केवल नारा ही रह जावेगा।

झालावाड़ जिले में झालावाड़ के गढ़ की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग आधी से ज्यादा खाली पड़ी हुई है लेकिन पांच हजार रुपये मासिक पर दूसरी बिल्डिंग दफ्तर के लिये सरकार ने ले रखी है। पांच हजार रुपया महीना सरकार खर्च कर रही है जो एक अच्छी बिल्डिंग है, जो खाली पड़ी है उसमें क्यों नहीं दफ्तर लगाते हो?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब एक लाइन ऑडिटर जनरल की पढ़ कर खतम कर देता हूं। इसमें लिखा है, श्रीमन्,

During the test-check of the revenue receipts of three Tehsils (Keshorai Patan, Bayana and Hanumangarh) it was noticed that

(श्री ईश्वरचन्द)

three cinemas had been constructed on agricultural-land falling under the limits of these towns. No action had been taken in this connection for ejection. If these cases were regularised under the Rajasthan Land Revenue (Allotment and Regularisation of the conversion of Agricultural Land for Residential or Commercial Purposes in Urban Areas) Rules, 1971, a sum of Rs 9,90,220.00 would be recoverable on account of premium on the basis of rates estimated by the Collectors."

श्रीमन् यह आपकी लालफीताशाही है। आप इस लालफीताशाही को तोड़ने की कोशिश करें।

और इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरचन्द : एक सैकिण्ड।

"Government owned agricultural land measuring 1576 acres was found to have been unauthorisedly kept for various non-agricultural purposes for one to twenty years in 55 Tehsils."

उसके लिये ऑडिटर जनरल ने लिखा है कि 4 करोड़ 82 लाख की आमदनी हो सकती है इसलिये उसको ले लें। यह जो पैसा है इसको वसूल करने की कृपा कीजिये और जो कसूरवार हैं उनको आप दंड दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणसिंह

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री समरथलाल।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन के बारे में सुझाव देना चाहूंगा। जिले के अन्दर जिस प्रकार से प्रशासन होना चाहिये, जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलना चाहिये उसका जो माध्यम होना चाहिये उसका सरलीकरण अभी-अभी सरकार ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर जिले में राजगढ़ तहसील है और राजगढ़ एस. डी. ओ. के नाम से है लेकिन वह और राजगढ़ के एस. डी. एम. अलवर के अन्दर बैठते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि उनका अलवर के अन्दर बैठने का क्या प्रयोजन है? क्या अलवर के अन्दर बैठने से उस जगह की जनता को न्याय मिलेगा? जो आवागमन के साधन हैं वह बड़े भारी महंगे हैं। अलवर एस. डी. ओ. राजगढ़, थानागाजी, लक्ष्मणगढ़ और कठूमर इन तहसीलों के एस. डी. ओ. हैं। उनका हैडक्वार्टर अलवर है। इस प्रकार से एस. डी. एम. भी इन तहसीलों का है उसका हैडक्वार्टर भी अलवर है। राजगढ़ से अलवर 40 किलोमीटर है। थानागाजी से 35 किलोमीटर है और कठूमर और लक्ष्मणगढ़ से 35 किलोमीटर है। इन तीनों के एस. डी. ओ. अलवर में बैठते हैं। या तो इन्हें एक तहसील में बैठना चाहिये और या फिर हैडक्वार्टर वहां करना चाहिये। राजगढ़ एस. डी. ओ. राजगढ़ के नाम से है। अलवर में बैठने का उनका क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है।

(श्री समरथलाल)

मैं आपसे निवेदन करूं कि राजगढ़ तहसील के गुडा गाँव की सीमा सवाई-माधोपुर से मिली हुई है। यदि वहाँ का एक व्यक्ति अलवर एस. डी. ओ. के पास न्याय प्राप्त करने जाता है तो 150 मील का एरिया उसको पार करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि एस. डी. ओ. हैड-क्वार्टर राजगढ़ का राजगढ़ में हो और एस. डी. एम. का हैडक्वार्टर राजगढ़ के नाम से है वह भी अलवर में बैठने के बजाय राजगढ़ में बैठे।

समितियों के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। उनके अन्दर या तो जिलाधीश अध्यक्ष हों या तहसीलदार एस. डी. ओ. अध्यक्ष हों। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सस्ता न्याय है क्या? न्याय की जो परिभाषा है उसके अनुसार न्याय दिलावें। समितियों के अध्यक्ष, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ही बनाया जाना चाहिये।

दूसरा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत राजस्व मन्त्री से निवेदन करना चाहूंगा। राजस्व मंत्रीजी यहाँ है, वन मंत्रीजी अभी नहीं हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेवेन्यू की भूमि और जंगलात की भूमि का सीमान्तरण हुआ था वह, 1965-66 में हुआ था। उसके बाद सन् 1965 और 66 के अनुसार जमीन का अलॉटमेन्ट हो गया और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को हुआ सीमान्तरण का नोटिफिकेशन हुआ वह सन् 76-77 में जाकर हुआ। 66 में जिस जमीन का रेवेन्यू में अलॉटमेन्ट हो चुका वह जमीन आज वन विभाग में आती है। जमीन अलॉट हो चुकी, कुआ बना लिया, खेती कर रहे हैं, फसल उग रही हैं और अब पटवारी और जंगलात अफसर वहाँ जाकर कहते हैं कि यह जमीन रेवेन्यू के अन्दर छप गयी है लेकिन यह जंगलात के अन्दर आती है। मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री और वन मंत्रीजी को ऐसे मामलों की ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा सरकारी भूमि पर, आम रास्ते की भूमि पर जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, मैं समझता हूं, राजस्थान के अन्दर यह बड़ी भारी परेशानी का विषय है। मैंने पिछले सत्र में प्रश्न संख्या 100 पूछा था। राजगढ़ में एक व्यक्ति ने आम रास्ते की भूमि पर भट्टा और गोदाम बना रखा है। उसके उत्तर में यह कहा गया था कि जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं, आम रास्तों पर जो अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटा दिया जाय। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि पिछले सत्र में आश्वासन दिया था और उत्तर दिया था किन्तु अब तक न तो भट्टा हटाया गया है और न ही गोदाम। मैं डिप्टी सेक्रेटरी, जो इसको डील करते हैं, से भी मिला। मैंने उनको लिखकर दिया कि इस तरह से विधान सभा में राजस्व मंत्रीजी प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दे चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है।

इसके अलावा राजस्व विभाग के अन्दर जो पटवारी का पद है मैं समझता हूं कि यह पटवारी गाँव की जनता को, इस राजस्थान की खेतिहर जनता को, जो कि करीब 80 प्रतिशत गाँवों में खेती पर निर्भर करती है,

(श्री समरथलाल)

एक तरह से घुन की तरह से खा रहा है। इस पद को समाप्त कर देना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार गाँवों में से कम करना है तो पटवारी के पद को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिये। पटवारी का जो काम है कुछ काम तो पंचायतों को दे दिये जायं क्योंकि उनमें ग्रुप सचिव अब अच्छे पढ़े लिखे आ गये हैं। उस काम को वह लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके अलावा रेवेन्यू वसूल करने का काम है उसके लिए मेरा सुझाव है कि जो काश्तकार-अनाज पैदा करते हैं और मण्डी में अनाज बेचने के लिए जाते हैं तो मण्डी में ही रेवेन्यू वसूल करने की बात आनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो काश्तकार अपने घर खर्चे के लिए अनाज पैदा करता है उस पर रेवेन्यू वसूल नहीं होना चाहिए। मण्डी के अन्दर वही काश्तकार जायगा जिसके पास सरप्लस अनाज होगा। उसी से रेवेन्यू वसूल करना चाहिए। इसके अलावा काश्तकार से रेवेन्यू वसूल नहीं करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत वन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले के अन्दर एक सिरस्का गेम सेंक्चुरी है। इस सिरस्का गेम सेंक्चुरी के आस-पास करीब 100 गाँव बसे हुए हैं। उन गाँवों में आदिवासियों और हरिजनों की पापुलेशन करीब 80 से 90 प्रतिशत तक है। उनकी आजीविका केवल पशुपालन है। वह बकरी वगैरह पालते हैं। उनकी बसावट हुई वह इसी दृष्टि से हुई थी कि उनके पास पशुपालन का काम है। उस सिरस्का गेम सेंक्चुरी में दो प्रकार के एरिया हैं - एक तो रो एरिया है और दूसरा बफर एरिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रो एरिया के अन्दर पशुओं को चरा सकते हैं और बफर एरिया के अन्दर नहीं चरा सकते हैं। लेकिन इसका मौके का कोई सीमांकन नहीं है। ऐसा कोई निशान नहीं है कि अमुक स्थान पर वह चरा सकते हैं, अमुक स्थान तक नहीं चरा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है उसका सीमांकन किया जाये। जिस सीमा तक वह चरा सकते हैं उसके चारों तरफ दीवार खींची जावे। इस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अंत में मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा।

हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी प्रान्त हैं हर प्रान्त में एक-एक टाइगर प्रोजेक्ट जरूर है। राजस्थान के अन्दर सवाई माधोपुर में भी एक टाइगर प्रोजेक्ट है लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा आया है कि अलवर के अन्दर जो सिरस्का है वहाँ दूसरे टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना करने की सरकार की योजना है। इस गेम सेंक्चुरी एरिया से सैकड़ों गाँव पहले ही बरबाद हो गए, सैकड़ों गाँव आज तक

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

परेशान हैं और अगर दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया जाता है तो सैकड़ों गाँवों

(श्री समरथलाल)

को और हटाना पड़ेगा। बहुत बड़ी प्रोब्लम सरकार के सामने आ जायेगी। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर आपकी टाइगर प्रोजेक्ट बनाने की योजना है, अगर वहां की जनता को आपको परेशान करना है तो आप उसे वहां बना सकते हैं, वरना टाइगर प्रोजेक्ट की योजना वहां नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पानी पीने के लिए चला गया था यदि मुझे आप 5 मिनट बोलने का समय दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

एक माननीय सदस्य : बाद में।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो बड़े ऊंचे आदमी है, बड़ा दिल है आपका....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डागा-जी बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, शायद विशेष कारण होने से ही अनुपस्थित रहे होंगे। अच्छा बोलें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभार मानता हूं। आपकी मुझ पर विशेष कृपा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे कहीं राजा-महाराजा के पद पर नहीं रखें तो महरबानी करके मुझे जिले का कलक्टर बना दें। यह महाराज जो बैठे हुए हैं इन महाराजाओं से पूछो हमें जनता के पास जाना है, इसके लिये जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं आपके मैंरों-सिंहजी शेखावत करते हैं, यह घोषणायें जमीन की वास्तविकता से कितना संबंध रखती हैं? यह अन्त्योदय योजना, यह समग्र क्रान्ति की योजना, प्रशासन गांवों की ओर, यह कितने सुहावने और आकर्षक नारे हैं। कभी आपको समय मिल जाये, राजस्व मंत्रीजी, तो गांवों का दौरा कर लें। मैं कहता हूं कि सेक्रेटेरियट तो बहुत बड़ा कैदखाना है। इनकी जिन्दगी तो उसमें बस जाती है लेकिन कलक्टर बहुत बड़े मकान में रहता है, बहुत शानदार मकान में रहता है। वह लाइन्स क्लब और रोटरी क्लब का मेम्बर होता है। इलाके के बड़े बड़े मालदार लोग होते हैं वह उसके मेम्बर होते हैं। अब मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। प्रशासन को आप गांवों की ओर ले जाना चाहते हैं तो महरबानी करके उनको कह दीजिए कि जब कभी जन-प्रतिनिधि आयें उनके पास या जनता का साधारण व्यक्ति तो महरबानी करके खड़े होकर उनसे बात करें उनके पास तो एक तरीका है, श्रीमान्, अच्छा देख लेंगे। वह उसको एस. डी. ओ. के पास भेजते हैं और एस. डी. ओ. तहसीलदार के पास और तहसीलदार पटवारी के पास भेजते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्रशासन में समग्र क्रान्ति लानी है, मंत्रीजी आप तो समाजवादी हैं, आपका दिल भी उसी तरह का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रशासन है कहां? आज जो गरीब लोग हैं उनका शोषण आपके कारण होता है। हम लोगों की पंचायतें बन गयीं। सरपंच उनके पास जायं, प्रधान तो अब रहे नहीं, विधायक जायं तो मालूम होता, कलक्टर साहब अभी लंच में गये हुए हैं। कौन-सा डिस्पोजल है? मैं आपसे कहना चाहता था कि प्रशासन को गांव

(श्री मूलचन्द डागा)

की ओर ले जाने वाली बात आप करते हैं यह सारा ढकोसला है। जो नये कलक्टर्स आते हैं, आई. ए. एस. ऑफिसर्स आते हैं उनका भगवान ही मालिक है। थोड़े दिन बाद शादी करने के दिन आ जाते हैं, क्योंकि नये-नये कम उम्र के आते हैं, न जानते हैं और न समझते हैं। एक चीज जानते हैं किस प्रकार से पीना चाहिए। जब हम उनके पास चले जायें तो टांग पर टांग रखे सिगरेट फूंकेंगे और फिर कहेंगे कि हमने देखा है। क्या देखा है तुमने? महरबानी करके इन लोगों को सुधारें। कांग्रेस इनके बेसिक स्ट्रक्चर में सुधार नहीं कर पाई नौकरशाही के कारण, आप तो कीजिए।....

श्री मदनसिंह दांता : माधोसिंहजी के टाइम में जैसे बालजी खवास थे अनपढ़ उसी तरह के आदमी रहें।

श्री मूलचन्द डागा : इनकी कारें और जीपें कम कर दीजिए और लेकर अपने पास रख लीजिए। जीप में तो शिकार खेलते हैं। जब-जब जाते हैं तो वह यह काम करते हैं।

बैरी आयोग एक ढकोसला है। जब भैरोंसिंहजी को छपाना था कि मेरे पास 250 मुकदमों की लिस्ट है, जिनके पास 800 और 900 बीघा जमीन काश्त की है। मैं खुद जानता हूं उनके आंकड़े, मैं आपकी सेवा में पेश करूंगा, वह जमीन उनके पास है। सीलिंग का कानून कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर सकी। अन्त्योदय योजना से क्रान्ति आयेगी या नहीं आयेगी लेकिन जमीन उनसे आप छीन लें तो पूंजीवाद जो गांवों में पनप रहा है वह समाप्त होगा। गांवों में दो वर्ग हो गए हैं एक तो ऊंचा और एक नीचा। जो ऊंचा वर्ग है उसके नीचे सारी जमीन दबी हुई है। बैरी आयोग इसलिए बैठाया गया कि मामला थोड़ा धीमा पड़ जाये। आपने एक अमेन्डमेन्ट किया है। आप जमीन ले लीजिए अपने कब्जे में और लेने के बाद जो एग्रीव्ड पर्सन है वह खुद रेवेन्यू बोर्ड में चला जायेगा। लेकिन रेवेन्यू बोर्ड में किस प्रकार के लोग आप भर्ती करते हैं....

श्री रघुनन्दन व्यास : गांवों में तो 18 एकड़ से अधिक जमीन है ही नहीं। फिर कौनसी जमीन लेने की बात कर रहे हैं? डागा जी बता दें।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कहीं लिख कर नहीं दिया, मैंने गलती की। बड़े-बड़े जमींदार थे, बड़े-बड़े काश्तकार हैं उन्होंने अपने नाम की जमीन, अपने घर वालों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से ली है, बेनामी जमीनें हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मेरी गलती हो मुझे कटघरे में खड़ा करो, मुझे जेल भेजो। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं एक तो जमीनों के मामले को मैंने आपके सामने रखा है। दूसरे जमीन के मामले अभी री-ओपन हुए, क्या कारण है उसका? क्या कारण है निर्णय नहीं ले पाते हैं? उसका कारण यह राजनीति है। यह राजनीति, इस प्रकार से चलती है कि वह अपने सिद्धांत को छोड़ देती है। समानता की भावना की बात और सन्तुलन की बात करते करते आपको एक वर्ष हो गया है। आप देखिये, रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर कौन

(श्री मूलचन्द डागा)

जाते हैं ? जो सेक्रेटरी बिल्कुल टूट गये हैं। जिनकी जिन्दगी के आखरी दिन आ गये हैं, जो कुछ नहीं जानते वे, रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर बन जाते हैं। उसको बनाइये जिसने काफी दिन तक वकालत की हो। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। वे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर कितने-कितने महीने रहते है ? आपने प्रतिवेदन पेश किया उसमें है कि कोई 7 महीने, कोई 6 महीने और कोई कुछ अस के लिये रहता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

रेवेन्यू वोर्ड के मेम्बर बनाने का आप किस प्रकार से निर्णय लेते हैं ?

तीसरी, बात सेक्शन 91 के केसेज के बारे में है। यह सेक्शन 91 के केसेज की क्या बीमारी है ? आज भी इसके तहत हर जमीन पर पटवारी कार्यवाही करता है। यह सेक्शन 91 कब तक चलेगा ? जब यह जमीन ही नहीं है तो 91 की कार्यवाही क्या है ? राजस्थान लैंड रेवेन्यू के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता था। कलक्टर ने मन्जूरी दी है कि जमीन आवंटन कर दी जावे और इस प्रकार से जमीन आवंटन हो गई। इसके अलावा मैं चाहता था...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक माननीय सदस्य : जोशी से ले लें।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो मैं ही चाहता था कि जिसकी चीज है...

(व्यवधान)

मेरे घर वालों के पास हो, खोस ली जाये। आप में लेने की हिम्मत चाहिए। आप केवल थोथी घोषणायें करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री करतारसिंह।

श्री **करतारसिंह** (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिला प्रशासन और भू-राजस्व के संबंध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं। जिला प्रशासन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर कई माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह सही है। जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार है। गांवों की ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। वे अधिकारी एयर कन्डीशन्ड कमरों में बैठे हुए हैं। गरीबों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। छोटे से छोटे काम के लिये गरीब किसान तहसीलों में टक्करें मारता फिरता है किन्तु कोई सुनवाई नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं राजस्थान सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो अधिकारी शहरी क्षेत्रों में पड़े हुए हैं, शहरी वातावरण में पड़े हुए हैं उनका ध्यान गांवों की तरफ नहीं जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जितने भी राजकीय सेवाओं में नवीन पद सृजित हों उनमें से 80 प्रतिशत स्थान गांव वालों के लिये सुरक्षित रखे जायें जो गांवों के वातावरण में पले हों, गांव वालों की बात सुन सकें और उनको जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न कर सकें।

दूसरा जिला प्रशासन को ग्रामोन्मुखी

(श्री करतारसिंह)

बनाने के लिये सुझाव है कि पहले ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति बने जिसमें व्यवस्थापक, अध्यक्ष, सरपंच तथा ग्राम सेवक आदि सदस्य हों। समिति हर गांव में जाय और ग्रामीणों के अभाव-अभियोगों को सुने। इसी तरह गिरदावर हर सप्ताह प्रत्येक ग्राम में जाकर के जनता के अभाव-अभियोग सुने। नायब तहसीलदार हर गिरदावर सर्कल में घूमने की कोशिश करें। ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं से संबंधित उपखण्ड स्तरीय अधिकारी एस. डी. ओ., एम. एल. ए. विद्युत विभाग के ए. ई. एन. हों। विकास अधिकारी व बंकों के अधिकारियों की एक समिति बनाई जावे जो गांवों में जाये। वह 6 महीने में हर गांव में पहुंचे जिससे कि ग्रामीणों की जितनी भी समस्याएं तथा मामले, जो विचाराधीन हों, निपटाये जा सकें। जैसे जितने भी धारा 91 के केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको गांवों में जाकर मजमा-ए-आम में निपटायें। इसी तरह जिलाधीश व संबंधित जिला अधिकारीगण महीने में एक बार अवश्य तहसील स्तर पर जाकर केम्प लगावें तथा अभाव अभियोग सुनकर विवादों का तुरन्त निपटारा करें। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तथा ग्रामीणों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो गांवों में रहने वाली 80 प्रतिशत जनता को लाभ होने वाला नहीं है।

वर्तमान में आपके अधिकारी एयर कन्डीशन्ड रूम में बैठकर प्लान बनाते हैं। जनता द्वारा कोई भी शिकायत की जावे तो उस शिकायत की जांच के लिये जिलाधीश को भेजा जाता है। उसके पास 5-5, 6-6 महीने रिपोर्ट पड़ी रहती है क्योंकि जिलाधीश के पास बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता है। वह रिपोर्ट को जांच हेतु उप-जिलाधीश को भेजता है वहां भी यही दशा होती है। इस प्रकार शिकायतकर्ता राहत से महरूम रह जाता है और उसे निराशा होती है। उप-जिलाधीश स्तर पर एक समिति कायम कर दी जावे जिसमें स्थानीय विधायक तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारी, उप-जिलाधीश हो उसकी हर महीने में मीटिंग हो। उपखण्डस्तरीय अधिकारी व जन-प्रतिनिधि उस मीटिंग में होने चाहियें ताकि उस क्षेत्र के भावी विकास के लिए प्लान बना सकें। इसके साथ-साथ निवेदन करना चाहूंगा अगर इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो वर्तमान में ग्रामों के विकास संबंधी विभिन्न योजनायें हैं वे अवश्य ही सफल होंगी।

इसके साथ ही भू-राजस्व के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। अजमेर जिले में पिछले कई वर्षों से सेटलमेन्ट कार्य नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप किसानों को भयंकर परेशानी उठानी पड़ रही है। भू संशोधन जो सन् 6-9-71 तक किया गया, उसको मान्यता नहीं दी गई। उसके सम्बन्ध में मैंने विधान सभा के पिछले सत्र में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अजमेर के किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह अत्यावश्यक है कि वहां पर 6-9-71 के संशोधन के ओब्जेक्शन सुनने के बाद तुरन्त लागू किया जाये ताकि किसानों को जो परेशानी हो रही है वह दूर हो सके तथा बैंक से उनको लोन मिल सके।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान में जो भूमि संबंधी कानून हैं और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, टिनेन्सी एक्ट आदि इनमें इतने संशोधन हो चुके हैं कि इनका मूल रूप ही बदल गया है जिससे अच्छे-अच्छे वकील भी इनको समझने में असफल रहते हैं। अतः इन भूमि संबंधी कानूनों को

(श्री करतारसिंह)

समायोजित रूप में बनाने के लिए इनको ड्राफ्ट करवायें ताकि जनता को शीघ्र राहत एवं सही न्याय मिल सके।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव वनों के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वर्तमान में ग्रामों में चराई के लिये जमीन उपलब्ध नहीं है जिसके फलस्वरूप पशु पालक परेशान रहते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रति वर्ष मेरे क्षेत्र के हजारों की तादाद में पशु चरने हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि स्थानों पर जाते हैं। पिछले वर्ष भी गये परन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने उन पशुओं को वापस ले जाने के लिए पशुपालकों को मजबूर कर दिया तथा वहां पशु चराने से मनाही कर दी जिससे पशुपालकों को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ा। पिछले सत्र में भी मैंने इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। यह समस्या बड़ी गम्भीर है। इस पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिये। यहां के चरागाह तो बेकार पड़े हैं उनमें पर्याप्त घास उपलब्ध नहीं है। ऐसी सूरत में पशुपालकों को चिन्ता होना स्वाभाविक ही है। अतः राज्य सरकार इस ओर अवश्य ध्यान दे।

अब कुछ माह पश्चात पुनः बरसात आ रही है उसके बाद वही समस्या फिर आएगी। इसलिए मैं समय से पहले वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे मध्य प्रदेश सरकार से वार्तालाप करें तथा हल निकालें। साथ ही ग्राम पंचायत लेवल पर जो चरागाह हैं उनको डवलप कर के पशुपालकों की योजना बनाकर राहत दें ताकि जो पशुपालक हैं वह ज्यादा नहीं भटकते फिरें और दूसरे प्रदेशों में जाने की दिक्कत नहीं हो।

इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज वनों की बड़ी भारी दुर्दशा हो रही है। वनों की दुर्दशा का मुख्य कारण मैं समझता हूं कि ये वन कर्मचारी हैं। उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और वे कर्मचारी लापरवाह हैं। मेरा निवेदन है, इसके लिए राज्य सरकार को अवश्य ही कोई कारगर कदम उठाना चाहिए ताकि वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोका जा सके और वनों को बचाया जा सके।

मैं वन्य पशुओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्यों कि अभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने इस पर अपने विचार नहीं रखे हैं। वन्य पशुओं की सुरक्षा के बारे में भी मैं दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। वन्य पशुओं के शिकार पर राज्य सरकार ने करीब सन् 72 से बेन एक अधिनियम बना कर लगा रखा है, शिकार खेलने से मना कर दिया है। मेरा यह मानना है कि वन विभाग के अधिकारियों को वन्य पशुओं, पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जब तक किसी भी वन्य पशु या पक्षी की जाति, उसकी प्रकृति, उसके प्रजनन अर्थात् उसके जीवन इतिहास का ज्ञान नहीं हो हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते। प्रकृति सिद्धांत के अनुसार वास्तव में जो शक्तिशाली जंगली जानवर होते हैं वे दूसरे कमजोर जानवरों को खत्म कर देते हैं और दोष शिकारियों पर आता है। मेरा इस संबंध में यह मानना है कि वन्य जानवरों की सुरक्षा हेतु व उनके प्रजनन के लिए हर जिले में ही नहीं बल्कि हर गांव में छोटे वन अभयारण्य होने चाहिए जहां पर वे रह सकें तथा प्रजनन संभव हो सके। उनके ह्रास को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर जंगलात होना अति आवश्यक है।

एक माननीय सदस्य : कृषि योग्य भूमि पर नहीं बनायें।

श्री करतारसिंह : माननीय सदस्य यह, मेरा सुझाव है, आपका नम्बर आए तो आप भी सुझाव दें, मानना, न मानना सरकार की मर्जी पर है।

दूसरी बात मैं यह कह रहा हूं कि जो पूरे साल भर शिकार पर बेन लगाते हैं मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक पशु पक्षी का प्रजनन सीजन होता है उसी सीजन में प्रजनन होता है, उस अवधि में ही बेन लगायें तो उपयुक्त रहेगा। जितने पशु-पक्षी हैं, उनकी अपनी-अपनी नेचर होती है, उसका अध्ययन करना चाहिए और जिस टाइम में उनका ब्रीडिंग सीजन हो, उस टाइम में बेन लगाना चाहिए। इसके बाद में बेन लगाने की आवश्यकता नहीं है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अजमेर जिले की भौगोलिक स्थिति को देखा जाय तो वहां पहाड़ी स्थानों के साथ ही साथ खुले मैदान भी हैं जहां काले हिरण (ब्लैक डीयर) आसानी से रह सकते हैं। देशी रियासतों के समय वहां हजारों की तादाद में काले हिरण थे लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक भी वहां पर कोई अभयारण्य नहीं है। वे सब काले हिरण लुप्त प्राय: हो गये हैं। अत: मेरा माननीय वन मंत्रीजी से निवेदन है कि अजमेर जिले के लिये काले हिरणों हेतु एक अभयारण्य बनावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट दीजिए, उपाध्यक्ष महोदय, अभी समाप्त करता हूं।

भौगोलिक दृष्टि से अजमेर का बहुत महत्व रहा है। पहले अजमेर में बस्टर्ड बहुत होते थे। अजमेर की जो वर्तमान भौगोलिक स्थिति है वह भी उनको बहुत सूट करती है। आज भी वहां अच्छी तादाद में ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड पाया जाता, परन्तु वनों के अभाव में स्थिति यह है कि सभी हिरण खत्म हो चुके हैं तथा ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड भी समाप्त हो रहे हैं। अत: मेरा निवेदन है कि अजमेर जिले में कम से कम दो अभयारण्य बनाये जायें ताकि ये पशु-पक्षी यहां पर रह सकें और जो पक्षी जिंदा हैं वे भी रह सकें, उनका सफाया होने से बचाया जा सके। इस प्रकार काले हिरण व ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड, जो लुप्त प्राय: हैं तथा राष्ट्रीय महत्व के पशु-पक्षी हैं, को बचाया जा सके।

इसके साथ ही वन मंत्रीजी से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपके वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामों में तबाही मचा रखी है। वन क्षेत्रों में आने वाले जितने भी सार्वजनिक रास्ते हैं उनमें अधिकांश में फेंसिंग लगा रखी है। गांवों में आने-जाने वाले सार्वजनिक रास्तों पर फेंसिंग लगा देने से उनको बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको उन जगहों की फोरेस्ट में, रिजर्व फोरेस्ट में लेना भी है तो कम से कम आने जाने का रास्ता छोड़ना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपके माध्यम से ये दो सुझाव रखते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिला प्रशासक

Page No 150

(150)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने और विशेष तौर पर ईश्वरचन्द्रजी ने जिस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था, मैं भी आपके माध्यम से उसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जिला प्रशासन को आपने अपना बहुत मुख्य कार्यक्रम अन्त्योदय योजना का सौंपा है। उसे किस तरह से कर सकेंगे ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग, यह सोचने का विषय है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। बजट के अवसर पर मुझे बोलने का समय नहीं मिला था। इसलिए इस समय कुछ अन्त्योदय योजना के विषय में अधिक नहीं कहते हुए इतना तो अवश्य कहूंगा कि अन्त्योदय योजना का काम तहसील लेवल पर तहसीलदार देखता है। उसने कमीशन खाने के लालच से विभिन्न प्रकार के लोगों को एजेन्ट बना रखा है। जो तहसीलदार और अनुदान मिलने के बीच में धनराशि का कमीशन का लेन देन का काम करते हैं, लोगों को किस तरह से तंग करते हैं अथवा बहकाते हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन लोगों के वृद्धावस्था पेंशन के मामले हैं, विकलांगों को या अन्य को लोन देने या अनुदान के मामले हैं, उन सबसे तहसीलदार अपने उन एजेंटों के मार्फत सर्टेन पर्सेंटेज का हिसाब किताब करता है। जो तहसीलदार के एजेंट बने हुए हैं गांवों में वे उस समय तक कागज उन गरीबों के पूरे नहीं करते जब तक कि बीच में कमीशन देने को हां नहीं कर लेते। हां करने के बाद उनका नाम व फार्म वगैरह आगे भेजते हैं वरना उनका नाम ही आगे नहीं भेजते हैं। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध पटवारी लोग जो हैं मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूं। एक है गुलाबचन्द स्वर्णकार और दूसरा श्री पूसा-लाल। हमारे यहां तहसीलदारजी जब से आये हैं तब से उन्होंने कई नए नए काम किए हैं। नए-नए काम क्या किए यह मैं आपको बताता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फरवरी-मार्च, 77 की घटना है। डेगाना आने के बाद पहली बार हमारे यहां किसान के खेत में पड़त में जो लकड़ियां होती हैं, जिसको बेजड़ी कहते हैं, वह लकड़ी जिले से बाहर बहुत जाती है। उन्होंने उसको ग्राम बामण में जब्त की और उसको नीलामी की जिससे करीब चार हजार एक सौ रुपये उन्हें प्राप्त हुए। जिसका उन्होंने एक-चौथाई तुरन्त जमा करा लिया। करीब एक हजार रुपया उस खरीददार ने उस तहसीलदारजी को जमा कराकर उस लकड़ी की रसीद भी लेली। बाकी की तीन-चौथाई रकम फिर बाद में तहसीलदार, डेगाना ने खरीददार से प्राप्त कर उस जप्तशुदा लकड़ी को ले जाने की स्वीकृति दे दी जो कि वहां से ले गया। लेकिन बाकी जो तीन-चौथाई रकम बाद में खरीददार से ली उसका आज तक पता नहीं क्या हुआ। उसको एक वर्ष हो गया है। तहसीलदार ने जो तीन-चौथाई रकम वसूल की उसका क्या किया, आज तक पता नहीं है। इसके बारे में जिलाधीश को निवेदन कर दिया। जगह-जगह इसकी शिकायत कर दी गई लेकिन उस तहसीलदार ने आज तक तहसील में वह राशि जमा नहीं कराई और न उसके खिलाफ कोई कार्यवाही ही हुई है।

अब मैं दूसरा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा ....

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : क्या नाम है उस तहसीलदार का ? नाम बतायेंगे ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जगदीशप्रसाद स्वर्णकार है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह भी स्वर्णकार है ?

श्री नवरंगसिंह : इस तरह की शिकायत करो तो तबादला हो जाएगा ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं । मार्च, 77 में हो दो लकड़ी के ट्रक भरे हुए पकड़े गये । उनको पकड़ कर लकड़ो तहसील में खाली करवा लो गई और ट्रेजरी गार्ड के सुपुर्द कर दी गई । कुछ दिनों बाद एक ट्रक उसमें से अपने गांव, जो बिलाड़ा के पास है, भावी नामक ग्राम है, घर पर भिजवा दी । बाकी की लकड़ी जलाई या क्या किया उसका अता-पता नहीं है । जब उन्होंने लकड़ी पकड़ी, गार्ड के सुपुर्द कर दी, और तहसील में खाली कराई फिर किस तरह से वहां से निकाल दी, अभी तक उसका अता-पता नहीं है । वह लकड़ी तहसीलदार ने श्री हरीराम निवासी डेगाना के ट्रक द्वारा भेजी जिसको अभी पूरा किराया भी नहीं दिया ।

तीसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अप्रेल, 77 में ही बूहाटी ग्राम में, जो डेगाना तहसील में है, वनजारों के यहां पर मृत्यु भोज हुआ । उस मृत्यु भोज के दिन तहसीलदार वहां पर पहुंचे एवं सारा सामान जब्त कर लिया तथा सारा का सारा सामान इन्होंने नीलाम करा दिया । जब्त करके वह राशि तहसील में जमा नहीं कराई जो नीलामी से प्राप्त हुई थी । जब उन्होंने नीलामी की राशि जमा नहीं कराई तो वहां के नायब-तहसीलदार श्री यादवसिंह ने शिकायत की जिलाधीश को, यादवसिंह भी साथ था, जब वहां पर छापा मारा था और माल जब्त किया था । उसी ने शिकायत की कि चार महीने हो गए राशि जमा नहीं कराई । शिकायत हो जाने के बाद तहसीलदार ने वह धनराशि जमा कराई । इस प्रकार इस धनराशि को गबन करने की नियत से अपने पास रखा । चार महीने तक तहसीलदार के पास यह धनराशि किस तरह से रही, समझ में नहीं आता ।

इसके बाद मैं आपको निवेदन करूं कि हमारे यहां पर कुछ पटवारघरों की मरम्मत के लिए आठ हजार रुपये मिले थे । उन आठ हजार रुपयों से चार, पांच पटवारघरों की मरम्मत करानी थी । इसके लिए उन तहसीलदारजी ने जोधपुर से अपने परिचित एक ठेकेदार को बुलाया और उन रुपयों की लीपापोती कर दी । उन आठ हजार रुपयों में से कुल पन्द्रह सौ रुपये उन्होंने खर्च किए । इसकी भी शिकायत जिलाधीश को हुई, शिकायत होने के बाद में पूछताछ की गई तो जितने गांव के रहने वाले थे, सरपंच, पटवारी और अन्य लोग, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि हमारे यहां पर कोई काम नहीं हुआ सिवाय सफेदी कराने के । जब तहसीलदार को इस शिकायत का पता लगा तो उन्होंने उन पटवारियों, जिन्होंने कलक्टर को शिकायत की थी, के खिलाफ जिलाधीश को लिखित शिकायत कर उनका स्थानान्तरण करवा दिया । पटवारियों ने ईमानदारी का परिचय दिया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि तहसीलदार पैसा खा गया, हमारे यहां पर कोई कार्य नहीं हुआ । इस तरह तहसीलदार साहब के ये आठ नो महीने के वाकियात हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं ।

अब मैं जिला प्रशासन के अन्य मामलों

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

के बारे में निवेदन करूंगा। मेरे यहां पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ग्राम आलनियास के अन्दर है चरागाह खसरा नं.247 पर। वहां पर एक आदमी ने नाजायज कब्जा कर लिया, जिसकी शिकायत 15-6-75 को सरपंच ने की। तारीख 30-6-75 को तहसीलदार का फैसला हुआ और 2-7-75 को उसकी फसल नष्ट कर दी गई। उस आदमी ने प्रयत्न किया और फिर नाजायज कब्जा किया, जिसकी फिर तहसीलदार को शिकायत की। इस बार तहसीलदार चुप रहे। तब फिर एस. डी. ओ., मेड़ता को दिनांक 20-2-76 को शिकायत की, तो एस. डी. ओ. ने 24-2-76 को उसकी फसल आर. आई. के मार्फत नष्ट करादी। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार ने अन्दर ही अन्दर नियमन की कार्यवाही शुरू की। उसका पुराना कब्जा दिखाने के लिए रिकार्ड में हेरा-फेरी कर कब्जा दिखाया। श्री कल्याणसिंह, जो कि रींया के रहने वाले हैं, के नाबालिग लड़के के नाम से तथा नियमन की कार्यवाही करने के लिए एस. डी.ओ. को भेज दिया। केस एस.डी.ओ. कोर्ट में तब से अभी तक लटका पड़ा है। कोई फैसला व न्याय करने वाला नहीं है। सरपंच ने इसके लिए चिट्ठियां लिखीं तारीख 28-4-76 को, फिर 15-6-76 को, फिर 12-7-76 को व उसके बाद 1-9-76 को। मैंने भी जिलाधीश महोदय को 23-6-76 को लिखा और उसके बाद जिलाधीश महोदय ने एस. डी. ओ. को दिनांक 29-6-76 को लिखा कि जांच तुरन्त पूरी करके फैसला किया जाय तथा तहसीलदार के खिलाफ जांच कर कागजात मुझे प्रस्तुत किये जायें जिसकी प्रतिलिपि जिलाधीश द्वारा भेजी हुई मेरे पास मौजूद है। अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। वह आदमी नियमित रूप से गोचर में काश्त करता आ रहा है। यह हमारे जिला प्रशासन का हाल है। यह तो तब जबकि मामला स्पष्ट है। जिस काश्त को दो बार नष्ट कर दिया गया उसकी नियमन की कार्यवाही कैसे हो सकती है? हम इससे क्या आशा कर सकते हैं और क्या गरीब आदमी आशा कर सकता है न्याय प्राप्त करने की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह का दूसरा किस्सा प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक गोनरवा ग्राम है जिसमें आबादी की जमीन है। वहां आबादी की जमीन पर जबर्दस्ती एक आदमी शिड्यूल्ड कास्ट्स के आदमियों के बाड़े को हटा कर उस पर काश्त कर रहा है। हमारे एस. डी. ओ. साहब ने उस जमीन का नियमन कर दिया है जबकि आबादी जमीन का नियमन करने का अधिकार उनको नहीं है। नियमन करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। एस. डी. ओ. तो क्या कलक्टर को नियमन की पावर नहीं है। सरकार उचित समझती है तो यह कर सकती है। उसके बाद ही आवंटन का प्रश्न पैदा होता है। प्रभुसिंह नाम के इस व्यक्ति के पास पहले से ही काफी जमीन है। एस.डी. ओ. व जिलाधीश से पंचायत ने निरन्तर इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया। मैं खुद मिला हूं परन्तु जिला प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। ये ताजे-ताजे मामले थे, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं।

इसी प्रकार से एक मामला मेरी निगाह में और आया है। श्री लिछमन राम गांव

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

खाकड़की की जमीन सीलिंग में आई थी। वह जमीन भूमिहीन लोगों को अलाट की जानी चाहिए थी। यह जमीन कीमती है और करीबन एक हजार रुपया बीघा उसकी कीमत है। वह साढ़े आठ बीघा जमीन है। वहां के जो तहसीलदारजी थे वे ही अब डेगाना के हैं। इसके पहले वे मेड़ता में थे। ईमानदार व्यक्ति होने की उनकी शोहरत थी, परन्तु इन तहसीलदारजी ने दो-तीन हजार रुपये की हेरा-फेरी करके, एस. डी. ओ. से साजिश करके एक घीसाराम चौधरी, जिसके पास आलरेडी काफी जमीन है, पुत्र जैसाराम के नाम साढ़े आठ बीघा जमीन अलाट कर दी। यह नाबालिग लड़का है। उसके पिता के पास पहले से ही काफी जमीन है। इस प्रकार जो जमीन सीलिंग में आई उसको जो नाबालिक लड़का है, उसके नाम अलाट कर दी। भूमिहीन लोग इन्तजार कर रहे हैं कि उनको भूमि मिलेगी। बताएं, उनको कहां से जमीन मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, अनेक भ्रष्टाचार के मामले हैं। एक-दो विशेष उदाहरण मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा। वरना, श्रीमान्, ऐसे मामले तो कई हैं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है।

श्रीमान्, मेरे क्षेत्र के एक गांव गेमलियाव में चार-पांच शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों के जो बाड़े थे, उन पर उस गांव के ठाकुर ने नाजायज कब्जा कर लिया। वे आदमी मेरे पास आए, तहसीलदारजी के पास भी गये। उन्होंने कहा 8-10 साल से उनका कब्जा था। वह हटा कर उसने कब्जा कर लिया है। तहसीलदारजी ने उनकी सुनवाई नहीं की। कलक्टर साहब से निवेदन किया। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के बाड़ों पर कब्जा कर लिया गया है पर कोई नतीजा नहीं निकला। इतने साल से उनका कब्जा है। इस प्रकार के अत्याचार, श्रीमान्, गांवों में हरिजनों पर हो रहे हैं। यह कैसी अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ आपकी हमदर्दी है? मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह की हरकतें गांवों में होती हैं; गरीब लोगों के साथ होती हैं तो इस संबंध में जिला प्रशासन को सचेत करना आवश्यक है। विशेषकर जिन तहसीलदारजी के नाम मैंने यहां पर बताये हैं, उनको तो, मंत्री महोदय, नौकरी में नहीं होना चाहिए था। अभी तक उनको निलम्बित नहीं किया गया है। स्थानान्तरण भी नहीं किया गया है। हम तो चाहते हैं कि आप सचेत हों। प्रशासन लोगों को दें। अगर इन लोगों का आपके पास इलाज नहीं है तो इसी तरह के एक-दो तहसीलदार और भेज दें ताकि दोनों मिलकर वहां पर जो कमी रह गई है, वह पूरी कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि लोग रास्तों पर कब्जा कर लेते हैं, और रास्ते संकड़े बना देते हैं। इसलिए ऐसे रास्तों पर जो कब्जा कर लेते हैं उनका नियमन नहीं किया जाए। हमारे यहां पर काश्तकार अपने खेतों को डोलों पर कांटे लगा देते हैं ताकि खेतों का बचाव जानवरों से हो सके। वहां रास्ता संकड़ा हो जाता है, कई जगह एक-एक फर्लांग से एक-एक किलोमीटर तक लम्बी होती है। वहां पर एक बैलगाड़ी दूसरी के पास से नहीं गुजर सकती है। इतने लम्बे, बड़े रास्ते से कैसे वापस मुड़ें, यह एक समस्या खड़ी हो

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

जाती है। अतः रास्तों को संकड़ा होने से बचाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में खेजड़ी की लकड़ी बहुतायत से होती है और लोग उसको जायज या नाजायज काटकर बेचते हैं। उसी के लिए लोगों ने आरा मशीन लगा रखी है, वे लकड़ी चोरकर ट्रक में भरकर ले जाते हैं। तहसीलदार और थानेदार का इसमें हाथ होता है। यह लकड़ी बीकानेर, जोधपुर, पाली और अजमेर आदि शहरों में जाकर बिकती है। पाली में विशेषकर जाती है क्योंकि यह खेजड़े की लकड़ी होती है जो लम्बे समय तक ताप बराबर रखती है। वहां यह रंगने के भट्टों के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्रकार 100-150 रुपये की रिश्वत तहसीलदार व पुलिस वालों के बीच इसमें चलती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, राजस्व मंत्री महोदय से कि या तो आप इसको खुला कर दीजिए या ऐसी व्यवस्था कीजिए, चाहे परमिट हो या और कोई सिस्टम हो ताकि इस तरह की हेरा-फेरी व भ्रष्टाचार जो होता है वह न हो सके। इसके साथ-साथ मैं कुछ वनों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट में एक गोंद का ठेका देने का मामला है। सिरोही जिले में कड़ाया क्षेत्र में जो गोंद व साकार गोंद गम निकालने का ठेका दिया गया उसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है, क्या करने जा रही है, वह कृपया बताने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा। डिवीजनल लेवल पर पर्चेजेज होती है। इसके लिए भी आपका यूनिवर्सल तरीका होना चाहिए। कोई कांटेदार तार 3200 रुपये टन खरीदता है, कोई 3400 रुपये टन खरीदता है और कोई 3500 रुपये टन खरीदता है। आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि सारे राजस्थान के लिए जो आवश्यकता है तारों की, वह एक ही जगह से खरीदे जाएं ताकि इसमें जो हेरा-फेरी होती है, वह न हो। इसी प्रकार और चीजों की खरीद भी व्यवस्थित करनी चाहिये।

इसके साथ ही छोटे-छोटे पहाड़ों पर जहां आम तौर से कोई वन नहीं है वहां पर जानवरों को चरने नहीं देते हैं। जो आदमी वहां पर है वह नाजायज रूप से वसूली करके मवेशियों को चरने देता है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह के जो वन हैं, जहां पर पेड़ कम हैं घास अधिक है वहां मवेशियों को चरने की छूट दे दी जाए। ताकि इस तरह हेरा-फेरी कर कमीशन लेकर मवेशी चरने देते हैं, वह बंद हो। कुछ वनों में पशु चराने की चराई भी लगा रखी है पर जब आपका अधिकारी चराई वसूल न कर चोरी की चराई वसूल करता है तब झगड़े की समस्या बन जाती है। इसके लिए वहां पर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ बढ़ावें। सुविधा नहीं है तो सुविधा बढ़ावें।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि आप अपने इस विभाग को सुधारिए ताकि किसानों को फोरेस्ट में चरागाह से मदद मिले और आपके विभाग की भी आमदनी शुरू हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके लिए मैं कांक्रीट सजेशन राज्य सरकार को देना चाहूंगा। लोकतंत्र में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए यह जो जिलाधीश शब्द है, वह सामन्तवाद का द्योतक है। यह जिलाधीश शब्द मिटा देना चाहिए। जिलाधीश की जगह जिला सेवक नाम रख दीजिए। जब ग्राम सेवक हम बनाते हैं, जनसेवक हम कहलाते हैं तो यह भी सेवा वाले लोग हैं, सर्विस में हैं आप चाहें तो इसका नाम जिला प्रशासक रख सकते हैं परन्तु जिलाधीश शब्द होने से उनके मन में क्रूरता आ जाती है। इसलिये यह जो 'धीश' शब्द है, उसको मिटाना जरूरी है। मैं यह उम्मीद करता हूं कि जनता पार्टी की सरकार, जो लोकतंत्र में विश्वास करती है, इस जिलाधीश शब्द को मिटा कर इसकी जगह जिला प्रशासक, जिला सेवक शब्द रखेगी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब कभी भी बड़े-बड़े समारोह होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, उस समय झंडाभिवादन कलक्टर द्वारा कराया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो जन प्रतिनिधि है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं वहां से या वहां का जो लोकल प्रतिनिधि है,- एम.एल.ए., उनसे यह झंडाभिवादन कराया जाएं। सरकारी आदमियों द्वारा झंडाभिवादन होता है उससे उसके मन में घमंड आ जाता है। वह जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझता है।

तीसरा निवेदन मेरा यह है कि जितनी भी कमेटीज हैं जिला लेवल पर, जैसे जिला सतर्कता कमेटी, जिला आयोजना कमेटी या पुलिस की एडवाइजरी कमेटी है, उसकी अध्यक्षता जन प्रतिनिधि द्वारा करायी जानी चाहिए। चाहे वह एम.पी. हो, जिला लेवल पर संसद का सदस्य है, वह जनता का प्रतिनिधि है, वह केन्द्रीय सरकार में मंत्री, प्रधान मंत्री बन सकता है। पर जिला लेवल पर इतना बड़ा जनप्रतिनिधि होते हुए भी इन कमेटियों में साधारण मेम्बर की तरह भाग लेता है। जो नौकर है, वह चेयरमैनशिप करता है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जितनी भी जिला कमेटियां हैं, उसकी चेयरमैनशिप वहां के चुने हुए आदमियों द्वारा हो, चाहे रोटेशन से करें, चाहे संसद सदस्य करें। इसी प्रकार हमारी अलॉटमेन्ट कमेटी है। कई बार उपाध्यक्ष महोदय, हम वहां पर जाते हैं, उस एडवाइजरी कमेटी में एम.एल.ए. मेम्बर होते हैं उसकी अध्यक्षता एस.डी.ओ. करता है। एम.एल.ए. को उस कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करनी चाहिए। जो निर्णय कमेटी करे; उसकी पालना हो। जनप्रतिनिधि उसकी अध्यक्षता न करें यह डेमोक्रेसी के अनुकूल बात नहीं है। आशा है राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। दूसरा मेरा निवेदन विकेन्द्रीकरण के बारे में है। मैं यह चाहूंगा कि जो जिला स्तर के कार्य हैं, उनके लिए जयपुर नहीं आना पड़े। इसलिए जिला प्रशासन के जो सीनियर आई.ए.एस. आफिसर हैं, जिनकी कम से कम 5 साल की सर्विस हो उनके पास सारे जिले का कोआर्डिनेशन होना चाहिए। यह नहीं हो कि वह हर मामले में कहे कि सेक्रेटरी साहब से पूछेंगे। ऐसे अधिकारी को वहां लगाना चाहिए जो गलत काम को नहीं करें। ऐसे अधिकारी नहीं हो जैसे शाह आयोग के सामने आकर अब कह रहे हैं कि हमको तो ऐसा करने को कहा गया था। ऐसे आदमी को लगायें जो सैकिण्ड रेट का आदमी नहीं हो।

(श्री शंकरलाल)

मेरा निवेदन है कि जिला मुख्यालय में लोग हर तरफ से दरख्वास्त लेकर आते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है । ऐसी व्यवस्था की जाये कि जो आज दरख्वास्त दें उस पर तारीख लगा दें । उनको घर बैठे जवाब मिल जाये । मैं केवल तारीफ करने के लिए ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब हमारे यहां श्री एल.एन. गुप्ता कलक्टर थे तब ऐसी ही व्यवस्था थी । जिस तारीख को कोई दरख्वास्त देता था उससे तीसरी तारीख को ही उसे जवाब मिल जाता था ।

उपाध्यक्ष महोदय, दफा 91 के मामले हैं । हर एक छोटे-छोटे मामले में 14(4) में आपने पावर्स दे दी हैं । इसी तरह दफा 91 में समय पर यदि कोई अपील नहीं करे तो उसका प्रावधान होना चाहिए । अपील के लिए 200-400 रुपये का कर्जा करना पड़ता है । मगर अपील को दीवानी से हटाकर करना पड़ेगा ।

दूसरे, आई.ए.एस. कलक्टर जो फैसला करता है उसकी अपील रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी सुनता है । आई. ए. एस. आफिसर के फैसले की अपील एक आर.ए. एस. के द्वारा सुनी जाये, इस प्रकार की व्यवस्था को बिल्कुल हटा दें । या फिर कलक्टर से ऊपर के अधिकारी को उस कार्य के लिए लगायें । अन्यथा आर.ए.एस. आफिसर उनसे डरते हैं और न्याय नहीं होता है ।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही विधान सभा बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री **नवनीत पालीवाल** (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विचाराधीन मांगें जब तक पारित नहीं हो जायें तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री **उपाध्यक्ष** : क्या सदन की सहमति है कि जब तक विचाराधीन मांगें पारित न हो जायें तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ाया गया ।

मांग संख्या 4, 8 व 9 पर अग्रेतर विचार

श्री शंकरलाल : जो सीलिंग से प्राप्त जमीन होती है, वह अन्त्योदय योजना के लिए रखी गई है । लेकिन अन्त्योदय योजना में जिनका चयन होता है उनके पास पैसा नहीं है जो जमीन का पैसा दे सकें । नतीजा क्या होता है, न सरकारी जमीन का अलाटमेंट होता है और न सीलिंग की जमीन मिलती है । इसलिए जो भी सीलिंग की जमीन है, उसका मुआवजे का प्रावधान नहीं रखें ।

उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले में री-अोपन करने के लिए मुकदमे भेजे गये थे । वह यों के यों ही पड़े हुए हैं । मैंने एक क्वेश्चन किया था । जवाब आया, 15 दिसम्बर को भेज दिये जायेंगे । सीलिंग के मामले कहां पड़े हैं । उनको क्यों रखा हुआ है, उन पर एक्शन क्या हो रहा है ? यही मुझे निवेदन करना था ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री रघुनन्दन व्यास ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 13 कट मोशन हैं । मैं

(श्री रघुनन्दन व्यास)

सबसे पहले राजस्व के मामले में कहूंगा। अनेक माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्व मण्डल को जुडिशियरी के अधिकार में दे देना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि यह सफेद हाथी है। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेक्रेटेरिएट, कार्मिक विभाग और कलक्टर के बाद रेवेन्यू आथोरिटी में मामले जाएं तो वह सीधा डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दें। रेवेन्यू बोर्ड को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय। राजस्व के मामलों के निपटारे में सुधार हो, इसके लिये जरूरी है कि रेवेन्यू बोर्ड को खतम किया जाये।

तहसीलदारों के संबंध में निवेदन है कि तहसीलदारों के तबादलों में हजारों रुपयों की रिश्वत होती है। जो पहले जाकर दफा 91 की सेवा आदि करवाते हैं। दफा 91 का हमारे गांवों में नाम दूध देने वाली गाय रखा है। गांवों में जाओ और दफा 91 के द्वारा दूध घी कुछ भी खाओ। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, माइन वाला है, सबसे रिश्वत लेते हैं। जो रिश्वत नहीं देता है, उसकी अपीलें खारिज होंगी। जो पैसा देगा उसको न कुर्की होगी न और कुछ होगा। आहोर तहसील में एक मास्टर के खिलाफ मुकदमा हो गया क्योंकि कलक्टर को भेंट-पूजा नहीं दी गई। अब वह कलक्टर वहां से बदल गया है, इसलिए उसके बारे में नहीं कहूंगा।

जिला प्रशासन में राजस्थान सरकार में कलक्टर और एस.डी.ओ. के तबादले होते हैं लेकिन जो गिरदावर से नीचे के हैं उनके और गिरदावर व पटवारी के तबादले नहीं होते हैं। वह वहां के वहीं बैठे रहते हैं। इसलिए जिला प्रशासन का भ्रष्टाचार तो वहां का वहां ही कायम है। इस विभाग में जो यू.डी.सी. हैं, उनको और विभागों में भेजा जाय। विद्युत विभाग है, कोआपरेटिव है, दूसरे विभाग हैं, शिक्षा विभाग है, उनमें बदली करने की कोशिश करें। कलक्टर के आफिस में कलक्टर और एस.डी.ओ. को बदल देते हैं, लेकिन नीचे का ढांचा नहीं बदला जाता। मैंने एक प्रश्न पूछा था राजस्व मंत्रीजी से, मनादर गांव में बीस वर्षों से गोचर काश्त हुई है, शिवगंज में उसकी रजिस्ट्री हुई है। लेकिन उसकी गिरदावरी नहीं हुई क्योंकि पटवारी की कृपा थी, तहसीलदार की कृपा थी, और कलक्टोरेट में बैठने वाले बाबू लोगों की कृपा थी। बीस साल से काश्त हुई है, इस साल भी हुई लेकिन उसकी गिरदावरी नहीं हुई। धारा 91 का मुकदमा नहीं बनाया गया, इसलिए कि बड़े लोगों का साया है और बाबू लोगों की कृपा है, सब कुछ हो सकता है। मेरा निवेदन है कि अफसरों की बदली के साथ-साथ यू.डी.सीज. और एल.डी.सीज. की भी बदली की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा अभी डागा साहब ने कहा जमीन पकड़नी चाहिए, लेकिन वह पकड़ नहीं पाते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, जिला प्रशासन का जो ढांचा है उसमें सुधार होना चाहिए।

दूसरी बात मैं वनों के संबंध में कहूंगा। आबू राजस्थान का पर्यटन स्थल है। मैं सिरोही क्षेत्र से और उसी जिले से आता हूं। जालौर और सिरोही जिलों में जो वन हैं वे सब नष्ट हो रहे हैं, जंगल बन रहे हैं और तारबन्दी बढ़ रही है, उस पर खर्चा बढ़ रहा है। जैसा कि भाई राम-रघुनाथजी ने कहा गांवों में रास्तों में कांटे लगा दिये गये हैं। तहसीलदार सुनता नहीं, कलक्टर सुनता नहीं। सिरोही में मुझे नोटिस देना पड़ा कि अगर तार नहीं हटाओगे तो मैं धरना दूंगा।

(श्री रघुनन्दन व्यास)
आज इस सरकारी मशीनरी के अन्दर कोई बदलाव नहीं आया है। तारबन्दी के नाम पर, भेड़ पालन केन्द्र के नाम पर कई तरीकों से जमीन रखने का प्रयत्न किया गया। इस कारण से भ्रष्टाचार हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक साधारण सी बात निवेदन कर दूं, वनों के बारे में एक साइकोलोजी होती है, एक मनोविज्ञान होता है उसका पालन नहीं किया जाता। बड़ का पेड़ बीज डालने से उगता नहीं है, उसके दाने को जानवर चुगते हैं। वनों के शाश्वत नियम हैं, किन्तु न तो शास्त्रों को कोई पढ़ने वाला है और न देखने वाला। सारे वनों को इन वन अधिकारियों ने नष्ट किया है। आज आबू जैसलमेर की तरह जंगल बन रहा है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, सरकार का पैसा बरबाद हो रहा है किन्तु वनों को कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। चूण्डा में झालावाड़ प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपयों . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : भीनमाल तहसील का एरिया सिरोही से दुगना है। तहसील एक, पटवार सर्किल 85 और भीनमाल का आखिरी गांव सवा सौ मील दूर। सड़कें नहीं, मार्ग नहीं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उसके तीन टुकड़े कर दिये जायं। राजस्व मंत्रीजी ध्यान दें, एक तहसील भीनमाल हो, एक तहसील बागोड़ा और तीसरी तहसील हो रानीवाड़ा। इस प्रकार से उसका विभाजन कर दिया जाय तो . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लोगों का भला होगा, किसानों का भला होगा और राजस्व वसूली में और किसानों के विकास में सुविधा होगी। भीनमाल तहसील में.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बीस हजार पम्पिंग सैट लगे हुए हैं और रेवेन्यू वहां का नगण्य है, इसलिए इस घाटे को बचाया जाय।

आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन के मुताल्लिक सारे माननीय सदस्यों ने चिन्ता के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। जिला प्रशासन जनता और जनप्रतिनिधियों से अलग होता जा रहा है। उसमें प्रशासन की भावना इतनी प्रबल होती जा रही है कि वह दिनों दिन जनता व जनप्रतिनिधियों की अवहेलना करता जा रहा है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने बताया जिले की तहसील में कई प्रकार की कमेटियां होती हैं उनमें जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी सदस्य होते हैं लेकिन उन कमेटियों की अध्यक्षता कोई जिलाधीश करता है, एस.डी.एम. करता है, या तहसीलदार साहबान करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि यह तो पहले वाली सरकार में होता था जिसका प्रजातंत्र में भरोसा और विश्वास नहीं था, जनप्रतिनिधियों की क्या हैसियत रहे उसके लिये चिन्तित नहीं थी, लेकिन

(श्री जयनारायण सालोदिया)

हमारी जनता सरकार ने वायदा किया है, घोषणा की है कि हम जनप्रतिनिधियों की हैसियत को, जनता की हैसियत को कायम रखेंगे, प्रजातंत्र को ऊंचा उठायेंगे और उसे जीवित रखेंगे, इसलिये जरूरी है कि जितनी कमेटियां हैं उनमें जनप्रतिनिधि अध्यक्षता करें। ऐसी बात नहीं है कि हम उन लोगों की इज्जत कम करना चाहते हैं, लेकिन हमने प्रजातांत्रिक प्रणाली को अख्तियार किया है, अपनाया है इसलिए यह जरूरी है। टोंक में इसका बिल्कुल उलटा हो रहा है। जिलाधीश जी हैं, वह लेडी हैं और राजस्थान की नहीं हैं। जब हमारी भाषा ही समझती नहीं है तो किसानों की भाषा कैसे समझेगी? करेक्ट-करेक्ट करती हैं। एक और दिक्कत है यह जो जिलाधीश हैं, वह सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी हैं। मैं कह रहा हूं कि हम मांग करते हैं प्रजातंत्र को जिन्दा रखने के लिए कमेटियों में जनप्रतिनिधियों की अध्यक्षता होनी चाहिए पर दूसरी तरफ टोंक में यह हो रहा है कि पहले टोंक में बैंक का चेयरमैन जनप्रतिनिधि होता था अब उसको डिजोल्व किया और कलक्टर को चेयरमैन बना दिया। फिर नगरपरिषद को डिजोल्व किया और चेयरमैन कलक्टर को बना दिया। फिर जिला परिषद की भंग किया और चेयरमैन बना दिया कलेक्टर को। मण्डी समिति को डिजोल्व किया और चेयरमैन बना दिया कलक्टर को। आखिर करना क्या चाहते हैं? किस तरफ प्रजातंत्र को ले जाना चाहते हैं? जनप्रतिनिधियों की हैसियत को खतम करके सारा कन्ट्रोल जिलाधीशों के हाथ में देना चाहते हैं? अगर आप प्रजातंत्र को बढ़ाना चाहते हैं तो डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। सारी बीमारियों के लिये क्या एक ही औषधि है, कहीं भी जरूरत पड़े किसी काम के लिये तो कलक्टर दिखाई पड़ता है? कलेक्टर के पास पहले से ही बहुत काम है। वह अपना काम ही पूरा नहीं कर पाता है तो नगरपालिका का, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का, जिला परिषद् का, कृषि मण्डी का काम वह कैसे करेगा? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं राजस्व मंत्रीजी, इस तरह की मनोवृत्ति सरकार की चल रही है। जनप्रतिनिधियों से हटाकर आप अफसरों को कायम करना चाहते हैं, यह प्रजातंत्र के लिये घातक है। यह प्रजातंत्र का पोषक नहीं है, इस तरह तो प्रजातंत्र खतम हो जाएगा। इसी के साथ उन लोगों की दृष्टि भी इसी तरह की हो गई है। आप दफ्तरों में देखो वहां पर वे लोग न प्रजा की परवाह करते हैं और न जनप्रतिनिधियों की। जनप्रतिनिधियों को दफ्तरों में जितनी इज्जत मिलनी चाहिए, जितना सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। किसी भी दफ्तर में एक विधायक जाता है तो जो सम्मान उसे मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, यह बुरी बात है। यह प्रशासन और प्रजातंत्र के लिए बुरी बात है। बाहर किसान खड़ा है अंदर साहब चाय पीता रहता है। चपरासी कहता है साहब मीटिंग में बैठे हैं। चौबीसों घंटे कौनसी मीटिंग होती है? गपशप करते रहते हैं अंदर, बाहर जनप्रतिनिधि खड़ा रहता है। कहला दिया जाता है कि मीटिंग में साहब बिजी हैं। ऐसा सरकार की नीतियों, लापरवाही व उदासीनता की वजह से हो रहा है। यह उनका कसूर नहीं है।

आपने राजस्व अभियान चलाया, अन्त्योदय योजना शुरू की, इसके अन्तर्गत

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जितने लोगों को जमीन मिली है, उसकी पटवारियों व तहसीलदारों ने गलत रिपोर्ट दी है। ऐसी जमीन पर बैठाया गया है जिनकी अपीलें हो रही हैं। वे किस तरह से वकील करेंगे? कैसे अपील को कायम रख सकेंगे। जो जमीन अन्त्योदय योजना में मिली है, उसके संबंध में जिलाधीशों को अपीलें कर रखी हैं। किसी भी तरह से कानून में संशोधन करके उन लोगों को राहत देनी चाहिए।

राजस्व अभियान में पटवारियों व तहसीलदारों में सौदा हो गया तो ठीक वरना सौदा नहीं हुआ तो फाइल ही गुम हो गई। वह चाहते हैं कि किसान उनके सामने पहुंचे। दफा 91 का नोटिस उसे मिला है लेकिन फाइल नही आई। हमने पूछा फाइल क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा, रह गई होगी। इस तरह से आज भी दफा 91 के किसानों के केसेज बदस्तूर चालू हैं क्योंकि किसान पटवारी व तहसीलदार को खुश नहीं कर सका।

एक मिनट में मैं ओलावृष्टि के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र निवाई तहसील, जिला टोंक को पहले अतिवृष्टि के कारण अभावग्रस्त घोषित किया गया। हमने कोशिश की, अव्वल तो जनप्रतिनिधियों की जो कोआर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक बुलाते नहीं, बुलाते हैं तो कलक्टर छुट्टी पर चला जाता है। किसी अधिकारी को चेयरमैन की कुर्सी पर बिठा देते हैं। हमने निर्णय लिया कि राहत कार्य शुरू होने चाहिए। अतिवृष्टि के कारण जो क्षेत्र अभावग्रस्त घोषित किया गया, वहां राहत कार्य आज की तारीख तक टोंक जिले की निवाई तहसील में चालू नहीं हुआ। उन्हीं क्षेत्रों में फिर ओलावृष्टि हो गई। जो रिलीफ मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिला। लालफीताशाही के कारण बंद है। रोज-रोज कलक्टर को यहां से टेलीफोन करते हैं। एस.डी.एम. को करते हैं, वह कहते हैं आज शुरू हो जाएगा, कल शुरू हो जाएगा। जनता हमसे जवाब चाहती है कि आप क्या करते हैं? आप विरोधी पक्ष में थे, तब तो बात दूसरी थी, अब तो आपकी सरकार है, काम क्यों नहीं होता है। ये सारी बातें आपकी उदासीनता की वजह से, कमजोरी की वजह से जनप्रतिनिधि व जनता प्रशासन से अलग हो रही हैं। अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों व जनता की इज्जत नहीं करना चाहते हैं। अगर यह स्थिति रही तो मंत्रियों की इज्जत भी नहीं होगी। आप सरकार में हैं, इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे लोगों में असंतोष न बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जैन।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो प्यार करके तुमसे पछताए, न तुम पर जोर चलता है, न दिल काबू में आता है। मेरी सरकार है। फिर भी मजबूरन मुझे ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं। मैं राजस्व मंत्री का ध्यान राजस्व 3, क्रमांक 5(12) राजस्व 3175, दिनांक 5-8-75 की ओर दिलाना चाहता हूं। सन् 1970 के अंदर भीलवाड़ा में नगर सुधार न्यास ने 5 बीघा 3 बिस्वा जमीन आराजी नम्बर 2001, 2002 व 2003 और उसके आसपास की जमीन मिलाकर एक सुधार योजना बनाई गांधी नगर विस्तार योजना। उस समय जिलाधीश थे जगदीश प्रसाद शर्मा। जब कुछ

(श्री कौशल किशोर जैन): लोगों को मालूम पड़ा कि गांधीनगर विस्तार योजना बनाई जा रही है तो जैसा माननीय अभी फर्मा रहे थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों के सहयोग से श्री रामेश्वरलाल भंवर, सोहनलाल व प्रेमचंद जैन, तीन परिवारों के 8 व्यक्तियों ने मिलकर इस जमीन को 45 हजार रुपये में खरीद लिया। जिलाधीश महोदय, जगदीश प्रसाद शर्मा एवं उस समय के डिप्टी चीफ टाउन प्लानर श्री मेहरा से मिलकर उस जमीन को हलका ए आबादी करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी। 1974 के अंदर यह जमीन हलका ए आबादी करने के आदेश जिलाधीश ने दिए। तर्क यह दिया कि इसे कन्वर्ट करने से, कन्वर्शन चार्जेज लेने से सरकार को लाभ होगा। इस तरह गांधीनगर विस्तार योजना खतम कर दी गई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अधिकारी दीर्घा की तरफ नहीं, इधर मुखातिब होकर बोलो।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं विधायकों की तरफ देख रहा हूं। आप कल भी टोक रहे थे आज भी टोक रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह सदन की परम्परा का सवाल है।

श्री कौशल किशोर जैन : मैं निवेदन कर रहा था कि नियमानुसार चीफ टाउन प्लानर से योजना स्वीकृत होनी चाहिए थी किन्तु योजना डिप्टी चीफ टाउन प्लानर से स्वीकृत करा ली गई क्योंकि वह जिलाधीश महोदय के मित्र थे। तर्क यह दिया गया कि कन्वर्शन चार्जेज से सरकार को लाभ होगा। कितना थोथा तर्क था? यह जो जमीन 5 बीघा 3 बिस्वा थी इसको बेच दिया जाए तो आज के दिन 10 लाख रुपये की आमदनी होती। 10 लाख का ब्याज 1,30 रुपये लाख बनता है जबकि जो परिवर्तन मूल्य की सुविधा दी गई वह थी कि श्री भंवर प्रति वर्ष केवल 42 हजार देंगे। केवल इतनी ही बात होती तो कोई खास बात नहीं थी। 1975 के अंदर इस की अपील हुई। राजस्व मंत्री के यहां इमर्जेंसी के कारण 3 साल तक केस पड़ा रहा। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज से तीन महीने पहले हमारी सरकार के राजस्व मंत्री महोदय ने, चाहे टैक्निकल गलती होगी, जानबूझकर गलती करने की बात नहीं है, टैक्निकल गलती के कारण उस समय के जिलाधीश महोदय श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के निर्णय को बहाल कर दिया। मैंने केस नंबर दिया है। राजस्व मंत्री केस को देखें गांधीनगर विस्तार योजना रद्द हुई है तो उस 5 बीघा 3 बिस्वा जमीन को फिर से भंवर प्लास्टिक से लेकर उस पर 40-50 मकान बनाए जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कलक्टर साहब ने यह तर्क दिया कि इन महाशयों के पास रहने को कोई मकान नहीं है। इन तीन परिवारों में आठ लोग हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी इन तीनों महाशयों के परिवारों के आठ लोगों की भीलवाड़ा के अन्दर दस लाख से ज्यादा की प्रोपर्टी है। आप चाहें तो इसको जांच करा लें। उपाध्यक्ष महोदय जो दस लाख की भीलवाड़ा के अन्दर अच्छी जमीन थी, गांधीनगर विस्तार योजना की उसको कलक्टर साहब ने इन लोगों को दे देकर राज्य सरकार को घाटा दिया है इसलिए

(श्री कौशल किशोर जैन)
इनके खिलाफ में कार्यवाही की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि श्री जगदीश प्रसाद शर्मा के बाद जो कलक्टर आये उन्होंने भी इस बात के लिये गवर्नमेन्ट को लिखा है। इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में राज्य सरकार से आग्रह है कि वह जमीन अवाप्त की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे देश में जिस तरह गुजरात और महाराष्ट्र में जिला परिषदों को अधिक अधिकार दे रखे हैं उसी तरह हमारे यहां भी जिला परिषदों को अधिक अधिकार दिये जाने चाहिएं।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आपने कलक्टर का नाम हिन्दी में जिलाधीश कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कलक्टर जिला का ईश्वर है। यह क्या मखौल है। कलक्टर जिले का ईश्वर कैसे बन सकता है? मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आप कलक्टर का नाम जिलाधीश से बदल कर जिला राजस्व अधिकारी रखें।

श्री मदनसिंह दांता : शादी होती है तब दूल्हे को बींद राजा, बींद राजा क्यों कहते हो, उसको बींद चपड़ासी कहो।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : आप कृपया बीच में व्यवधान नहीं करें।

एक बात इसके अलावा मैं और निवेदन करना चाहूंगा। सन् 1962 में एक भण्डारी कमीशन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पर विचार करने के लिये बैठा था उसने अपनी रिपोर्ट भी दी, पर आज 12 वर्ष से अधिक समय हो गया उसकी सिफारिशों के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। कमीशन की वह रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी रही। इसके अलावा सन् 1972 में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में संशोधन करने के लिय एक सलेक्ट कमेटी बैठी थी। उसने अपनी रिपोर्ट दी लेकिन सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित बिल वापस विधान सभा में नही आया। सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आज भी खटाई में पड़ी हुई है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाय जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पर जो सलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके ऊपर विचार करे और राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की पूरी स्टडी कर रिपोर्ट दे, उसके बाद अमेन्डमेंन्ट बिल सदन में लाया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक बात मैं वनों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वनों से जो आय बतायी है वह बतायी है 5 करोड़ 4 लाख 30 हजार और खर्चा जो बताया है वह है 7 करोड़ 57 लाख और 51,000। इस प्रकार हमारी सरकार को वन विभाग से घाटा ही होता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो तेन्दू पत्ते से एक करोड़ रुपये की आमदनी होती है वह भी इस आमदनी में शामिल है। आज हमारी वन सम्पदा को एक तरह से नष्ट किया जा रहा है। कहने को यह कहते हैं कि हम व्यापार करते हैं लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कॉमर्शियल मामलों में भी हमारी सरकार घाटे में ही रहती है। आज हमारे वन विभाग के द्वारा केवल तेन्दू पत्ते

(श्री कौशल किशोर जैन)
का व्यापार ही नहीं किया जाता बल्कि लकड़ी का व्यापार, कोयले का व्यापार भी किया जाता है पर इन सभी से वन विभाग को घाटा ही होता जा रहा है। अब एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप घाटे का ही व्यापार क्यों करते हैं?

इसके साथ ही एक बात अन्त में मैं कह कर बैठ जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिविजन में अभी भी वन सम्पदा है, जंगल हैं। वहां हमारे जो आदिवासी लोग हैं वह लोग देवीजी के दिन लकड़ी नहीं काटते हैं, भोपाजी का दिन हो तो उस दिन भी लकड़ी नहीं काटते हैं। हमारे यहां पर जो वन सम्पदा को नष्ट किया गया है वह नष्ट किया गया है वनों को सरंक्षण देने की घोषणा करने वाले लोगों द्वारा। उन्होंने ही बड़ी निर्ममता से वनों का सफाया किया है। आज उन्हीं वन अधिकारियों के इशारों पर वनों की कटाई हो रही है। वन विभाग के अधिकारी इसमें लाखों रुपये बना रहे हैं और इधर वन विभाग में घाटा ही घाटा दिखायी दे रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर वन विभाग के मंत्री महोदय विशेष तौर से ध्यान दें।

इसके साथ-साथ जो मैंने भीलवाड़ा की गांधीनगर विस्तार योजना के तीन महानुभाव द्वारा लाखों रुपये की जमीन हड़पने के बारे में निवेदन किया है उस पर राजस्व मंत्रीजी जरूर ध्यान दें।

बस धन्यवाद!

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा!

(अनुपस्थित)

श्री हरिश कुमार।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमुआ रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा नाम नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका नाम कौनसी सूची में है? मुझे तो आपका नाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री हरिश कुमार!

श्री हरिश शर्मा (रामगंज मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां से राजस्थान सरकार के वन विभाग की प्रगति रिपोर्ट, प्रशासनिक प्रतिवेदन हमें मिला है उसमें यह दिया हुआ है, "राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों को पूर्व परम्परा एवं उपलब्धता के आधार पर राज्यादेश संख्या 424/एफ. 34 (44)राजस्व 153 दिनांक 24-11-1955 के अनुसार उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां एवं टौंक मण्डलों के आदिवासी एवं कृषकों को कबाड़े, जलाऊ लकड़ी, झाड़बाड़, चारा एवं पशुओं की चराई संबंधी रियायतें दी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या रियायतें दी गयी हैं? कोई रियायत नहीं दी गयी है। आज हमारे यहां ऐसी स्थिति है कि जंगलों को बहुत बड़ी संख्या में वन अधिकारियों ने काट डाला है। इसमें रियायत का नाम लिया गया है किन्तु जलाऊ लकड़ी के बारे में आज हालत हमारे यहां ऐसी है कि किसान जलाने के लिये और अपने खेत के औजारों के लिये भी कोई लकड़ी काट कर नहीं ला सकता है। आप चाहें तो इसकी जांच करवा लीजिये। आज वहां ऐसी

Page No 164

(164)

(श्री हरिश शर्मा)

स्थिति है कि जो लोग 30-30 साल से वहां बसे हुए हैं, जहां गांवों की आबादी हो गयी है तथा जहां पर लोग एक साल से नहीं बल्कि 15-15 साल से 20-20 साल से काश्त कर रहे है वहां से उन्हें जंगलात वाले निकालने की कोशिश करते हैं। आये दिन उन लोगों का जंगलात वालों से झगड़ा होता है। आज किसान को अपने घर के लिये भी कोई लकड़ी लानी होती है तो उसको पैसा देकर लानी पड़ती है। आप कहते हैं कि हमने रियायत दी है। अगर वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को पता लग जाता है कि किसी किसान ने लकड़ी अपने काम के लिये काटी है तो वे उसके कूल्हे पर डण्डे लगाते हैं। गरीब किसान एक लकड़ी का टुकड़ा तक लेकर नहीं आ सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि वन विभाग द्वारा जंगलों की कटाई को रोका जाना चाहिये और वनों को सघन रूप से लगाया जाना चाहिये। इसके अलावा सड़क के आसपास भी जंगल लगाये जाने चाहियें ताकि सड़क का कटाव नहीं हो। जंगल प्राकृतिक नलकूप का काम भी करते हैं। जंगलों के कारण बरसात होती है. लेकिन आप जंगलों को काटकर नुकसान कर रहे हैं। आपने कहा कि हमने आदिवासी एवं कृषकों को रियायतें दी तो वह रियायतें सिर्फ कागजी रियायतें हैं। झूठ और फरेब के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस ओर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर एक मोड़ा गांव है वहां पर अच्छी खेती होती थी। अच्छी जमीन थी पर वहां पर कांग्रेस सरकार ने सीमेन्ट का कारखाना लगाने की घोषणा कर दी। उस जमीन को अवाप्त कर लिया गया लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन किसानों की जमीन ली गयी थी उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिये। इसके अलावा मेरा राजस्व मंत्री को सुझाव है, उन लोगों को जमीन के बदले दूसरी जमीन खेती के लिये अलॉट की जाय, ताकि वह अपनी जीविका को कमा सकें।

इसके अलावा हमारे वहां पर खानें हैं जो बड़े-बड़े लोग, पैसे वाले लोगों ने ले रखी हैं। खान का जो मलबा है वह उन्होंने गांव के पास इकट्ठा कर रखा है। इससे जनता को बहुत परेशानी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, वह लोग खानों को बढ़ाते-बढ़ाते गांवों के पास आ गये। इससे वहां मलबा इकट्ठा हो गया। इन लोगों ने बड़ी दादागिरी मचा रखी है। गांव की चरागाह की जो जमीन है उस पर भी बिना लाइसेन्स के ही खान खोदना शुरू कर दिया। आज यहां तक स्थिति हो गयी है कि कुओं का पानी नीचे बहुत चला गया है और गर्मी में गरीब लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता है। अगर कोई गरीब काश्तकार खेती नाजायज कर लेता है तो सरकार उससे जुर्माना वसूल करती है पर इन खानों के मालिकों को कोई पूछने वाला नहीं। मैं राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ में कार्यवाही की जाय और जो मलबा गांव के निकट इकट्ठा हो गया है उसको उन लोगों से हटवाने की व्यवस्था की जावे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री हरिश शर्मा)

रामगंज मण्डी और तहसील लाडपुरा...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में हजारों एकड़ जमीन है जिस पर गरीब काश्तकार वर्षों से काश्त कर रहे हैं पर उनको कब्जा नहीं दिया गया है। हालांकि ऐसे लोग हैं जिनके पास खातेदारी राइट पर हैं पर काश्त वह गरीब उन लोगों के लिये डण्डे के जोर से करते हैं जिनके नाम वह जमीन नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है राजस्व मंत्रीजी से कि जो व्यक्ति वर्षों से काश्त उस जमीन पर कर रहे हैं उन्हें खातेदारी राइट दिये जायं, जिन्होंने उन्हें आज हाली बना रखा है उनको हटा कर उन्हें उन खेतों पर खातेदारी राइट दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, वह एक साल से नहीं दस-दस साल से जमीन जोत रहे हैं पर लट्ठ के जोर से दूसरे अमीर लोग उनसे खेती कराकर फायदा उठा रहे हैं। इसे समाप्त किया जाय। राजस्व मंत्रीजी, गरीब किसानों पर निगाह करके ऐसे आदेश दे दें कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है उनके कब्जे हटाये जायं और जिनकी वास्तव में जमीनें हैं, जिनकी खातेदारी है उनको जमीनें दिलायी जाय।

रेवेन्यू की वसूली का जहां तक सवाल है जिन बड़े-बड़े लोगों में लाखों रुपया राजस्व बाकी है, जो मठाधीश हैं और जिनकी चवन्नी बहुत चलती है उनसे तो आप वसूल नहीं कर रहे हैं लेकिन गरीब किसान से पांच सौ रुपया भी बकाया है तो आप उनसे वसूल कर रहे हैं। पहले आप मालदारों से वसूल करें।

मैं निवेदन करूंगा राजस्व मंत्रीजी से कि कई स्थान ऐसे हैं जिनको जिला बनाया जा सकता है। रामगंज मंडी है। वहां जंगल का क्षेत्र भी बहुत है। आदिवासियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। वहां पर आप जिला कायम कीजिये। आप लोगों को सस्ता न्याय देना चाहते हैं तो सस्ते न्याय के लिये यह जरूरी है कि ऐसी जगहों पर आप जिले स्थापित करें और जिन जगहों से न्यायालय हटा दिये गये हैं उनको वापस स्थापित किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन के संबंध में दो मिनट निवेदन करूंगा। जो किसान लोन लेना चाहते हैं उनको एक ही जगह पर सब तरह की सुविधा मिल जाय, बैंक वहां हो, सहकारी समिति वहां हो, भूमि विकास बैंक वहां हो और जिला प्रशासन भी वहां हो ताकि किसान को सही रूप से जल्दी ही न्याय प्राप्त हो सके और लोन वगैरह मिल सके। इधर प्रार्थना-पत्र किसान ने दिया नहीं और उधर उसको लोन मिल जाय ऐसी व्यवस्था जिला प्रशासन में होनी चाहिये। आज जो व्यवस्था है उसमें आपको आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। आज जो किसान को पेमेन्ट लेने में असुविधा होती है वह तब ही दूर की जा सकती है जबकि ए.ई.एन. आदि सबका एक ही जगह पर दफ्तर हो। विधायक जो जन प्रतिनिधि है उनको भी इसमें शामिल किया जाय। जिला प्रशासन के साथ-साथ सहकारिता, उद्योग आदि जितने भी संबंधित महकमे हैं उनका एक संगठन बनाया जाय जो कि गांवों में पहुंचे और ग्रामीणों के मामलों को सुलझा दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री हरिश शर्मा : एक बार नाम दर्ज हो जाय तो उसको कैंसल न करें। एक जगह पर

(श्री हरिश शर्मा)

जिला प्रशासन होगा तब ही किसान का काम निपट सकेगा ।

धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री एच. एन. शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री माधोसिंह कछवाह ।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, कानून एक दीपक है और इस दीपक के तले हमेशा अंधेरा रहता है। इस दीपक को जलाने वाला जिलाधीश आज के लोकतंत्र में एक नया महाराजा है। यह महाराजा ऐसा है जिसके न नाक है और न कान। वह जनता की बात सुनता ही नहीं। दीये तले अंधेरा में जो कुछ होता है उसकी सुगन्ध आती ही नहीं। इसका नतीजा यह होता है कि राज्य सरकार जिला प्रशासक को जिला प्रशासन के सारे मामले सौंप देती है, चाहे वह रेवेन्यू से संबंधित हों, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हों, कानून और व्यवस्था से संबंधित हों। एडीशनल कलक्टर के पास नगरपालिका के मामले होते हैं। हर एक प्रकार की योजना जिलाधीश के पास जाती है। उसका नतीजा क्या होता है? यदि राजस्व के मामलों को ही लिया जाय तो संवत् 2001 से लेकर आज संवत् 2034 होने आया है, 34 साल से किसानों के राजस्व के मामले जिला प्रशासक के पास पैंडिंग पड़े हुए हैं। जिलाधीश किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते। यह ऐसी व्यवस्था है जो अंग्रेजों के लिये अच्छी थी। लोकतंत्र की स्थापना और आजादी के बाद इस व्यवस्था में तब्दीली लाना आवश्यक है। न्यायपालिका के अधिकार, जो जिला प्रशासक के पास होते हैं, उनसे अलग करके न्यायपालिका को देने चाहिये। साथ ही जिलाधीश का नाम बदलना चाहिये। जिलाधीश का नाम बदलें ताकि वह जनता की सेवा करे। उनको क्या तकलीफ है, उनसे तालमेल रख कर उन तकलीफों को दूर करें, यह उसका कार्य है।

जोधपुर के अन्दर जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जो किसान संवत् 2001 से जिन जमीनों पर खेती करते आये हैं उनको भी आज तक खातेदारी के अधिकार नहीं हैं। जोधपुर में माफी रूल्स थे। जोधपुर के अन्दर मारवाड़ रेवेन्यू एक्ट था। राजस्थान का रेवेन्यू एक्ट सन् 1958 में आया जिसके अन्तर्गत कि खातेदारी राइट्स मिल जाने चाहियें पर सब को खातेदारी के अधिकार नहीं दिये गये। कुछ को दिये गये. जिनको जिला प्रशासन से सांठ गांठ थी या जिला प्रशासन की जिन पर मेहरबानी थी, उनको दिये गये। यह मेहरबानी आज भी बरकरार है। हमारे नये राजस्व मंत्रीजी ने काफी उत्सुकता दिखायी है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस संबंध में कदम उठायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संवत् 2001 से लेकर संवत् 2012 तक नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जिन लोगों के पास जमीनें थीं उनको स्वतः ही खातेदारी के अधिकार दे दिये जाने चाहिये लेकिन वे नहीं दिये गये। सन् 1956 से लेकर 1960 तक अनपढ़ होने के कारण वे ये अधिकार लेने से वंचित रह गये। उनको इसका ज्ञान नहीं था। जब उनको बाद में मालूम हुआ तो उन्होंने अर्जी पेश की। उनसे कहा गया कि शहर की जमीन शहर के विकास के लिये है। न्याय तो यह है कि जिन किसानों को जिस तारीख को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो जाने

(श्री माधोसिंह कछवाह) चाहिये। उनको उसी तारीख से खातेदारी अधिकार दीजिये। शहर के विकास के लिये यदि जमीन चाहिये तो आप उनसे वापस अवाप्त कीजिये और उनको उसका मुआवजा दीजिये। जिन लोगों ने 1971 तक जमीनों पर कब्जे किये हुए थे, जिन्होंने उस समय खातेदारी के अधिकार प्राप्त कर लिये थे, उनको तो अवार्ड मिल गये और प्लॉट मिल गये किन्तु संवत् 2001 से लेकर संवत् 2012 तक, जो भी किसान काश्त करते रहे, उनको नहीं मिले। आखिर उनका कसूर क्या है? अनपढ़ होने के कारण अर्जी नहीं दे सके। उनके मामलों को अभी तक निपटाया नहीं गया है। इसमें जिला प्रशासन की सुस्ती रही है।

धारा 91 किसान को श्री नोट श्री गन की याद दिला देती है। किसान को जिला प्रशासन के पांव पकड़ने पड़ते हैं, उसको वकीलों के पास जाना पड़ता है। हर एक आदमी तो अपील नहीं कर सकता है। लाखों रुपया आज किसानों को वकीलों को देना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि ऐसी भूमि, जिसका उपयोग अगले 10, 15 या 30 वर्षों में नहीं हो सकता, का टेम्प्रेरी एग्रीकल्चर का परमिट दिया जाय, चाहे दो साल का हो, तीन साल का हो, चाहे पांच साल का हो और चाहे वह 10 साल का हो। इसको व्यापक रूप से एक व्यवस्था सोच विचार करके बनायी जाय। उस परमिट में यह शर्त हो कि जब राज्य सरकार चाहेगी उस जमीन को काश्तकार से वापस ले लेगी। इससे काश्तकारों को इधर-उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा किसान को होगा। यदि उस किसान से जमीन लेकर खाली छोड़ दी गयी तो अन्य लोग कब्जा कर लेंगे, झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोग कब्जा कर लेंगे और फिर उस जमीन का उपयोग शहर के विकास के लिये नहीं हो सकेगा। ज्यों-ज्यों जरूरत पड़े जिस किसान को अधिकार-पत्र दिया है उससे वापस ली जा सकती है। कम से कम किसान वकीलों और कानून के चक्कर से और रोज की परेशानियों से बच जायेगा। इतने वर्षों से वह इन्तजार कर रहा था कि किसान का कभी राज्य आयेगा तो अब उसमें देरी क्यों हो रही है, मुझे आश्चर्य है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं और थोड़ा-सा दो मिनट निवेदन करूंगा।

अगर इन किसानों के संवत् 2001 से लेकर 2012 तक के खातेदारी के मामले नहीं निपटाते हैं तो शहरों में आन्दोलन होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय राजस्व मंत्री, जो कि जन्म से मंत्री हैं और अब कर्म से भी मंत्री हो गये हैं, से यही कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : डबल मंत्री हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : जी हां डबल मंत्री हैं और काम करने से वो चार गुना मंत्री भी हो जायेंगे।

धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकलाल ठाकोर।

श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए भाषण के रूप में नहीं

(श्री बालकलाल ठाकोर)
पाइन्ट्स के रूप में कुछ आपको निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात तो मैं यह निवेदन करता हूं कि जिलों का पुनर्गठन होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में आपको मैं उस जमाने की ओर ले जाना चाहता हूं जब शुरू में हिन्दुस्तान आजाद हुआ था और उदयपुर मंत्रिमण्डल बना था। उस समय हमारे नैनवा क्षेत्र के साथ यह जुल्म हुआ था कि नैनवा से मिले हुए 10 किलोमीटर के अन्दर अन्दर जो 26 गांव थे मुख्य-मुख्य उनको नैनवा से काट कर यानी बूंदी जिले से काट कर टौंक जिले में मिला दिया। उस समय हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री बृजसुन्दरजी शर्मा ने मुख्य मंत्रीजी के कहने से यह किया। अब हमारे राजस्व मंत्रीजी न्यायप्रिय आये हैं, उनसे यह निवेदन करूंगा कि हमारे जो 26 गांव हैं वह हमें लौटा दिये जायें तो उससे प्रशासन में बहुत सुधार होगा।

दूसरे मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो जिले हैं इन जिलों को पुनर्गठित ही नहीं किया जाये बल्कि योजनाबद्ध तरीके से वहां पर जो पंचायतें हैं और जिला परिषदें हैं उनको बहुत अधिक मजबूत बनाया जाये। समय नहीं है इसलिए मैं संक्षेप में कह देता हूं कि जिला प्रशासन जो है न्याय व्यवस्था, कानून और शांति व्यवस्था आदि को छोड़कर इसका अधिकार जन प्रतिनिधियों के द्वारा गठित जिला परिषदों अथवा इसका नाम कुछ भी दे दिया जाये, को दे दिया जाना चाहिए। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कल्पना है उसको साकार करने की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए।

राजस्व विभाग के संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी वकील हैं और यहां पर और भी बहुत से माननीय सदस्य वकील हैं जहां हम सोचते हैं कि 500 रुपये का मुकदमा है, 1000 रुपये की वेल्यूएशन का मुकदमा है वह मुकदमा तो चाहे न्यायपालिका को जाये लेकिन जो लाखों रुपयों की प्रॉपर्टी के मामले हैं, रेन्ट के, जमीन के मामले हैं वह मामले एस डी.ओ. और कलक्टर, जो कि स्वतंत्र नहीं हैं, सुनें। मेरा निवेदन करना है कि जो भी जमीन के संबंध में मुकदमे हैं वह क्योंकि मुकदमाती मामले हैं इसलिये न्यायपालिका को ट्रान्सफर कर दिये जाने चाहिएं। मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास तो किसी भी सूरत में, जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो, यह मामले नहीं जाने चाहिएं क्योंकि इससे समय ज्यादा लगता है और अधिकारी बदलते रहते हैं इसलिए एडीशनल कलक्टर हो अथवा मैं निवेदन करूंगा कि ए.डी.एम. हो उनको यह मुकदमे ट्रान्सफर कर देने चाहिएं।

इसके अलावा एक अजीब बात है, जो अधिकारी जूनियर हैं वह सीनियर की अपील सुनता है। जो अपीलेट अथॉरिटी है वह अपीलेट अथॉरिटी कलक्टर की अपील सुनता है। यदि अपीलेट अथॉरिटी किसी मामले में स्टे आर्डर कर भी दे तो कलक्टर उसको रद्दी की टोकरी में डाल देता है। तो यह मजाक नहीं होनी चाहिए।

मैं इस संबंध में एक और निवेदन करना चाहूंगा। जिला प्रशासन का जहां तक मामला है हमारे बूंदी जिले के अन्दर अन्त्योदय योजना के संबंध में दो बातें सामने आई। मेरे एरिया नैनवा में दो बार गरीबों को कर्ज देने के लिए मीटिंग बुलाई गयी और

(श्री माणकलाल ठाकोर)

प्रशासन द्वारा मीटिंग बुलाई गई। गरीब लोग पैसे उधार लेकर और भीख मांगकर नैनवा में दो बार दिसम्बर और फरवरी में आये लेकिन इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग में कलक्टर ही नहीं आये और न एस. डी. ओ. ही आये। इस कारण मीटिंग नहीं हुई। यदि हम अन्त्योदय योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि वहां के कलक्टर और एस. डी. ओ. इस तरह से न करें। जिन्होंने गरीबों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है ऐसे लोगों को आदर्श के रूप में सजा मिलनी चाहिए, उनको सस्पेण्ड किया जाना चाहिए और किसी तरह से माफ नहीं किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग के बारे में भी कह देता हूं। इसमें तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि कितनी ही भूमि वन विभाग में ऐसी है जिसके ऊपर बीस-बीस साल से काश्तकार लोग खेती करते आये हैं। तो ऐसी भूमि को जंगलात को छोड़ देना चाहिए। कितनी ही भूमि ऐसी है जो रेवेन्यू के काबिल नहीं है और जंगलात के काबिल है। वह जंगलात विभाग को दे देनी चाहिए। एक इन्टीग्रेशन ऑफिसर नियुक्त हो जाना चाहिए जो इस काम को सर्वे करके जल्दी से जल्दी कर दे।

अब मैं वन विभाग के बड़े-बड़े ऑफिसर्स के बारे में कहूंगा क्योंकि छोटे ऑफिसर्स के बारे में कहने की आदत मेरी कम है। चीफ कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट्स साहब से मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। उनका व्यवहार आम लोगों और सबोर्डिनेट के साथ बहुत बुरा है। मुझसे एक बार रेन्जर्स ने कहा कि कोटा डिविजन में आधा दर्जन रेन्जर्स की जगह खाली है। वह वहां के ही रहने वाले हैं इसलिए उनका ट्रान्सफर कर दिया जाये। मैं ट्रान्सफर्स के मामलों में कम बोलता हूं। मैंने उनको सलाह दी कि तुम चीफ कन्जरवेटर साहब से मिलो। उन रेन्जर्स ने कहा कि उन्होंने तो यह नियम बना रखा है कि वह डी. एफ. ओ. से नीचे की ग्रेड वालों से नहीं मिलते हैं। मैंने उनसे कहा कि अच्छा डी. एफ. ओ. साहब से कह दो। उन्होंने कहा, डी. एफ. ओ. साहब तो हमसे डरते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इस तरह से आज नौकरशाही हावी है। मंत्री महोदय के आदेश जाते हैं तो सी. सी. एफ. साहब उनको रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। आज स्थिति ऐसी हो रही है कि जैसे सरकार ही नहीं है। अब समस्या यह आती है कि हमारी जनता पार्टी की सरकार है .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये।

श्री माणकलाल ठाकोर : इतनी बात कहता हुआ आशा करता हूं कि जो संक्षेप में मैंने बातें कहीं उनको ध्यान में रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला प्रशासन में सुधार की बाबत आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिला प्रशासन से जनता का सीधा सम्बन्ध होता है इसलिये जिला प्रशासन की प्रणाली, उसके संगठन व कार्यकलाप और उसकी अकुशलता का जनता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे जिलों का सीमांकन और जिला प्रशासन

(श्री बहादुरसिंह)

का गठन अंग्रेजों के जमाने में हुआ था। वही प्रणाली तकरीबन बहुत कम सुधार के बाद आज तक चली आ रही है। इसलिये आज जो जिला प्रशासन है वह जनता को उसकी इच्छाओं के मुताबिक राहत नहीं पहुंचा पाता है। इसलिये मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिला प्रशासन में सुधार की बहुत गुंजाइश है..

(5.50 म. प.)

(श्री मंजूरअली, सभापति, पीठासीन)

हमारी तहसीलें बहुत बड़ी हैं। ग्रामों से तहसील मुख्यालयों तक आने जाने में 3-3 दिन लग जाते हैं जिससे ग्रामवासियों का समय बरबाद होता है, खर्चा भी लगता है और इन्साफ महंगा पड़ता है। इसलिए तहसीलों का पुनर्गठन किया जाये। तहसीलों को छोटा किया जाये। पटवार सर्कल बड़े किये जायें और तहसीलों को छोटा किया जाये। बीच के जो गिरदावर और नायब तहसीलदार के पद हैं वे अबॉलिश किये जायें।

दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि सब डिविजन्स को जिला मुख्यालयों में बदला जाये। आम जनता का जो काम है वह आज जिला कार्यालयों में पड़ता रहता है, तहसीलों में पड़ता रहता है। यदि जिले बहुत छोटे हो जायें तो उनके आने जाने में सुविधा हो जाये। राजस्व विभाग की जिले में जो मशीनरी है और जितने कर्मचारी एक जिले में काम करते हैं, उतने ही कर्मचारियों को बांट कर अगर तहसीलें छोटी कर दी जायें, जिले छोटे कर दिये जायें, तब भी काम चल जाएगा। बीच में जो उप-जिलाधीश के पद हैं इनको समाप्त किया जाये ताकि काश्तकार के ऊपर राज्य कर्मचारियों का जो भार है वह कम हो जाये। पटवारी को भी कुछ न कुछ देना पड़ता है, गिरदावर को देना पड़ता है, नायब-तहसीलदार को देना पड़ता है। तहसीलदार के ऊपर उप-जिलाधीश और जिलाधीश हैं। तो उप-जिलाधीश का वजन काश्तकार पर कम हो जाय तो सरकार का खर्चा भी कम हो जायेगा और प्रशासन का सरलीकरण हो जायेगा। बीच में ज्यादा कड़ियां न रहें इसके लिए यह आवश्यक है कि उप-जिलाधीश को बीच में से निकाला जाये।

तीसरा सुझाव मैं देना चाहूंगा कि राजस्व का जो जुडिशियल नेचर का काम है वह न्यायपालिका को दिया जाये। आज जिलाधीश एक दिन भी अपने मुख्यालय पर बैठकर काम नहीं कर पाता। लोग दो-दो सौ किलोमीटर से चलकर जिला मुख्यालय पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिलाधीश महोदय मीटिंग में जयपुर पधारे हुए हैं। फिर तारीख पड़ती है। फिर जाते हैं तो फिर मालूम पड़ता है कि जिलाधीश महोदय फलां जगह मीटिंग में मशगूल हैं। आज अदालत नहीं लग पायेगी। जनता के साथ एक मखौल हो रहा है। जनता के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। न्याय बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि सरकार सारे जिला प्रशासन को बदले। दूसरा एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि जिलाधीशों का नाम बदल कर राजस्व कर्मचारी रखा जाये....

एक माननीय सदस्य : जिला सेवा...

श्री बहादुरसिंह : हम जिलाधीश कहते हैं तो इससे कुछ स्मेल आती है, वह खत्म हो जाये।

(श्री बहादुरसिंह)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं भू-राजस्व के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। भू-राजस्व इकट्ठा करने में जितना भू-राजस्व होता है उसका ज्यादातर हिस्सा खर्च हो जाता है। काश्तकार पर इसका वजन पड़ता है और सरकार को फायदा नहीं मिल पाता। इसलिये मेरा सुझाव है कि राजस्व की वसूली के अधिकार पंचायतों को दे दिये जायें ताकि सरकार पर खर्च का भार न पड़े। सारा काम नहीं तो कम से कम आधा काम ग्राम पंचायतों को दिया जाये ताकि ग्राम पंचायतों की आर्थिक हालत ठीक हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रामों का विकास हो सके।

श्री सभापति : बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री बहादुरसिंह : पटवारियों को ग्राम पंचायतों के साथ रखा जाय, तहसीलदारों को पंचायत समितियों के साथ रखा जाय, और जिलाधीशों को जिला परिषद के साथ रखा जाय ताकि जन प्रतिनिधियों की मार्फत प्रशासन पर कन्ट्रोल हो सके और स्वच्छ न्याय मिलने की संभावना हो सके।

श्री सभापति : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा!

(अनुपस्थित)

श्री ओंकारलाल चौहान!

श्री ओंकारलाल चौहान (मेटह) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में जिला प्रशासन के बारे में अपने विचार प्रकट करूंगा। जिला प्रशासन एक ऐसी कड़ी है जिससे जनता का सीधा सम्पर्क राज्य सरकार से रहता है और प्रदेश का सीधा संबंध केन्द्रीय सरकार से रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पद्धति आज तक चली आ रही है वह दोषपूर्ण है। वह पद्धति ब्रिटिश जमाने से चली आ रही है और आज तक बदली नहीं गई है। सब जगह रेड टेपिज्म है। अधिकारियों को विकास के कामों को देखने की फुरसत नहीं होती। मंत्री महोदय दौरे पर जाते हैं उनके आगे-आगे पीछे घूमते हैं। विभागों का आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। मान लीजिये काश्तकार को लोन लेना है तो संबंधित विभागों में कोआर्डिनेशन होना चाहिये। जिला स्तर पर कोआर्डिनेशन नहीं है। मेरा कहना है कि नीति दोषपूर्ण है। सरकार में बदलाव के साथ, चेन्ज के साथ शासन में चेन्ज आना चाहिये। इसके लिये एक एक्सपर्ट कमेटी, मैं समझता हूं, भारत सरकार के लेवल पर, राज्य सरकार के लेवल पर बैठाई जानी चाहिये जो इस रेड टेपिज्म को कम कर सके। डेमोक्रेसी वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अर्से से टग आफ वार चल रहो है, आज से पहले भी चलती रही है और आज के बाद भी टग आफ वार है डेमोक्रेसी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी ब्यूरोक्रेसी में। प्रशासन यह चाहता है कि नियमों के अन्दर काम करे। डेमोक्रेसी यह चाहती है कि काश्तकार को, गांव में रहने वाले व्यक्ति को राहत मिले। डेमोक्रेटिक नीति और कानून में टक्कर हो रही है। इस कारण काश्तकार को राहत नहीं मिल पाती।

श्री मदनसिंह दांता : इन्दिरा गांधी भी यही चाहती थी। सब जन प्रतिनिधि, हम सब यही चाहते हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन कर रहा था इसके अन्दर कोई चेन्ज आना चाहिये ताकि जनता को कुछ राहत मिले और विकास का काम हो। प्रशासन में चेंज लाने को एक्सपर्ट कमेटी बैठनी चाहिए जिससे हम प्रशासन को गति दे सकें और विकास के काम ज्यादा हो सकें।

मैं इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के अन्दर कई बहुत बड़े जिले है। जयपुर का जिला है, बाड़मेर का जिला है, जैसलमेर का जिला है, बड़े-बड़े जिले हैं। इस कारण जनता के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाता। न सस्ता न्याय मिल पाता है और न गरीब आदमी की बात सुनी जाती है। हम चाहते हैं कि ग्रामों का विकास हो। माननीय सभापति महोदय, ग्रामों का विकास होगा कैसे ? प्रशासनिक बंधनों में कहीं भी विकास संभव नहीं हो पा रहा है इसलिये मैं निवदन करूंगा इन बंधनों को तोड़ना चाहिये...

एक माननीय सदस्य : जयप्रकाश ने कहा कि छोटे-छोटे जिले होने चाहियें।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन कर रहा था कि छोटे-छोटे जिले होने चाहियें ताकि प्रशासन ज्यादा काम कर सके और ग्रामों का विकास हो।

श्री मूलचन्द डागा : अब तक जयप्रकाश की बात नहीं मानते हैं इसलिये पत्थर पड़ रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : डागाजी, इसका भी उत्तर दूंगा। सच्ची बात कड़वी होती है। जनता की भावना के अनुकूल नहीं होती है तो जनता की बात सामने आती है। हमने तो देखा था, अब आपको भी अनुभव होना चाहिये।

तो, माननीय सभापतिजी, मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे जिले होने से सब बातों के अन्दर जनता को राहत अवश्य मिलेगी। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सभापतिजी, कोटा जिले में बारां वायबल यूनिट बन सकता है, धौलपुर और दौसा वायबल जिले बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट वायबल डिस्ट्रिक्ट बन सकते हैं उनको छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बना कर इस प्रशासन को ठीक करना चाहिए और गांवों का विकास करना चाहिये।

अब मैं दूसरे पॉइन्ट पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी प्रशासन के अन्दर बेगार प्रथा विद्यमान है। कौनसा ऐसा दफ्तर होगा जहां पर फोर्थ क्लास सर्वेंट्स की भीड़ नहीं हो। भीड़ लगी हुई है इनकी। इनसे घर का काम कराया जाता है।

सभापतिजी, मैं स्वयं जागरूक हूं। जल्दी से जल्दी खतम कर रहा हूं ताकि आपको घण्टी बजाने की आवश्यकता ही नहीं हो।

माननीय सभापतिजी, इस संबंध में मैं आपके सामने एक कोटा का उदाहरण रखना चाहता हूं। एक ही मिसाल पेश करना चाहता हूं कि वहां पर अस्पताल में एक पुष्पाबाई है जिसे अटर

(श्री ओंकारलाल चौहान)

भी ऐसा डाक्टर के घर बर्तन मांजने को मजबूर करते हैं। यह जिला प्रशासन का मामला है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हालांकि यह चिकित्सा से संबंधित है। इसलिये आप चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान, इस ओर दिलायें कि इस तरह से स्टाफ से बर्तन मांजने का काम लिया जाता है। अगर ऐसे ही बर्तन मंजवाने हैं तो पैसा खर्च करो। आई.ए.एस. अफसरों के पास भी काफी पैसा है, काफी तनख्वाह मिलती है, उनको भी अपने पास से पैसा खर्च करना चाहिये। इस तरह से यह बेगार खतम होनी चाहिए।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय, सभापतिजी, आपकी आज्ञा से, आपके माध्यम से कि किसी विधि की विडम्बना है कि हम ट्राइबल डवलपमेंट कर रहे हैं, ट्राइबल्स का विकास कर रहे हैं। शाहबाद और किशनगंज कोटा जिले में है, वहां बहुत गरीब और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। उनके विकास के लिए एक प्रोजेक्ट अफसर लगाया गया जो कि कोटा शहर में रहता है। मेरी समझ में नहीं आया, सभापति महोदय, शाहबाद जो कि सौ मील दूर है कोटा से जहां पर सहरिये हैं, भूखे नंगे, फटे कपड़े पहने हुए, दयनीय हालत में, उनके विकास के लिए प्रोजेक्ट अफसर लगाया गया वह कोटा में रहता है। एयर-कण्डीशन बंगले में या बड़े-बड़े पंखों के नीचे रहता है। क्या यह बिल्कुल वही परम्परा नहीं है जो कि पिछले तीस सालों से चली आ रही थी? क्या उसमें बदलाव लाने की, उसमें चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है? क्या आप उसमें चेंज नहीं लाना चाहते? इन मुद्दों की ओर आप ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, इसी संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एस.डी.ओ. का कार्यालय भवानीमण्डी में होना चाहिए जो कि मेरी पुरानी कांस्टीट्यूएंसी है। तहसील पिड़ावा में भी होना चाहिए। इस प्रकार के वायबल यूनिट बनें ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।

मैं आखिरी बात कह कर समाप्त करूंगा। आप भी, माननीय सभापतिजी, मेरी बात से एग्री करेंगे, आपने भी देखा होगा, वकालत के दौरान आपके सामने भी यह आया होगा कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है वह उनको सर्टिफिकेट कहां से लेना पड़ता है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, आप भी वकील रहे हैं, आप भी जानते हैं और आपने देखा होगा कि एक-एक व्यक्ति को, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है, एक सर्टिफिकेट लेने में तीस, चालीस और पचास रुपये तक खर्च करने पड़ते हैं। एफीडेविट, फिर उसके लिए नॉन-जुडिशियल स्टाम्प, फिर उसके लिए दो विटनेसेज, फिर ओथ कमिश्नर या नोटरी पब्लिक से सर्टिफिकेट अटेस्ट कराना, इन सब में 15-20 रु. तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आखिर तक जाते-जाते पचास चालीस रुपये के लगभग उसके खर्च हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आज के जमाने में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग किस तरह से इतना खर्चा बरदाश्त कर सकते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि इस प्रकार का नाजायज खर्चा करें। तो मैं चाहता हूं कि माननीय न्याय मंत्रीजी, इस बात

(श्री ओंकारलाल चौहान)

को देखें यह जिला प्रशासन लेवल का, कलक्टर लेवल की बात है, उससे बात करके कुछ व्यवस्था करें जिससे उनका कम से कम खर्चा हो।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीया श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझनूं) : माननीय सभापतिजी, आज सदन में जिला प्रशासन, भू-राजस्व और वन विभाग से संबंधित मांगों पर विचार चल रहा है। यह बहुत खुशी की बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्यों ने बड़ी बुलन्दगी के साथ, बड़े तीखे शब्दों में सरकार को सावधान करने की कोशिश की है और यह बताया है कि जिला प्रशासन जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। जन प्रतिनिधियों की न केवल उपेक्षा की जा रही है बल्कि कई बार अपमानजनक स्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यह सरकार न केवल जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रही है बल्कि सभी समस्याओं का समाधान करने में भी असफल रही है। इस बात का सबूत इस बात से और मिल जाता है कि माननीय सदस्यों ने भी कहा है। मैं समझती हूं कि सरकार इस बात से कुछ सावधानी भविष्य के अन्दर बरतेगी। लेकिन सरकार ने इस बात का सबूत अवश्य दिया है कि ब्यूरोक्रेसी इस सरकार पर हावी है। जब किसान प्रदर्शन के मामले में पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने आंखों देखा हाल बताने की कोशिश की और सदन में कुछ तथ्यों की जानकारी दी कि वह घटना किस तरह से हुई तो माननीय गृह मंत्रीजी ने ब्यूरोक्रेसी द्वारा तैयार किया हुआ स्टेटमेंट यहां पर देना ज्यादा उचित समझा। गृह मंत्री ने जब अधिकारियों का तैयार वक्तव्य पढ़कर सुनाया तो मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची। यह जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है कि जन प्रतिनिधि का कथन तो झूठा और अफसर सच्चा। ऐसी परिस्थिति कांग्रेस के शासन के दौरान कभी नहीं हुई थी।

माननीय सभापतिजी, जिला प्रशासन के बारे में चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय सदस्यों ने तीखे शब्दों में और बुलन्दगी के साथ अपनी बात कही है इसलिये इसके बारे में मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, भू-राजस्व के मामले में मुझे यही निवेदन करना है कि झुंझनूं जिले में लगान की दरें बहुत ऊंची हैं। झुंझनूं जिले की जो एवरेज रेनफाल है, जो फर्टीलिटी ऑफ दी सोइल है, जमीन की उपजाऊ शक्ति है और जो वहां की जलवायु है उसके हिसाब से वहां की लगान की दरें अन्य जिलों के मुकाबले बहुत ऊंची है। मैं और प्रान्तों का मुकाबला नहीं करती...

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : पहले की तय की हुई है!

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले भी मैंने इस मामले को यहां पर उठाया था। यह बात नहीं है कि पहली बार उठा रही हूं। मैं इसलिए...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या को बोलने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जनता पार्टी की हुकूमत ने बड़ा दम्भ भरा है लोक समस्याओं के हल का, जन समस्याओं के निराकरण का और घोषणा की है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए, समाजवादी राजस्व मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मैं अन्य पड़ोसी प्रान्तों की लगान की दरों के बारे में नहीं कहना चाहती किन्तु हरियाणा प्रान्त झुंझुनू जिले से बिल्कुल लगा हुआ है, वहां पर लगान की दरें हैं, दो आना, छः आना और ऊंची से ऊंची आठ आना। खैर, इसको छोड़िये। पंजाब जो कि इतना उपजाऊ है, वहां की लगान दरों से भी तुलना करें तो वहां की लगान की दरें भी हमारे जिले के मुकाबले बहुत कम हैं। फर्टीलिटी और रेनफाल की मैं इससे तुलना नहीं करती। लेकिन एक ही प्रदेश के अन्दर एक ही प्रकार की जलवायु, एक ही प्रकार की वर्षा का औसत और एक ही प्रकार की भूमि की उपजाऊ शक्ति होते हुए यदि किसी जिले के साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया तो क्या आप भी न्याय नहीं करना चाहते ? कह दीजिए कि हम भी न्याय नहीं करेंगे तो फिर हम भी नहीं बोलेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, अभी तो तीन मिनट भी नहीं हुए। मैं बराबर घड़ी देख रही हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप पांच मिनट बोल चुकी हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अगर पांच मिनट बोल चुकी तो पांच मिनट और दीजिए। कम से कम तुलना तो करने दीजिए हमें अपने दूसरे जिलों के साथ।

श्री सभापति : करिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि जालौर के अन्दर अव्वल, दोयम और सोयम, ये तीन प्रकार की जमीनें हैं और उसके अनुसार ही उनकी लगान की दरें हैं। वहां अव्वल की आठ आना, दोयम की छः आना और सोयम की चार आना दर है। जोधपुर में अव्वल की एक रुपये से सवा रुपया, दोयम की आठ से दस आना और सोयम की दो से छः आना है। नागौर की दरें भी करीब-करीब जोधपुर के मुकाबले की हैं। बांसवाड़ा की जो दरें हैं, अव्वल की बारह आना, दोयम की आठ आना और सोयम की चार, पांच, छः आना। सीकर जिले, जो हमारे बिलकुल करीब है की भी करीब-करीब वे ही दरें हैं जो नागौर जिले की हैं, जैसे अव्वल की एक रुपया, दोयम की छः से आठ आना और अधिक से अधिक दस आना और सोयम की दो से छः आना है। लेकिन झुंझुनू जिले की जो लगान की दरें हैं...

एक माननीय सदस्य : गंगानगर की दरें भी तो बताइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सब का नाम लेना बेकार है। मैं उस इलाके की बात कर रही हूं जो इलाका अर्द्ध रेगिस्तानी इलाका है, जो असिंचित इलाका है, वहां की लगान की दरें आपको बता रही हूं। झुंझुनू जिले की जो लगानों की दरें हैं वह जोधपुर, नागौर की अव्वल की दरों के बराबर। सब से कम उपजाऊ सोयम की दरें हैं रुपये से सवा रुपया की है। दोयम की डेढ़ से दो रुपया है और अव्वल दर्जे की जो जमीन है उसकी लगान ढाई रुपया कम से कम और अधिक से अधिक चार, साढ़े चार रुपया है। इसका कारण भी है। आजादी के बाद झुंझुनू जिले में सैटलमैंट नहीं हुआ। जागीरदारों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के जमाने में जो लगान की दरें थीं, वे ही आज चली आ रही हैं। कई बार इस प्रश्न को मैंने सदन में उठाया है लेकिन इसका कोई हल नहीं हुआ। तुलनात्मक दृष्टि से इसको कम करने की बात है। यह, राजस्व मंत्रीजी, आपके लिए विचारणीय प्रश्न है। राजस्थान के अलग-अलग जिलों के साथ जिस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? यह असमानता कब तक, क्यों और कैसे चलेगी? यह राजस्व मंत्री महोदय आपके लिए विचारणीय है......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वनों के सम्बन्ध में दो शब्द कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। एकोलोजीकल बेलेन्सेज अर्थात प्राकृतिक सन्तुलन के लिए देश प्रदेश में वनों का होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे राजस्थान में जहां प्राकृतिक सन्तुलन के लिए 1/3 हिस्सा अर्थात 33 प्रतिशत भू-भाग वनों का होना चाहिए, वहां केवल दस प्रतिशत हिस्सा वनों का है। वनों की अन्धाधुन्ध कटाई होती जा रही है, रोजाना इन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, और ट्रेसपासर लोग वनों में प्रवेश करते जा रहे हैं, वनों में घुसते जा रहे हैं, वनों में घुसपैठ होती जा रही है। पहले भी सरकार ने इसको रेगुलराइज कर दिया और आप भी इसको रेगुलराइज कर रहे हैं। तो इस प्राकृतिक सन्तुलन को कैसे बना कर रख सकेंगे? जैसा कि मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ता ने कहा था, आपने तेन्दू पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया, कोयले का व्यापार वन विभाग कर रहा है कत्थे का व्यापार वन विभाग कर रहा है। इसके बाद भी वन विभाग से होने वाली आय और इस पर होने वाले खर्चे के आंकड़े देखें तो मन में बड़ा असन्तोष होता है। मैं यह निवेदन करती हूं कि इस प्राकृतिक सम्पदा को किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे? किस प्रकार वनों की अन्धाधुंध कटाई को रोकेंगे? किस प्रकार अतिक्रमण से बचायेंगे? और जिस प्रकार आज वनों में ट्रेसपासिंग करते चले जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कार्यवाही होगी? आप वनों की उचित देखभाल कर नहीं पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इस सदन को कई बार पानरवा काण्ड के घोटाले की चर्चा से गुन्जाया था। उन्होंने वनों के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता व्यक्त की थी। वनों का ह्रास होता चला जा रहा रहा है, वन कटते चले जा रहे हैं, तो क्या उसको देखते हुए आप प्रदेश का प्राकृतिक संतुलन बनाए रख सकेंगे? बढ़ते हुए मरुप्रदेश को रोक सकेंगे? मुझे आशा है आप वनों के रख-रखाव के लिए जरूर कोई न कोई कदम उठाएंगे और उचित व्यवस्था करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): सभापति महोदय, मैंने 6 कटौती प्रस्ताव दिए हैं। मैं, सभापति महोदय आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व अभियान राजस्थान का एक ऐतिहासिक अभियान माना जाता है, परन्तु जब मैं यह अन्दाज लगाता हूं कि दस लाख में से 9 लाख मामलों का निर्णय केवल एक-डेढ़ महीने में कर दिया तो यह जल्दबाजी नहीं तो और क्या है? श्रीमान्, इसी तरह से ढाई लाख हरिजनों को पिछली कांग्रेस सरकार ने जमीन के पट्टे

(श्री नवरंगसिंह)
दिए थे। उसका रिजल्ट निल आया। कुछ नहीं हुआ। इसके साथ-साथ यह निवेदन करूंगा कि आज भी एक लाख मामले रिकार्ड के अनुसार पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो उन पर निर्णय कब तक होगा? उनका निर्णय क्यों नहीं हो सका? इसका जो मूलभूत कारण है, इसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसी तरह से धारा 191 के तहत कुछ मामले थे। मैं कुछ गांवों में गया। तहसीलदार साहब भी मेरे साथ थे। मैंने देखा कि तहसीलदार साहब ने बिना सुनवाई किए अपनी मर्जी से किसी फाइल पर 50 रुपये, किसी पर 60 रुपये, किसी पर 30 रुपये का जुर्माना कर दिया। इस तरह व जुर्माना करते हो चले गये। इससे एक बात जरूर हुई कि काश्तकारों को चक्कर लगाना पड़ता था, उससे वे बच गये। उनको राहत मिल गयी।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भूमि सुधार बहुत जरूरी है। भूमि सुधार के लिए टिनेन्सी एक्ट बना 1955 में, उसके बाद इस एक्ट में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया गया है। सभापति महोदय, आपको मार्फत मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आप समाजवादी हैं और बड़े वकील हैं, आप टिनेन्सी एक्ट, जो 1955 में बना था, में क्रान्तिकारी परिवर्तन करें और सही मायने में काश्तकारों को जमीन का हक दिलावें।

श्री मूलचन्द डागा: अब जनता पार्टी में चले गये हैं।

श्री नवरंगसिंह: आप भी कांग्रेस के चक्कर में तीस वर्ष रहे। आपने सारी स्थिति देख ली है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि सब-डिविजन हैडक्वार्टर है, वहां पर अभाव अभियोग नहीं सुने जाते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिस तरह जिला हैडक्वार्टर पर विजिलैंस कमेटी काम करती है, उसी तरह से सब-डिविजन हैडक्वार्टर पर कोई न कोई कमेटी बिठाई जाए जो गांव के लोगों को समय-समय पर शिकायत सुन सके और उन लोगों को सही स्थिति से अवगत करे।

सीलिंग के बारे में भी कहना चाहूंगा। आज राजस्थान में कुत्ते और गधे के नाम पर फार्म हैं। पाली, दूसरी जगह और हमारे झुंझुनू जिले में भी आपको ऐसे फार्म मिल जाएंगे। सीलिंग कानून से बचने के लिए हेरा-फेरी की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आश्वासन तो बहुत दिए गए हैं, पिछली सरकार ने भी दिए हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार केवल आश्वासन पर निर्भर न रहे बल्कि कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करे।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो कार्यालय हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी भरी हुई है। न कोई टाइम पर आता है, न कोई टाइम पर जाता है। मैं, सभापति महोदय, अभी पिछले दिसम्बर की चार-पांच तारीख को झुंझुनू के दफ्तरों में गया था। कोई दो-तीन अफसर आए हुए थे इसलिए कलक्टर साहब उनके साथ मीटिंग में व्यस्त थे। मैंने देखा कि कोई बाबू दफ्तर में नहीं है। कोई अफसर नहीं है।

(श्री नवरंगसिंह)

इस तरह से मैंने एस. पी. के दफ्तर को देखा। वहां पर सारे के सारे बाबू गप्पें लड़ा रहे थे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान दे....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नवरंगसिंह : इसी तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार कहने को तो चला गया है लेकिन वास्तव में कहीं नहीं गया है। अभी झालावाड़ जिले से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एस. डी. ओ. ने उनके यहां रिश्वत खाई। उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया गया। मैं निवेदन करूं कि इसी एस. डी. ओ. ने 183 में हेरा-फेरी करके रिसीवर बैठाया है जिसका इस धारा में प्रावधान नहीं है। इस एस. डी. ओ. का जवाब है, जो आपके झालावाड़ के एम. एल. ए. हैं, वह मेरा क्या करेंगे। अब तक छोटे मुख्यमंत्रीजी हैं, उनके रहते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापतिजी, यह तो बतायें, छोटे मुख्यमन्त्री कौन हैं? उनका नाम बता दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करता हूं। आप बैठिये।

माननीय सदस्य, श्री रावत रामजी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौन छोटे मुख्यमन्त्री हैं? नाम तो बतायें।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या अधूरी बात छोड़ दी है। छोटे मुख्यमन्त्री कौन हैं, यह बताया ही नहीं है। अधूरा ही छोड़ दिया है। पूरी बात तो सुनें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, यह कोई बयान नहीं था।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो हमारा अपमान है। आपकी सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार खतम करेंगे। हम खाया पिया पेट से, नाक से निकलवा लेंगे। एस. डी. ओ. ने खाया वह कैसे निलकवायेंगे?

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापति महोदय, हमारे गांवों में एक कहावत कही जाती है, "पंचों को कहनो तो सर माथे, पर परनालो तो अठेई गिरेगो।" जो बहस चल रही है, मैं ऐसा महसूस करता हूं, जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, उनका कितना क्या असर होगा यह वे कह नहीं सकते हैं।

सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है, हनुमानगढ़ जिला बनाने के बारे में। इस राजस्थान के बड़े फैले भू-भाग में 26 जिलों से काम चलाना मुश्किल हो रहा है। खास तौर पर गंगानगर जिले में जो हमारे जिलाधीश हैं, उनसे प्रतिनिधिमण्डल मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें मिलने की ही फुरसत नहीं। हनुमानगढ़ में गंगानगर जितनी ही अदालतें मौजूद हैं ऐसी सूरत में हनुमानगढ़ को जिला बनाया जावे।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

सुलभ, सुगम न्याय की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का री ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि जिलों का प्रशासन चलाने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके सिवाय और कुछ नहीं है।

दूसरा मेरा यह सुझाव है कि जन समितियां बनाई जायें। ये जो अभी कमेटियाँ बनाई गई हैं, इन जन समितियों को कितने अधिकार हैं? मैं अभाव अभियोग कमेटी में गया। उसमें 5-10 दरख्वास्तें आती हैं। सारे एम. एल. एज. उन्हीं में लगे रहते हैं। फैसला कोई क्या लेगा। अभाव अभियोग चलाने का सवाल ही नहीं। जिले के सारे डवलपमेन्ट की जिम्मेदारी जिला समितियों और जन समितियों को सौंपी जाये।

इसके साथ-साथ मैं राजस्व पर आता हूं। माननीय सभापतिजी, मैं समाजवादी माननीय मन्त्री को मुखातिब करना चाहूंगा, यह राजस्व क्या है? अभी झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा है, सरकार को रेवेन्यू रेट छोटे काश्तकारों पर लगानी ही नहीं चाहिए। मान लीजिए, मेरे पास 10 बीघा जमीन है। उसमें बाजरा हुआ है। उससे हमारा ही गुजारा नहीं चलता है, फिर लगान क्या दिया जाएगा। एक दुकानदार है। उसकी एक लिमिटेशन है। अगर उससे ज्यादा इन्कम होती है तो उस पर उसको इन्कम-टैक्स देना पड़ता है। नौकरी पेशा लोगों पर आपने इन्कम-टैक्स लगाया है उसमें भी एक लिमिट है उससे ऊपर इन्कम होगी तभी इन्कम-टैक्स लगेगा। इसलिए जो यह राजस्व है वह बिल्कुल खतम कर दें। इन्कम-टैक्स लगाइये। अगर किसी किसान की आमदनी 5 हजार रुपया है तो लगाइये। अगर दस हजार है तो दुगनी लगायें। अगर 30 हजार है तो तीन गुना लगायें। इसी तरह से चौगुना लगायें। नहीं तो किसान ऐसे जुल्म को बरदाश्त नहीं करेगा। यह किसान के साथ में अन्याय है। किसानों को नयी परिपाटी दें। इस हुकूमत में, आपके मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में और भूतपूर्व कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के सदस्यों में कोई फर्क नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह तो अन्याय है। डिस्क्रिमिनेशन है।

इसके साथ कई और भी माननीय सदस्य इस बारे में बोल चुके हैं कि आपने हमारे ऊपर तीन-तीन पटवारी बिठा रखे हैं। ईरिगेशन का पटवारी, सैटलमेन्ट का पटवारी, कालोनाइजेशन का पटवारी। आप केवल एक पटवारी रखें। सैटलमेन्ट का काम आयेगा तो वह करेगा। पटवारी सारे काम जानता है। तो फिर यह तीन-चार पटवारी क्यों रख रखे हैं? महरबानी करके एक गांव में, एक चक में एक पटवारी रखें। जिससे लोगों को एम्प्लायमेन्ट मिले। भले ही आप हल्के छोटे कर लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : इस रफ्तार से तो 11 बज जायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले लोग आधा-आधा घण्टा बोल चुके हैं। आप सजा हमें दे रहे हैं।

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दूसरा मेरा यह निवेदन है कि पटवारी सरपंच के नीचे रहना चाहिए। पटवारी गांव के सरपंच का नौकर होना चाहिए। वह तहसीलदार के नीचे नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर कोई गड़बड़ करता है तो पटवारी करता है। भ्रष्टाचार की मां है तो पटवारी है। पटवारी एस. डी. एम. और तहसीलदार के मातहत होता है। उसकी सी. आर. पर टिप्पणी देने का सरपंच को अधिकार होना चाहिए। अगर सरपंच की टिप्पणी नहीं हो तो सी. आर. नहीं लिखी जाये। यह अधिकार आप सरपंच को दें तो सब ठीक हो जाएगा। जो अधिकार तहसीलदार के पास हैं, वह सरपंच को दे दें। सरपंच जो लिखे वह सी. आर में दर्ज होना चाहिए। आज पटवारी ही सब कुछ है Patwari is the seco: d son of God. मेरा कहने का मतलब है कि पटवारियों को सरपंच के अण्डर में किया जाये।

तीसरी बात मैं वन विभाग के बारे में कहना चाहूंगा। पेड़ लगाने की वन विभाग की एक बीमारी है। बड़ा शौक पैदा हुआ है, संजयजी के साथ ही जंगलों के शौक का पदार्पण हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि सौ-सौ साल के पुराने पेड़ लगे हुए हैं, पुराने जंगलों में जिनका कोई उपयोग नहीं है। वह जमीन रोके हुए हैं, दूसरी तरफ लाखों भूमिहीन किसान बे जमीन बैठे हुए हैं। वह बैठे हुए सरकार की तरफ आशा भरी नजर से देख रहे हैं कि दो बीघा जमीन मिलेगी तो उनका गुजारा हो जायगा। दूसरी तरफ जंगल का शौक है, दस-दस हजार बीघा और 15-15 हजार बीघा जमीन पर जंगल है। जंगली जानवर जाकर अड़ौस-पड़ौस के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों की नींद हराम हो रही है। इसलिए मेहरबानी करके आप इसको रोकिये, महत्वपूर्ण जंगलों को रखिये, बाकी जो निकम्मे जंगल हैं जिनसे कोई आमदनी नहीं होती है, उन जंगलों को भूमिहीन किसानों को बांट दीजिये।

चारागाहों के बारे में आज क्या नीति है ? चौधरियों के पशुओं के लिये तो चारागाह जरूरी है, लेकिन भूमिहीन किसान के लिये क्या होगा ? क्यों साहब, चौधरी तो हरी-हरी घास खिला देगा अपने पशुओं को लेकिन गरीब किसान कहां जायगा ? आप गरीब को किस जमीन को देने की बात करते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करता हूं,

श्री श्योपतसिंह मकासर : आखिर में एक बात और कहनी है। जंगल यदि लगाने हैं, तो कैनाल के पास जो जमीन पड़ी हुई है, रेल्वे लाइन के साइड में जो जमीन है और दूसरी जो जमीन है वहां पर लगाइये। बाकी जमीन के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ? दे दीजिये बाकी जमीन को भूमिहीनों को, पेड़ लगाने के लिए किसानों को सब्सीडी दे दीजिये। इससे किसान को

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

प्रोत्साहन मिलेगा। सारे पेड़ आप इस प्रकार से लगवाइये ताकि खेतों में भी हरियाली आये। सारे राजस्थान में जो इस प्रकार के पेड़ हैं वे आप किसानों को बांट दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन्हीं शब्दों के साथ यह आशा करते हुए कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री श्रवण-लालजी।

श्री श्रवण लाल (हिण्डौन) : माननीय सभापतिजी, राजस्व सम्बन्धी मामलों के निपटारे के सम्बन्ध में मेरा भी एक कटौती प्रस्ताव है। राजस्थान में किसानों के व शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स के या रेवेन्यू सम्बन्धी जो भी मामले चाहे तहसीलों के अन्दर, चाहे एस. डी. ओ. कोर्ट के अन्दर, चाहे जिलाधीश महोदय के ऑफिस में हैं उन केसेज के कारण किसान को बहुत लम्बे अर्से तक यहां तक परेशानी होती है कि वे तंग आ जाते हैं। इसका, सभापति महोदय, एक ही कारण है, उप-जिलाधीश महोदय के पास दो-तीन तहसीलें होती हैं, उन तहसीलों के अन्दर कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जैसे मंडी, भूमि विकास बैंक, नगरपालिका, उनके प्रशासक की हैसियत से भी वे काम करते हैं। उसकी हैसियत के आधार पर उनके काम का बर्डन बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि उनके स्वयं के जो कार्य हैं उनकी तरफ कतई ध्यान नहीं दे पाते हैं। बेचारे किसान के मामलों में आये दिन तारीखें चेन्ज की जाती हैं। परेशान होकर के वे चले जाते हैं। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार से होता है, चाहे कलक्टर हो, चाहे उप-जिलाधीश हो, तहसीलदार हो, वहां इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि दूसरी संस्थाओं का काम यदि वह करें तो उनके कार्य को करने के लिये कोई दूसरा आदमी उस जगह पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे कि प्रशासन के अन्दर जो उनकी कार्य करने की क्षमता है वह बनी रहे। अभी काम करने का जो तरीका है उसके कारण तारीखें बदलती रहती हैं। उनको दूसरी संस्थाओं का काम आता रहता है।

इसी के साथ में, सभापति महोदय, आपके द्वारा मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछली सरकार के एक अभियान के तहत हमारे जिले के अन्दर जो चारागाह की भूमि थी उसका हरिजनों को काश्त करने के लिए आवंटन किया। उस अलाटमेन्ट के बाद कुछ व्यक्तियों को भूमि का कब्जा दिया गया था, कुछ व्यक्तियों के सिवाय बाकी को केवल कागजों के अन्दर ही पट्टे दिये गये। उन पट्टों के द्वारा यह कहा गया कि पांच बीघा फी व्यक्ति के नाम से....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

फलां जगह पर जमीन दी जा चुकी है। सभापति महोदय, मसला बहुत अहम है।

(श्री श्रवण लाल)

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि 1975 में जमीन अलाट की गई जिसका लगान देता चला जा रहा है लेकिन उसको अभी तक पता नहीं है कि मेरी जमीन कहां है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रफ्तार से चलेंगे तो भी 11 बजे समाप्त होगा। I request you please sit down. मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री श्रवण लाल : सभापति महोदय, मैं अभी भी चेयर से आग्रह नहीं करता हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, इससे तो यही उचित होगा कि मंत्री महोदय से जवाब दिला दिया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री सभापति : मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जो बोलना चाहते हैं, मेरे खयाल से दो मिनट में तो कोई अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते।

श्री सभापति : मैं यकीन दिलाता हूं कि पांच मिनट से पहले घंटी नहीं बजाता हूं। घड़ी मेरे हाथ में है।

श्री श्रवण लाल : मैं अब तक तो, सभापति महोदय, अपना भाषण समाप्त कर देता। 1975 के अन्दर जिनको पट्टे दिये गये थे उनको अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं मिला है।

इसी तरह से पिछली सरकार गरीबों का और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का शोषण करती रही। अब मैं जनता सरकार को इस मामले में आगाह करना चाहता हूं कि वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की ओर ध्यान रखें। अन्त्योदय योजना के तहत कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए घोषणा की गई है किन्तु जिन हरिजनों को जमीन अलाट कर दी है उनको कुछ लट्ठधारियों द्वारा कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है। आये दिन तहसीलों में तारीखें पड़ती हैं, झगड़े होते हैं, उनका शीघ्र से शीघ्र निपटारा किया जाय और उन गरीबों को जमीनों पर कब्जा दिलाया जावे।

इतना कह कर मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर जरूर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): सभापति महोदय, जिला प्रशासन विकास कार्यों का और जन साधारण की समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब से जनता पार्टी ने सत्ता संभाली, जिला प्रशासन को पंगु बना दिया है। सरकार ने विभिन्न जांच आयोग और जांच समितियां बिठाकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज प्रशासन भयभीत है, सरकार की ओर से आशंकित है। पिछली सरकार के कार्यक्रमों को और नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए अगर यह सरकार प्रशासन को कटघरे में खड़ा करे तो प्रशासन

(श्रीमती मदन कौर)

के अधिकारियों का यह भय स्वाभाविक है कि इस सरकार के आदेशों की पालना की गई तो आने वाली सरकार उन्हें दंडित करेगी। आज स्थिति यह है कि यह सरकार अपने प्रशासन का विश्वास ही खो चुकी है। इतने थोड़े समय में बड़ी संख्या में स्थानान्तरण करके प्रशासन की निष्पक्षता को एक तरह से चुनौती दी गई है। जिलाधीश जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन आज जिलाधीश जितना सशक्त और सबल है, उतना ही कमजोर भी है। जिलाधीश के पद का ऐसा ग्लैमर है कि वहां पर एक बार नियुक्त होने के बाद वहां से वह हटना ही नहीं चाहता। उनका पूरा ध्यान राजधानी की ओर लगा रहता है कि कहीं उनका स्थानान्तरण सचिवालय में तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि प्रशासन में सुधार और सुदृढ़ता लाने के लिए एक सुनिश्चित स्थानान्तरण नीति निर्धारित करें।

श्रीमन् इस सरकार के पास न कोई कार्यक्रम है और न कोई नीतियां हैं, केवल घोषणाओं के आधार पर यह सरकार राज चला रही है और घोषणायें भी कैसी? बेरी आयोग की, पुराने अकाल राहत कार्यों के जांच की और अन्त्योदय योजना की। अन्त्योदय योजना का स्पष्ट स्वरूप इस सरकार के मंत्रीगण ही नहीं समझ सके तो जिला स्तर पर इस योजना की क्या गति होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। कांग्रेस के पास स्पष्ट नीतियां थीं, ठोस कार्यक्रम थे, ध्येय था और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिये जाते थे, लेकिन जिस सरकार में विपरीत विचारधाराओं के लोग सम्मिलित हों, उसके कार्यक्रम, नीतियों और निर्देशों में स्पष्टवादिता की आशा करना ही निरर्थक है।

सभापतिजी, एक चुस्त, स्वच्छ और निष्पक्ष जिला प्रशासन जन साधारण को खुशहाल बना सकता है। जन साधारण के सामने रोजमर्रा आने वाली समस्याओं और विवादों को निपटा सकता है और हमारे प्रदेश के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि जिला प्रशासन में भय और शंका का वातावरण है। मैं कहना चाहूंगी कि जनता पार्टी के इन 10 महीनों के प्रशासन की इस राज्य को यही एक मात्र देन है।

सभापति महोदय, प्रशासन अच्छा तो वह है जहां पर शासक अदृश्य हो। सत्तारूढ़ दल प्रशासन पर अपना प्रभाव अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से डाले। लेकिन जहां हर जनप्रतिनिधि अपने नेता से फेवर प्राप्त करने के लिए खुशामद में लगा रहे, जहां जिलाधीश और जिला प्रशासन राजधानी से प्राप्त संकेतों के आधार पर किसी घटक विशेष को अथवा व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने में लगा रहे तो ऐसे प्रशासन को स्वच्छ और निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रशासन व्यक्ति पूजा को बढ़ावा देता है। सभापति महोदय, व्यक्ति पूजा की शासन प्रणाली जितनी दोषपूर्ण है उतनी ही आकर्षक भी है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि जो राजनेता सत्तारूढ़ हो जाता है, वह समझ बैठता है कि यह प्रशासन सदैव ही उसके संकेतों पर चलता रहेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार भी इसका अपवाद नहीं है। चूंकि बीमारी नई है अभी उपचार संभव है।

एक माननीय सदस्य : डागाजी अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : इसी संबंध में पढ़ रहा हूं।

श्रीमती मदन कौर : सभापतिजी, वनों के बारे में निवेदन है कि वनों का हमारे आर्थिक जीवन में वृक्ष और जल के संरक्षण, वातावरण को संतुलित रखने और बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान है। इस महत्वपूर्ण योगदान के संबंध में आज प्रदेश का साधारण सा नागरिक भी समझने लगा है। स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ सघन वन थे आज वहाँ वीरान पहाड़ियां खड़ी हैं। आज से केवल 30 वर्ष पूर्व जहाँ सघन वन थे, क्या वे क्षेत्र इस बात का प्रमाण नहीं देते कि वे क्षेत्र वनस्पति के उत्पादन की असीम क्षमता रखते हैं? तब फिर क्या कारण है हमारे प्रदेश की अमूल्य सम्पदा दिन पर दिन घटती जा रही है?

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में, सिंचाई और विद्युत् के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। लेकिन वनों का विकास तो दूर रहा, यहाँ तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही में भारी गिरावट आई है। इस गिरावट के सम्बन्ध में और वनों के निरन्तर ह्रास के संबंध में सभी क्षेत्रों से चिंता व्यक्त की जा रही है। श्रीमान्, इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर केवल चिंता ही नहीं चिंतन की आवश्यकता भी है। राज्य सरकार का दायित्व है कि वह राज्य में एक ऐसी वन नीति, एक ऐसी वन व्यवस्था कायम करे जो न केवल वनों को समुचित संरक्षण प्रदान कर सके बल्कि वन विकास में भी सहायक सिद्ध हो सके। इस संबंध में मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगी। सरकार एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करे। राज्य में गठित विभिन्न जाँच आयोग व जाँच समितियाँ तो केवल पुरानी सरकार और उसके मंत्रियों की तथाकथित गलतियों को खोजने और उनकी तस्वीर बिगाड़ने में लगी हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि यह समिति राज्य के व्यापक हित में लाभकारी सिद्ध होगी। जिन विभिन्न मुद्दों पर यह समिति विचार करे उनमें इन मुद्दों को भी शामिल किया जाए, राज्य की अर्थ व्यवस्था में वनों का क्या योगदान है और क्या योगदान होना चाहिए, भूमि और जल के संरक्षण की दृष्टि से वनों की क्या भूमिका है, मनुष्य और पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के किन-किन क्षेत्रों में कैसे वन लगाना अनिवार्य हैं? साथ ही वनों के विनाश के क्या कारण हैं? उसके क्या निदान हो सकते हैं। वन विकास की क्या रूपरेखा हो और उसका क्या दायरा हो? इन सब मुद्दों पर विस्तृत रूप से समिति विचार करे। सभापतिजी, वनों का आम जनता से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए यह समिति अपनी बैठकें कैमेरो में नहीं करें। आप आम जनता से सुझाव मांगें और प्रभावित लोगों को सुनें।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आपको 9 मिनट हो गये। समाप्त करें।

श्रीमती मदन कौर : सभापति महोदय, बस एक मिनट में ही समाप्त करती हूं।

सभापति महोदय, वन विभाग जिन-जिन क्षेत्रों में काम करता है वहां के स्थानीय लोगों के अधिकारों पर किसी न किसी रूप

(श्रीमती मदन कौर)

में प्रतिबन्ध लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि वहां के स्थानीय लोगों को विश्वास में लिया जाय। चरागाहों की विकास व्यवस्था का काम हो, चाहे वनों की सुरक्षा का प्रश्न हो, वहां के लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिये और उन लोगों को योजनाओं के बारे मे निश्चित रूप से बताया जाना चाहिये कि अमुक क्षेत्र में क्या कार्य किया जायगा और उसकी क्या व्यवस्था होगी? इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वन विभाग की कार्यप्रणाली निष्पक्ष, सुनियोजित व निष्ठावान हो। साथ ही वहां की जनता के मन में विश्वास जमना चाहिये कि वहां पर सारी व्यवस्था निष्पक्ष रूप से हो रही है

(व्यवधान)

अन्त में, सभापति महोदय, मैं इसी संदर्भ में एक बात और निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करूंगी।

चरागाह विकास व्यवस्था और वन सुरक्षा या वन व्यवस्था इन सभी कामों में ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जाय। जहां सम्भव हो इन वन सम्बन्धी कार्यों का दायित्व भी ग्राम पंचायतों को सौंपना चाहिये पंचायतें इच्छुक भी हों और सक्षम हों तो वन विभाग को चाहिये कि वहां की ग्राम पंचायतों को इस ओर प्रेरित करें तो मैं समझती हूं कि वन विभाग अपने उद्देश्यों की पूर्ति अधिक प्रभावी ढंग कर सकेगा।

बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बत्तीलाल !

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : आदरणीय सभापति महोदय, आज सदन में राजस्व और वन विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। राजस्व और वन विभाग के बारे में मैं भी आपके माध्यम से, सभापति महोदय, राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने हमारे पूज्य नेता महात्मा गांधी के स्वप्नों का राम राज्य लाने के लिये नीति अपनायी। इसके लिये सर्वप्रथम हमारी जनता पार्टी की सरकार ने राजस्व अभियान चलाया। इसके पहले भी, सभापति महोदय, गिरदावरी नामान्तरकरण के काम होते थे पर इस बार हमारी जनता पार्टी की सरकार ने जन प्रतिनिधियों को, जनता सरकार के अधिकारियों को गांव-गांव में भेजा। गांवों में अदालतें बैठीं जिससे कि गांव में जो लोगों के वर्षों से अनिर्णीत मामले पड़े थे उनका जन प्रतिनिधियों की सहायता से जनता सरकार ने जनता के बीच में गांवों में जाकर फैसला कराया। इससे लोगों को राहत मिली। सभापति महोदय, राजस्व की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था। इ जनता में और जनता के अधिकारियों में जो दूरी थी वह कम हुई। जनता के अधिकारियों में और जन प्रतिनिधियों में दूरी थी वह कम हुई। इससे जनता सरकार की ख्याति बढ़ी। इसके परिणामस्वरूप जो दो उप चुनाव हमारे हुए छबड़ा और फलोदी में उनमे जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सफलता

(श्री बतीलाल मीणा)

मिली। तो इससे राजस्व के मामले तो सॉल्व हुए ही पर गांव के लोगों को छोटे-छोटे मामलों को लेकर अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे धन की और समय की हानि होती थी वह नहीं हुई। इसके अलावा मैं एक बात और यहां पर निवेदन करना चाहूंगा इसमें भी थोड़ी बहुत जो खामी रही वह खामी जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की ही रही। मैं, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र टोडाभीम के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर गरीब काश्तकारों ने अपने खेतों में ही अपनी जमीन पर मकान बना लिये। वह मकान आज के नहीं, सभापति महोदय, बल्कि 20-30 साल पुराने थे पर आज भी उन लोगों के उन केसेज को रेगुलेराइज नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप आज भी राजस्व मन्त्रीजी को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि तहसील से नोटिसेज आ रहे हैं और गरीब काश्तकारों को हो सकता है अपनी जमीन मकान को कुर्क कराना पड़े। अभी थोड़े दिन पहले, चार पांच रोज हुए, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के लोग मिले थे। उन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने अपने फार्म्स में पचास फीट के घेरे में ही मकान बनाये हैं जो कि वह बना सकते हैं कानूनन पर फिर भी उन्हें नोटिसेज दिये जा रहे हैं। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

दूसरा काम जो राम राज्य का हमारी जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हुआ वह यह है कि जनता पार्टी की सरकार ने जो-जो चुनावों में घोषणायें की थीं उनको उसने पूरा किया। इससे जनता को हमारे अन्दर विश्वास हो गया। आज जनता हमें चाहती है तो इसलिये कि हमने जनता को जो वायदे किये थे उन्हें हम पूरा करा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, आज किसान के अन्दर कोई गरीब और अमीर नहीं होता है। उसके पशु हैं उनके लिये चरागाह होते हैं।

श्री सभापति : आप समाप्त करिये।

(व्यवधान)

श्री बतीलाल मीणा : हमारे यहां चरागाह सर्वसम्मति से डिक्लेअर किया हुआ है। अभी थोड़े समय पहले हमारे यहां पर तत्कालीन राजस्व मंत्री जब आये थे तो किसानों ने हजारों की संख्या में उन्हें घेर लिया। उन्हें अपनी समस्याओं और जो चरागाहों की जमीन उन्हें अलोट की गई थी उसके बारे में बताया। सभापति महोदय, कांग्रेस के जमाने में चरागाह अलोट हुए थे, चाहे गरीब किसान को, चाहे अनुसूचित जन-जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को कांग्रेस गवर्नमेंट ने अलोट किये थे उसके पीछे राज यह था कि कांग्रेस वाले उनसे वोट लेने का स्वार्थ रखते थे। वहां पर दो-दो मीटर जमीन चरागाह के लिये दी गयी थी। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब चरागाहों की जमीन के लिये झगड़े हो रहे हैं। हमने जिलाधीश को शिकायत की पर चरागाहों की समस्या के बारे में वह बिल्कुल ही कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों

(श्री बत्तीलाल मीणा)

का पजेशन वर्षों से है उनको हटाने की बात कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उनके पजेशन में है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री बत्तीलाल मीणा : मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जि । लोगों का पजेशन है वह वर्षों से है उसे वह लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे।

श्री सभापति : Please sit down. आप स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, आज सदन में राजस्व और वन विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। मेरा यह निवेदन है कि जिला प्रशासन द्वारा कोटा जिले में हमारे क्षेत्र को तहसील की बहुत उपेक्षा की गयी है। हमारी तहसील की कई समस्याएं है, पेयजल, सड़क, विद्युतीकरण, सहकारिता, अन्य राजस्व संबंधी समस्यायें हैं उनके लिये हमने हमारे जिला अधिकारियों को कई बार निवेदन किया पर कलक्टर तक, हमारी शिकायतों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमेशा की तरह हमारे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही जाती रही है। इस कारण वहां जनता में भारी असन्तोष है।

मैंने मेरे कटौती कि प्रस्ताव में कहा है कि नायब-तहसील, जो हमारे यहां इंद्रगढ़ में है, में, जो किसान वर्षों से ट्रेसपासर्स के रूप में जमीनों को जोत रहे थे उनका आज तक नियमन नहीं किया गया है। अभी जो अलॉटमेंट किये हैं वह ऐसे किये हैं कि जिन लोगों ने पर्टीक्युलर जिस जमीन पर कुए बनाये, बान्ध बनाये, वर्षों तक काश्त की और मेहनत करके जिसे तैयार की उसका अलॉटमेंट के वक्त नियमन नहीं किया तथा उन्हें गलत नम्बर दे दिये। मैं एस० डी. ओ. साहब के पास गया और कलक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जो पहले नम्बर थे वह चेन्ज कर दिये जायेंगे। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उन किसानों के नम्बर चेन्ज नहीं किये गये हैं। बार-बार किसानों को तंग किया जाता है। कभी तहसीलदार तंग करते हैं, कभी पटवारी तंग करता है, कभी थानेदार तंग करता है। मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि किसानों की समस्याओं को देखकर शीघ्र हल करें।

इसी प्रकार से एक समस्या बावई गांव की है। वहां के किसानों ने एक सहकारी समिति बनाई थी। उस सहकारी समिति के नाम से उनको जमीन अलॉट की गई थी। सहकारी समिति के डूबने पर उस सहकारी समिति के नाम को जमीन उसके सदस्यों के नाम पर अलॉट नहीं करके दूसरे व्यक्तियों के नाम अलॉट कर दी गई है। इसकी जांच होनी चाहिये तथा सहकारी समिति के सदस्यों के नाम ही उस जमीन को अलॉट किया जाना चाहिये

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव, सभापति जी, सीलिंग के बारे में है। यह सरकार अपने आपको किसानों की हितैषी बताती है, लेकिन आज मेरे जिले में सीलिंग के मामले अदालतों में पेन्डिंग पड़े हुए हैं उससे किसानों को बड़ा दुःख है। यह चाहूंगा कि सीलिंग के मामलों को तुरंत निपटाया जाय....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्राप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा कटौती प्रस्ताव . . . .

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्राप बैठिये । प्लीज बैठिये । ग्राप चेयर के साथ कोग्रॉपरेट करें ।

श्री हीरालाल ग्रार्य : एक मिनट में कह देता हूं ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री काशीनाथ गुप्त !

श्री हीरालाल ग्रार्य : एक मिनट में ही समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्राप बैठ जाइये ।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर): माननीय सभापतिजी, मैं ग्रापके माध्यम से ग्रपने क्षेत्र के जिला प्रशासन की एक बहुत बड़ी समस्या की ग्रोर माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं । भरतपुर स्टेट के टाइम में जबकि देश ग्राजाद नहीं हुग्रा था सम्वत् 1896, 1924, 1954 ग्रौर 1982 में जब सैटलमेंट हुग्रा तो उस समय वहां के ग्रधिकारियों ने कुम्हेर को तहसील का दर्जा दिया था । देश के ग्राजाद होने के पश्चात् राजस्थान का निर्माण हुग्रा तो पोलिटिकल कारण से या किसी ग्राधार से उस तहसील को उप-तहसील में परिवर्तित कर दिया। कुम्हेर उप-तहसील ग्राज राजस्थान की एक-तिहाई तहसीलों से हर दृष्टि से बड़ी है । ग्राज हम देखते है कि भरतपुर जिले की नदबई, नगर, वाड़ी, बसेड़ी, ग्रजमेर जिले की सरवाड़, जिला ग्रलवर की किशनगढ़, टोंक, उनियारा ग्रौर उदयपुर जिले की फतेहनगर तहसील ग्रादि से बड़ी है। कुम्हेर के ग्रन्दर ग्रामों की संख्या 152 है उनका क्षेत्रफल करीब 50 हजार हैक्टेयर है, करीब 20 हजार खातों की संख्या, करीब एक लाख 30 हजार खसरा संख्या है । साढ़े चार लाख का लगान है । ग्राबादी एक लाख के करीब है । ग्राम पंचायतों की संख्या कुल कुम्हेर उप-तहसील की 82 है । इसके ग्रलावा ग्रभी तक ग्रापने तीन-तीन गिरदावर सर्किल पर एक-एक तहसील बनाई हुई है । यहां पर 45 पटवारघर हैं जबकि ग्रन्यों में 35 ग्रौर 39 हैं । इस प्रकार कुम्हेर उप-तहसील कितनी ही तहसीलों से बड़ी है । वहां पर भवन की समस्या नहीं है । 50 सालों से वहां पर तहसील रही है । स्टेट के टाइम के राजाग्रों के महल बने हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े हैं । तहसील उसमें रही है । तो भवनों के नाम पर राज्य सरकार को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा । जहां तक प्रशासन के खर्च का सवाल है उस दृष्टि से कोई वित्तीय भार राज्य सरकार पर नहीं पड़ने वाला है । ग्राज कुम्हेर उप-तहसील भरतपुर तहसील में शामिल है । ग्रगर इस उप-तहसील को तहसील बनाया जाता है तो कुम्हेर के ग्रन्दर जो स्टाफ है वह भी काफी है। भरतपुर तहसील "ब" दर्जे की है, कुम्हेर तहसील बनाने पर वह "स" दर्जे की हो जाएगी । इस प्रकार जो स्टाफ कम होगा वह कुम्हेर तहसील में जो "स" दर्जे की बनेगी उससे यहां का काम चल जायेगा ।

इस प्रकार तहसील के स्टाफ की पूर्ति भरतपुर के बढ़े हुए स्टाफ से की जा सकती है । साथ ही साथ सबसे बड़ी बचत इससे यह होने वाली है कि कुम्हेर में 45 पटवारी हैं जो कि हर महीने भरतपुर राजस्व की ग्राय

(श्री काशीनाथ गुप्त)

जमा कराने या किसी बहाने से आते रहते हैं। वह एक दिन तहसील में खर्च करते हैं और एक दिन बैंक में खर्च करते हैं रकम जमा कराने में। इस प्रकार से करीब 22 हजार की राशि वे टी० ए०, डी० ए० में खर्च करते हैं। और 15 हजार की राशि वहां पर जो अन्य विभाग हैं, पशु प्रजनन केन्द्र, पंचायत समिति, अस्पताल, हायर सैकण्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल आदि उनका वेतन, यात्रा भत्ता आदि बिलों का भुगतान भरतपुर लेने आने जाने में जो यात्रा भत्ते पर खर्च होता है वह बचेगा। इससे राज्य सरकार की आय बढ़ती है। इस प्रकार इन यात्रा भत्तों के बिलों की रकम बचने से कहीं ज्यादा कम खर्च होगा। यहां पर तहसील बनने से कोषागार बढ़ाने से वह खर्चा पूरा हो सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय काशीनाथजी, कृपया बैठिये। माननीय सदस्य। Please.

श्री काशीनाथ गुप्त : एक मिनट में मैं निवेदन करूंगा कि कुम्हेर उप-तहसील को तहसील में परिवर्तित करने के प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्रीजी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री सभापति : श्री मदनसिंहजी दांता !

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़): सभापतिजी, मैंने अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव रखा था ..

श्री नाथूराम (बागीदोरा): सभापति महोदय, सिलसिलेवार नाम तो नाथूराम का था।

श्री सभापति : Sorry इनके बाद बोल लें।

श्री मदनसिंह : माननीय राजस्व मंत्रीजी इधर ध्यान देने की कृपा करें।

मेरे क्षेत्र दांता रामगढ़ पंचायत समिति में 42 पंचायतें हैं। एक गांव से दूसरे गांव उत्तर से दक्खिन में जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि ग्राम पलसाना में सब-तहसील स्थापित करने के संबंध में आप विचार करें।

सभापति महोदय, आज जिला प्रशासन के संबंध में बहुत इन्ट्रेस्टिंग बातें हुई हैं। विधायक नये-नये आये हैं तो उनको मालूम हुआ है कि अंग्रेजों को ही शासन-प्रणाली चल रही है। सब नाराज हैं। तो नई प्रणाली क्या होगी ? असेम्बली भी विदेशी है। यह कुर्सी भी विदेशी है। हम इस पर बैठना नहीं चाहते हैं तो कुर्सी का क्या कसूर है। आई० ए. एस. का एक केडर बन गया है। वह एक कोर्स पास करते हैं तब आई० ए० एस० होते हैं। यह डिसीजन तो अंग्रेजों का किया हुआ नहीं है। आपका अनुभव क्या है ? बार-बार इनको कोसा करते हैं, इसका मतलब है आप अपनी गवर्नमेंट को कोसते हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे यहां के मंत्री पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम करके फिर एडमिनिस्ट्रेशन को सम्हालें। मेरा सुझाव है कि मंत्रिमण्डल के जो मंत्री हैं, वह ऐसे हों जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव हो। पार्टी 200 आदमियों को खड़ा करती है उनमें से कम से कम 10 आदमी तो ऐसे हों जो कि गवर्नमेंट के अनुभवी हों, किसी को रेवेन्यू का अनुभव हो, किसी को लॉ का अनुभव हो। विदेशों की बात मैं कहता हूं, सभापति महोदय, फ्रान्स, अमेरिका में जितने प्रेसीडेन्ट हुए

(श्री मदनसिंह दांता)

हैं वे आर्मी के लोग हुए हैं। यही कारण है कि वहां का राज्य अच्छा है। मैं कहूंगा कि गांधीजी स्वयं आर्मी के आदमी थे। उनका तरीका था काम करने का। उनका एक चरित्र था। इसलिए अपनी संस्था के अन्दर डिसिप्लिन कायम करें, संस्था के अन्दर कुछ काम करके बतायें। आपकी संस्था का क्या स्वरूप है? अमेरिका में जब भी प्रेसीडेन्ट चेन्ज होता है तो उसके साथ कम से कम 8,10 हजार आदमी उसके अपने विचार के आते हैं। आप भी ऐसा कर लें। पार्टी के सिद्धान्तों को मानने वाला स्टाफ रख लिया जाना चाहिए और पुराना स्टाफ चेन्ज हो जाना चाहिए। शासन प्रणाली आपको पलटनी है न कि कलक्टर्स को पलटना है। अभी तक सीकर में अच्छे-अच्छे कलक्टर थे। अभी भंडारी साहब थे कलक्टर। यंग होते हुए भी दिन-रात काम करते थे। काम करके 500,500 कुए एक-एक तहसील में बनवाये। उनको वहां से नेताओं ने निकाल दिया। अभी जो कलक्टर प्रहलादरायजी हैं वे भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी भी एक एम० पी० ने शिकायत की क्योंकि उनके चुनाव के अन्दर उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो उनकी बदली कर दी। आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के काम को समझना चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं जानते हैं, इसलिये इनकी आलोचना करते हैं तो गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं।

यहां पर कुछ ऐसे सुझाव भी आये कि रेवेन्यू बोर्ड का काम न्यायपालिका को जाना चाहिए। सभापति महोदय, ऐसा करने से वर्षों तक काम नहीं होगा। लोगों को कलक्टर पर विश्वास है। आप अदालतों और हाई-कोर्ट में देख लीजिये कि मामले कितने पड़े हुए हैं। कोर्ट में गरीब जा नहीं सकेगा। कोर्ट में फीस अलग होगी। इसलिये रेवेन्यू के मामलों का काम कलक्टर और एस. डी. एम. के पास ही रहने दें। कार्यकर्ता हैं वे तो काम करते नहीं। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको आप कोसते हैं। इन्दिरा का राज था। आफिस और स्कूलों में समय पर आने का मानस कर्मचारियों और लड़कों का बना था। इन्दिरा यही तो चाहती थी। इन्दिरा यह चाहती थी कि न्यायालय में केसेज न जायं। आपने इसका विरोध किया। फिर तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही असेम्बली बना लीजिये। आप अपनी शासन प्रणाली चेन्ज करो। रोज हाउस के एम. एल. एज. एडमिनिस्ट्रेशन को कोसते हैं, कलक्टर के बारे में कहते हैं। मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि वहां के कलक्टर ने राजस्व अभियान और अन्त्योदय में रात दिन काम किया। एस. डी. ओ. ने रात दिन काम किया। आप से काम नहीं हुआ। काम होने पर भी ऑफिसर्स को कोसते रहें तो यह अपने लिये भी अच्छा नहीं। काम है अपना वह अपने को करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : रात दिन मिल कर काम किया है।

श्री मदनसिंह दांता : मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि मेरी कान्स्टीटयुएन्सी बड़ी है। वहां पर आप नायब-तहसीलदार को ही लगा दें काश्तकारों के लिये अच्छा काम कर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री नाथूराम !

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़): एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि लिस्ट में जो नाम जिस सीरियल में हैं उसी

(श्री मगनसिंह वांता)
सीरियल में माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है या माननीय सभापति उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर से क्या पूछ रहे हैं ? चेयर से क्या पूछ रहे हैं ?

श्री सभापति : चेयर को अधिकार है, चेन्ज कर सकती है । मैंने इरादतन चेन्ज नहीं किया है। सिर्फ नाथूरामजी का किया है।

श्री रामेश्वर प्रसाद : स्पष्टीकरण इसलिये चाहा कि कई माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात ग्रायी कि पीछे वाले पहले क्यों ?

श्री सभापति : चेयर काम्पिटेंट है ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा): सभापति महोदय, मेरे कट मोशन्स गांवों से सम्बन्धित हैं । कितना ही टाइम लगे, सब लोगों के विचार सदन में ग्राने देने चाहिये । ये बातें किसानों से सम्बन्धित हैं इनको हाउस में ग्राने देना चाहिये ।

सभापति महोदय, मेरे तीन मांगों पर कटौती प्रस्ताव हैं । मैं संक्षेप में ही निवेदन करूंगा । जिला प्रशासन में किसानों को जाना पड़ता है, तहसीलों में जाना पड़ता है, जिला ग्रधिकारियों के दफ्तरों में जाना पड़ता है, इस कारण किसान बहुत परेशान होते हैं । किसानों के भूमि सम्बन्धी केसेज तहसीलों में चल रहे हैं ग्रौर जिलाधीश के दफ्तरों में चल रहे हैं । डूंगरपुर, बांसवाड़ा ग्रौर उदयपुर डिविजन में जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले ग्रादिवासी हैं । उनके दस दस साल से, बीस-बीस साल से कब्जे हैं, उनके चरागाहों पर कब्जे हैं उनको पेशियों पर जाना पड़ता है, वकीलों के चुंगल में फंसना पड़ता है जिससे उनके हजारों रुपये खर्च होते हैं । जिलों के दफ्तरों में एस. डी. ग्रो. वगैरह हैं । मेरा निवेदन है कि तहसीलों का ग्रौर जिलों का जनसंख्या के ग्राधार पर ग्रौर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पुनर्गठन होना चाहिये ताकि ग्राज ग्रादिवासी जो तबाह हो रहे हैं उनकी तबाही मिटे । जिला सप्लाई विभाग है । उसके द्वारा शक्कर का वितरण होता है किन्तु दो-दो महीनों तक ग्रादेश नहीं दिये जाते हैं । उनके पास क्रय-विक्रय संघ का रुपया जमा रहता है । ऐसे दफ्तरों में पोल है । इसलिये जिला ग्रधिकारियों के दफ्तरों में जो तानाशाही है उसमें सुधार ग्राना चाहिये, वरना लोग परेशान होते हैं । ग्रापके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जिला ग्रधिकारियों के दफ्तरों में जो नादिरशाही है उसमें सुधार ग्राना चाहिये । हरिजनों ग्रौर ग्रादिवासियों के केसेज चल रहे हैं, वकील के हाथों वे लोग लूट रहे हैं इसलिये उन केसेज को शीघ्र निपटाना चाहिये ।

वन के बारे में संक्षेप में निवेदन करूंगा । हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ग्रन्त्योदय ग्रौर राजस्व ग्रभियान चलाये । इससे गरीब लोगों को फायदा हुग्रा । 10 पर्सेन्ट को फायदा हुग्रा । राजस्व ग्रभियान के दौरान जहां हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्रादिवासी रहते हैं वहां पर भी पटवारियों ने रिश्वत ली । मैंने शिकायत की ग्रौर सस्पेन्ड भी कराया । राजस्व ग्रभियान के दौरान जिन पटवारियों ने रिश्वत ली है उनकी जांच करके उनको सजा दिलानी चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नाथूराम)

जो अन्त्योदय में हरिजन और आदिवासी आये उनको अभी तक जमीन नहीं मिली है। यदि उनको भूमि मिली तो पटवारी ने अभी तक उनको नहीं दी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप से विनम्र निवेदन है।

श्री नाथूराम : संक्षेप में ही बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, आप तशरीफ रखिये।

श्री नाथूराम : आदिवासी तबाह हो रहे हैं। संक्षेप में मैं निवेदन करता हूं।

(7.17 सायं)

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्व अभियान और अन्त्योदय की योजना तो अच्छी है लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा में आदिवासियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। वन विभाग की चरागाह की भूमि उनको देनी चाहिये। चरागाह की भूमि देने की कलक्टर को पावर्स नहीं है। चरागाह की भूमि के लिये सरकार के पास भेजना पड़ता है। जिलाधीश को यह अधिकार देना चाहिये। तहसीलदार को अधिकार देना चाहिये ताकि उन मामलों को निपटाया जा सके।

खातेदारी राइट्स के लिये भी निवेदन करूंगा कि आजादी के पहले बांसवाड़ा में सैटलमेंट हुआ था। आजादी के बाद कई गांवों का सैटलमेंट नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि जहां सैटलमेंट नहीं हुआ है वहां पर हो जाना चाहिये और जिन गरीबों के जमीनों के झगड़े हैं उनको निपटा देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 15 बीघा जमीन का लगान माफ कर दिया गया है। लेकिन इस साल गरीब आदिवासियों से वसूल कर लिया। इसकी जांच करके उनको वापिस दिलाने की व्यवस्था आपको करनी चाहिये।

बांसवाड़ा में असामान्य वर्षा हुई इसके कारण गांव अभावग्रस्त हुए, इसी प्रकार गढ़ी तहसील में भी गांव प्रभावित हुए। पटवारियों ने गलत गिरदावरी की, फलस्वरूप सख्ती से आदिवासियों से वसूली हो रही है। सहकारिता का कर्जा भी उन पर है, वह भी सख्ती से वसूल हो रहा है। गढ़ी तहसील में पटवारियों ने गलती की उसकी जांच होनी चाहिये और उनको शिक्षा देनी चाहिये। यह गरीबों के साथ अन्याय है। हरिजनों के साथ अन्याय है। उनसे कुर्कियां हो रही हैं वह बन्द कर देनी चाहिये। अभावग्रस्त हो जाने से और खेती न होने से गरीबों के पास खाने को भी नहीं है फिर भी सख्ती से वसूली हो रही है। यह आदिवासियों के साथ अन्याय है। जब बांसवाड़ा में असामान्य वर्षा हुई है तो गढ़ी तहसील में कैसे नहीं हुई। यह उनकी गलती है। पटवारियों ने गलत गिरदावरी की और आदिवासियों व हरिजनों के साथ अन्याय किया है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से वनों की सुरक्षा के बारे में मैं सन् 1957 से लगातार सुझाव देता आ रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री नाथूराम)

आजादी के बाद में उदयपुर डिविजन में तमाम जंगलों को ठेकेदारी प्रथा शुरू करके सरकार के कर्मचारियों ने नष्ट कराया। वनों की करोड़ों की सम्पदा थी किन्तु आज पहाड़ियां नंगी हैं। वन विभाग के कर्मचारी चारागाह की जमीन व काबिल काश्त जमीन के ऊपर भी कब्जा करके प्लान्टेशन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर डिविजन में पहाड़ियां नंगी हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और धरियावद जंगल नष्ट कर दिये हैं। वन विभाग के अधिकारियों को नंगी पहाड़ियों को आबाद करना चाहिए और काबिल काश्त जमीन निकाल कर गरीब आदिवासियों को आवंटित करनी चाहिए। जहां क्रय केन्द्र कायम किये गये हैं वहां इमारती लकड़ियां नहीं मिलती हैं। इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। यही आपके द्वारा निवेदन करता हूं।

सदन की अवमानना

श्री सुखदेवसिंह द्वारा दर्शक दीर्घा से सदन की अवमानना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को याद होगा कि आज जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो लगभग 12 बजे कर 40 मिनट पर दर्शक दीर्घा में एक व्यक्ति श्री सुखदेव सिंह ने दर्शक दीर्घा से कुछ पर्चे सदन के प्रांगण में फेंके। श्री सुखदेव सिंह को तुरन्त प्रहरियों द्वारा अभिरक्षा में ले लिया गया।

श्री सुखदेव सिंह को मैंने अपने कक्ष में बुलाकर उनके बयान लिये। श्री सुखदेव सिंह, एक 37 वर्षीय युवक हैं और इस समय वे राजर्षि कालेज, अलवर में लेक्चरार हैं। वे अपने स्थानान्तरण की शिकायत को लेकर विधान सभा में आये थे जिसका उल्लेख उन्होंने उन पर्चों में किया है जो आज उन्होंने सदन में फेंके।

श्री सुखदेव सिंह से यह पूछे जाने पर कि सदन में पर्चे फेंकने से सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई है और उनके इस कार्य से सदन का अपमान हुआ है। श्री सुखदेव सिंह ने अपने बयान में यह कहा कि वे सदन का अपमान करने के इरादे से नहीं आये थे। उन्होंने पर्चे फेंक कर सदन का उनके ट्रान्सफर के प्रति अहसास कराया है। उनके इस कार्य से सदन का जो अपमान हुआ है उसके लिए श्री सिंह खेद व्यक्त करते हैं परन्तु वे बिना शर्त उसके लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैंने ये तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिये हैं। अतः इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्यवाही हो वह सदन द्वारा की जाये।

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको सुखदेव सिंह कहता है जिन्होंने आज लगभग 12.40 पर दर्शक दीर्घा से सदन के प्रांगण में पर्चे फेंके और जिनको वाच एण्ड वार्ड के अधिकारियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि श्री सुखदेव सिंह को आज की बैठक समाप्त होने तक सशस्त्र परिचारक, राजस्थान विधान सभा की अभिरक्षा में रखा जाये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यह जो युवक है यह नौकरी में था।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

यह कोई साधारण रूप में यहां नहीं आया। दुखी होकर आया है। उसने जो कारण बताये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जो बयान दिये हैं उससे साफ जाहिर होता है कि वह आदमी सब जगह भटका किन्तु उसकी फरियाद कहीं नहीं सुनी गयी। इस तरह के हजारों लोग और हैं। अगर हमारे प्रशासन की गलती की वजह से कोई दुखी होकर अपनी गाथा किसी को सुनाये और नहीं सुने तो उसको यह रास्ता अडाप्ट करना पड़ा। अदरवाइज वह ऐसी हरकत नहीं करता। तो मैं चाहता हूं कि उसको सजा न देकर क्षमा किया जाये। उसके पीछे जो उसकी भावनायें हैं उसको हमें महसूस करना चाहिए। उसने यह पर्चे क्यों फैंके और यह परिस्थितियां पैदा क्यों हुईं? उन परिस्थितियों को दूर किया जाये ताकि आइन्दा ऐसी घटनायें न हों।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय श्री नवनीतजी पालीवाल, मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है उसे पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, हमको भी तो सुनना था। हमने 'नो' कहा था। आपने बड़ी कृपा की कि उसको बुलाकर चेम्बर में पूछा....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, जब प्रस्ताव पारित हो गया तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती। यह परम्परा सही नहीं होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह परम्परा भगतसिंह ने डाली है। आप परम्पराओं की बातें करते हैं। एक तो आप लोगों को परेशान करें और फिर सजा दें। यह परम्परा टूटेगी नहीं, यह परम्परा भगतसिंह ने डाली है।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी बात है कि.......

एक माननीय सदस्य : बाधा पहुंचाई है और अपमान किया है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव पारित होने के बाद बहस करना अवास्तविक है।

(व्यवधान)

सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है।

श्री मदनसिंह दांता : पारित हो चुका है। इसमें सजा कौन से लॉ के माफिक दी? कौनसे लॉ में है कि इतनी सजा होनी चाहिए? अगर यहां की कार्यवाही में बाधा पहुंची है तो मैं चाहता हूं कि दस रोज की सजा होनी चाहिए। यह कौन सी ताजीरात हिन्द की सजा है कि इतनी देर रखा जाये। आपने कहा था कि....

श्री अध्यक्ष : सदन ने उचित व्यवस्था इस संबंध में कर दी है। वह सर्वमान्य होनी चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : वही इंदिरा गांधी वाली बात यहां हो गयी। सजायें यहीं पर मिलने लगीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, उस लड़के को पास किसने दिया था? यह मैं पूछ रहा हूं। यहीं तो पास दे देते हैं और यही हल्ला करवा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

अभिव्यक्ति का अपलोपन

माननीय सदस्यों को याद होगा कि दिनांक 14 मार्च, 1978 को जब माननीय सदस्य श्री श्योपतसिंह न्याय प्रशासन विभाग की मांग पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में वकीलों के संदर्भ में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था।

उन शब्दों के प्रयोग पर माननीय सदस्य, श्री रामकृष्ण दास गुप्ता एवं सुश्री पुष्पा जैन द्वारा आपत्ति की गई थी किन्तु सभापति द्वारा उस दिन उस पर व्यवस्था नहीं दी जा सकी।

मैंने श्री श्योपतसिंह द्वारा दिये गये भाषण के उस अंश को देखा। श्री सिंह ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वे निम्न प्रकार हैं:—

× × ×

मैं समझता हूं जिस संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह ठीक नहीं है और मैं इनको असंसदीय मानता हूं। अतः मेरा आदेश है कि इन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से जहां-जहां भी इनका प्रयोग किया गया है—अपलोपित कर दिया जाये।

श्री मदनसिंह दांता : आपका आदेश सर्वमान्य है लेकिन ××× शब्द इतना बुरा नहीं है इसका एक अर्थ सही होता है, एक गलत होता है। हां, ××× शब्द को निकाल दें।

मांग संख्या 4, 8 व 9 पर अग्रेत्तर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, आज जनता पार्टी को राज करते 6 महीने से ज्यादा हो गये हैं। इस वातावरण पर जब मैं सोचता हूं तो मुझे कालेज के दिन याद आ जाते हैं। अमेरिका के एम्बेसेडर आए हुए थे। उनसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में क्या फर्क है? उन्होंने कहा "They are in power and we are out of power" यहां भी वैसा है कांग्रेस पार्टी की पालिसी पर आप उसी तरह से चल रहे हैं। उस पर चल भी रहे हैं और उन्हें कोस भी रहे हैं, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जयपुर का राज बदल गया, कांग्रेस का राज बदल गया, लेकिन गांव में वही राज है, वही पटवारी, वही तहसीलदार, वही कानून, वही रवैया, क्या फर्क पड़ने जा रहा है? आप लोग यहां क्रिटिसाइज भी करते जा रहे हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य कह रहे हैं कि इस तरह से राज चले तो

××× अभिव्यक्ति व शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री माधवसिंह दीवान)
राजस्व मंत्री से मेरा यही कहना है कि मेहरबानी करके सदस्यों की राय को एक जिले में लागू करके कम से कम देखें कि चलने जैसा है कि नहीं। जो भी सदस्य हैं वे सिर्फ पुराने सिस्टम को कोस रहे हैं। कोई भी उचित सुझाव नहीं दे रहे हैं। अगर आपको सिर्फ क्रिटिसाइज ही करना है तो इधर आ जाइये।

श्री मूलचन्द डागा : या हमें उधर आने दीजिये।

श्री माधव सिंह दीवान : सैटलमेन्ट के बारे में मैंने कम से कम दो-तीन चिट्ठियां पहले राजस्व मंत्री थे उनको दी थीं। उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। उसे दोहराना नहीं चाहता। नये मंत्री आ गये हैं, उन चिट्ठियों को देख लें। आशा है जल्दी से जल्दी कुछ करेंगे। हमारी तहसील में जो सैटलमेंट हुआ उस समय हमारी सरकार थी तब हुआ, जो लोग सैटल थे उसको अन-सैटल कर दिया। तीन-तीन चार-चार महीने तक गांवों में अमीन बैठे रहते हैं उसका सारा खर्चा गांव वाले भुगतते हैं ताकि किसी को जमीन किसी के नाम न लिख दी जाय। मेहरबानी करके सैटलमेंट के सैटअप के बारे में फिर से विचार करें ताकि कम से कम आगे तो लोग तकलीफ न पावें।

राजस्व अभियान के दौरान नियमन करने में तकलीफें आ रही थीं। मैंने मंत्री महोदय को लिखा कि जो भी हैड आफ दी फेमिली है को जमीन गिरदावरी उसके नाम से ही होती है चाहे उसके तीन-चार बालिग बच्चे हो जायें, वह जमीन उसके नाम ही रहती है। उसी प्रकार अवैध कब्जा भूमि भी उसी के नाम दर्ज होती है और कुल मिलाकर अगर 24 बीघा से ज्यादा हो तो उसे नियमन नहीं किया जाता। हमें उसे बच्चों में बांटने का अधिकार नहीं था। आधे से ज्यादा नियमन खारिज करने पड़े और राजस्व अभियान खतम हो गया।

तीसरी बात यह है कि गोचर भूमि में अभी तक जो कब्जे हैं वह बरकरार हैं। पहले से ढर्रा चला आ रहा है, 71 तक के जो कब्जे हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाये, 75 तक के जो कब्जे हैं उसको कर दिया जाये, उसी हिसाब से आज भी लोग कब्जे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वे समझते हैं कि कोई न कोई अभियान ऐसा आयेगा, हमारे कब्जे भी रेगुलराइज कर दिये जायेंगे। तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलक्टर इन लोगों के पास काम ज्यादा रहता है। पेशी के लिए लोग तीस-चालीस मील से आते हैं और वहां पर आने के बाद पता चलता है कि एस. डी. ओ. छुट्टी पर हैं या टूर पर गये हैं और पेशी आगे दे दी जाती है। उन लोगों का टाइम और पैसा बरबाद होता है उनको निराश वापस जाना पड़ता है। जिस दिन बाहर जाना हो या टूर हो उस दिन कोई पेशी न रखें। टूर के दिन निश्चित कर दिये जायें सरकार इस बात की व्यवस्था करे। पेशी आगे लेने में वकीलों का भी सहयोग रहता है ताकि उनका मेहनताना आगे से आगे चलता रहे। पेशी आगे देने का काम है वह कम से कम किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वन के बारे में, वन की नीति के बारे

(श्री माधव सिंह दीवान)

में मुझे यह कहना है कि आज तक जन सहयोग नहीं लिया गया। आज फोरेस्ट्री डिपार्टमेंट का जाब रखा गया है। जितने किसान हैं पेड़ लगाने को तैयार हैं। वे चाहते हैं तो पेड़ सप्लाई नहीं किये जाते हैं। मेरा सुझाव है कि वन को राजस्व में मिला दें। गांव-गांव नर्सरी बनाई जाय तथा पटवारी पेड़ लगाने में किसान की सहायता करें तो काफी मात्रा के अन्दर वन आटोमेटिकली लग जायेंगे, किसान को लकड़ी सुलभ हो जायेगी और मरु विकास बोर्ड है उसमें आटोमेटिकली सहयोग मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मोरदिया।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत राजस्व मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुद्दे आपकी सेवा में पेश करने जा रहा हूं उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदय, भगवाना राम वगैरह गांव फतेहपुर में हरिजन हैं। उनके नाम खाता है। उनकी रिपोर्ट राजस्व मंत्री की सेवा में पेश कर चुका हूं। उस जमीन के बारे में कम से कम चार बार मैं लिखवा चुका हूं गृह मंत्री महोदय को, राजस्व मंत्री महोदय को लेकिन आज तक उसका आर्डर कहां जाता है, क्या होता है, यह पता नहीं चलता। चार-पांच महीने हो गये उसका खाता बदल दिया। वह इसलिए बदल दिया कि सड़क के पास जमीन है व काफी 2 लाख के करीबन जमीन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाये, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस जमीन को रिपोर्ट कर दी जब कि वह काश्त को जमीन थी। जब जमीन नहीं देनी थी तो उसको क्यों बता दिया गया? वह दो लाख की कीमत की जमीन है। तहसीलदार, एस. डी. ओ. हरिजनों को परेशान कर रहे हैं। उन लोगों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है लेकिन कोई भी नहीं सुनता।

दूसरा उदाहरण मैं जिला प्रशासन के हरिजनों के प्रति भयंकर अत्याचार का बताना चाहता हूं। श्री नाथूराम हरिजन, ग्राम चन्दपुरा के खेत का रास्ता बन्द कर दिया गया है। उसका खेत पांच-सात खेतों के बीच में है। दो साल से उसका रास्ता रोक दिया गया। अब आप सोचिये कि किधर से होकर वह अपने खेत में जाएगा। ग्राम पंचायत ने उसका दो बार फैसला कर दिया, मामला जिलाधीश महोदय को भेज दिया लेकिन जिलाधीश महोदय के पास दो साल से पैंडिंग पड़ा हुआ है। किस तरह से अपने खेत में आए जाए? इतनी बड़ी परेशानी हो रही है कि वह मारा-मारा फिर रहा है।

तीसरा उदाहरण जो बहुत बड़ा उदाहरण है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। बूजा की ढाणी, जो कि नीम का थाना तहसील में है, में राम देव राम बलाई की जमीन अलाट की गई। तेरह साल हो गये उस बात को। एस. डी. ओ. कोर्ट में मुकदमा चला और रेवेन्यू बोर्ड तक मामला गया, वहां से भी वह जीत गया लेकिन आज तक उसको कब्जा नहीं मिला। चार महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री महोदय के पास उन लोगों को पेश किया और सारी स्थिति

(श्री परसराम मोरदिया)

बताई । उन्होंने कहा था कि मैं आठ दिन में रिपोर्ट मंगा लूंगा लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई । राम देव राम का 13 साल में जितने की जमीन अलाॅट हुई उससे कई गुना पैसा लग गया । इस तरह से जमीनग अलाॅट करने से क्या फायदा हुआ, ? अगर इसी तरह से करना है तो हरिजनों को अलाॅटमेंट ही नहीं करना चाहिए । अगर करते हैं तो ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर झगड़े होते हैं । इसलिए मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो अलाॅटमेंट का प्रोसीजर है उसको इस तरह से बनायें कि गांव में ही उसका फैसला हो जाय, लोग मुकदमें में नहीं फंसें और लोगों को राहत मिले ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि हरिजनों के पास में जमीन इतनी थोड़ी है कि बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है इसलिए ऋण की व्यवस्था भी होनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि नामान्तरण पटवारी तस्दीक नहीं करने देते हैं । मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पटवारी किसान के घर पर जाकर नामान्तरण तस्दीक करेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह मेरा चार्ज है कि कोई भी गांव हो, बगैर पैसे लिए पटवारी नामान्तरण तस्दीक नहीं करता है । आज भी पांच-पांच, दस-दस साल से नामान्तरण पेंडिंग पड़े हैं । बगैर पैसे लिए कोई काम नहीं करता है । मेरा निवेदन है कि इसमें माननीय राजस्व मंत्री महोदय कुछ सुधार करें । मेरा सुझाव यह है कि पास-बुक्स कम्पलीट हों ताकि किसानों को ऋण लेने में सुविधा हो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिये जावें कि हरिजनों के जितने भी मसले हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाय और उनको राहत दी जाय । हरिजनों की हजारों बीघा जमीन लोगों ने दबा रखी है, सवर्णों ने कब्जा कर रखा है उनसे छुड़वा कर हरिजनों को जमीन दी जाय तो जमीन इतनी हो जाएगी कि और जमीन अलाॅट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी । इस ओर माननीय राजस्व मंत्रीजी ध्यान दें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल सारस्वत !

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम यह निवेदन करना चाहता हूं कि आसाम का एक विशिष्ट पहाड़ी प्रदेश है, वहां पर आदिवासी लोग विशेष तौर पर रहते हैं । युवा हो जाने पर माता-पिता शादियां नहीं करते हैं । विवाह का कोई समय नहीं होता । मेले या उत्सव के मौके पर वहां पर युवक और युवतियां जाते हैं । उस समय पुरुष अपने साथ में जबरन लड़की ले आते हैं । उसके कुछ अर्से बाद में, फिर वे घुल मिल कर घर आ जाते हैं और फिर उनकी शादी का नियमन हो जाता है, उनके बच्चे हो जाते हैं और शादी रेगुलराइज हो जाती है । पिछले 25–30 सालों से यही प्रक्रिया राजस्थान के भूवि आवंटन की रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार के पास में आवंटन हेतु काबिल काश्त भूमि है वह केवल दस लाख एकड़ भूमि है और वह भी खास तौर से ऐसे क्षेत्र के अन्दर

(श्री अशोलाल सारस्वत)

है जहां से हमारे किशनसिंहजी आते हैं। शायद आधे से ज्यादा जमीन उस क्षेत्र में है और बाकी जमीन राजस्थान के अन्य भागों में है। राजस्थान टिनेंसी एक्ट फोर्स में सम्वत् 2012 में आ गया। राजस्थान बनने के बाद में पिछले पांच वर्षों तक उन व्यक्तियों ने जमीन पर कब्जा नहीं किया जो दरिद्र थे, गरीब थे, जो गरीबी की सीमा के नीचे थे और जिनके पास जमीन नहीं थी। उन व्यक्तियों ने कब्जे किए जिनके पास में पर्याप्त मात्रा में जमीनें थीं, जिनके हाथ में लाठी थी, ताकत थी और जिनके पीठ पर लोगों के हाथ थे। उसके बाद में भी अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टिनेंसी एक्ट फोर्स में आ गया और कुछ समय तक राजस्थान में नियम स्ट्रिक्ट रूप से लागू रहे मगर उसके बाद उन लोगों ने जमीन पर कब्जे किये जिनके पास ताकत थी, जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास में राजनैतिक प्रश्रय था। राजस्थान में 286 लाख हैक्टेयर काबिलकाश्त भूमि है उसमें से आज तक 2.66 लाख हैक्टेयर जमीन कब्जे में है। उसमें से करीब एक सौ लाख हैक्टेयर यानी एक करोड़ हैक्टेयर जमीन या तो बाद में अलॉट की गई या रेगुलराइज हुई है। इसमें अधिकतर वही जमीन है जिस पर अनधिकृत कब्जे किये हुए थे, लोगों के द्वारा कब्जे किए हुए थे, उसको रेगुलराइज किया गया है। यह केवल काश्त की जमीन की स्थिति नहीं है, आबादी की जमीन की भी यही स्थिति है। जयपुर शहर की यही स्थिति है, जोधपुर शहर की भी यही स्थिति है और जितने बड़े-बड़े शहर हैं, जितने बड़े-बड़े कस्बे हैं, सबका यही हाल है और गांवों का भी यही हाल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस और नियम हवा हो गए। आज भी नियम है लेकिन अपने पास में कौनसी जमीन बची है? राज्य सरकार के पास कौनसी जमीन बची है? राजस्थान के अन्दर दो करोड़ काश्तकार हैं। ढाई करोड़ की आबादी में से दो करोड़ काश्तकारों को करीब 2.66 लाख हैक्टेयर जमीन बांटें तो एक हैक्टेयर जमीन प्रत्येक व्यक्ति के पीछे आती है। उस जमीन पर आज कब्जे हैं। केवल दस लाख हैक्टेयर जमीन है जो किसी तरह से कब्जे में दी जा सकती है। चाहे अन्त्योदय योजना हो या और कोई योजना हो, जिनके द्वारा भूमिहीन काश्तकार और गरीब लोगों की गरीबी की समस्या को मिटाने का सवाल हो, मगर यही जमीन है जो दी जा सकती है। फिर क्या होगा? वही स्थिति, वही ट्रेसपास की स्थिति, वही नाजायज कब्जा करने की स्थिति रखना चाहते हैं। क्या ऐसी स्थिति में जिन लोगों को जमीन की जरूरत है वह चाहे झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले हों या सामान्य मध्यमवर्ग के लोग हों या पैसे वाले लोग हों, उन व्यक्तियों को मास्टर प्लान के आधार पर या किसी आधार पर जमीन दी जा सकती है? जिस समय राजस्थान बना उस समय या उसके बाद में जिन काश्तकारों को वास्तव में जमीन चाहिए थी उनसे कीमत लेकर उनको जमीन दी जा सकती थी लेकिन वही जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ हुई। लक्षाधिपतियों द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा करवाया गया या उन व्यक्तियों को, जिनके पीछे राजनैतिक प्रश्रय था, अलॉटमेंट किया गया, किसी को पत्नी के नाम पर, किसी को पुत्र के नाम पर, किसी को भाई और सगे सम्बंधी के नाम पर। जिसके पास किसी गांव में सौ दो सौ बीघा

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)

जमीन थी उसको दूसरे गांव में लैंडलेस बता कर जमीन के अलॉटमेंट किए गए। ऐसी जमीनों की कीमत का हिसाब लगाये तो कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये की कीमत आएगी। समूचे प्रदेश के हिसाब से, जयपुर-जोधपुर नहीं, बल्कि नागौर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र की जमीन को मिला कर भी केल्कुलेशन किया जाय तो उसकी कीमत पांच सौ करोड़ से ज्यादा आती है। यही हाल आबादी जमीन का है। इसकी भी काफी कीमत आती है। नाजायज कब्जा लोगों ने जस जमीन पर कर रखा है उसका यदि सही रूप से अलॉटमेंट होता तो आज कांता कथूरिया कोलोनी या गांधीनगर का जो विकास बताया गया है या बांगडजी की डीडवाना में 32 बीघा जमीन एक साथ रेगुलराइज करके आबादी में परवर्तित कर दी गई है, ऐसी स्थितियां, ऐसे हालत और ऐसी विसंगतियां नहीं होतीं। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान और भविष्य के लिए चाहे शहर की जमीन हो, चाहे गांव की, योजनाबद्ध तरीके से उस जमीन के नियमन की कार्यवाही कर जिन व्यक्तियों को वास्तव में जमीन की जरूरत है, उन लोगों को जमीन दी जावे, इसके बारे में नीति तय होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त अदालत की ओर भी दौड़ना पड़ता है। भिन्न-भिन्न उदाहरण यहां पर पेश किए गए। कइयों ने यह कहा कि नहीं, अब हालत ठीक है, अब जो मौजूदा प्रशासन है वह ठीक है, स्वच्छ है। कुछ बातें भी उन्होंने बताईं। उन्हीं ने यह कहा कि उसमें खामियां हैं, भ्रष्टाचार है। वर्तमान में जो हालात हैं, इस सदन के माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं कि वर्तमान स्थिति में जो प्रशासन है जो आज जिले बने हुए हैं और जो प्रशासन करने वाले हैं, उनमें कुछ न कुछ ऐसी खामियां हैं जिन पर विचार करना चाहिए। प्रयोगात्मक नहीं व्यावहारिक रूप से देखा जाए कि किस तरह की विसंगतियां हैं और उनको दूर कैसे किया जाय।

कल कहा जा रहा था कि न्याय पद्धति में कमी है मगर आज यह कहने का प्रयास किया है कि ये रेवेन्यू के मामले हैं, ये तमाम न्यायपालिका को दिए जाने चाहिएं। जहां तक लोगों का खयाल था न्यायपालिका में कमी नहीं है। मगर नई पद्धति है, सेट अप है उस में खामी है। इसलिए वर्तमान में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं कम से कम रेवेन्यू के जिनका प्रशासनिक काम पड़ता है वह उनके पास न रख कर असिस्टेंट कलक्टर के पास हों तो भी अपील होती है वह रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के बजाय सिविल जज के पास हो जाए। दूसरी अपील होती है तो रेवेन्यू बोर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है, जिला जज के यहां सेकिन्ड अपील की जा सकती है। ऐसा प्रावधान रखा जा सकता है जिससे बहुत-सा खर्चा बचेगा और साथ ही साथ लोगों में जो न्यायालय के प्रति आशंका पैदा हो गई है, वह मिट जाएगी।

दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि वन के जो हालात हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उसमें जलवायु के अनुकूल इस तरह के पेड़ और पौधे, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम आ सकते हैं, लगाने चाहिएं। वन से जो आमदनी है, वह इतनी नहीं है जितना हमारा खर्चा है। रेगिस्तानी क्षेत्र में पेपर टैक्नोलोजी व अन्य उद्योग से संबंध रखने वाले आक, खपी, सिणिया, तूबा, कुमटा वगैरह होता है। उनको एक्सपर्ट और विशेषज्ञ की राय से काम में लिया जा सकता है। बहुत से वन खाली पड़े

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)
हैं उन पर यह लगाये जा सकते हैं और प्लान्ड इकानामी में लिए जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री निर्मल कुमार !

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन के मामले में आज कहा गया कि जिला प्रशासन पर नौकरशाही हावी है । नौकरशाही अंग्रेजों के जमाने में चली, कांग्रेस के राज में फली-फूली और हमें विरासत में मिली । नौकरशाही हावी है आज उस बात को बार-बार उठाया जाता है। हमारे राज में कुछ अंकुश लगा है । नौकरशाही, जो अब तक हावी थी, को पूरी तरह से तो समाप्त नहीं किया जा सकता पर इस पर रोक जरूर लगी है, जनता सरकार में जो सक्षम लोग हैं, उनके कारण रोक लगी है । फिर भी जिला प्रशासन में बहुत सी कमियां हैं । जिला प्रशासन की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता जिलाधीश करता है और जनप्रतिनिधि उनके सामने बैठते हैं । व्यवस्था इसके विपरीत होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स में जनप्रतिनिधियों को अध्यक्षता करनी चाहिए ।

जिला अधिकारियों के पास जनता के जो पत्र जायें उनको उनके उत्तर देने चाहिए। वह उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक बने, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो जिला प्रशासन में सुधार निश्चित तौर से होगा ।

भू-राजस्व के मामले में आज गांवों में पटवारियों का बड़ा आतंक है । अन्त्योदय योजना को चलाकर किसान की बहुत सी समस्याओं का समाधान किया गया है । फिर भी यदि किसान को पत्थरगढ़ी करानी है या और कोई समस्या है तो उसको पटवारी परेशान करता है । पटवारी पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाए, क्या पंचायत के अधीन रखा जाए, इस मामले में विचार करके किसान की समस्या के समाधान में सहायता दें । इसके अलावा भू-राजस्व अभियान के अंतर्गत पास बुक्स बटने को थीं । किसानों को जल्दी से जल्दी सारे राज्य में किस प्रकार की पास बुक्स दी जाय, इस सम्बन्ध में निर्देश जारी करें ।

धारा 74 व 77 के तहत शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों से, जिन्होंने जमीन खरीदी है, सरकार वापस लेगी । एक ओर शिड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी 50 बीघे का मालिक है, 25 हजार का आसामी है, दूसरी तरफ ऐसा किसान है जिसने सिर्फ दो बीघा जमीन ली है । उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है फिर भी उससे सरकार जमीन ले रही है क्योंकि पिछली सरकार में यह नियम था । मेरा निवेदन है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास दो या 5 बीघा जमीन है उनके प्रति हमदर्दी रखकर उनको राहत दें, नहीं तो पिछली सरकार और हमारी सरकार में अंतर नहीं रहेगा ।

वनों के मामले में पिछली बार भी मैंने यह कटौती प्रस्ताव पेश किया था कि जब तक हम ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे, वनों की कटाई को हम रोक नहीं सकते। रोटी बनाने का एक मात्र साधन लकड़ी है इसलिए वन मंत्री प्रयास करें और देखें कि किस प्रकार ईंधन को वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है जिससे वनों की कटाई रुक सके ।

हमारे झालावाड़ जिले में जो खनिज एरिया है वह वन क्षेत्र में आता है । खनिज वाले किसी को पट्टा देते हैं तो जंगलात

(श्री निर्मल कुमार)

वाले रोक लगाते हैं कि हमारे क्षेत्र में हम खुदाई नहीं करने देंगे। इस प्रकार की जहां समस्या आए, उसका आपको सामना करना चाहिए। हमारे जिले में तो बिल्डिंग मैटेरियल एक मात्र खनिज है। आप निर्देश जारी करें कि खनिज वालों को कोई परेशान न करें। हमारे जिले में बड़े चारागाह हैं उनको गरीबों को वितरित करें। कई बीड़ बेकार पड़े हैं। बड़े-बड़े बीड़ आप अन्त्योदय योजना के तहत गरीबों को बांटें या जंगलात विभाग से ट्रांसफर करके राजस्व विभाग को दे दें।

जंगलात विभाग ने यह आंकड़े दिए हैं कि जंगल इतने क्षेत्रफल में हैं। ये झूठे हैं। इतने सारे बाग-बगीचे हैं और जो फल-फूल के पेड़ हैं, सड़क के आस-पास जो पेड़ हैं उनकी गिनती नहीं की गई है। मैं समझता हूं एरिया डबल होगा। जो क्षेत्रफल काबिल काश्त है उसको निकालकर गरीबों में वितरित करें तो उनके साथ न्याय होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) : मैंने जनता पार्टी की सरकार के सामने एक सीधा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जिला प्रशासन का लोकतंत्रीकरण किया जाए और जिलाधीश पद को समाप्त किया जाए। इसके पीछे जो बैक ग्राउंड है वह भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है। अंग्रेजों के आने के बाद इस प्रकार नौकरशाही की व्यवस्था पैदा की गई थी, जो देश की जनता पर अलग-अलग हिस्सों में प्रभावशाली तरीके से शासन करे, उन पर निगाह रख सके। इस प्रकार की व्यवस्था बनी और यह हमारे अधीश बनें। जिलाधीश पद को समाप्त करने की जब मैं बात कहता हूं तो यह मेरा अपना विचार नहीं, देश के बहुत बड़े विचारक डॉक्टर लोहिया ने जिलाधीश पद को तोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पंचायत हो, जिला परिषद हो, विधान सभा हो और संसद हो। इस प्रकार 4 खंभों पर देश का शासन टिके। दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि कलक्टर का पद समाप्त कर विधायकों को अधिकार दिये जाएं, जिला परिषदों को अधिकार दिए जायें और जिलाधीश अधीश नहीं, बल्कि सचिव के रूप में वहां बैठें। मैं इस कटौती प्रस्ताव की बात कहता हूं तो मुझे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शब्द स्मरण हो आते हैं। समग्र क्रान्ति की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था, देश का तन्त्र एक तरफ और देश के लोग एक तरफ। उस समय भी विधान सभा थी, लोकसभा थी, पंचायतें थीं। ये सारी व्यवस्थाएं थीं। फिर वह कौनसी कड़ी थी जिसने लोगों को अलग कर दिया और तंत्र अलग रह गया? जिलाधीश का पद है, पटवारी का पद है, आप इनको तोड़ दें तो नौकरशाही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए मैं राजस्व मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि वे अपने जवाब में इस बात को स्पष्ट करें। वे भी लोहियाजी के कट्टर अनुयायी हैं। वे सीधे ही अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट करें कि जनता और तंत्र में जो दूरी हो गई है, उसको कैसे घटाया जाएगा। आज लोक अलग बैठे हैं और तन्त्र अलग है। इस दूरी को दूर करें और लोहियाजी ने चौखम्भा राज्य की परिकल्पना की थी, उस चौखम्भा राज्य की स्थापना

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)
करने के लिए सरकार क्या करने वाली है, इस बारे में कृपया मंत्री महोदय स्पष्ट दिशा निर्देश दें।

एक बात, अध्यक्ष महोदय, और कहना चाहूंगा। विकास की बात करते हैं। हम कहते हैं कि भूखा-नंगा राजस्थान हम को विरासत में मिला है। हमारी सरकार भी यह कहती है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैचारिक रूप से एक सशक्त भारतीय संस्कृति में हमारी जनता पार्टी का जन्म हुआ है। इस सशक्त भारतीय संस्कृति में लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और गांधी की विचारधारा का समन्वय है। यह त्रिवेणी का संगम है। आज जनता पार्टी की विचार-धारा में लोहिया, गांधी और उपाध्याय के विचारों की त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है। इससे गुण प्राप्त करके हमें इस देश को मजबूत बनाना है। लोकतन्त्र को समाप्त करने वाली यह मजबूत, शक्तिशाली ब्यूरोक्रेसी. नौकरशाही है इसको समाप्त कर जो डा. लोहिया ने एक चौखम्भे राज्य की कल्पना की है, दीनदयाल उपाध्याय ने ग्रामराज की कल्पना की है और महात्मा गांधी ने भी ग्रामराज की स्थापना पर बल दिया है इस वैचारिक धरातल पर आज जनता पार्टी को कार्य करना है। इस सैद्धान्तिक धरातल पर उतर कर उसे अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए। जिला सेक्रेटेरियट, चौखम्भा राज्य अगर नहीं लाया गया तो मेरी यह निश्चित मान्यता है कि समग्र क्रान्ति की जो बात है, वह होकर रहेगी। यह समग्र क्रान्ति की बात फिर पैदा होगी। अगर यह ब्यूरोक्रेसी कायम रखी गयी तो फिर समग्र क्रान्ति की बात उठेगी। इन्दिरा गांधी नसबन्दी के कारण नहीं गयी। जनता का संयुक्त मोर्चा तो पहले ही गुजरात में बन चुका था। अराजकता की स्थिति वहां पैदा हो चुकी थी क्योंकि लोगों का विश्वास इस तन्त्र से उठता जा रहा था। इस तन्त्र को समाप्त नहीं किया गया है और वह दूरी आज भी बनी हुई है। फिर चाहे जनता पार्टी कितनी ही अन्त्योदय योजनाएं शुरू करे, डवलपमेंट के कार्य करे, विकास के काम तो अकबर, हुमायूं के काल में भी हुए थे, जितने भी आज तक शासन हुए हैं, उन्होंने कोई न कोई विकास का काम किया है, विकास के काम होते रहे हैं परन्तु जब तक शासन सीधा जनता के हाथ में आप नहीं सौंपेंगे, आपकी योजनाएं सफल नहीं होंगी। बहुत समय पूर्व मौर्य युग में ग्राम सभाएं थीं, जनपद थे, उनके निर्णय के आगे राजा को झुकना पड़ता था। राजा, महाराजा शक्तिशाली पंचायतों के आगे नतमस्तक नहीं होते थे तो उनकी गद्दी चली जाती थी। यह हमारी पुरानी भारतीय शासन प्रणाली है। इसके नजदीक हम नहीं पहुंचे तो इस राज्य और देश का बचाना मुश्किल होगा और हम इस देश की आत्मा को सन्तुष्ट नहीं कर सकेंगे। आत्मा की सन्तुष्टि के लिए यह जरूरी है कि इस शासन तंत्र और लोक में जो दूरी है, वह समाप्त की जाय। आज इस देश का शासन जनता नहीं आई. ए. एस. आफिसर, विशिष्ट अधिकारी सेक्रेटेरियट में बैठ कर चलाते हैं। इस प्रणाली को नहीं छोड़ा जाएगा तो मैं आज यहां पर यह चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं और यह चेतावनी दे रहा हूं कि समग्र क्रान्ति की बात फिर उठेगी। हिन्दुस्तान की जो परम्परा है, हिन्दुस्तान में जो वैचारिक लोग हैं, उनका जो दर्शन निकला है, उनको आप पढ़िए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वैचारिक स्तर

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)

इस प्रशासन तंत्र को बदलिए। इस राज्य का संचालन चौखम्भा राज्य के विचार पर चलाइये। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से सदन को जानकारी दें कि देश की करोड़ों आत्माओं ने आपको यहां भेज कर जो आपसे आकांक्षा, आशाएं की हैं, वह कैसे आप पूरी कर रहे हैं? उनकी यह आशाएं, आकांक्षाएं आप इस शासन तन्त्र में परिवर्तन कर पूरी कर सकते हैं। जिला स्तर पर कलक्टर और पटवारी के पदों को आप समाप्त कर दें। ये सारे अधिकारी आप पंचायतों, जिला परिषद को दें और जो यह पुराना ढांचा चला आ रहा है, इसको समाप्त करें।

एक मिनट में वन मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीकानेर डिविजन में फोग होता है। श्री परसराम मदेरणा जब मंत्री थे, वे रतनगढ़ तहसील का दौरा करते हुए उधर आए थे। रास्ते में कोई फोग काट रहा था। उन्होंने उसको पकड़ कर चालान करवा दिया। यह जो मूर्खतापूर्ण कानून है, उसको आप हटा दीजिए। यह जो फोग की लकड़ी है, वह काट कर घर में बलीते के काम में आती है। जो रेगिस्तानी इलाका है, वहां ईंधन का कोई दूसरा साधन नहीं है। यह कानून आज भी लागू है और इसको काटना अपराध है। संजय गांधी जब बीकानेर में आए थे तो इस इलाके में लकड़ी नहीं काटने की घोषणा की गई थी। संजय गांधी ने जो कानून बनाया, वह काला कानून आज भी हमारी छाती पर मौजूद है और आज भी फोग को काटना गैरकानूनी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो मूर्खतापूर्ण कानून इमर्जेन्सी के दौरान लागू किया गया है इसको समाप्त कर दीजिए।

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह गूजर।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल जेलिया ।

(अनुपस्थित)

श्री आर. डी. यादव ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू): अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर अपने विचार व्यक्त किए थे कि आबादी के आधार पर जिलों और तहसीलों का पुनर्गठन किया जाए। इस मांग पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कई बड़े जिले हैं, तहसीलें हैं। मेरे क्षेत्र चौमू क्षेत्र की जनता है, वह जयपुर तहसील को पार करते हुए, जयपुर शहर को पार करते हुए आमेर में, जहां तहसील हैडक्वार्टर है, जाती है। साधारण आदमी अपने छोटे-छोटे काम के लिए वहां जाता है। उसको कितनी असुविधा होती है, अध्यक्ष महोदय, यह आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो तहसीलें बड़ी हैं उनको आबादी और क्षेत्र के लिहाज से देखते हुए उनका पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है इसके कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार है, उसके संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा कोई जिलाधीश कार्यालय नहीं है, या ऐसा कोई राजस्व विभाग नहीं है जिसमें कोई राजस्व संबंधी काम होता हो

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

और भ्रष्टाचार न चलता हो। जहां तक राजस्व न्यायालयों का सवाल है, वहां भी भ्रष्टाचार है। चपरासी के पास जाते हैं तो भ्रष्टाचार, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं तो भ्रष्टाचार है। राजस्व न्यायालयों से देहातों में रहने वाले किसानों का ताल्लुक है, वहां पर ऐसा भ्रष्टाचार है। मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र और देहाती क्षेत्रों के विकास के लिये यह जरूरी है कि जहां भ्रष्टाचार की जड़ जमी हुई है उसको समाप्त करने के सम्बन्ध में आपको विचार करना होगा।

इसी तरह से एक और निवेदन करना चाहूंगा। किसानों को सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने का भूतपूर्व सरकार भी नारा लगाती रही और जनता सरकार की भी यही नारा है परन्तु आज तक लोगों को सस्ता, सुलभ कितना न्याय मिल सका है? इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर जिले के शहर में दो उप-जिलाधीश हैं और तीन-तीन सहायक जिलाधीश कार्यालय हैं। इन तीनों सहायक जिलाधीशों के कार्यालय में आज मुकदमों की जो संख्या है वह करीब 900 है और आमेर तहसील में जो मुकदमे पेण्डिंग हैं उनकी संख्या भी करीब 600 है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिन ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमे ज्यादा हैं, जहां की जनता शहरों में मुकदमे के कारण आती है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व न्यायालय स्थापित किये जाने चाहियें। जहां तक राजस्व न्यायालय की बात है मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मुकदमों की संख्या सर्वाधिक है, जयपुर जिले की सर्वाधिक है। जयपुर में बेंच आती है तो आर्डर, डायरेक्शन बारे में सुनवाई नहीं होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मुकदमों की संख्या मद्देनजर रखते हुए जयपुर में राजस्व बेंच की स्थापना की जानी चाहिये।

जहां तक लैण्ड रेवेन्यू का सवाल है, मंत्री महोदय स्वयं जानते है कि रेवेन्यू की प्रेक्टिस करने वाले वकील हैं, उनको खुद को यह ज्ञान नहीं है कि इस कानून में कितने अमेण्डमेण्ट हो चुके हैं। कौन-कौन से कानून किस-किस के तहत हैं। इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, जो खेती और जमीन से संबंधित कानून हैं, उनका संग्रहीकरण करायें। ऐसे कानून बनाये जायें, जिन्हें रेवेन्यू से संबंधित कर्मचारी आराम से समझ सकें।

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 के तहत जो अपील का प्रावधान है, मैं निवेदन करूंगा, ऐसा कानून देश में कहीं भी नहीं होगा। एक सीनियर आफिसर के फैसले, जिलाधीश के आर्डर की अपील राजस्व अपील अधिकारी सुनता है, जो कि आर. ए. एस. होता है। इसलिये आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, इस प्रकार का जो कानून है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिये। उसमें हायर आफिसर को अपील सुनने की पावर चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ट्रायल में ऐसा नहीं होना चाहिये कि उसमें देरी हो। मुकदमे की सीधी सुनवाई होनी चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में होना चाहिये। जहां तक टिनेन्सी एक्ट का सवाल है, पूर्व में भी मैंने निवेदन किया था कि कानून में जनहित में संशोधन की बात आती है तो जनता सरकार को इसके लिये तैयार रहना चाहिये

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
सरकार और किसानों के बीच में मोडियेटर बने, कानून में ऐसा संशोधन करके काश्तकार का हित किया जाये। राजस्थान में सब-टिनेन्ट के सम्वत् 2013 के और संवत् 2019 के 5,74,896 मुकदमे हैं। राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 19 में खातेदारी के अधिकार का प्रावधान किया जाना चाहिये।

सीलिंग के बारे में मैं निवेदन करूंगा, हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा कानून नहीं है। सीलिंग कानून के सैक्शन 23 में रिव्यू की पावर स्टेट गवर्नमेण्ट को है। लेकिन सीलिंग से इफेक्टेड पर्सन को रिव्यू एप्लीकेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कानून इमर्जेन्सी में बनाया गया है। इस काले कानून में संशोधन करें।

इसी तरह से जहां तक पटवारियों का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पटवारियों की बाढ़ है, एक-एक हलके में तीन-तीन चार चार पटवारी हैं। एक-एक में एक-एक पटवारी का पद सृजित करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्री नाथूलाल : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह यादव।

श्री नाथूलाल : मेरा नाम छूट गया है।

श्री अध्यक्ष : आपका भी नाम आयेगा।

श्री हरिसिंह यादव : मेरा नाम आर. डी. यादव के नाम के बाद आता है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल फिर।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनमें पहला प्रशासन के बारे में दिया है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जितने राजस्थान में जिले हैं, जितनी तहसीलें हैं उतनी विधान सभा की सीटें नहीं हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, यहां की जनसंख्या को देखते हुए इन तहसीलों का पुनर्गठन होना चाहिए। प्रशासन को जनता के नजदीक लाया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक तहसील के अन्दर, एस. डी. ओ. होना चाहिए। तहसीलदार भी होना चाहिए। ऐसे एक ही पंचायत समिति के क्षेत्र में भी रखें तो अधिक उपयुक्त होगा। पंचायती-राज ही प्रजातन्त्र का बेस है। वह भी पूर्णतया विधान सभा क्षेत्र में समाहित होगा तो अधिक उपयुक्त रहेगा। पटवार सर्किल एक तहसील के एक ही पंचायत समितियों के अन्दर होने चाहिए। जनता सरकार को इस प्रकार की नीति निर्धारित करनी चाहिए।

श्रीमान, हमारे देश में और प्रदेश में जिलाधीश का शासन, कलक्टर का शासन लगान लेने के लिए, किसानों से पैसा लेने के लिए स्थापित किया गया है। आज वह स्थिति नहीं है। इसलिए प्रत्येक जिले की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए और देहात में रहने वाले की बहबूदी के लिए यह आवश्यक है कि इसको विकास कार्यों की ओर ले जाना चाहिए।

राजस्व के मामलों के निपटारे के विषय में मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है। राजस्व के मामले हैं वह भू-राजस्व के विभाग के पास है। यह विभाग राजस्थान का इतना अकर्मण्य।

(श्री हरिसिंह यादव)

विभाग है, इतना अयोग्य है कि जो पुराना राजस्व रिकार्ड है वह पुराने राजा-महाराजाओं के समय के रिकार्ड की तुलना में बिल्कुल बेकार है। वस्तुतः रिकार्ड 1978 के अन्दर ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो रिकार्ड तैयार करने वाला विभाग है, सैटलमेण्ट विभाग के लोग हैं, उनको रिकार्ड सही तरीके से बनाना चाहिए। खेतों का छोटा होना, इधर-उधर बिखरे हुए होना, राजस्थान के विकास में बाधक होगा। इसलिए निर्धारित समय में राजस्थान का विकास हो, इसके लिये जरूरी है, जमीन के मुकदमे या खेतों के मुकदमे को निपटाने के लिए किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं हो। राजस्थान के किसानों के लिये राजस्व न्यायालयों की व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, पटवारी का काम केवल लगान लेना और जिन्सों को लिखने का है। मान्यवर, उसका यही काम है। साल भर के लिए पटवारी इसलिए रख लिया जाता है कि वह थोड़े से किसानों का लगान लिखता रहे और जिन्सों को लिखता रहे। मैं जनता सरकार को धन्यवाद देता हूं कि छोटे किसानों का लगान माफ कर दिया। उस लगान को लिखने के लिए और जिन्सों को लिखने के लिए, केवल इतने से काम के लिए मैं पटवारी की आवश्यकता नहीं समझता हूं। उसको कुछ और काम भी दिया जाना चाहिए। चाहे उसका नाम पटवारी रहे या कुछ और रख दिया जाय, किसानों को खेतों में मार्ग दर्शन देने के लिये भी उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं कुछ विशेष मामलों की तरफ राजस्व मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1947 में अलवर जिले से दुर्भाग्यवश कुछ भाई पाकिस्तान गये थे और कुछ भाई पाकिस्तान से यहां आये थे। उस समय एक कस्टोडियन का महकमा और रिहेबिलिटेशन का महकमा इस देश के अन्दर कायम हुआ था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो कर्जे और कीमतें पार्टीशन के बाद यहां पर आने वाले पुरुषार्थी भाइयों के ऊपर सरकार ने मढ़ी थीं उनका ब्याज इतना अनाप-शनाप हो गया है कि वे लोग उसको चुकाने में असमर्थ हैं। इसलिए मैं, मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि मूलधन की वसूली तो कर ली जाय और बहुत पुराना कर्जा जो हो चुका है उसका ब्याज माफ कर दिया जावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, आपातकाल के अन्दर कस्टोडियन भूमि का आवंटन हुआ था उसमें गरीबों की दुहाई देने वाली कांग्रेस सरकार ने कस्टोडियन की जमीन आवंटित कर, प्रति बीघा 625/- कीमत भूमिहीनों से ली। एक तरफ तो गरीबों को भूमि देने की बात की जाती है और दूसरी तरफ अलवर जिले के अन्दर भूमिहीन किसानों से ऊपर 625/- कीमत ली है। सरकार ने गरीबों के साथ बड़ा अन्याय किया है और खिलवाड़ किया है। इसलिए मैं आपके जरिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह जो कीमत है वह या तो वाजिब होनी चाहिए या फिर जो अब तक ले ली है, उसे ही कीमत मान लिया जाय। जब आपने गरीबों के नाम से और भूमिहीन के नाम से उनको जमीन दी है तो उनसे जमीन की कीमत लेना भी उचित नहीं है, उसको माफ किया जाना चाहिए।

(श्री हरिसिंह यादव)

श्रीमन्, मैं एक-दो बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, 1964 में राजस्थान स्टेट रिजम्पशन एक्ट बना। इस एक्ट के तहत बहुत सारी जमीन राजस्थान सरकार को मिलने वाली है। इसके लिए सरकार ने कलक्टरों को अवार्ड घोषित करने के लिए अधिकारी नियुक्त कर दिया है। मैं जनता सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार जिस प्रकार की दुरंगी नीति रखती थी यह सरकार उस तरह की कार्यवाही नहीं करे बल्कि जो इस प्रकार से जमीन हमको इस एक्ट के तहत मिलने वाली है उसको तुरन्त प्राप्त किया जाय और भूमिहीन लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराने की कोशिश करें।

मान्यवर, एक और छोटा सा सुझाव मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को देना चाहता हूं। यह बात सही है कि जो पंचायतें हैं उनमें इन्तकाल पटवारी पेश करता है और पंचायत तस्दीक करती है कि यह इन्तकाल मन्जूर किया जाय। वास्तव में न्यायालय पंचायत है किन्तु इसे पटवारी और गिरदावर की मेहरबानी पर छोड़ दिया गया है। वह अगर इन्तकाल पेश नहीं करेगा तो पंचायतें इन्तकाल तस्दीक नहीं कर सकतीं। इसलिए...........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अविलम्ब राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर जाना चाहिए। समस्त पंचायतों को इन्तकाल सम्बन्धी मामले में फरियादी से दरख्वास्त लेकर फैसला करना चाहिए और पटवारी से इसे एग्जेक्यूट करवाना चाहिये। अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो ऐसे कर्मचारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही कलेक्टर और एस. डी. ओ. के थ्रू करवानी चाहिए जिससे उनके सामने कोई समस्या पैदा नहीं हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, एक मिनट और चाहता हूं। बड़ी कृपा होगी आपकी।

वन मन्त्रीजी विराज रहे हैं। वन विभाग का प्रगति विवरण मैंने पढ़ा है। आपातकाल में हमारी सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने एक घोषणा कर दी कि सिरस्का को नेशनल पार्क बनाया जायगा। उसकी सुन्दरता के लिए पांच गांवों को उजाड़ दिया गया, जेलखाने की दहशत से और पुलिस के डण्डे के जोर से गरीबों को निकाल दिया गया। मेरा निवेदन है कि उन विस्थापितों की व्यवस्था होनी चाहिए। उनको वहां से जबरन हटाया है। जिस जमीन पर उन्होंने सदियों से काश्त की है उसे सरकार को उन्हें वापस लौटाना चाहिए। हमको आदमी को कमाने के लिए जमीन देनी है, उनको बेघर नहीं करना है, शेरों की नुमाइश के लिए काश्त की जमीन को नहीं रखना है। हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमको इतने बड़े काम नहीं करने हैं, जो बहुत बड़े धनिक लोग हैं, शेर पालना उनके प्रोग्राम की चीज होती है, श्रीमन्।

यहां पर वन विकास की भी बात कही गई। मेरा सुझाव है, मान्यवर, पी. डब्ल्यू. डी. और वन मन्त्रीजी इस बात पर विचार करें। जिस जगह सड़कें निकलें उसके साथ-साथ जो किसानों के खेत हैं आप किसान को प्रोत्साहन दें तो उस इलाके में पेड़ लगा सकते हैं, चाहे इमारती लकड़ी के पेड़ हों, चाहे फलों के हों, उनको आप पेड़ दे दें तो उनकी रखवाली और रक्षा का काम और इन्तजाम वही करेंगे, इससे सड़कों के सहारे-सहारे वन लगा सकेंगे और वनों का विकास कर सकेंगे।

(श्री हरिसिंह यादव)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहरों के ऊपर वृक्ष लगाने की ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरिसिंह यादव : एक योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए, इससे वनों का विकास होगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

श्री नाथूलाल (घाटोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारे प्रदेश में अधिकतर कृषि करने वाले लोग हैं। हमारे काश्तकारों के सामने जो समस्यायें हैं, उनसे काफी उनको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। काश्तकार का सीधा सम्पर्क राजस्व मण्डल और वन विभाग से होता है। काश्त करने के लिए जमीन और लकड़ी की जरूरत होती है, उसको इन दो चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बांसवाड़ा जिले में घाटोल तहसील में कुछ काश्तकारों का नामान्तरकरण नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, काश्तकारों को इस कारण कई कामों में कठिनाई होती है। जैसे एक बाप के चार बेटे होते हैं अगर उनका नामान्तरण नहीं खुलता है तो उसको बैंकों से लोन वगैरह और दूसरी फैसीलिटीज लेने में दिक्कतें आती हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो नामान्तरण के मामले हैं उन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाय।

साथ ही मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि दो रेंज मेरे ही एरिया तहसील घाटोल में है। अध्यक्ष महोदय, आज वर्षों हो गये हैं काश्तकारों को उन जमीनों पर कब्जा किये हुए, वह लोग उसमें खेती भी करते आ रहे हैं लेकिन उनकी जमीन रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं की गयी है। हालांकि भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने समय-समय पर आश्वासन भी दिया पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो कृषि भूमि काबिल काश्त जंगलात की भूमि रेवेन्यू में कन्वर्ट होनी चाहिये, वह आज तक नहीं हुई है। जिस जमीन पर काश्त की जा रही है वह जमीन जंगलात से रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं की गयी है। सरकार ने कई बार आश्वासन दिया पर अभी तक उसको रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं लेने से लोगों को दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, उस जमीन पर उन लोगों ने मकानात बनवा लिये हैं, कुए बना लिये, पाले बना लिये हैं, पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक राज्य सरकार के मौखिक आदेशों के बावजूद वह जमीन जंगलात से रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं की जा सकी है। अब मैं जनता पार्टी की सरकार से आशा करूंगा कि जिन काश्तकारों का जिन जमीनों पर वर्षों से कब्जा है उनके लिये एक कमेटी बना दी जाय उसमें उस एरिया का पटवारी तहसीलदार और रेन्जर और जनप्रतिनिधि हो जो बैठ कर फैसला करे और अगर सही कब्जा काश्तकार का है तो वह जमीन जंगलात से रेवेन्यू में कन्वर्ट की जानी चाहिये और उस व्यक्ति के नाम वह जमीन नामान्तरण कर देनी चाहिये। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे यहां जो

(श्री नाथूलाल)

गरीब आदिवासी हैं उनको आप लाभान्वित कर सकेंगे। होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व कांग्रेस सरकार ने सन् 70 और 71 में अतिक्रमण के मामलों को रेगुलराइज करने के आदेश दिये थे लेकिन उस आदेश के अनुसार घाटोल तहसील और उसके आस-पास के गांवों में आदिवासी क्षेत्र में सही ढंग से रेगुलराइजेशन करके जमीन का अलाटमेंट नहीं किया गया। जो लोग दस-दस साल से उस जमीन पर कब्जा किये हुए थे वह जमीन पटवारियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं चढ़ायी और जंगलात में ही रहने दी, इसका नतीजा यह हुआ कि आज तक वह जमीन जंगलात में ही दर्ज की हुई है। उन लोगों को आज परेशान किया जा रहा है और उनके साथ ज्यादती की जा रही है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इन कामों की ओर तुरन्त ध्यान दें।

इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जब पटवारियों के पास किसी काम से काश्तकार जाता है तो वह उस काश्तकार को जवाब देता है कि आपका काम अभी तक नहीं हुआ। काश्तकार को अपने काम के लिये सैकड़ों चक्कर काटने पड़ते हैं। इससे उनका समय और पैसा दोनों ही नष्ट होता है। आज उनको पटवारियों से नकलें मिलने में दिक्कत आती है। इस तकलीफ को समाप्त करने के लिये मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से यह निवेदन है कि गरीब से गरीब काश्तकार को पटवारी के पास तहसील में जाना पड़ता है तो वहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे काश्तकार को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। मैं जनता पार्टी की सरकार से आशा करता हूं कि वह इन काश्तकारों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी दूर करने की कार्यवाही करेगी।

श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य सचेतक साहब ने हमें यह पहले ही कह दिया है कि समय का अभाव है इसलिये कम बोलना चाहिये। मैं सदन की गरिमा की पालना करते हुए जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं उनके लिये निवेदन करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीमल।

(अनुपस्थित)

श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन का जहां तक सवाल है वह कैसा हो, इसके लिये मेरी राय स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो राय व्यक्त की थी उसी पर आधारित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब कहते थे कि हमारे देश में चौखम्भा राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम पंचायत पहला, दूसरा जिला परिषद्, तीसरा विधान सभा और चौथा हमारी पार्लियामेंट, यानी लोकसभा। यह कल्पना हमारे डाक्टर राम मनोहर लोहिया साहब ने चौखम्भा प्रशासन की की थी। अध्यक्ष महोदय, इस कल्पना के साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान में आजादी के बाद प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं भी, अध्यक्ष महोदय, इसी धारणा का हूं कि हमारे यहां

(श्री बालकृष्ण थानवी)

प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये था और इसकी जरूरत भी है। यह व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की जा सकी ? इसकी गहराई में मैं अभी नहीं जाते हुए एक बात यहां निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे यहां पर समाज-वादी पार्टी की ओर से देशी रियासतों का विलीनीकरण करके एक राजस्थान बनाने के आन्दोलन की एक आम सभा हो रही थी जिसमें मैं भी रत था, उस वक्त जयपुर में डाक्टर लोहिया ने कहा था कि प्रान्त का नाम किसी जाति विशेष और किसी वर्ग के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिये बल्कि प्राकृतिक आधार पर इस प्रदेश का नाम अरावली प्रान्त अथवा अरावली प्रदेश रखा जाना चाहिये। मैं उसी नीति को मानते हुए, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त का नाम राजस्थान नहीं होकर, इसको बदल कर अरावली प्रान्त कर देना चाहिये। मेरी राय इसके अलावा यह भी है कि हमारे यहां पर प्रशासनिक पद नामों को भी बदल दिया जाना चाहिये। जैसे पटवारी को "ग्राम सेवक" कहा जाना चाहिये। तहसील-दार को तहसीलदार नहीं कह कर "तहसील सेवक" कहा जाना चाहिये। इसी तरह जिलाधीश को, जिसमें कि मालिक की बू आती है, जिलाधीश न कह कर "जिला का सेवक" कहा जाना चाहिये। इसी प्रकार मुख्यमंत्रीजी जो हैं उनका नाम मुख्यमंत्री न रख कर "प्रदेश सेवक" रखा जाना चाहिये। नहीं तो आज हमारे यहां यह नौकरशाही हावी है। मैं आपके सामने, अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। पिछले माह हमारे देश के राष्ट्र-पतिजी, राजस्थान पधारे थे तब 18 फरवरी को जोधपुर पधारने का भी उनका कार्यक्रम था। वहां पर इससे पहले, हमारी जनता पार्टी के जो सांसद है, श्री रणछोड़दासजी गट्टानी, और हमारी जनता पार्टी के विधा-यक जो जोधपुर शहर से है, श्री विरदमल सिंघवी, जनता पार्टी के नेता श्री राम नारायण विश्नोई, हमारे जोधपुर शहर की जनता पार्टी कि अध्यक्षा, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास तथा अन्य जनता पार्टी के नेताओं ने आपस में बैठ कर यह तय किया कि जिस प्रकार पहले राष्ट्रपतिजी, श्री राधाकृष्णन्जी जोधपुर पधारे थे तो यहां उनका नागरिक अभिनंदन किया गया था उसी प्रकार हमें वर्तमान राष्ट्रपतिजी का भी नागरिक अभिनंदन करना चाहिये। पर जब यह बात सांसद, श्री गट्टानी द्वारा जिलाधीश, जोधपुर को कही गई तो उन्होंने सरकारी मनाही बताकर इसके लिये स्पष्ट मना कर दिया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक चौंकाने वाली बात भी की। उन्होंने हमारे जनता पार्टी के सांसद, श्री रणछोड़दास गट्टानी के सरदारपुरा स्थित जोधपुरीय निवास स्थान के बाहर उनकी गतिविधि पर निगरानी रखने के लिये उस समय सी.आई.डी. के व्यक्ति भी लगा दिये जिस समय कि इस बारे में जनता पार्टी की अध्यक्षा, श्रीमती सूर्य-कान्ता व्यास और श्री विरदमल सिंघवी, जनता पार्टी के विधायक, श्री रामनारायण विश्नोई तथा अन्य जनता पार्टी के नेता-कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, यह जोधपुर के जिलाधीश ने किया, कारण कि यह जिलाधीश वही व्यक्ति है जिसको आपातकाल के दौरान नागौर में जबरन नसबन्दी कराने के लिये कांग्रेस सरकार द्वारा पारितोषित दिया गया था अर्थात् इन्होंने उस वक्त जनता की, खास तौर से गरीबों की जबरन नसबन्दी कराके कांग्रेस

(श्री बालकृष्ण थानवी)

के प्रति वफादारी दिखायी थी और जिसके लिये उन्हें इनाम दिया गया था अतः वही जिलाधीश अब अपनी वफादारी कांग्रेस के प्रति दिखा कर जनता पार्टी को बदनाम करने के लिये, उसे सफल नहीं होने देने के लिये कटिबद्ध है। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें और जो यह गम्भीर कान्ड जोधपुर जिलाधीश ने किया है उसकी जांच करा के दोषी व्यक्ति के खिलाफ में कार्यवाही करें। अध्यक्ष महोदय, उस जिलाधीश ने जनता पार्टी के सांसद के घर के बाहर सी.आई.डी. के पांच लोगों को लगा दिया उसका क्या कारण था ? कौनसी अशान्ति हो रही थी ? कौनसे बम फेंके जाने वाले थे ? इस तरह की हरकत क्यों की गयी ?

मैं अब आपकी मार्फत जनता सरकार का ध्यान कुछ दूसरे मुद्दों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्व की बात है फलोदी क्षेत्र में वाप फाण्टा नामक एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बीकानेर को ट्रक जाते हैं, बसें जाती हैं। बहुत लंबे अर्से से अर्थात् बहुत वर्षों से वाप फाण्टे पर वहां के क्षेत्रीय कांग्रेसी नेताओं ने एक रजाकार सरकार कायम कर रखी है। बहुत पहले की जोधपुर राज्य की बात है, एक व्यक्ति तत्कालीन महाराजा के पास गया और उसको कहा कि भूखों मरता हूं काम बताओ ? उत्तर में महाराजा ने कहा कि जहां पोल देखो वहां घुस जाओ। वैसे ही एक कांग्रेसी मंत्री की शह पाकर भुखे कांग्रेसी नेताओं ने वाप फाण्टे पर अनधिकृत कब्जा जमा लिया और वहां तम्बू तान कर लठधारी रख लिये। चूंकि उस क्षेत्र में नमक है इसलिये उसे लेने के लिये हरियाणा व पंजाब के करीबन 100 ट्रक प्रतिदिन वाप फाण्टे पर आते हैं। ये कांग्रेसी रजाकार गैर कानूनी तौर से उनसे प्रति ट्रक इक्कीस से लेकर 31 रुपये जबरन वसूल कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से और इस तरह आज तक करोड़ रुपया नहीं तो भी 50, 60 लाख के करीब तो इन कांग्रेसी रजाकारों ने उनसे नाजायज तरीके से वसूल कर ही लिया। उन्होंने वकीलों से राय लेकर उसका नाम "जनता गुड्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी" कर दिया। जब मैंने ट्रक यूनियन के नाम पर अपने अखबार "जनपथ" में रजाकार सरकार की यह हरकत छापी तब यह किया लेकिन उनके पास कोई ट्रक नहीं है और आज भी उनकी यह लूट जारी है। तहसीलदार, फलोदी के पास भू-अतिक्रमण की रिपोर्ट की गयी कि वाप फाण्टे की महत्वपूर्ण कीमती जमीन पर कतिपय असामाजिक व अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया है और मकान बना लिये हैं, अतः उसको कब्जे में लिया जाय। लेकिन कांग्रेस के लोग जो हमारे क्षेत्र में हैं, उनका तत्कालीन कांग्रेसी मंत्री की मार्फत उन पर दबाव पड़ा और वे कागजात दबा दिये गये। इसलिये मेरा निवेदन है कि गलत ढंग से जो उन्होंने रुपयों की वसूली की है वह उनसे वसूल किया जाना चाहिये और अब बिना तनिक भी देरी किये उन्हें वहां से तत्कालीन हटा देना चाहिये। आज भी ये रजाकार वाप फाण्टे पर लगाये गये अपने दफ्तर की मार्फत ट्रक चालकों की गैर कानूनी लूट-खसोट कर रहे हैं।

अब दूसरे मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रोशन लालजी एस.डी.एम. थे उस समय सीलिंग में जमीन ली गयी थी। बड़े-बड़े जागीरदारों व भू-पतियों से ली गयी थी। वह सीलिंग की

(श्री बालकृष्ण थानवी)

जमीन रिश्वत लेकर श्री एस.डी.एम. ने जिन व्यक्तियों के नाम पर अलॉट की उनमें मरे हुए एक व्यक्ति के नाम पर भी एक अलाटमेंट था। जमीन बे-जमीनों को अलॉट न कर के गैर कृषकों को अलॉट कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, चाहे रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक चन्द्रलोक में भले ही पहुंच गये हों पर वे मरे हुए व्यक्ति को जिन्दा करने में अभी तक असफल रहे हैं, मगर मरे हुए व्यक्ति को अलॉटमेंट के आधार पर पुनः जीवित करने की करामात फलौदी के भूतपूर्व एस.डी.एम., श्री रोशन लाल ने की है अतः, अध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिये। लोहावट के श्री बंशीलाल जी को कोरदिइया ने अपनी खरीद शुदा जमीन गोचर हेतु छोड़ रखी थी। काश्तकारों को मुआवजा देकर खरीदी थी। कारण कि लोहावट में गोचर भूमि की कमी थी। इस भूमि का लगान भी वर्षों तक उन्होंने भरा पर, अध्यक्ष महोदय, वन विभाग ने या कृषि विभाग ने या जिस किसी विभाग ने भी इस पर अनधिकृत तारबन्दी करके वर्षों से उसको घेर रखा है, अतः यह गलत तारबन्दी तत्काल हटा देनी चाहिये। वैसे भी सरकार को इससे कोई लाभ नहीं होता है बल्कि उस पर उसने जो चार-पांच व्यक्ति रख छोड़े है उल्टा उन्हें तनखा देनी पड़ती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात कह कर समाप्त रहा हूं। इस तारबन्दी में अगर गाय अन्दर घुस जाती है तो गायवालों से रेन्जर खुद पैसा लेता है और लोहावट सरपंच से मिलकर ऊपर का ऊपर डकार लिया जाता है। इसके अलावा तारबन्दी में उगी घास से राज्य को जो आमदनी होनी चाहिये उसको भी वे लोग चट कर जाते हैं। आज तक सरकार को शायद ही कोई पैसा मिला होगा। इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में वैसे तारबन्दी की जरूरत नहीं हैं। इस वास्ते उसे हटा लेना चाहिये। हमारे क्षेत्र में वन विकास का कुछ भी काम नहीं हुआ है अतः यदि विकास करना है तो पेड़ वहां लगाये जायें। तारबन्दी हटाने में देरी होती है तो उस बीच तारबन्दी के मध्य से 20 फीट का रास्ता दिया जाय जिससे किसानों को, जो कि चार-पांच मील का चक्कर काट कर आते-जाते हैं, सीधा आने-जाने की आसानी हो सके।

यहीं कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। समय आपने दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द आर्य।

श्री बालचन्द आर्य (डग) : मैंने जिला प्रशासन की ढिलाई पर कटौती प्रस्ताव दिया है। आज यह देखा जाता है कि जैसा कांग्रेस के शासन में कार्य चलता था वैसा ही कार्य चल रहा है और गरीब लोगों पर, किसान लोगों पर, हरिजनों पर, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों पर अत्याचार और अनाचार होते थे आज भी उसी तरह से अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं। देखा जाता है कि आज पुलिस विभाग बिलकुल निष्क्रिय है। कलक्टर को कहते हैं कि वहां पर इस प्रकार से हुआ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन-चार वारदातें हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज पुलिस का विषय नहीं है। विषयान्तर न हों।

श्री बालचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन और राजस्व अभियान को ओर भी सरकार का ध्यान आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं। जनता सरकार ने अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान चलाया है उसके अन्तर्गत गरीब लोगों को जमीनें अलाट हुई हैं। मैं जब अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया तो बहुत से लोगों ने बताया कि जमीनें जो अलाट हुई हैं वे अभी तक पटवारियों ने उनके नाम पर ट्रान्सफर नहीं की हैं। मैं आपकी मार्फत माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज भी इस प्रकार के भ्रष्ट लोग हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं। आज की जनता सरकार गरीबों को, पिछड़े हुए लोगों को राहत दिलाना चाहती है लेकिन भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट अधिकारी लोग उनको राहत नहीं पहुंचने देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक ऐसे लोगों को सस्पेण्ड क्यों नहीं किया? आपने उन लोगों को सस्पेण्ड क्यों नहीं किया जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, उनसे रिश्वत लेकर काम करते हैं? मैं अपने क्षेत्र के दुधाना गांव के दौरे पर गया तो एक किसान ने बताया कि 20 रुपया देने पर भी मेरा इन्तकाल नहीं खुला है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जनता सरकार इसी प्रकार से गरीबों को न्याय देगी? इसलिये आपकी मार्फत, आपके माध्यम से गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिये, उनकी सुरक्षा के लिये मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। वह विरोधी क्षेत्र रहा है इसलिये वहां न सड़कें हैं, न बिजली है, न सिंचाई के साधन हैं। गरीब किसानों को, गरीब लोगों को वहां पर कोई राहत नहीं मिली है। मेरे क्षेत्र में बड़वाना की रोड है आज भी उसमें घुटने-घुटने गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं आपके माध्यम से पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी हमेशा उपेक्षा की गयी है। मेरा नाम जब भी आया है, कट कर दिया गया है। इसलिये आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की उपेक्षा न की जाय। यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष जी, समस्यायें जितनी गहरी होती हैं उनको यदि दूर करने का प्रयास किया गया तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता। जिलों के पुनर्गठन का विषय ऐसा ही एक विषय है और, श्रीमान्, इससे अच्छी तरह अवगत हैं। केवल मात्र मैं चित्तौड़गढ़ जिले का ब्यौरा सदन के सामने रखूंगा क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय जब प्रतापगढ़ पधारे थे तो आपका भी उस समय पधारना हुआ था। उधर के आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को पहली बार राज्यपाल महोदय के दर्शन हुए। उनको ऐसा आश्वासन मिला था, और श्रीमान् की भी सहानुभूति थी कि जिलों के पुनर्गठन का विषय यद्यपि काफी जटिल है फिर भी उस आदिवासी इलाके की प्रगति, पूरे विकास को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा लेकिन प्रश्नोत्तर काल के दौरान माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया था कि अभी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

वास्तव में विकास की अनेक प्रक्रियायें हो सकती हैं लेकिन वे सब प्रक्रियायें सफल

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

तभी हो सकेंगी जबकि उनके साधन बढ़ाने और विकास के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों को इस प्रकार संगठित किया जाये कि साधारण से साधारण जनता को उसका लाभ मिल सके। श्रीमान्, आपको ज्ञात है कि चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा नाम का क्षेत्र है। वहां के व्यक्तियों को प्रतापगढ़, तक जाना पड़ता है। प्रतापगढ़ के आदिवासी इलाके के लोगों को धारा 91 की कार्यवाही के लिए चित्तौड़गढ़ आना पड़ता है लेकिन वहां सीधे आने का रास्ता नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र को पार करके आना पड़ता है। इस प्रकार की साधारण कठिनाइयां लम्बे अर्से से महसूस की जा रही हैं। मैं मानता हूं कि यद्यपि यह विषय कठिन है लेकिन इसका तुरन्त ही हल निकाले जाने के लिए प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी क्षेत्र को चाहे आदिवासी क्षेत्र या जिला भी घोषित किया जाये, इस का विषद विवेचन करना और इस पर ध्यान दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अब मैं चित्तौड़गढ़ जिले की प्रशासनिक विसंगतियों के बारे में कहना चाहूंगा। चित्तौड़गढ़ जिले में 11 तहसीलें हैं और इन तहसीलों से अधिक पंचायत समितियां हैं। लेकिन अधिक पंचायत समितियां होते हुए भी दो तहसीलें ऐसी दुविधा में हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बड़ी सादड़ी तहसील उनमें से एक है। बड़ी सादड़ी तहसील राजस्व की दृष्टि से पंचायत समिति बनने में सक्षम है लेकिन आधी तहसील छोटी सादड़ी में और आधी तहसील डूंगला पंचायत समिति में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसे सुविधाप्रद नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से गंगरार तहसील है। इसका कुछ हिस्सा तो राशमी में आया हुआ है और कुछ चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में है। इस प्रकार की प्रशासनिक विसंगतियों को जनता कब तक सहन कर सकती है, यह श्रीमान् महसूस कर सकते हैं। विकास के सभी काम लिये जाते हैं उनको पंचायत समिति स्तर पर लिया जाता है और पंचायत समिति क्षेत्र का इस प्रकार से दुराव हो तो उसे किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। स्वाभाविक है कि जनता का रोष तीखा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय पर अधिक गम्भीरता से विचार किया जाये।

राजस्व की दृष्टि से कुछ उपयोगी और व्यवहारिक सुझाव देना चाहूंगा। भूमिहीनों की परिभाषा के अनुसार हर समय आदेश निकाले जाते हैं कि भूमिहीनों को अलॉटमेंट किया जायेगा लेकिन दिन प्रति दिन भूमिहीनों की संख्या बढ़ती ही जाती है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि पास बुक, जो कि हर किसान को वितरित की जाती है, में कुछ विशेष प्रकार का अंकन किया जा कर कुछ सुविधायें दी जायें। पास बुक इस प्रकार की बनाई जाये कि प्रत्येक परिवर्तन उसमें स्पष्ट रूप से अंकित हो। जैसे बैंक में पास बुकें दी जाती हैं उसी प्रकार से प्रत्येक अंकन को उसमें अंकित किया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रजिस्ट्री के संबंध में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसके लिये निवेदन है कि प्रत्येक रजिस्ट्रेशन कार्यालय, जो कि हर तहसील में होता है, में फोटोग्राफ सिस्टम होना जरूर चाहिये। उससे बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। देने वाले और लेने वाले दोनों व्यक्तियों का फोटोग्राफ

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अटेस्ट हो जाना चाहिये । यदि ऐसा होता है तो साधारण से साधारण आदमी अपने रजिस्ट्रेशन की कापी निकलवाना चाहे तो निकलवा सकता है ।

मैं नाजायज कब्जे की दृष्टि से एक बात कहना चाहूंगा । अलॉटमेंट और नाजायज कब्जे की इस प्रकार की बीमारी है कि जिसका अंत इस समय तक नहीं हुआ है । जो रेगुलेराइजेशन का सिस्टम है वह वर्षों से चलता आ रहा है । जब तक रेगुलेराइजेशन का सिस्टम खतम नहीं होगा तक तक यह लोगों की भावना है कि अलाटमेंट नहीं हो सकते और नाजायज कब्जे करके ही रेगुलेराइज करा सकते हैं । नाजायज कब्जे सशक्त आदमी ही कर सकते हैं । इसलिये इस प्रकार की असंगतियों को दूर किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपकी मार्फत राजस्व मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि अन्त्योदय का काम शुरू करके बहुत बड़ा काम किया है । यह वैसे शुरुआत है लेकिन शुरुआत बहुत शुभ हुई है । समय बहुत कम है इसलिये मैं केवल अपने उप-जिले तक ही अपनी बात को सीमित रखूंगा । मांडलगढ़ उप-जिला में एस. डी. ओ., तहसीलदार और पटवारी से लेकर ऊपर तक सब ने काफी अच्छा काम किया है इसलिये मैं आपकी मार्फत उन्हें बधाई देता हूं । हम सब चाहते हैं कि खूब काम हो लेकिन एक तरफ चाहें कि काम हों और दूसरी तरफ यह भी चाहें कि टैक्स नहीं लगे तो काम कैसे होगा ? हमारे माननीय मुख्यमंत्रीजी ने छोटी जोतों पर लगान बन्द किया मैं इसका पहले ो समर्थक नहीं था, और अब भी नहीं हूं । मैं कहता हूं कि करों का कोई किसान विरोध नहीं करता । सारी जिन्दगी मैंने गांवों में बिताई है । जहां तक लगान का सवाल है वह तो चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगान हो——

कर लागे सो ठीक पण,
केवल चिन्ता एक ।
दूध दूह कर गाय को,
देय गटर में फेंक ।

माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अच्छा रास्ता पकड़ा अन्त्योदय का इसलिये कर लगे तो लगान दो । आप उस तरफ बढ़ते जाइये ।

मैं भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जानता हूं आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खतम हो । लेकिन जब तक शराब मौजूद है तब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता । पत्तों को सींचने से काम नहीं चलेगा । जड़ों को सींचिये । इसलिये शराब बंद कीजिये ।

श्री ओंकारलाल चौहान : आज तो शराब का मामला नहीं है । राजस्व का है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भ्रष्टाचार तब ही मिटेगा जब कि शराब बन्द होगी । 23 करोड़ से ज्यादा आमदनी राज्य के अधिकारियों द्वारा ही मिलती है । इसलिये इसका ध्यान रखें कि जब शराब महंगी हो जायेगी तो भ्रष्टाचार और बढ़ जायेगा क्योंकि शराब के पैसे ज्यादा देने होंगे ।

अध्यक्ष महोदय, जो महत्व चित्तौड़गढ़ का है वही महत्व बिजोलिया का है । आजादी के युग में बिजोलिया क्षेत्र ने बहुत काम किया है । स्वर्गीय पथिकजी ने सारे हिन्दुस्तान को

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लगाया है । आज भी सबसे अधिक इन्कम मेरे उप-जिले में वही देता है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि उस नायब-तहसील को तहसील में बदल दें तो बड़ा अच्छा रहेगा ।

अब मैं थोड़ी सी बात वनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मेरा क्षेत्र माण्डलगढ़ वनों के मामले में बहुत धनी था । हर साल राजा-महाराजा शेर के शिकार के लिये आया करते थे ।

काट लिया सब कंखड़ा,
वन का सँपट पाट ।
कां झांके बरसात की,
जदी जीवड़ा बाट ।।

जब पेड़ ही नहीं हैं तो क्यों इंतजार करते हैं वर्षा का ? आपकी मार्फत वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 30 साल में वोट बटोरने के लिये जंगल खुले करवाये थे । जो-जो गांव जंगल के पास हैं उन के गांव वालों को घास काटने का अधिकार दे दीजिये और गांवाई जंगल कायम कीजिये । पेड़ मत काटिये । कूप सिस्टम से काटिये तो आपके जंगल बच जायेंगे । सूखी लकड़ी लाने की इजाजत दी । परिणाम क्या होता है कि कुल्हाड़ी साथ में लेकर जाते हैं । वहां लकड़ी काटकर डाल आते हैं और फिर सूख जाती है तब ले आते हैं, इस प्रकार जंगलों का सत्यानाश हो रहा है ।

माण्डलगढ़ का किला ऐतिहासिक किला है वहां मृग वन बनायें । जिस दिन टूरिज्म की डिमाण्ड होगी उस दिन कहूंगा इसको पर्यटन केन्द्र बना दीजिये । आज तो यही कहूंगा इसको आप मृग वन बना दें । आप माण्डलगढ़ क्षेत्र को हरा-भरा बनाइये । इसका अप्रत्यक्ष लाभ है इसलिये आप माण्डलगढ़ क्षेत्र को फिर से हरा-भरा करिये ।

यही बात कहकर बैठना चाहता हूं । राजस्व मंत्रीजी को एक बार और बधाई देना चाहता हूं । अन्त्योदय योजना में अच्छा काम किया है, शुरूआत बहुत अच्छी की है इसलिये बधाई देता हूं ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन की प्राय: सभी माननीय सदस्यों ने आलोचना की है । मेरी मान्यता है कि जिला प्रशासन सरकार की नीति के अनुसार चल रहा है । पिछले 30 साल में कांग्रेस की रीति-नीति के साथ चलने में और अब चलने में कुछ बदलाव अवश्य आया है । पूरा बदलाव आने में देरी लगेगी; लेकिन बदलाव आ रहा है । हमने देखा है अन्त्योदय योजना में प्रशासन ने कितना काम किया है । भू-राजस्व अभियान कांग्रेस के समय में भी चला है और अभी भी चला है किन्तु अब प्रशासनिक अधिकारी सरकार की नीयत का पता लगाकर काम करते हैं । उन्होंने भू-राजस्व अभियान में जनता सरकार की नीयत का पता लगाया और उस अनुसार काम हुआ । इसलिये जिला प्रशासन को भ्रष्ट बताया, यह बात समझ में नहीं आती । प्रशासन को और स्वच्छ बनाने के लिये, चुस्त बनाने के लिये हमें विचार करना पड़ेगा । आप यदि जिला प्रशासन को स्वच्छ और चुस्त बनाना चाहते हैं तो आपको विचार करना पड़ेगा कि जिले का क्षेत्र कितना हो ताकि कलक्टर सुविधा से अपने क्षेत्र का प्रशासन कर सके । कोटा जिला का मैं उदाहरण दूं । 150 मील लम्बा-चौड़ा कोटा जिला है । वहां का जिलाधीश शाहबाद आदि क्षेत्र की तरफ जा नहीं पाता । किशनगंज,

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

शाहबाद में भ्रष्टाचार है क्योंकि कलक्टर वहाँ पहुंच नहीं पाता। मैं कोटा जिला का उदाहरण दे रहा हूं। बारां को आप जिला बनायें। उसके आसपास की सात तहसीलों का एक क्षेत्र मिला कर एक दूसरा जिला बन जाता है तो प्रशासनिक दृष्टि से भी ठीक रहेगा और प्रशासन में स्वच्छता आयेगी, चुस्ती आयेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से कि वे सिद्धान्ततः इस बात के हामी हैं कि जिले छोटे हों। जिस सिद्धांत को वे मानते हैं, मैं जानता हूं, उसे कार्यान्वित भी करते हैं। मैं उनके बारे में विशेष निवेदन और करना चाहूंगा कि और मंत्री तो कुछ महीनों से मंत्री बने हैं उनका मंत्री काल निश्चित है लेकिन राजस्व मंत्रीजी जन्मजात मंत्री हैं और सारी उमर मंत्री रहेंगे। इसलिये उन को इस बात की.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री): आप पहले कहते तो मैं लेता ही नहीं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल: अपने समय के बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। जेल में हमको बड़े-बड़े भाषण दिये हैं समग्र क्रांति पर। उनको यह निर्णय लेना है कि इन सारी बातों को कार्यान्वित करें। जनता पार्टी ने किसानों के लिये बहुत बड़ा काम किया है, यह किसान गांव में महसूस करता है। किसान के नाम पर बहुत बातें करते हैं। मैं भी किसान हूं। गांव के किसान की भू-राजस्व की बात की जाती है। अन्त्योदय योजना की बात की जाती है। वे आज अनुभव करते हैं, राजाओं के राज में इतनी राहत अनुभव नहीं की, कांग्रेस के राज में इतनी राहत अनुभव नहीं की....

श्री मूलचन्द डागा: ओ हो!

श्री रघुवीरसिंह कौशल: अब आप ओ हो करेंगे। भू-राजस्व, अन्त्योदय योजना आपकी जड़ें खोद रही हैं आप वापस शासन में आ नहीं सकते।

मैं निवेदन कर रहा था किसानों के लिये इतना कुछ किया, इसके बाद भी आप पार्टी की इमेज नहीं बना पाये। आपको कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ क्रांतिकारी कदम उठाइये। मांग का उत्तर देते समय घोषणा करें, कलक्टर जिलाधीश नहीं होगा, जिला प्रशासक होगा, जिला सेवक होगा लेकिन जिलाधीश नहीं होगा। इसमें सामंती बू आती है। मंत्री तो जनता का सेवक और कलक्टर जिले का धीश, जिले का पति, मालिक। यह नाम हटाइये। अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, अच्छा दिखाई भी देना चाहिये। आप जनता पार्टी के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, कुछ करने को उत्सुक हैं तो कर गुजरना चाहिये। केवल सोचने से, हृदय में रखने से काम नहीं चलेगा। जिला प्रशासन की स्वच्छता की बात करते हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि हमारे मुख्यमंत्रीजी का जो चुनाव क्षेत्र है छबड़ा वहाँ कलक्टर ने फोरेस्ट की 97 बीघा जमीन गलत तरीके से ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम अलॉट कर दी थी, उसकी जांच की जायेगी, उसमें कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में जांच हो गई लेकिन फाइल कहाँ पड़ी है, पता नहीं।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

जहाँ मंत्रिमण्डल तक में इतना विलम्ब हो सकता है तो जिला प्रशासन क्या करे। मुझे ऐसा लगता है कि यह असर कुर्सी का है। 30 साल तक जिस कुर्सी पर कांग्रेस बैठी है उन कुर्सियों को आप बदलो ताकि आप पर असर न हो। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि सब के लिये लक्ष्य निर्धारित करेंगे और जो लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पायेंगे उनके विरुद्ध एक्शन लिया जायेगा। किस विभागाध्यक्ष के खिलाफ एक्शन हुआ? आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो कार्यवाही करनी है उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये। न्याय दरअसल तुरन्त होना चाहिये। इसका असर जिला प्रशासन पर पड़ता है। जिला प्रशासन अपने आप जनता पार्टी की रीति-नीति के अनुसार प्रयत्न कर रहा है किन्तु ऐसा कुछ दिखाई देना चाहिये। कोटा में देखता हूं कि चम्बल पर अफसरों की बीवियां व उनके बच्चे जीपों में बैठकर सैर करने आते हैं। आप सारे अफसरों की जीपें पूल में क्यों नहीं ले लेते? सरकारी काम से जाने के लिये वहाँ से जीप मंगवा लें। कुछ क्रांतिकारी कदम उठायें। मेरा निवेदन है, मान्यवर, इस आधार पर यदि क्रांतिकारी कदम उठाएंगे तो जिला प्रशासन ठीक प्रकार से एडजस्ट करेगा। केवल कह देने मात्र से काम नहीं होगा। जिला प्रशासन दोषी है, जिला प्रशासन भ्रष्ट है, इस तरह से नहीं कहा जा सकता और यह उचित भी नहीं है। जिला प्रशासन भी अपने को जनता पार्टी की रीति-नीति में डालने का प्रयत्न कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्रपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री ताराचन्द।

श्री ताराचन्द (रूपवास) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन में अव्यवस्था के बारे में बोलने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए मैंने आपसे समय मांगा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि वैसे तो मुझसे पहले बोलने वाले पूर्व वक्ताओं ने, जो मेरे साथी हैं माननीय सदस्य, बहुत कुछ कहा है, मैं भी आपको बतलाऊं कि जो प्रशासन की कमियां हैं उनमें भी सबसे बड़ी कमी भूमि विवादों की है। जो भूमि विवाद पड़े हुए हैं उन भूमि विवादों को नहीं सुलझाया जा रहा है। कृषि भूमि अथवा आबादी भूमि के जो पट्टे आदि दस-दस साल पहले दिए गए थे वह जमीनें आज तक गरीबों को नहीं मिल पाई हैं। उनके केस, उनके मुकदमात आज भी प्रशासन के पास, सरकार के पास पड़े हुए हैं। अपने राजस्व कमिश्नर साहब जो हैं उनके यहां भरतपुर में कम से कम दो हजार मुकदमे इस बात के पड़े हुए हैं, जिनको अभी तक नहीं निपटाया गया है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर चारागाह की भूमि है, इस चारागाह की भूमि को कागजों में दिखाया गया है, रजिस्टरों में जरूर बताया गया है लेकिन मौके पर देखा जाय तो चारागाह नाम की कोई जमीन नहीं है। उस चारागाह की जमीन पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जे कर रखे हैं जिससे न तो सरकार को कोई आमदनी होती है, न सरकार को कोई फायदा होता है और न गरीबों के पास जमीन है। जमीन है तो लठैतों के पास में है। न तो प्रशासन ने, न किसी पटवारी ने, न किसी गिरदावर ने, न तहसीलदार ने, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि उन पर किन लोगों ने क्यों कब्जा किया है। पटवारी लोग चुपचाप रहते हैं. डर के मारे शिकायत तक नहीं कर

(श्री ताराचन्द)

पाते हैं और वह जमीन लठैतों के कब्जे में है। उनसे वह बराबर अपनी उपज ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो कब्जे किये बैठे हैं, जिन्होंने जबरन कब्जे किये हैं, उनसे उन भूमियों को आप छीन लें। उनको इस बात का दण्ड भी देना चाहिए कि उन्होंने सरकारी जमीन पर इस तरह से कब्जा क्यों किया। सरकारी जमीन को कानून को तोड़ करके क्यों अपने हाथ में लिया। इसके बाद आप चाहे जनता को आवंटित करें, चाहे उनको ही दें, चाहे गरीबों को दें, चाहे किसी को भी दें लेकिन उन लठैतों से वह जमीन ले लेनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि जिस वक्त ये पट्टे दिए गए थे, क्या पटवारी, गिरदावर या तहसीलदार ने यह घोषणा की थी कि जो जमीन बताई है, वह पूरा का पूरा रकबा खाली है और उनको ही पट्टे दिए गए? फिर किस तरह से जाकर झगड़े में पड़ जाते हैं? क्यों इस तरह से झगड़े में पड़ गए, क्यों ट्रेसपास हो गई? इस तरह से आज जो लोग गरीब हैं वे और गरीब होते चले जा रहे हैं और गरीबों को जमीनें नहीं मिली हैं। आज के दिन सदन में जहां नब्बे प्रतिशत माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का उल्लेख किया है, और उनके प्रति सद्भावना दिखाई है, मैं उसके लिए उनका बड़ा आभारी हूं क्यों कि मैं भी अनुसूचित जाति का सदस्य हूं। मैं उनकी बात को सुन कर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं लेकिन मैं उन साथियों से निवेदन करूंगा कि वास्तविकता में आप इस बात को भूल न जायं कि जो पिछली सरकार घोटाले कर गई है, जो पिछली सरकार ने उपेक्षा की और जो घोटाले किये उनको ठीक करके दिखाना है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से निवेदन करूंगा इसके लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

ऐसी कोई व्यवस्था की जावे, कोई स्पेशल न्यायालय खोले जावें जो कि राजस्व के जितने भी झगड़े हैं, जितने विवाद हैं, जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको किसी भी प्रकार से निपटायें। अगर उनको निपटाया जाएगा तो बहुत कुछ अपनी जनता और सरकार का संबंध स्थापित होगा। इस समय जो जनता में असंतोष पैदा हुआ है उसका कारण यही है कि सरकार के पास मुकदमे लम्बे अर्से से चले आ रहे हैं। वास्तविकता में अगर देखा जाय तो न्याय इस प्रकार का नहीं मिलता है। हर मुकदमा पेंडिंग पड़ा रहता है, उनमें बड़ी मुश्किल से तो एक तारीख आती है और वह तारीख भी किसी न किसी प्रकार से, न मालूम कैसे, आगे टाल दी जाती है, स्टे दे देते हैं। दस-दस साल से केसेज चल रहे हैं, गरीब लोग क्या करें और क्या नहीं करें। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की जावे, मुख्यतया इस तरह के जो मामले पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि चारागाह का जितना भी क्षेत्र है वह सब आज कागजों में ही है, वहां पर जमीन नहीं रही है लेकिन उनकी तरफ जनता पार्टी की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वह जमीन उन लोगों से ले ली जाय, फिर सरकार उसको अपने कब्जे में ले

(श्री ताराचन्द)

ले, चाहे बिक्री करे, चाहे गरीबों को दे। इससे सरकार को भी इन्कम होगी और सरकार के हाथ में बहुत बड़ी तादाद में जमीन आ जायेगी। वह जमीन गरीबों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, भूमिहीनों को दे दी जायगी तो उनको भी संतोष हो जायगा।

तो प्रशासन के विषय में अधिक नहीं कह कर इतना ही कहूंगा कि भूमि का वितरण आप कब तक करेंगे ? इतना ही कह कर अपना स्थान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण।

श्री. शिवनारायण (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की घोषित नीति एवं हमारे बजट की ग्रामोन्मुखी दिशा को दृष्टिगत रखते हुए मैंने जो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, उनमें से एक तो राजस्व के मामले में है।

(9.18 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

अलवर जिले में चार सब-डिविजन हैं। उन सब-डिविजनों में जो एस.डी.ओ. हैं उन सब-के मुख्यावास उनके डेजिग्नेशन के साथ हैं परन्तु राजगढ़ सब-डिविजनल हैडक्वार्टर अलवर में रखा गया है जब कि उसके अन्तर्गत थानागाजी, लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ हैं। राजगढ़ हैडक्वार्टर नहीं रखने में प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सहूलियतों का ध्यान रखा है। अलवर में रहने-सहने की, सब तरह की सुविधा उपलब्ध है। चाहे ग्रामीण किसान निरर्थक पेशियों में जाकर लुटता रहे, इसकी उनको तनिक भी परवाह नहीं है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एस.डी.ओ. राजगढ़ के पद का राजगढ़ के नाम से ही सृजन किया गया है, तो उस एस.डी.ओ. को राजगढ़ में रहने के लिए कहें और जो बाकी तहसीलें हैं उनके लिए कुछ दिन निर्धारित करें जिसमें कैम्प कोर्ट लगा कर लक्ष्मणगढ़ और थानागाजी को भी लाभान्वित करें। इसके साथ में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अभी तक राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, इन दो तहसीलों में भले ही दौरा करते रहें, केवल वन विहार करने के लिए, सिरस्का गेम सैंक्चुरी में भ्रमण करने के लिए चाहे बीस दफा आयें परन्तु थानागाजी पेशी करने नहीं आ सकते। करीब पचास-साठ किलोमीटर की दूरी से ग्राम जनता को आना पड़ता है, उनको इससे बड़ी दिक्कत पैदा होती है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा वन विभाग के विकास के लिए, माननीय सदस्यों ने प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए यह बात कही है कि तिहाई होना चाहिए कुल आबादी का। लेकिन थानागाजी क्षेत्र में दस पर्सेन्ट है जैसा कि प्रतिवेदन में कहा गया है कि तिहाई से भी ज्यादा है। इसी थानागाजी क्षेत्र में सिरस्का गेम सैंक्चुरी है, भर्तृहरि है, पांडुपोल है, नारायणी है, लालवृक्ष आदि ऐसे स्थान हैं जो एक तिहाई एरिया से भी ज्यादा को घेरे हुए हैं। बड़े खेद की बात है कि सारे आधार को नजरन्दाज कर दिया गया। यहां के किसी किसान के पास दो बीघा, ढाई बीघा, पांच बीघा जमीन से ज्यादा नहीं है। अभी तक जो जमीन उपलब्ध थी गोचर या सिवाय चक, सब की सब आवंटित कर दी गई या सेल कर दी गई और जो कुछ पहाड़ी के

(श्री शिवनारायण)

साथ जमीन बची हुई है, उस जमीन पर प्लान्टेशन लगा कर वन विभाग ग्राम गरीब जनता के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। वहां पर मवेशियों को निकालने के स्थान नहीं हैं। इसलिए इस प्लान्टेशन को रोका जाए।

दूसरी बात मैं वन्य पशुओं से रक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं। मैंने माननीय त्रिलोकचन्दजी को एक आवेदन दिया था। उसके बारे में हमारे लायक रेवेन्यू कमिश्नर से चार दफा मिल चुका हूं। उनका यह कहना है कि जो रिपोर्ट मंगवाई है उससे यह जाहिर है कि जंगली सूअर खेतों में कोई नुकसान नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रतिवेदन किसी आफिसर का हो तो वह गलत है, तथ्यों से परे है और ग्राम जनता की सुविधा को जुटाने में बाधक है। मैं यह अपेक्षा करता हूं, वन मंत्री महोदय, सेंक्चुरी के एरिया में जितने गांव हैं, उन किसानों को फसलों की रक्षा के लिए या तो फेंसिंग की जाए या वन्य पशुओं से रक्षा करने के लिए गांवों के लोगों को हथियार उपलब्ध कराए जाएं और उनको बचाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चिरंजीलाल गर्ग।

(अनुपस्थित)

श्री सैयद मंजूर अली।

(अनुपस्थित)

श्री लाल शंकर डेंडोर।

(अनुपस्थित)

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, समय कम है। बहुत जरूरी बात हो मैं कहूंगा। भ्रष्टाचार के बारे में, लापरवाही के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि :—

हर शाख पर उल्लू बैठा है,
अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा ?

बर्बाद गुलिस्तां करने को
बस एक ही उल्लू काफी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जो एक साल पहले बैठे थे उन्होंने हमारे राजस्थान को बिलकुल नंगा-भूखा कर दिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमन्त्री महोदय आज यहां पर मौजूद हैं, सदन में मौजूद हैं। जिला प्रशासन का जहां तक सवाल है, अन्त्योदय योजना में काफी काम हुआ है लेकिन जो तहसीलें बड़ी-बड़ी हैं और जो ऐसी कान्स्टीट्यूएन्सीज हैं, जिनमें दो-तीन तहसीलें हैं, दो सब-डिविजन का क्षेत्र एक-एक कान्स्टीट्यूएन्सी में है, वह किस तरह से कम होंगी। इससे बड़ी गंभीर परिस्थिति हो जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व के मामले में राजस्व मंत्री किसानों से मैत्री करें और प्रशासन में सख्ती लाकर किसानों को उनकी भूमि पर बिठा दें जो कि कांग्रेस तीस वर्ष में नहीं कर सकी, तो यह किसान आप से अलग नहीं होने वाला है। कांग्रेस शासन में 86 विज्ञप्तियां निकलीं और आखिर में उन्होंने यह विज्ञप्ति निकाली है 5 अक्टूबर, 67 को। उसमें यह स्पष्ट लिखा है, सरकार को यह अफसोस है कि सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे रोकने में प्रशासन निष्क्रिय रहा है, अधिकारियों ने इसमें हर तरह की लापरवाही बरती है और प्रशासन

(श्री रतनलाल वर्मा)

ने इस ओर कभी भी सख्ती से ध्यान नहीं दिया है। यह जो विज्ञप्ति निकली है, इसमें जो बात है ऐसी बात हमारे राज्य में नहीं होनी चाहिए। यही मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। आपका अधिकारियों पर सख्त नियंत्रण होना चाहिए। हम उनकी निन्दा करें, बुराई करें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो उन्होंने किया है, वह अब नहीं करें। किसानों की चिन्ता को लेकर चलें यह मेरा राजस्व के मामले में राजस्व मंत्री महोदय को निवेदन है।

अब रहा वन विभाग। इसको डाकू डिपार्टमेंट कहें तो बुरा नहीं है। आज वन कट रहे हैं। जंगल बरबाद हो रहे हैं। मुझे तो यह शंका हो रही है कि हिन्दुस्तान में कहीं शेरों का अभाव न हो जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो वन मंत्री महोदय थे, राव मसूदा साहब, उनके समय में ये अधिकारी, कर्मचारी खूब खाते-पीते थे, रंगरेलियां करते थे। इसलिए मैं वन मंत्री महोदय को निवेदन कर दूं कि आप इस मामले में सजग रहें और इनसे बचें। जंगलात के आसपास जो गरीब लोग रहते हैं वे आज बरबाद हो गये हैं। जिन जगहों पर जानवर चरते थे उनको बरसात के दिनों में बंद कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि वहां पर जानवर नहीं चरेंगे लेकिन बाद में पांच, दस रुपया लेकर मवेशी को चरने देते हैं। इन आफिसरों, रेन्जरों के बंगले बन रहे हैं। जंगलात बरबाद हो रहे हैं। इसलिए अधिक न कह कर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय आप इस मामले में सजग रहें।

मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित हैं। हमको 51/- रुपया भत्ता मिलता है। हम सदन में नहीं रहते हैं, यह भी भ्रष्टाचार है। मुख्य मंत्री महोदयको निवेदन करूंगा कि आप इस संबंध में सभी सदस्यों को पाबन्द करें। तमाम मंत्री भी सदन में रहें जब तक सदन चले। भ्रष्टाचार मिटाने का जो प्रयत्न है, उसका लाभ तभी होगा। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मामले पर ध्यान दें। केवल थोथी बातों से काम नहीं चलेगा। थोथी बातें तो कांग्रेस वालों ने काफी की हैं। इन 6 महीनों में काम हुआ है परन्तु तेजी से और प्रगति होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिकृष्ण।

(अनुपस्थित)

श्री गुरुशरण छाबड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री सुभाषचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री आलम वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री हनवन्तसिंह।

श्री हनवन्तसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं जनता सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने राजस्व अभियान चला कर लाखों की संख्या में केसेज निपटाये। गरीबों को राहत देने के लिए कांग्रेस ने गरीबी मिटाओ का नारा दिया, मगर कारगर कदम हमारी जनता सरकार ने लिया है, जिसने 15 बीघा सूखी जमीन की बीगोड़ी माफ की है। मगर इससे

(श्री हनवन्तसिंह)

भी कई काबिल काम अभी करने हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगहों पर राजस्व के मामले अधूरे पड़े हैं। कई सालों से पड़े हैं। उनको युद्ध स्तर पर निपटाया जाना चाहिये।

इसके साथ ही मैं मेरे क्षेत्र की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर जवाई बांध बना हुआ है जिसके आसपास तीन गांव हैं। इन गांवों की सारी जमीन इसके पेटे में आ चुकी है। सन् 52 से लेकर आज दिन तक सतत प्रयत्न करने के बाद काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है और न कोई जमीन उनको उसके बदले में मिली है। इस मामले का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता सरकार इस केस को भी निपटावें। राजस्व अभियान को चालू कर छोटे-छोटे केसेज को निपटाया जा रहा है, यह काम मामूली नहीं है। तीन पंचायतों का मामला है उसको भी निपटाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सन् 68 में जब हमारे प्रतिनिधि ने यह मांग सदन में उठाई तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्दी ही निपटारा कर दिया जाएगा। वह अभी तक नहीं हुआ है। मेरा निवेदन है कि इसे शीघ्र ही निपटाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सीलिंग की जमीन है। उसका न तो मुआवजा दिया गया है और न किसी प्रकार की राहत दी गई है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा, उनको मुआवजा किसी रूप में दिया जाये। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, सीलिंग कानून ऐसा है जो एक तो पुराना है और दूसरा नये रूप में चल रहा है। यह दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलने चाहिए। या तो पुराना हो या नया हो। एक कायदा होना चाहिए। इस संबंध में कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है।

जहां तक प्रशासन का प्रश्न है, अन्त्योदय योजना का जो कार्य अधिकारियों ने किया है वह वास्तव में सराहनीय है। लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? एक अधिकारी हैं, जी.डी. देवल उन्होंने 400 बीघा जमीन साण्डेराव में हड़प ली है।

एक माननीय सदस्य : वह तो बहुत मशहूर है।

श्री हनवन्तसिंह : मैं जानता हूं। यह मामला पहले भी सदन में उठा है। कई बार सदन में जोरदार शब्दों में उठाया गया है। भूतपूर्व राजस्व मंत्री ने उसे सस्पेण्ड करने का नोटिस दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस का क्या कारण है? वह तो ऐसा व्यक्ति है, जिसको सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में यह भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, पंचायत चुनावों में पाली जिले में उसका इन्वाल्वमेण्ट रहा है। जी.डी. देवल, एक आर.ए.एस. आफिसर हैं। वह जहां-जहां रहा है, उसने अपने पद का दुरुपयोग करके जनता के सामने परेशानी की समस्याएं खड़ी की हैं। आज भी वह सरकार के सामने खुले रूप में फिर रहा है। अगर उसको राजनीति में रहना है तो वह इस्तीफा देकर खुले रूप में राजनीति में आ जाये। इस तरीके से अधिकारों का दुरुपयोग करे तो ऐसे व्यक्ति की जांच होना जरूरी है। इससे

(श्री हनवन्तसिंह)
प्रशासन में सुधार आ सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र के तीन गांवों की जमीन जवाई बांध में आ चुकी है। गरीब किसानों के पास हजारों रुपयों के नोटिस आते हैं। जब आप पाकिस्तान से आने वाले लोगों को दूसरी जगह स्थापित करना चाहते हैं, दूसरी जगह उनको स्थापित करने के लिए सोच रहे हैं तो जो हमारे मूल भारत के हैं, उनका कोई विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह एक लोक महत्व का प्रश्न है उसको निपटाया जाना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने अन्त्योदय योजना और राजस्व अभियान चलाया। मैं गांव-गांव में घूमा हूं। एस. डी. एम., तहसीलदार, पटवारी सभी साथ में थे। एक-डेढ़ महीने में, पटवारी और तहसीलदार ने ब्यावर तहसील में 10 हजार राजस्व के मुकदमे निपटाये।

मैं एक दूसरी बात की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जवाई बांध कमाण्ड एरिया में कांग्रेस राज में भूतपूर्व राजस्व मन्त्री और विरोधी दल के नेता, माननीय परसराम मदेरणा ने जो 10 हजार बीघा जमीन सीलिंग में आई थी अपने रिश्तेदारों, अपने नाबालिग पुत्र महीपाल मदेरणा और अपनी धर्मपत्नी के नाम कराई। खाता नं. 264, खसरा नं. 27/1 की जमीन उनके नाम है। यह जमीन सीलिंग में आ रही थी। यह जमीन चणोद के भूतपूर्व जागीरदार की थी। सीलिंग में आ रही थी। परन्तु भू. पू. राजस्व मन्त्री, परसराम मदेरणा ने मंत्रिमण्डल की मीटिंग में दबाव डालकर यह निर्णय करा लिया कि 31-12-69 के हस्तान्तरण वैध हैं। इसी कारण अपने नाबालिग लड़के के नाम से खरीदी हुई जमीन का नियमन करा लिया। आपने चाहे बेरी आयोग बैठाया है लेकिन उस बेरी आयोग की जांच का उपयोग तब होगा जब इसको इन-आउट्स की जानकारी रखने वाला कोई अधिकारी होगा। इस प्रकार से हजारों बीघा जमीन उनके पास से हासिल हो सकती है और, कृषि करने वालों को फायदा मिल सकता है। मदेरणाजी की सालीजी के नाम से 500 बीघा जमीन है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से अलाटेड जमीन पर भी उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों के पास जमीन नहीं है। आप उसकी इन्क्वायरी करायें और वह जमीन कब्जे में लें।

दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि 1955 में ब्यावर को जिला बनाने की मांग उठी थी। भू. पू. केन्द्रीय मन्त्री, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त और श्री हरिभाऊ उपाध्याय के साथ जो करस्पोंडेंस हुई, वह मेरे पास है। भूतपूर्व मुख्य मन्त्री महोदय से भी बार-बार निवेदन किया। लेकिन सुखाड़ियाजी ने एक बार टांग अड़ा दी थी। जनता सरकार में न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाये। उस समय में भीम क्षेत्र के विधायक थे, उन्होंने टांग अड़ा दी थी कि हम ब्यावर में नहीं मिलना चाहते

(श्री उगमराज मेहता)
हैं। लेकिन जो आज के विधायक हैं, वह सहमत हैं। भीम, रायपुर, जैतारण, मसूदा के सभी विधायक सहमत हैं।

मैं वन विभाग की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। 20 लाख और 7 लाख के घोटाले के मामले मैंने उठाये थे। 27 लाख के घोटाले हैं उनका क्या हुआ ? मैं आशा करता हूं कि वन मन्त्री महोदय उनके सम्बन्ध में विधान सभा में घोषणा करके खुलासा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेघराज पंवार।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान एक मामले की ओर खींचना चाहता हूं। तीन सौ प्रतिशत की लगान में वृद्धि हुई है जो आपके मन्त्रालय में निर्णय होने के लिए 10 वर्षों से विचाराधीन है। काश्तकारों से अब तक 15 लाख का बकाया वसूल हो चुका है। इस सदन में मई, 1970 में तत्कालीन मुख्यमन्त्री महोदय ने किसी भी सूरत में 25 प्रतिशत से अधिक लगान वृद्धि न किये जाने की घोषणा की थी। विभाग ने करीब 56 हजार की केलकुलेशन में भूल होना भी माना है। इस मामले का संबंध चूरू तहसील के गांवों से है। इसका फैसला शीघ्र करवाया जावे।

इसके अलावा दूसरा मेरा प्रस्ताव राजस्व अभियान के सम्बन्ध में है। चूरू जिले के अन्दर तीन एस. डी. ओ. के स्थान रिक्त थे और कई तहसीलों के अन्दर बी. डी. ओ. और तहसीलदार भी नहीं थे। उस समय विधान सभा का सत्र चल रहा था, सातों एम. एल. ए. विधान सभा में थे। ऐसी स्थिति में जो अभियान चलाया गया उसमें दस प्रतिशत काश्तकारों के भी फैसले नहीं हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस अभियान को फिर से चालू किया जाय। अब तीनों एस. डी. ओ. भी आ गये हैं। इसलिये राजस्व अभियान अप्रेल में शुरू किया जाय तो हम लोग भी उसमें भाग ले सकेंगे।

एक निवेदन मेरा और है, जागीर के इलाके में हिस्से के आधार पर जागीरदारों ने बड़े-बड़े गांव अलग-अलग नाम से दर्ज कर दिये गये थे जिससे प्रशासनिक मामले में लोगों को बड़ी तकलीफें हो रही हैं। एक ही गांव में सब लोग भाई-भाई की तरह रहते हैं लेकिन तहसील के मामले में दो दो तहसीलों में जाना पड़ता है और थाने भी अलग-अलग बांट दिये गये हैं। जब इलेक्शन होता है तो आधा गांव उस गांव के पोलिंग स्टेशन में वोट देने जाता है और आधा गांव 9-10 मील दूर पोलिंग स्टेशन पर जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रेखा के आधार पर जो टुकड़े किये गये हैं उनको रेवेन्यू रिकार्ड में पुराने तरीके से एक ही नाम से दर्ज किया जाये जिससे रोजमर्रा के प्रशासनिक काम में लोगों को दिक्कत न हो।

मेरा इतना ही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिकृष्ण !

श्री हरिकृष्ण (नदवई) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बोला गया था, मैं यहां पर ही हूं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता जनार्दन ने आपातकालीन स्थिति के बाद लोकतन्त्र जो वापस लौटाया और जनता पार्टी को शासन सौंपा है। लोकतन्त्र में सत्ता का

(श्री हरिकृष्ण)

और प्रशासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। किन्तु कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। स्वयं सरकार कानून में संशोधन करके चुनाव फिर से कराना चाहती है किन्तु जब तक इसमें देरी हो, जिला प्रशासन में हर जगह प्रशासक बैठे हुए हैं। पंचायतों के चुनाव तो हो गये लेकिन अभी तक वहां विकास अधिकारी ही प्रशासक बने हुए हैं, पंचायत समितियों में भी प्रशासक बैठे हुए हैं, यह शोभाजनक प्रतीत नहीं होता है। आदरणीय महोदय, लोकतन्त्र में जनता के प्रतिनिधि काम न करें और प्रशासक चुनाव होने के बाद भी बहुत समय तक बैठे रहें तो यह अच्छा प्रतीत नहीं होता है। इसमें आप संशोधन लाने की कोशिश करें और उनमें, उपाध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों को अध्यक्ष बनावें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, वह गांव के पटवारी से पैदा होता है। अब तो गिरदावरी बन्द हो गई है लेकिन जब चालू थी तो पटवारी लोग गांवों में बैठे-बैठे ही गिरदावरी करते थे। इस वजह से जगह-जगह कागजात बदले गये और भ्रष्टाचार हुआ। जब सैटलमेंट हुआ तो अनाप-शनाप रिश्वत ली गई और भ्रष्टाचार हुआ। अब भी ज्यादातर गांवों में ऐसा ही हो रहा है। यदि पंचों को उनके साथ गिरदावरी में लगाया जायगा तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा।

माननीय महोदय, बहुत से राजस्व के मामले एस. डी. एम. कोर्ट में चल रहे हैं। वे कोर्ट गांवों से बहुत दूर हैं, कहीं-कहीं तो तीस-चालीस मील की दूरी पर है। बहुत सी जगह तहसीलदार को एस. डी. एम. के अधिकार दिये गये हैं। यदि यह अधिकार सभी तहसीलदारों को हों, तो सस्ता न्याय मिलेगा। एस. डी. एम. की अपील कमिश्नर के यहां होती है और कलेक्टर की भी कमिश्नर के यहां होती है जो एस. डी. एम. के समकक्ष होता है, यह अशोभनीय बात है। मैं अपने जिले की हालत आपसे कहूं, वहां काफी भ्रष्टाचार हुआ। कमिश्नरी में फाइलें इकट्ठी हो रही हैं, उन पर जब तक फैसले नहीं होते तब तक गांव वालों को राहत नहीं मिल सकती। इसलिए इस मामले की ओर माननीय राजस्व मन्त्रीजी को ध्यान देना चाहिए।

सरकार ने ढाई हैक्टेयर तक किसानों का लगान माफ किया है, लेकिन मैं गांवों में गया हूं, एक बीघा जिसके पास चाही जमीन है उस से भी लगान ले लिया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ढाई हैक्टेयर पर लगान माफ कर दिया है जिसमें करीब साढ़े पन्द्रह बीघा भूमि पड़ती है फिर उसमें से एक बीघा चाही होने पर लगान किस तरह से लिया जा रहा है। सीलिंग के हिसाब से भी लें तो किसानों से लगान लेने का सवाल नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कि सरकार के आदेश को न मानते हुए पूरा लगान लिया जा रहा है। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करे कि यह किस प्रकार से हो रहा है।

बहुत सी जमीन बांध और नहरों में ले ली गई है लेकिन किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। इस तरफ

(श्री हरिकृष्ण)

मी राजस्व मन्त्रीजो ध्यान देने की कृपा करें। उनको जल्दी से जल्दी मुआवजा देने के आदेश दिये जायें।

पास बुकें देने के लिये सरकार ने आदेश दे रखे हैं लेकिन अभी तक किसानों को पास बुकें नहीं दी गई हैं, वन-थर्ड किसानों को भी पास बुकें नहीं दिलवाई गई हैं। पास बुकें अधिकतर पटवारी और गिरदावर के हस्ताक्षर से दी जाती हैं। जब तक तहसीलदार उन्हें प्रमाणित नहीं करता है तब तक उनकी कोई मान्यता नहीं है। इसलिए सबको एक साथ जब तक पास बुकों का वितरण नहीं होगा तब तक किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

अब से पहले, कुछ साल पहले की बात अर्ज करूं कि किस तरह का भ्रष्टाचार नदबई में हुआ है। एस. डी. ओ., गिरदावर, तहसीलदार और यहां तक कि जीप के ड्राइवर के नाम से भी जमीन अलॉट हुई है। वे लोग खातेदारों द्वारा कब्जा जमाये हुए हैं लेकिन वे उसको जोतते नहीं हैं। नाजायज कब्जा जो उन्होंने कर रखा है उस पर भी राजस्व मन्त्रीजी ध्यान देने की कृपा करें। गरीब किसानों और अनुसूचित जाति के किसानों को यह जमीन दी जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। तहसील नदबई के कबई गांव में 80 फीट का रास्ता है उससे 10-20 गांवों के बहुत से आदमी निकलते हैं लेकिन नदबई में चारा बनाने की डेयरी बनी है। रास्ते के दोनों तरफ उसे जमीन अलॉट कराई है और आठ-दस गांवों के लिए जो रास्ता चालू था वह तार खींचकर रोक दिया गया है। इससे गांवों के सारे आदमियों को, काश्तकारों को, सवारियां लेकर वाहनों को निकलने में दिक्कत पहुंच रही है। गांव वालों ने भूतपूर्व राजस्व मन्त्रीजी को प्रार्थना-पत्र भी दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने एस. डी. ओ. साहब से भी निवेदन किया है तो रास्ते को भी एक्वायर करने की बात करते हैं। यदि ऐसा हुआ तो गांव वालों के साथ अन्याय होगा। यह रास्ता खाली कराया जाय। यह 80 फीट का रास्ता है। रास्ते में 30 फीट में गाड़ियां इधर से उधर आ जायं तो उसमें क्या दिक्कत है ?

मैं ज्यादा न कह कर वनों के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। रेगिस्तान में वन लगाना जरूरी है लेकिन हम देख रहे हैं कि वन विभाग के अधिकारी पुराने वनों की ओर भी तवज्जोह नहीं दे रहे हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि रेगिस्तान में वन लगें, भूमि उपजाऊ बने, सरकार को लाभ हो, दूसरी तरफ सरकार को लाभ न होकर हानि हो रही है। ऐसी हालत में वन मंत्री इस पर ध्यान दें और रेगिस्तान में ज्यादा से ज्यादा वन लगवाने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री राम किशोर।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री वृद्धिचंद जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क ।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की 3-4 मुख्य बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो जोधपुर जिले में एक गांव है करनीयाली जहां सेटलमेंट के समय, सेटलमेंट न होने के कारण गांव के काश्तकारों की जमीन धारा 91 में दर्ज है। उन तमाम गांवों के लोगों पर धारा 91 के मुकदमे के कारण हजारों रुपया जुर्माना किया गया है। मैं चाहूंगा कि जब तक नया सेटलमेंट न हो जाए तब तक धारा 91 के केसेज और जो जुर्माना उन पर किया गया है, उसको स्टे किया जाए।

दूसरे, मेरे क्षेत्र में पुराने हवाई अड्डे अलावास, गुडा विशनोइयान के काफी काश्तकारों की जमीन 15-20 साल से आई हुई है लेकिन काफी लोगों को न किराया व न कीमत ही अभी तक मिली है। मैं चाहूंगा कि जिन लोगों का किराया व जमीन की कीमत बाकी है, उनको शीघ्र दिलाने की व्यवस्था की जाय।

हमारे यहां बिलाड़ा कस्बा है जिसकी आबादी 25 हजार है। वहां के सरपंच ने जो जमीन को रेवेन्यू रिकार्ड में नाडी दर्ज थी वह पट्टे बनाकर लोगों को दी। आज उस जमीन पर मकान बन गए लेकिन सरपंच की गलती के कारण उन व्यक्तियों पर हजारों रुपए का जुर्माना हुआ है, हालांकि कायदे से आबादी जमीन न होने के कारण सरपंच ने गलती से या ज्ञान न होने के कारण जो जमीन वास्तव में आबादी में परिवर्तित होने के बाद देनी चाहिए थी वह उन्होंने पहले ही दे दी। फिर भी उनकी नासमझी की सजा गांव के लोगों को मिले, यह न्यायोचित नहीं है। मैं चाहूंगा, वह जमीन शीघ्र आबादी में परिवर्तित हो और जो हजारों रुपयों का जुर्माना उन लोगों पर हुआ है, वह माफ किया जाए।

चौथी बात, मेरे क्षेत्र में एक गांव है हींगोला, वहां पर ज्यादातर पशुपालक रहते हैं। वे सिंधी मुसलमान हैं। उस गांव के अन्दर डी. पी. ए. पी. के अंतर्गत तारबंदी की गई है। सिंधी मुसलमान 99 प्रतिशत पशुपालक हैं। गांव के बीचों बीच जो नाडी है, गोचर जमीन के अन्दर नाडी के कारण उनके मवेशी, पशु, भेड़, बकरी चरते हैं लेकिन तारबंदी के कारण बहुत ज्यादा तकलीफ गांव के लोगों को हो गई है। अब डी. पी. ए. पी. के अधिकारी प्रोग्राम बना रहे हैं उसे गांव के लोग नहीं चाहते हैं। कृपया आप बीच-बचाव करके डी. पी. ए. पी. के कार्य जो हो रहे हैं उनको रोकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम देव चौधरी।

(अनुपस्थित)

मेजर श्री फतहसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल ।

श्री भंवरलाल कालानावत (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। मेरे क्षेत्र में कालीसिंध नदी पर बांध बना दिया और बांध के बनते ही जिन खेतों को पानी देना था, उस क्षेत्र को सिंचित घोषित कर दिया और पानी देना शुरू कर दिया। पानी एक साल ही लगा और वह बांध टूट गया। सिंचित क्षेत्र घोषित होते ही उसका लगान बढ़ गया। वह बांध टूट गया किन्तु आज भी सिंचित क्षेत्र का लगान वसूल हो रहा है। किसान परेशान हैं। एक साल पानी दे दिया। इसलिये अब तक वह क्षेत्र सिंचित है जबकि पानी नहीं जाता। इसलिए किसानों पर 8-9 सालों से लगान का बोझा बढ़ा हुआ है। वह पैसा उन लोगों से टैक्स के रूप में लिया गया है। उनकी कुर्कियां हो रही हैं। मैंने बार-बार सरकार से कहा कि जब वह क्षेत्र सिंचित नहीं है तो सिंचाई का लगान लेना बंद कर देना चाहिए। मगर आज भी किसानों से लगान वसूल हो रहा है। आज उस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है तो सिंचाई का लगान वसूल नहीं होना चाहिए।

जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में बैठती थी तो भी मैं कहा करता था कि यह हमारा देश किसानों का देश है, यह कैसे सुधरेगा ? तो भी किसी को चिंता नहीं थी। मैंने कहा था,

सुधरेगा कैसे हलधर प्यारा यह देश,
झोंपड़ियों में कब दीप जले।

जगमग-जगमग चमके बिजली टूटी
झोंपड़ी रे पड़े दुःख पायें भूखे टाबर पड़े।।

लक्ष्मी रूठी लक्ष्मी रोल मचाये।
अन्नदाता से चोरों के ढिग जाये बैठे।।
झरोका करे मसखरी ऐंठ-ऐंठ इतराये।

कांग्रेसी उन गरीबों की मजाक कर रहे थे।

खून होठ से लगा चमकने,
समझे दुनिया वाले पान।

मानव बन गए आज यहां पर चीते,
चोर-कबान।

करे रखवाली भूखों करसो, बाड़
खेत ने खाई।

खेत वो गए गांधी बाबा खड़ी-खड़ी
फसल लहराई।

जनता का खून पी रहे थे, मैं कहता था कि खून है तो सारे के सारे कांग्रेस के सदस्य खून को पान की पीक समझते थे। मैं कहता था कि होंठों पर गरीबों का खून है तो यह लोग कहते थे कि गलत बोलते हो, यह तो पान का रंग है। तो खून होंठों से लगा चमकने, समझे दुनियां पान। मानव बन गये आज यहां पर चीते चोर-कबान। इस प्रकार के जब सत्ताधारी आसन पर बैठकर गरीबों का खून पीयें और लोग उसको खून न कहकर पान समझें ऐसी हालत में गरीब की झोंपड़ी में दीपक नहीं जल सकते।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह दिन था जब मेरी बात उन्होंने नहीं सुनी तो मैं फिर सन् 66 में ही पक्ष को छोड़कर विपक्ष में चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकेला ही नहीं गया था बल्कि मेरे साथ और भी कई कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़ कर ना पक्ष में जा कर बैठ गये थे। कुछ समय के बाद कई लोग जो ना पक्ष से जीत कर आये थे धीरे-धीरे कांग्रेस में जाकर

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

मिल गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अकेला ही रह गया। पर मैं मौन धारण किये हुए बैठा रहा और सारा नजारा देखता रहा। बाद में जनता ने उन लोगों, जिन्होंने मेरा समर्थन नहीं किया था, को ऐंठ उतार दी और असल बात सामने आयी। उस वक्त मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों से, जो कि सत्ता पक्ष में थे, कहा था कि आप लोग किसानों के साथ अन्याय मत करो। यह किसानों का खून है जो आप लोग पी रहे हैं, यह पान की पीक नहीं है। पर उन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात का ध्यान नहीं रखा। फिर उसका नतीजा यह हुआ कि अब की बार जनता ने उनको ठुकरा दिया। अब मैं हां पक्ष से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह आशा करता हूं और साथ में हमारे सरकारी अधिकारियों से भी आशा करता हूं कि वह भी किसानों के साथ न्याय करेंगे और मैं समझता हूं कि जनता सरकार की नीति पर चलेंगे।

(व्यवधान)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि विद्वानों ने कहा है यथा राजा तथा प्रजा। जब कांग्रेस सत्ता में थी और वह भ्रष्ट थे तो हमारी जनता भी भ्रष्ट थी। उस वक्त सरकारी अधिकारी वर्ग भी भ्रष्ट था। अब चूंकि सत्ता पक्ष में जनता पार्टी की सरकार आ गयी है और वह भ्रष्ट नहीं है, पवित्र है तो फिर सरकार के अधिकारी भी कैसे भ्रष्ट हो सकते हैं। जब ऊपर के अधिकारी बदल जाते हैं तो नीचे के अधिकारी अपने आप बदल जाते हैं। जनता पार्टी, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया, पवित्र है, आदर्शवादी है तो नीचे के सरकारी अधिकारियों को भी पवित्र रहना होगा। मैं आशा करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अब सरकारी अधिकारियों का भी हमें पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने इस सदन में पहले भी कहा था कि यह सरकार हमारे वनों को उजाड़ रही है। यहां पर सघन वन और वृक्षारोपण की जो बातें करते थे वह सभी धोखा था। उस समय के वन मन्त्रीजी, श्री अमृतलालजी यादव ने हवाई जहाज से पेड़ उगाने के लिये, मारवाड़ में जंगल बढ़ाने के लिये लाखों बोरियां बीजों की मारवाड़ में हवाई जहाज से डालीं पर वहां कुछ नहीं उगा। इसके अलावा जंगलों का कांग्रेस वालों ने सफाया किया। यह लोग जंगलों को तो खा ही गये जंगल के अन्दर रहने वाले जानवरों को भी खा गये। जहां पर हजारों की तादाद में शेर, चितले, खरगोश, हिरन, बघेरा वगैरह थे वहां अब आपको एक भी खरगोश तक नहीं मिल सकता है। यह तो सभी खा गये। कुछ भी नहीं छोड़ा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने सरकारी अधिकारियों की आलोचना की पर मैं यह कह सकता हूं कि अभी जो अन्त्योदय योजना का अभियान शुरू किया गया था मैं खुद सरकारी अधिकारियों के साथ था। हो सकता है जिन लोगों ने आलोचना की है वह वही सदस्य हों जो कि

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

अन्त्योदय योजना में भाग लेने नहीं गये होंगे । मैं पूरे एक महीने तक इस योजना के अन्दर गांव-गांव सरकारी अधिकारी वर्ग, पटवारी लोगों के साथ घूमा हूं । पटवारियों ने आठ-आठ दिन तक ईमानदारी से काम किया । कोई भ्रष्टाचार की बू मुझे नहीं आयी । वहां पर कलेक्टर साहब थे, अतिरिक्त कलेक्टर थे, एस० डी० ओ० साहब थे, तहसीलदारजी थे और गिरदावर व पटवारी सभी थे । कोई भी सरकारी अधिकारी मुझे भ्रष्ट नहीं मिला । इसका कारण है जनता पार्टी की सरकार जब भ्रष्ट नहीं है तो उसके सरकारी अधिकारी कैसे भ्रष्ट हो सकते हैं । वह भी हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम करेंगे और सरकारी हुक्म को मानेंगे । बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके आदेशों का पालन करते हुए अपने कटौतों के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल हादि ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल ऐरन ।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्व और वन विभाग की मांगों पर बहस चल रही है । मैंने भी राजस्व तथा वन विभाग के बारे में अपने कटौतो के प्रस्ताव पेश किये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने पहले बजट भाषण के वक्त उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि नसीराबाद को तहसील हैडक्वार्टर बनाया जाय । वैसे भी आज अजमेर है, बहुत बड़ी तहसील होने के कारण, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें 37 पटवार सर्किल हैं । तहसीलदार के अतिरिक्त एक अतिरिक्त तहसीलदार है, एक अतिरिक्त कानूगो है, एक अतिरिक्त राजस्व लेखाकार है 8 लेख रिजर्व पटवारी हैं और 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं । अजमेर तहसील में 37 पटवार सर्किल हैं इसके अलावा वहां पर 20 पटवारी हैं जो रोजाना नसीराबाद होकर अजमेर जाते हैं और दूसरे अधिकारी लोग भी वहां से होकर जाते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, नसीराबाद के आसपास करीब 150 गांव हैं । अगर आप नसीराबाद को तहसील हैडक्वार्टर बना दें तो लोगों को राहत मिलेगी। वहां पर इन 150 गांवों का जो रजिस्ट्रेशन का काम है वह भी हो सकेगा । आज अजमेर तहसील बड़ी होने से काम में कठिनाई होती है वह भी समाप्त हो जायेगी । इसके अलावा नसीराबाद को तहसील हैडक्वार्टर बनाने में न तो आप को कोई स्टाफ का अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा न ही दूसरा खर्च करना पड़ेगा । बस एक मकान आपको जरूर किराये पर लेना पड़ेगा । आप जो मकान किराया भत्ता अजमेर में स्टाफ को देते हैं वह नसीराबाद में नहीं देना होगा और उससे बराबर हो जायेगा । उपाध्यक्ष महोदय, स्टाफ के ऊपर और दूसरा क्या खर्च होगा और क्या नहीं होगा, उसके लिये मैंने पहले ही माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन कर दिया है तथा सारा लिख कर भी दिया है । उस ब्यौरे से आपको विदित हो जायेगा कि नसीराबाद को तहसील बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बल्कि कितने ही गांव

(श्री भंवर लाल ऐरन)
के लोगों को लाभ होगा। सिर्फ आपको एक तहसीलदार, जो अतिरिक्त अजमेर में है और दूसरे स्टाफ, जो अजमेर तहसील में ज्यादा हैं, का वहां स्थानान्तरण करना पड़ेगा। बस इतना ही कह कर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्रीजी से यह पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि वह नसीराबाद में तहसील हैडक्वार्टर खोलने की व्यवस्था करें।

बस धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नूरा।

श्री नूरा (मसुदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने, जो कि सरकारी पक्ष में बैठे हैं, विरोध कर दिया लेकिन जब मांगें पारित होंगी तब वह हां कह कर मांग को पारित कर देंगे। हमें तो अपनी बात कहनी है....

श्री नवनीत पालीवाल : दो मिनट में ही समाप्त कर दें।

श्री नूरा : मुझे दो मिनट में ही समाप्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप हां पक्ष वालों को कम बोलने के लिये कहते तो हमारा काफी समय बच जाता। राजस्थान में बार-बार अकाल पड़ने की वजह से और पैदावार नहीं होने की वजह से छोटे-छोटे काश्तकार समय-समय पर लगान नहीं दे सके और राज्य का कर्जा भी नहीं चुका सके। छोटे काश्तकारों पर वर्षों का लगान बकाया नहीं रह गया, बल्कि जमीन बेचकर गुजारा भी अकाल के टाइम में काश्तकारों ने किया। कांग्रेस की कमियां थीं तो उसकी यहां आलोचना होती है। कमियां रहती हैं तो आलोचना होनी चाहिये। मेरा अर्ज करना यह है कि आलोचना के साथ-साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का भी काश्तकारों पर आज कर्जा बाकी है। आज चाहे कितनी ही कांग्रेस की आलोचना होती है लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अंग्रेजों के जमाने का भी छोटे काश्तकारों पर कर्जा चला आ रहा है और कांग्रेस के जमाने का दिया हुआ कर्जा भी बाकी है जिसको आज तक भी वह नहीं चुका सके हैं। बार बार अकाल पड़ने और आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से छोटे काश्तकारों ने अपनी जमीन बेच दी। ऐसी जमीनों का सर्वे किया जाय तो मालूम होगा कि कर्जा चुकाना तो दूर वे अपना गुजारा भी नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालत में छोटे काश्तकारों का कर्जा माफ किया जाना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्त किया जाना चाहिए और उनको आगे कर्जा देकर उनके विकास के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर काश्तकार का यह पुराना कर्जा माफ हो जाय तो आगे वह कर्जा लेने का अधिकारी बन सकता है और अपने विकास के रास्ते को गति दे सकता है।

जहां तक वन विभाग की मांग के बारे में सवाल है वन विभाग में कितना भ्रष्टाचार है उसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले विधायकों ने कहा है। मैं इतनी ही बात कहूंगा कि मुझे कहीं से सन् 76-77 का छतरगढ़, जो कि बीकानेर में है, का एक केस मिला है जिसमें एक अधिकारी, श्री एन. के. माथुर, जिन्होंने फेमिन के टाइम में घोटाला किया, को इस मामले में इन्क्वायरी करने के लिए जयपुर में नियुक्त किया गया। उनके नीचे चोरियां हुई। मस्टर रोल की नकलें भी मुझे दी गई। उसमें मजदूरों का फर्जी जमा खर्च दिखाया गया है। उनको जो

(श्री नूरा)

आदेश दिये गये हैं उसकी फोटो कापियां भी है। जिन्होंने फारेस्ट में ऐसा काम किया है उन्हीं को अभाव अभियोग सुनने के लिए नियुक्त किया गया है। जब वह इस मामले को सुनेंगे तो उनसे कितना न्याय मिल पायेगा और कितना सही वह फैसला कर पायेंगे ? ऐसे मामले की जांच होना आवश्यक है, लेकिन ऐसे लोगों को जांच करने के लिए नियुक्त करने से न्याय की तरफ जाने की हालत पैदा नहीं हो सकती है। यह सारे कागजात मैं वन मंत्री महोदय को बाद में पेश करूंगा।

हिन्दुस्तान की आबादी बढ़ रही है और राजस्थान की आबादी बढ़ रही है, लेकिन धरती नहीं बढ़ रही है, इसलिए जंगलात के अन्दर जो काश्त योग्य भूमि है काश्त करने के लिए वह जमीन दी जानी चाहिए। और जमीन कहां से आयेगी? फोरेस्ट के अन्दर बहुत सी जमीन ऐसी है जो काश्त के योग्य है वह जमीन फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर में से निकालकर काश्तकारों को दी जानी चाहिए। फोरेस्ट के ऐसे कई बोड़ की जमीन है वह भी काश्तकारों को बांटी जानी चाहिए। यह जमीन फोरेस्ट में से निकाल कर बांट देते हैं तो हमारे काश्तकारों को जमीन मिलेगी और देश की पैदावार बढ़ेगी।

जहां तक फोरेस्ट में पेड़-पौधे लगाने का सवाल है, उनके फलने-फूलने की बात है, मेरा निवेदन है कि आज जंगलों को देखा जाय तो बहुत से जंगल तो बिल्कुल नंगे हैं, उनमें पेड़-पौधे नहीं हैं। उनसे ज्यादा तो काश्तकारों ने पेड़-पौधे अपने खेतों में लगा रखे हैं। पेड़ लगाने हैं तो पेड़ लगाने के लिए काश्तकारों को बीज वितरित किये जाने चाहिए। जहां पर पहाड़ हैं वहां पर जंगल लगाये जाने चाहिए, लेकिन खेती के योग्य जमीन जो है वह जमीन भूमिहीन काश्तकारों को बांटी जानी चाहिए, ताकि वह खेती कर सकें और उनको रोजगार मिल सके। इस सम्बन्ध में जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखा था उसके बारे में मैंने निवेदन किया है।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे काश्तकार खेती के लिए जमीन कहीं से निकालते हैं उन पर दफा 91 के मुकद्दमे चलाये जाते हैं, लेकिन बड़े-बड़े लोग बिना नाम की जमीन पर काश्त करते हैं तो वह ठीक हो जाती है। जहां वह चाहते हैं जमीन पर कब्जा कर लेते हैं चाहे वह रहने की जमीन हो, चाहे निजी फार्म की हो और उनके केस निपट जाते हैं। यदि छोटा काश्तकार जमीन के लिए थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाता है तो दफा 91 के मुकद्दमे लगाये जाते हैं। क्या आपकी ऐसी मन्शा है कि जो छोटा काश्तकार जमीन पर अपना जीवन चलाने के लिए कब्जा करता है उस पर दफा 91 के मुकदमे दायर नहीं होने चाहिए, चाहे वह रहने के लिए हो, चाहे काश्त के लिए हो ? दफा 91 के झगड़े में छोटे काश्तकार को पटवारी और तहसील के कई चक्कर काटने पड़ते हैं, पैसों से बरबाद होता है और जमीन की कीमत से ज्यादा उसका खर्चा पड़ जाता है। इसलिये छोटे काश्तकार पर दफा 91 के मुकदमे नहीं लगाये जाने चाहिए। जो बड़े लोग जमीन हड़पते हैं उन पर लगाये जाने चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले जो मेरे कई साथियों ने चौखम्भा राज्य पर विचार प्रकट किये हैं उस संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि थानवी साहब डाक्टर लोहिया के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने डाक्टर लोहिया के विचार प्रकट किये हैं इसलिए मैं उस पर ज्यादा कहना उचित नहीं समझूंगा।

मैं अंत्योदय योजना के संबंध में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अंत्योदय योजना के अन्तर्गत काफी अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि निश्चित रूप से आवंटित की गई है लेकिन जो भूमि दी गई है यह वह भूमि है जो जागीरदार लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों को गिरवी रखी थी। जब जागीरदारों को भूमि सीलिंग में ली जाने लगी तो जागीरदारों ने वह भूमि सीलिंग में दी जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को गिरवी थी। इस प्रकार गिरवी की वह भूमि, भूमिपतियों को दे दी गई, जब कि उनके पास पहले से ही जमीन थी। जो सरकार ने अंत्योदय योजना में दूसरे लोगों को बांट दी। एक तरफ तो अंत्योदय योजना में आप जमीन बांट रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों की जमीन छीनकर दे रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को सीलिंग में जो भूमि दी गई है या तो वह भूमि उनको दिलाई जाय या जो रकम उनके द्वारा दी गई थी वह रकम वापस दिलवाई जाय। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे केसेज की जानकारी प्राप्त करके या तो उन्हें जमीन दिलवाई जाय या पैसा दिलवाया जाय।

इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा कि केशोरायपाटन क्षेत्र को सिंचित एरिया घोषित किया गया है। वहां पर 20 पटवार-मंडल और 58 गांव ऐसे हैं जिनकी जमीन पर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी उसको सिंचित मानकर उनसे पिलाई वसूल की जा रही है। मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो असिंचित भूमि है और जो राजस्व विभाग के अधीन है उसको असिंचित भूमि घोषित करें। गरीब किसानों को पानी नहीं देने के बावजूद पिलाई वसूल की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह पिलाई नहीं ली जानी चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय ने भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए जो उड़नदस्ता लगाने की घोषणा की है उस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि राजस्व विभाग का तहसीलदार अनुसूचित जाति के लोगों को कब्जा दिलाने के लिए प्राथमिकता नहीं देगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि या तो अनुसूचित जाति के या ईमानदार लोग इसमें लगायें जायं जो कि मन से उन लोगों के साथ सहयोग करें। यह माननीय मंत्री महोदय का साहसिक कदम होगा। उड़नदस्ते में अनुसूचित जाति के लोगों को लगाया जाय तो निश्चित रूप से मेरी यह मान्यता है कि उन गरीब लोगों को कब्जा मिलेगा।

मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं चौखम्बा राज्य तथा जिन लोगों को कब्जा नहीं मिला है उन लोगों को कब्जा दिलाने की मांग करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्य प्रकाश।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित)

श्री गोपालसिंह।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने भी राजस्व और वन विभाग के संबंध में कटौती प्रस्ताव रखे हैं।

राजस्व के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जागीर उन्मूलन के वक्त जागीरदारों से जमीनें लेकर किसानों को भूमि दिलाने का एक महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस की सरकार ने उठाया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वास्तव में यह सराहनीय कदम था। लेकिन जागीर उन्मूलन के बाद भी जो किसानों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में कदम उठाये जाने चाहिये थे वे नहीं उठाये गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले 30 वर्षों में भूमि सुधार के नाम पर कांग्रेस सरकार के लोगों ने हर वक्त नारा लगाया कि जो काश्तकार काश्त करता है उसकी भूमि है। किसानों को कहा गया कि जितने भी काश्तकार हैं उनको खातेदारी के अधिकार दिला दिये जावेंगे और उनको एक निश्चित वातावरण में लाकर खड़ा कर दिया जावेगा। जमीन के मामले में किसी प्रकार की अनिश्चितता का वातावरण नहीं रहेगा। लेकिन आज भी तथ्य सामने हैं। 30 वर्ष के पहले जो काश्तकार शिकमी कहे जाते थे वे आज भी शिकमी ही हैं। शिकमी काश्तकार की अजीब स्थिति होती है। एक अनिश्चितता का वातावरण होता है। वह उस जमीन का मालिक रहेगा या नहीं, उस जमीन पर उसका कब्जा रहेगा या नहीं, इस प्रकार का एक अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। इस कारण उसका उस जमीन के प्रति लगाव नहीं रहता है और वह उत्पादन भी सही रूप में नहीं बढ़ा पाता है। कांग्रेस के लोग नारों में विश्वास करते थे। किसानों से वोट लेने के लिये वे लुभावने नारे तो लगा दिया करते थे लेकिन उसके बावजूद भी वे क्रियान्वित नहीं करते थे।

आज एक वक्त आया है। जनता का राज्य आया। माननीय राजस्व मंत्रीजी भी आज यहां बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कम से कम 6-7 लाख किसान ऐसे हैं जो पिछले तीन साल से या उससे ज्यादा साल से, जब से हम आजाद हुए हैं तब से बराबर लगान दे रहे हैं लेकिन खातेदारी राइट्स उनको नहीं मिले हैं। कानून में प्रावधान किये गये, दफा 19 में अमेंडमेंट किया गया कि जो संवत् 2012 से लेकर 2016 तक एन्यूअल रजिस्टर्ड हैं उनके खातेदारी राइट्स कन्फर्म हो जावेंगे। उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जहां अमल दरामद है रेवेन्यू आफिसर्स अपने आप कर देंगे। लेकिन कानूनी व्यवस्था और उसकी क्रियान्विति में अन्तर रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि कानून तो लागू हो गया लेकिन उसकी क्रियान्विति नहीं हुई। रेवेन्यू बोर्ड ने कहा कि जिस का कब्जा है उसको मान कर नहीं चलते। गिरदावरी से ही पोस्टिंग होती है उसमें उनका नाम नहीं है इसलिये वह नहीं मान सकते। यदि उस समय ही कानून में संशोधन कर दिया जाता तो सारे राजस्थान का भला हो जाता। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। आज जनता की सरकार है, मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी किसानों के साथ सहानुभूति रखते हैं। मैंने उनसे बात भी की थी। मुझे यह कहते हुए शंका जरूर हो रही

(श्री गोपालसिंह)

है कि वे इसको इतना जल्दी नहीं कर पायेंगे। माननीय मुख्यमंत्रीजी की जो अंत्योदय योजना है वैसी ही आपकी इस संबंध में योजना हो और आप किसान को राहत दें जिससे किसान के मन में जमीन के प्रति लगाव बढ़े और इससे उत्पादन भी बढ़े।

मैं सरकारी पड़त भूमि के संबंध में भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन जमीनों पर वर्षों से काश्त होती चली आ रही है लेकिन आज वह जमीन कागजों में गोचर भूमि लिखी हुई है। जो गोचर भूमि पर काश्त करते हैं उनको खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। ऐसे केसेज हैं, ऐसी जमीनें हैं जिन पर कि काश्तकार तीस-तीस साल से मुतवातिर काश्त करते आ रहे हैं उन जमीनों को कागजों में गोचर भूमि दिखा दिया गया है। इसलिये ऐसी जमीनों को बदल दिया जाय और जो काश्त करते आ रहे हैं उनको उन जमीनों के खातेदारी राइट्स दिये जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन दो बातों के अलावा मैं वनों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जीवन में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। पौधे पनपें, बढ़ें, इस संबंध में हमें जो प्रेक्टिकल व्यू रखना चाहिये वह नहीं रख रहे हैं जिससे जितना लाभ होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। हमें रोटेशन को आगे चलाना चाहिये। जो पेड़ पुराने होते जाते हैं उनका रिकार्ड होना चाहिये। जो पेड़ सूख गये हैं उन पेड़ों को पहले सरकार के संरक्षण में लिया जाना चाहिये। यह जरूरी है। इससे लकड़ी भी आवेगी, प्रान्त का धन भी बढ़ेगा और मानव को रोजगार भी उससे मिलेगा। जितना लाभ वनों से मिलना चाहिये आज हमको उनसे नहीं मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वनों के संबंध में एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। जहां छोटे-छोटे गांवों के बीच में वन हैं और जिन गांवों के लोगों का जीवन यापन वनों पर निर्भर है, जो पेड़ों को टहनियों और पत्तों से छोटे-छोटे रोजगार चलाते हैं अगर उनको रोजगार से वंचित कर देंगे तो उनकी आर्थिक हालत पर गहरा असर पड़ेगा। इसलिये छोटे-छोटे गांवों के बीच में जहां वन आ गये हैं उनकी छंटाई इस प्रकार से करते रहना चाहिये जिससे कि वे बढ़ते भी रहें और गांव के लोगों के जीवन यापन और रोजगार का साधन भी बना रहें। इससे कुटीर उद्योग भी बढ़ेंगे और उनके द्वारा गांव के निवासी अपना सुचारु रूप से जीवन यापन कर सकेंगे। माननीय वन मंत्रीजी यहां बैठे हैं। मैंने उनसे व्यक्तिगत चर्चा में भी कहा था। मुझे आशा है कि मेरे प्रेक्टिकल सुझावों की ओर ध्यान देंगे जिससे लोगों की जो आज परेशानी है वह दूर होगी।

यही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अयूब खां।

(अनुपस्थित)

डा. हरिसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नारायण मीणा।

(अनुपस्थित)

श्री बंगारसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री लालूदास ।

(अनुपस्थित)

श्री मालाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री जगतारसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री सुखलाल सेंणचा ।

(अनुपस्थित)

श्री हरलालसिंह खर्रा ।

(अनुपस्थित)

श्री बिरदमल सिंघवी ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती श्यामा कुमारी ।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप लोग तालियां बजा कर मुझे यह आगाह कर रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी समाप्त करना है।

श्री ओंकारलाल चौहान : वाह वाह। हम तो स्वागत कर रहे हैं। आपको बोलना चाहिये।

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूंगी कि अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा करनी है, आप मेरा सहयोग करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है उदयपुर डिवीजन में नष्ट होते हुए जंगल के विषय में, उनको बचाने और बढ़ाने के लिये और वहां पर मजदूर काम करते हैं उनको वेतन पूरा मिले उसके विषय में।

श्रीमन्, भारतीय संस्कृति में वृक्ष का महत्व अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसी संदर्भ में आपको निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति के अन्दर अनेक इस प्रकार के वृक्ष हैं जिनको विभिन्न समय पर और विभिन्न पर्व पर हम पूजा करते आये हैं। जैसे बरगद है, पीपल है, चन्दन है, तुलसी है। हम सभी, जो धार्मिक भावनाओं को मानने वाले व्यक्ति हैं, यह जानते हैं कि भगवान का भोग तुलसी के बिना नहीं लगता और चन्दन तो भगवान के मस्तिष्क पर शोभायमान होता है। लेकिन, श्रीमान्, हमारी संस्कृति की एक विशेषता रही है कि जिसकी उपयोगिता हमने देखी उसको हमने धार्मिक महत्व दे दिया। हमारे जो जंगल हैं इनकी उपयोगिता बहुत है। इससे हमें ईंधन मिलता है, इमारती लकड़ियां मिलती हैं, शहद मिलता है, गोंद मिलता है, दवाइयां मिलती हैं और अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियां मिलती हैं। कत्था मिलता है तेंदू के पत्ते मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि वनों के माध्यम से अनेक प्रकार के छोटे-मोटे उद्योग पनपाये जा सकते हैं और जो हमारे वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं उनको रोजगार दिया जा सकता है।

इसके अलावा, श्रीमान्, यदि पूरे प्रदेश के अन्दर जलवायु का सामंजस्य बैठाना है तो एक-तिहाई हिस्से में जंगलों का होना आवश्यक है लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में 1/10 ही जंगल हैं और 1/10 जंगल को भी बराबर कायम नहीं रखा गया और

Page No 239

(239)

(श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर)
हमारी पुरानी सरकार का गलत रवैया जंगलों के प्रति रहा है और अवैज्ञानिक तरीके वनों को कटवाने के रहे हैं। उससे वन काफी कम हो गए हैं। जलवायु पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। रेगिस्तान बढ़ गया है और बरसात की कमी हो गयी है। हमारी माननीय सदस्या भी बोलकर गयी हैं कि दस महीनों का शासन हो गया जनता पार्टी का लेकिन वनों के विकास के सम्बन्ध में कुछ नहीं हो रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि वन 15 साल में जाकर पनपते हैं, कोई 8 या 10 महीने में नहीं। दो-तीन बार वनों की कटाई आपने कर दी। हमको वनों को पनपाने में समय लगेगा। हम वन पनपाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान उदयपुर की ओर दिलाना चाहूंगी। आप जानते हैं और यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि उदयपुर में जंगल काफी ज्यादा थे। हमारे प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप वर्षों तक जंगलों में छिपते रहे और वहां छिपते हुए अकबर की सेना का मुकाबला करते रहे लेकिन उनका कोई पता नहीं पा सका। वह जंगल किस प्रकार से कम हो गए और नष्ट हो गए? इसमें हमारी पुरानी सरकार का दोष है। पानरवा काण्ड के विषय में सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से चन्द पैसों में वह जंगल ठेकेदारों को ठेके पर दे दिया गया। हमारे नेताओं ने खैरात का माल समझकर जंगलों को लूटा और लुटाया। चारागाहों का ध्यान भी नहीं रखा गया। कुल मिलाकर वनों को समाप्त करने में पुरानी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। मैं चाहती हूं कि जो गलतियां पुरानी सरकार ने की हैं हमारी सरकार उन गलतियों को सुधारे। पहले वाली सरकार की कुछ गलत परम्परायें रही हैं उनको सुधारने का काम आने वाली सरकार का ही होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वनों के विकास के संबंध में हमने जो प्रावधान रखा है उसको बढ़ाया जाये और वनों को विकसित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर के अन्दर पिचोला, फतहसागर और उदयपुर सागर के आसपास घने जंगल थे लेकिन आज वहां लगभग ना के बराबर जंगल हैं। वहां का मौसम इस प्रकार का हो गया है कि तीस वर्ष पहले वहां लू नहीं चलती थी और मिट्टी नहीं उड़ती थी लेकिन आज वहां लू भी चलती है और मिट्टी भी काफी उड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी पुरानी सरकार ने वनों का सफाया कर दिया।

मैं थोड़ी सी बात जंगलों में काम करने वाले आदिवासी भाइयों के बारे में कहना चाहती हूं। गिरवा तहसील के अन्दर जो हमारे आदिवासी भाई हैं उन लोगों में से बहुत कम लोगों को रिलीफ वर्क्स में लगा रखा है, और बाकी लोगों को यह कहकर छोड़ दिया गया है कि उनकी 60 प्रतिशत और 70 प्रतिशत फसल पैदा हुई है। श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उन लोगों की चाहे 60 पर्सेन्ट, 70 पर्सेन्ट बल्कि 100 पर्सेन्ट भी फसल पैदा हो जाये लेकिन उससे उनका पेट नहीं भर सकता क्योंकि उनके पास जमीन 1 बीघा, 1½ बीघा या दो बीघा ही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को रिलीफ वर्क्स में लगाया जाये। अगर उनको रिलीफ वर्क्स पर नहीं लगायेंगे तो थोड़े

(श्रीमती श्यामा कुमारी संगर)

बहुत जो जंगल बचे हैं वह और कट जायेंगे। हर आदमी को पेट भरना पड़ता है। जब उनको काम नहीं मिलेगा तो वह चोरी छिपे जंगलों को काटेंगे और शहरों में लाकर बेचेंगे। आज भी ला रहे हैं, कोयला बनाकर ला रहे हैं। तो हमारे जंगलों की सुरक्षा के लिए इन आदिवासियों को रोजगार देना बहुत आवश्यक है। इसके ऊपर हमारी सरकार ध्यान दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर के अन्दर गुलाब बाग नाम का एक गार्डन है। वह अपने समय का बेस्ट बोटेनिकल गार्डन था। उसमें सब प्रकार के पौधे लगाये हुए थे लेकिन हमारी पुरानी सरकार ने पेड़ काटकर डिपार्टमेंटल बिल्डिंग बनवा दी और बगीचे का भी सत्यानाश कर दिया। इसी प्रकार से वहां पर जू याने चिड़ियाघर है। वहां एक जंगली शेर था। हम बच्चों को बताया करते थे कि शेर ऐसा होता है। उसको भी रातों रात न जाने कहां गायब कर दिया। वहां की जनता में इसके लिए बड़ा क्षोभ है। मैं वन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि वनों का विकास करने के लिए आप सजग रहें। कुम्भलगढ़, जयसमन्द और चित्तौड़-गढ़ में सुरक्षित वन हैं उनके अंदर वन्य पशुओं को छोड़ा जाये, अच्छी नस्ल के वन्य पशु छोड़े जायें और उनका विकास किया जाय। नहीं तो हम अपने आने वाले बच्चों को दिखा भी नहीं पायेंगे कि हमारे देश में शेर और बाघ, चीते इस प्रकार के होते थे।

आपने उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूरजपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रतनाराम।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर प्रसाद।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जमवारामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या 9 पर जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसकी ओर आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र जमवारामगढ़ का सारा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है और सारे क्षेत्र में फोरेस्ट सबसे ज्यादा हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4-5 कठिनाइयां हैं। पहली कठिनाई यह है कि जंगली सूअरों से कृषि को काफी नुकसान होता है। सूअरों के कारण कृषक बहुत परेशान हैं। उनसे कृषि को बचाने का उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही साथ 4 कठिनाइयां और हैं। पहली यह है कि ईंधन की सूखी लकड़ी कृषक लोग पहाड़ों से चोरी छिपे फोरेस्ट गार्ड या फोरेस्टर्स को पैसा देकर लाते हैं। इससे भ्रष्टाचार होता है। इसके साथ ही साथ कृषि के काम में आने वाली लकड़ी का काफी अभाव है। काश्तकार यह लकड़ी लाते हैं और बदले में उनको रिश्वत देनी पड़ती है। इसके अलावा बैलों की चराई माफ होनी चाहिए। साथ ही खेतों की रक्षा के लिए

(श्री रामेश्वर प्रसाद)
जो मेड लगाते हैं उसके लिए भी सरकार से खुली परमिशन होनी चाहिए। यह परमिशन सरकार से प्राप्त नहीं होती है। इन सारी बातों की व्यवस्था जो वहां पर कर्मचारी तैनात हैं उनको पैसे देकर करते हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव है कि इस सम्बन्ध में सरकार छूट दे। यह जनता सरकार की अन्त्योदय योजना की तरह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिये छूट होनी चाहिये। इस प्रतिबन्ध से भ्रष्टाचार होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रतिबन्ध को हटाना चाहिये। इसके अलावा मैं आपको इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। मेरे क्षेत्र में करीब 60 गांव ऐसे हैं जहां वन विभाग की पहाड़ी के ऊपर बकरियां चराई जाती हैं। प्रत्येक गांव में 30 रेवड़ बसते हैं। कुल मिलाकर 1800 रेवड़ हैं। फॉरेस्ट गार्ड और फारेस्टर प्रत्येक रेवड़, बकरी की चराई के लिये 25 रुपया लेते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 45 हजार रुपया लेते हैं। इसके अलावा लकड़ियों वालों से प्रत्येक परिवार 5 रुपया प्रति वर्ष लिया जाता है। ऐसे परिवार मेरे क्षेत्र में कुल 15 हजार के करीब हैं। 5 रुपये के हिसाब से 75 हजार रुपये उनसे लिये जाते हैं। मेरे क्षेत्र से 1 लाख 20 हजार रुपये की टोटल फॉरेस्ट वाले रिश्वत खाते हैं...

श्री टीकमचन्द कांत (जालौर) : यह कितने वर्षों से चल रहा है।

श्री रामेश्वर प्रसाद : वर्षों से। इसलिये मेरा सुझाव है अगर चार बातें आप पूरी करते हैं तो काश्तकारों को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, रिश्वत का एक ज्वलंत उदाहरण पेश करता हूं। माननीय मंत्री महोदय से मैंने 17-2-78 को आदेश भी करवाये थे। डी. एफ. ओ. के द्वारा उसकी तफतीश भी हो चुकी है। मदनसिंह ने प्लांटेशन का पूरा क्लोजर काटकर अपना घर भरा है। इसकी तफतीश पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा पिलवाड़ा नाके पर लाखों रुपया साल में बनाता था। उस क्लोजर से हजारों मन लकड़ी कटवा दी गई है। क्लोजर मौजूद है और लकड़ियां पड़ी हुई हैं आज की तारीख में भी। माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया था। मंत्री महोदय ने सी. सी. एफ. को बुलाकर कह दिया कि मौका देखने जा रहे हैं। यह 3 तारीख की बात है वहां डी. एफ. ओ. से बातचीत हुई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। डी. एफ. ओ. से यही कहा कि उसका ट्रांसफर कर दीजिये। मदनसिंह का एक गांव से दूसरे गांव में ट्रांसफर कर दिया। इसलिये डंके की चोट से इस हाउस में कह सकता हूं कि मिलीभगत है। चोरी में चोर को उसी दिन पकड़ा जाता है लेकिन इसमें आज तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी को तुरन्त निलम्बित करने के आदेश दें ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई तो विभाग में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ता जायेगा और इसको रोकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचंद कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो ही मिनट में अपनी बात कहता हूं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उदयपुर वनों की दृष्टि से राजस्थान का सबसे धनी क्षेत्र रहा है। उसी के आधार पर उदयपुर आदिवासी क्षेत्र रहा और उस क्षेत्र के अधिकांश लोगों का जीवन वनों पर आश्रित रहा है। सुख और दुःख में आदिवासियों का सहारा वन थे। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी वनों के आधार पर वह अपना जीवन निर्वाह करते रहे। वह जंगल पिछले दस वर्षों से इस बेरहमी से समाप्त किये गये कि आज आदिवासियों का जीवन निर्वाह होना मुश्किल हो गया है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, जो पानरवा का जंगल था उसे उस समय के राज्य के वरिष्ठ नेता थे उन्होंने कोड़ियों में, दो आने एकड़ के हिसाब से उदयपुर के कत्थे वालों से कटवाया। भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं रही, सीमा के परे ले गये। उसमें उनका शेयर था, यह मैं इस सदन को कहना चाहता हूं, इस कारण जंगल को बेरहमी से काटा गया। वहां पर एक फसल होती है और दूसरी फसल, गर्मी का मौसम आता है तब आदिवासी कोयले बेच कर अपना पेट भरते थे। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं और मेरा ऐसा सुझाव है जिस प्रकार से भूमि का आवंटन करते हैं उस प्रकार आदिवासियों को जंगल का आवंटन नहीं किया जा सकता तो जंगल की सीमा बनाकर आवंटन किया जाये ताकि वे अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। 5 करोड़ 4 लाख रुपये की वनों से आय होती है। उसको मेन्टेन करने में राज के कोष से ज्यादा खर्चा होता है। राज को मिलता क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, जंगलों का आवंटन करेंगे तो मेरी मान्यता है, आदिवासी भाइयों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उदयपुर के आदिवासियों की स्थिति अच्छी होगी।

आदिवासी जंगलों से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं। अपनी मेहनत से, परिश्रम से मजदूरी करके वे जीवन निर्वाह करते हैं। लेकिन आदिवासियों का सरकार द्वारा शोषण होता है। सरकार ने दुकान लगा रखी है। पहले हम कहते थे कि बनिया बिचोलिया है, वह पैसे खाता है। आज सरकार बिचोलिया बनकर उनका शोषण कर रही है। उदयपुर में जितना भी हमारा लकड़ी का उद्योग है उस उद्योग से 10 हजार परिवार अपना पालन-पोषण करते हैं। जो लकड़ी मिलती है आपके निगम से, वन विभाग से वह लकड़ी देना बन्द कर दिया है। इस कारण उदयपुर का बहुत बड़ा व्यवसाय, खिलौना उद्योग एक तरह समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस उद्योग को पनपाने के लिये, जंगल से उनको लकड़ी उपलब्ध करानी चाहिये। उनको लकड़ी काटने देनी चाहिये। यह ऐसी लकड़ी है जिसको कीड़ा लग जाता है और लकड़ी अपने आप समाप्त हो जाती है। 10 हजार परिवारों को लकड़ी उद्योग के आधार पर आजीविका चल रही है। लकड़ी न दिया जाना उनके पेट पर लात मारने का प्रयास है। उदयपुर में इस उद्योग का विकास किया जाये।

मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याण सिंह सांखला!

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री दाऊदयाल जोशी !

(अनुपस्थित)

श्री माधजी भाई ।

(अनुपस्थित)

श्री बुलाराम ।

(अनुपस्थित)

अब राजस्व मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

माननीय राजस्व मंत्री महोदय !

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्व की मांग के बारे में जो चर्चा हुई, माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रगट किए वे बहुत ही रचनात्मक और स्वागत योग्य हैं। इससे पूर्व कि मैं जो विचार प्रगट किए गए, जो सुझाव दिए गए हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करूं। मैं सरकार की राजस्व के मामलों में क्या मौलिक नीति है वह बताना चाहता हूं। सरकार की मौलिक नीति यह है कि जमीन का मालिक काश्तकार होना चाहिए । Land should belong to the tiller. दूसरी बात यह है कि जो कानून हैं उन कानूनों का सरलीकरण किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो भी कानून बनें वह कानून गरीब किसान के पक्ष में होने चाहिएं, उनके फायदे के लिए होने चाहिएं । यह मौलिक नीति है सरकार की। अब यहां पर बड़े अच्छे सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहली बात यह कही गई कि जनता सरकार जब से बनी है तब से उस पर अफसरशाही हावी है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जनता सरकार के किसी मंत्री के ऊपर अफसरशाही हावी नहीं है। अफसर जरूर हैं वे, पुराने जमाने से जिस प्रकार की शिक्षा को यहां की रीति रही है और जिस ढंग से इन अफसरान को ट्रेंड किया जाता रहा है, वे उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं और उसी तरह की उनकी मानसिक विचारधारा भी है। लेकिन मैं एक बात माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, जो ये अफसर हैं, जैसी उनकी शिक्षा-दीक्षा होती है, मसूरी में जिस प्रकार की ट्रेनिंग उनकी होती है, इन सारी बातों के बावजूद भी वे बुद्धिजीवी हैं, इण्टलेक्चुअल हैं। इसलिए यदि यह कहें कि सारे अफसर काम नहीं करते, हावी होते हैं, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। यह भी कहा कि सारे जो अफसर हैं वे भ्रष्ट हैं, इस बात को भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तो इन बातों के परिप्रेक्ष में अब मैं आपसे कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री **नवरंगसिंह** : परिवर्तन की जानकारी दे रहे हैं।

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** : परिवर्तन की भी जानकारी दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री **रामरघुनाथ चौधरी** : बुद्धिजीवी और हावी होने का क्या सम्बन्ध है, यह कुछ समझ में नहीं आया।

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** : इसकी वजह है। मैं एक बात बहुत अदब से माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि आप कभी भी किसी अफसर के सम्पर्क में आयें, बुरा न मानें, लेकिन अपने बोलचाल के ढंग को इस तरह से कायम रखें कि भारतीय जीवन की, संस्कृति

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

की झलक उसमें मिले। बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा कल्चर है, वह कल्चर उससे परिलक्षित हो। यह मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा। हर प्रकार से बोलचाल में।

(व्यवधान)

दूसरी बात जो कानूनों में परिवर्तन की है उसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार जितने राजस्व सम्बन्धी कानून हैं चाहे वह टिनेंसी एक्ट हो, चाहे वह लंड रेवेन्यू एक्ट हो और भी जो नियम उपनियम बने हुए हैं उनमें संशोधन करने के लिए, उनको सरल करने के लिए सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। अभी तक सरकार नतीजे पर नहीं पहुंच पायी है। जो विचार ठोस रूप में सामने आता है वह आपके सामने समय पर रख दिया जावेगा।

एक बात यह कही गई कि जिलों का पुनर्गठन होना चाहिए। जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा-पत्र है, नीति सम्बन्धी वक्तव्य है उसके अन्दर जिलों के पुनर्गठन का भी जिक्र किया गया है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिलों का पुनर्गठन किया जाने का अभी सरकार का कोई इरादा नहीं है। इसके कई कारण हैं। अभी मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता।...

श्री औंकारलाल चौहान : यह तो जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : घोषणा-पत्र में तो है लेकिन उस पर कब अमल किया जाय, यह सरकार पर निर्भर करता है।

श्री रघुबीरसिंह कौशल : सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सिद्धान्त रूप में तो पहले ही घोषणा-पत्र में लिखा हुआ है, मुझसे क्यों कहलाना चाहते हैं।

श्री औंकारलाल चौहान : मंत्री के नाते सदन में कमिटमेंट कराना चाहते हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आपको इस तरह से बीच में सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मंत्री महोदय, आप इस तरह से माननीय सदस्य को मत धमकाइये।

श्री औंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष को मना करने का अधिकार है, आपको यह अधिकार नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने नई तहसीलें बनाने के लिए, उपखण्ड बनाने के लिए जो चिन्ता व्यक्त की है, यह बात सही है कि वैज्ञानिक ढंग से ये तहसीलें नहीं बनी हुई हैं, उपखण्ड नहीं बने हैं। इसलिए सरकार ने एक कमेटी का गठन करने का इरादा किया है। जैसा कि मैंने एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया था, एक कमेटी बनाने का सरकार का इरादा है। वह छः महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी जिसको आपके सामने रख दिया जाएगा।

एक बात यह कही गई कि जमीनों का कन्वर्शन बहुत ऊंची रेट पर होता है। इसके लिए मंत्रिमण्डल ने सब-कमेटी बनाई है, जो रेट्स पुनर्निधारण पर विचार कर रही है। बहुत जल्दी उस पर निर्णय ले लिया जाएगा।

एक बात यह भी कही गई कि जिलाधीश का जो नाम है उससे सामन्तवाद की बू आती

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
है। इसके लिए मैं इतना ही आश्वासन देता हूं कि आपके जो सुझाव आए हैं, उसको क्या नाम दिया जावे, उसको किस संज्ञा से सम्बोधित किया जावे, इस पर सरकार विचार करेगी।

एक सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि दफा 19 के तहत जो जैली काश्तकार हैं, जो सिकमी काश्तकार कहे जाते हैं उनको खातेदारी राइट दे दिये जावें। इसके लिए दफा 19, राजस्थान टिनेंसी एक्ट में संशोधन करने की जरूरत होगी। सरकार इस पर भी विचार कर रही है।

पास-बुकों के बारे में कहा गया कि वे पास-बुकें कइयों को नहीं दी गई हैं। यह बात सही है कि एक-तिहाई के करीब पास-बुकें नहीं दी गई हैं। लेकिन सरकार के सामने एक प्रश्न है कि पास-बुकों के आधार पर काश्तकारों को कर्जा नहीं मिलता है। इसलिए सरकार इस बात पर सक्रियता से विचार कर रही है कि कानून में संशोधन किया जाकर पास-बुकों को टाइटल डीड का दर्जा दे दिया जाय। सरकार इस पर भी विचार कर रही है।

धारा 175 के बारे में सदन के कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि धारा 175 में कोई ऐसा संशोधन करने का सरकार का इरादा नहीं है कि जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग लैंडलेस हो जायं, जमीन से बिल्कुल वंचित हो जायं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि गरीब काश्तकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के जो लोग हैं उनसे जमीन बेचान करा कर नहीं छीनी जानी चाहिए। जब कानून बना हुआ है, वर्षों से बना हुआ है, वर्षों से कानून में प्रावधान है, जो काश्तकार हैं वह जमीन बेच देते हैं, सवर्ण लोगों को बेच देते हैं तो वह जमीन छीनी जानी चाहिए और दूसरे जो लोग हैं उनको दी जानी चाहिए। इस पर सरकार विचार कर रही है। ....

श्री अयूब खां : सारे मामले विचाराधीन ही है या कोई निर्णय भी लिया है?

श्री ईश्वरचन्द : धारा 175 के कारण झालावाड़ जिले में बहुत से मामले हैं ......

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आपकी बात का अलग से जबाब दूंगा। यह लोकतांत्रिक सरकार है, इसमें ऐसा नही हो सकता, ऐसे जम्मू काश्मीर के प्रधान मंत्री शेख अब्दुल्ला ही फरमान निकाल सकते है कि आज से इसकी जमीन छीनी और इसको बांट दी। ऐसा कानून या तो चीन में बन सकता है या रूस में बन सकता है। यहां लोकतांत्रिक प्रणाली है, यहां जो भी कानून बनाए जाते है उनको सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती हैं इसलिए कानून के प्रत्येक पहलू पर.......

श्री रामरघुनाथ चौधरी : शेख अब्दुल्ला प्रधान मंत्री नहीं मुख्य मंत्री हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : पहले प्रधान मंत्री थे, अब मुख्य मंत्री है।

श्री उपाध्यक्ष : No interruption, please.

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि लोकतंत्रीय सरकार होने के नाते जनता पार्टी सरकार लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है इसलिए कानून के हर पहलू पर विचार किया जाकर निर्णय लिया जाता है। मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

एक बात यह भी कही गई कि पटवारी का बड़ा आतंक है। पटवारी के बारे में मेरे पुराने दोस्त, साथी हैं माननीय सदस्य जगदीश जी, ने यह कहा कि डॉक्टर लोहिया ने यह कहा था। यह बात सही है कि डॉक्टर लोहिया ने जो चिंतन किया था उस चिन्तन में इस बात को स्वीकार किया था कि कलेक्टर और पटवारी दोनों के पद खतम होने चाहिए। यह बात सही है, मैं भी इस बारे में माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं उन पर विचार कर चुका हूं, लेकिन मैं अभी तक इसका विकल्प तलाश नहीं कर पाया हूं, पटवारी का जो इंस्टीट्यूशन है उसका क्या विकल्प हो सकता है।

श्री अयूब खां: पटवारी के नाम के साथ उसका काम भी बदलेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: पटवारी की कितनी जिम्मेदारी है, विकास कितना तीव्र गति से जनता सरकार गांवों में करना चाहती है इन सारे पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। मैं पटवारी की इंस्टीट्यूशन को खतम करने के अभी पक्ष में नहीं हूं।..........

(व्यवधान)

मुझे बोलने दीजिये।

मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं पटवारी की इन्स्टीट्यूशन को खतम करने के पक्ष में नहीं हूं।

एक बात माननीय सदस्य ने यहां पर कही है कि लोहियाजी की चौखम्भा राज्य की परिकल्पना है, उसकी स्थापना होना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने विकेन्द्रीकरण का जो प्रश्न रखा था जनता के सामने, शक्ति विकेन्द्रीकरण, राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण, आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण, सामाजिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण, इस कल्पना को लोहियाजी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने एक ठोस कार्यक्रम चौखम्भा राज्य का आपके सामने रखा। मैं इसका पक्षपाती हूं लेकिन माननीय सदस्यों को मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब तक भारतीय संविधान में संशोधन नहीं होगा, चौखम्भा राज्य की स्थापना कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। जिस तरह का भारतीय संविधान इस समय है, उस संविधान के होते हुए चौखम्भा राज्य कोई राज्य सरकार स्थापित नहीं कर सकती है और न ही केन्द्रीय सरकार स्थापित कर सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिये। यह संशोधन किया जाना केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और इसमें राज्य सरकार का कोई बस नहीं है।

श्री नवरंगसिंह: आप केन्द्रीय सरकार को सुझाव दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी शिकायत की गई है कि बहुत-सी जमीनें जो सीलिंग के वक्त अलॉट हुई उनका कब्जा नहीं मिला और जो लट्ठधारी सामन्ती लोग हैं, बड़े-बड़े भूपति हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि जो ऐसे मामले मेरे नोटिस में लाये जायेंगे उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों को उनकी जमीनों पर कब्जा दिलाया जायगा। इसमें अगर पुलिस की जरूरत पड़ी तो पुलिस की सहायता ली जायगी। परन्तु माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में जनरल बात कहते हैं। मैं उनसे

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
निवेदन करूंगा कि स्पेसिफिक बात नोटिस में लावें, राज्य सरकार कार्यवाही करेगी ।

एक माननीय सदस्य : किसके नोटिस में लावें ? जिले में लावें या ....

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मेरे नोटिस में लाइये, चाहे कलेक्टर के थ्रू मेरे नोटिस में लाइये ।

उपाध्यक्ष महोदय, बैरी कमीशन के बारे में कहा गया कि मामलों को टालने के लिए यह बैरी कमीशन बनाया गया है । यह सही नहीं है । गत तीस वर्षों में राजस्थान के अन्दर भूमि के मामलों में घोटाले हुए हैं इसलिए भूमि सम्बन्धी सारे घोटालों को एकजायी करके, एक जगह पर इकट्ठा करके सारी सूचनाएं प्राप्त करके, जो अलग-अलग डिपार्टमेन्ट से आई नहीं हैं, उन सबको बैरी कमीशन, बैरी रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, उनकी जांच करेगा । सरकार के सामने जो रिपोर्ट आएगी, उस पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा । बाकी जो व्यक्तिगत बातें हैं, जो माननीय सदस्य ईश्वरचन्द्रजी ने कही हैं, उनको मैं आश्वासन देता हूं कि जो-जो उनकी शिकायतें हैं, उनकी पूरी जांच कराई जाएगी ।

इसके अलावा माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के बारे में, पटवारी, आर. ए. एस. ऑफिसर द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के बारे में कहा है । इस सम्बन्ध में मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे सामने भ्रष्टाचार का जो भी मामला लाया जाएगा; चाहे वह फिर बड़ा से बड़ा व्यक्ति ही क्यों न हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा । उसको सजा दी जाएगी । लेकिन कानून की कार्यवाही करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नगरपालिका क्षेत्र में राजस्व के मामले निपटाने की व्यवस्था नहीं है । ऐसे मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री नूरा : सीलिंग का दायरा जो कांग्रेस ने तय किया था, उसको घटाने, बढ़ाने के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सीलिंग की जो सीमा निर्धारित की जा चुकी है, उसको घटाया नहीं जाएगा परन्तु उसमें जो लूप होल रह गये हैं, उनको भरा जाएगा । इसके लिए अगर सीलिंग कानून में संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो संशोधन करने के बारे में विचार किया जाएगा, परन्तु जो सीलिंग है, उसको कम नहीं किया जाएगा । कानून में जो संशोधन किया जाएगा, उसमें यह कोशिश की जाएगी कि राजस्व के मामले में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो । इस दृष्टि से संशोधन किया जाएगा । यह फैक्टर रहेगा अमेन्डमेन्ट करने के बारे में ।

हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर एक दलील दी थी, मैं उसको समझ नहीं पाया हूं । मार्क्सवादी कम्युनिस्ट यह कहें कि जमीन काश्तकार की होनी चाहिए और उससे रेन्ट नहीं लेना चाहिए, लगान नहीं लेना चाहिए, जबकि मार्क्स ने सारी सम्पत्ति सरकार की मानी है । उन्होंने यह किस दर्शन की बात कही, यह मेरी समझ में नहीं आया है । माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं । उन्होंने किस

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
थ्योरी के आधार पर यह बात कही है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। जमीन सरकारी नहीं, व्यक्तिगत सम्पत्ति होती तो रूस में इन्कलाब नहीं हो सकता था, कम्युनिस्ट चाइना में परिवर्तन नहीं हो सकता था और दूसरे देशों में जो परिवर्तन हुए हैं, वे नहीं हो सकते थे।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अन्य माननीय सदस्यों की शिकायतें हैं, उनके ऊपर उचित कार्यवाही और सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह आश्वासन मैं देता हूं और यह निवेदन करता हूं कि जो मांग संख्या 4 और 8 हैं, उनको पारित किया जाय।

एक माननीय सदस्य : अनुसूचित जाति, जन-जाति के लोगों की जमीन के सम्बन्ध में भी स्पष्ट नीति सरकार की बता दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैंने इस बारे में निवेदन किया है, मैं इससे वचनबद्ध हूं कि अनुसूचित जाति, जन-जाति, मुसलमान और महिलाओं को विशेष रियायत दी जानी चाहिएं।

श्री रतनलाल वर्मा : यह एक मूल सिद्धान्त की बात है.....

श्री उपाध्यक्ष : श्री वर्माजी, विराजिए

श्री रामरघुनाथ को अवसर दिया है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : किस बात के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : वे कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, मंत्री महोदय से।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : नियमों के अन्तर्गत और कन्वेन्शन के अन्तर्गत इस प्रकार की परम्परा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने जो व्यवस्था दी है, वह परम्परा के आधार पर दी है। आप विराजिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर दिया है, उसमें यह मत स्पष्ट नहीं हुआ कि सीलिंग में प्राप्त जमीन का अलॉटमेन्ट फर्जी होता है। उसके सम्बन्ध में आपने कोई बात नहीं बताई है। मैंने जो एग्जाम्पल दी है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है जिन भूमिहीन लोगों को जमीन का अलॉटमेन्ट किया जाता है और वह फिर बेचकर भूमिहीन बन जाते हैं, उसके लिए आपके क्या विचार हैं ?

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे किसानों का खुला प्रश्न है...

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उसकी जांच की जाएगी।

श्री रतनलाल वर्मा : जांच का सवाल नहीं है। एक-दो साल लगायेंगे। आप योजना बनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, आप विराज जायें। यह जरूरी नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मन्त्री महोदय ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, मन्त्री महोदय ने महिलाओं को आश्वासन दिया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि पहले जब बेरी आयोग बना तो कितना पैसा बरबाद हुआ। उस कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उस पर सत्ता पक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस सदन में अनशन किया गया है। सतीश चन्द्र जी और भैरोंसिंहजी ने, सभी ने उसके लिए मांग की थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय प्रश्न के बारे में उत्तर दे सकेंगे? कृपया अन्य विषयों की चर्चा नहीं उठायें।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि धारा 15-ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को हटाने के बारे में आपके क्या विचार हैं। पिछले समय से, स्टेट के समय से ही हजारों काश्तकार काबिज व खातेदार काश्तकार थे। बाद में रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से उनको गैर खातेदार करार दे दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : धारा 15 में डिफरेंसेज हैं। 15 और 15 'ए' में। लेकिन इसका सम्बन्ध कोलोनाइजेशन से है।

श्री किशनसिंह भाटी : वह मात्र खातेदार........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जायें।

श्री भूरा : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग से बचने के लिये जिन बड़े लोगों ने अपने नौकरों, परिवार के सदस्यों और बच्चों के नाम से जमीन लेकर बेची है, उनके बारे में इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बारे में..

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : उत्तर दे दिया है। सीलिंग कानून में लूप होल्स हैं। उनको भरा जाएगा।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों के लिए निवेदन किया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, आप विराज जायें। वन मन्त्रीजी, उत्तर देंगे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : जहां 30% से अधिक जमीन की गड़बड़ी होगी, उसकी उचित व्यवस्था की जाएगी।

श्री रतनलाल वर्मा : अजमेर जिला पूरा का पूरा गलत है। आपके पास रिपोर्ट आई हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, बिराज जायें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मेरे खयाल से .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जायें।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा एक अलॉटमेन्ट के बारे में सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : क्योंकि मैं बोल नहीं सका था।

Page No 250

(250)

श्री उपाध्यक्ष : आपको उत्तर दिया था।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं आधा सैकण्ड में निवेदन कर देता हूं। मेरे जिले में सन् 73 से अलॉटमेण्ट बन्द हैं। 10 हजार लोग बेकार व भूमिहीन हैं। उनमें अधिकतर हरिजन और मुसलमान आते हैं। अलॉटमेण्ट सन् 73 से बन्द है। पुन: भू-आवंटन आदेश दिलाया जावे।

कोलोनाइजेशन हुआ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वन मन्त्रीजी।

श्री लालचन्द (राज्य मंत्री, वन): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने वन के मामले में जितना डिस्कशन किया, जितनी तत्परता से सदन में उन्होंने इस विषय की व्यवहारिक व्याख्या की, वह इस बात को साबित करता है कि माननीय सदस्यों के मन में भली प्रकार से विचार है कि वनों का क्या महत्व है। इस बात को वह समझ रहे हैं। वन, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, जमीन के ऊपर 30% होने चाहिए। बदकिस्मती से आज 10-1/2% जमीन पर ही वन हैं। आगे समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में विचार करने से समस्याएं और भी ज्यादा गम्भीर हो जाती हैं। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसके साथ में, we are thankful to the scientists कि अनाज की समस्या है, वह हमारे देश में बहुत थोड़े समय तक ही है। थोड़े समय में हम अनाज को सरप्लस पैदा करने वाली स्थिति में आ जायेंगे, लेकिन अनाज को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए वनों का होना निहायत जरूरी है। आज संसार के सामने वायु प्रदूषण की स्थिति कारखानों की वजह से पैदा हो गई है। इसके लिए वनों का होना बहुत जरूरी है।

यहां माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातों पर ज्यादा जोर दिया है। वह एक तरफ तो कहते हैं कि वन खतम हो रहे हैं, जंगल कट गये, उदयपुर की पहाड़ियां साफ हो गई हैं इसके साथ ही दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि वनों के पास रहने वाले आदिवासियों को वन काटने की सुविधा दी जाये। दोनों बातें आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। इस बात पर गम्भीरता से विचार करना होगा। आदिवासियों का पीढ़ियों से पेशा है, लकड़ी काटकर बेचना उससे उनकी आजीविका चलती थी। उनके लिए दूसरा तरीका भी हमें तलाशना पड़ेगा। इस पर वन विभाग गम्भीरता से विचार कर रहा है। पिछली ठेकेदारी प्रथा के अन्दर जंगल कटे थे। उनको ले जाकर, खींचकर ज्यादा कीमत में बेचने की आदत उन्होंने आदिवासियों में डाली थी। इसकी वजह से आदिवासी लकड़ी ले जाते थे। उसकी कीमत नहीं मिल रही थी आदिवासियों को। उनको मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। जिस दिन से लकड़ी का व्यापार सरकार ने अपने हाथ में लिया उसी दिन से आदिवासियों को जंगल में लकड़ी काटने के काम में लगाया, उससे उनको उस आमदनी से ज्यादा आमदनी हुई। वनों की सम्पदा है उसकी सुरक्षा की बात को देखने के साथ हमें आदिवासियों के पेट का खयाल भी करना है। जैसे कि आज तक लकड़ी काटने से पेट भरा करते थे।

दूसरी बात यह आई कि गांवों के पास नये फोरेस्ट डवलप हो रहे हैं, उस जगह पर तारबन्दी की गई है और फोरेस्ट का एरिया गांव के नजदीक आ गया है। यह भी एक समस्या है।]

एक माननीय सदस्य: इस समस्या को दूर करने के लिये क्या किया ।

श्री लालचन्द : इसका कारण यह था कि ज्यों-ज्यों आबादी गांवों की बढ़ती गई, गांवों के आसपास की जो जमीन थी उसको आबादी में कन्वर्ट किया गया । ऐसी स्थिति आ गई कि आबादी वनों की सीमा के नजदीक पहुंच गई । इस समस्या पर सरकार ने बहुत ही गम्भीरता से विचार किया है । अब सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि जंगलों की बाउण्डरी गांवों की आबादी से एक मुरब्बा दूर कर दी जाय ।

एक माननीय सदस्य : मुरब्बा कितना होता है ।

श्री लालचन्द : 25 बीघा । कुछ समस्या माननीय सदस्य हर चन्द सिंहजी और दूसरे साथी जगदीश सिंहजी ने अपने एरिया के फ़ोरेस्ट की लकड़ी काटने की बताई है । उसके बारे में क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स हैं । दूसरी ओर यह भी बताया गया कि वहां के लोगों की जीविका का साधन फोग की लकड़ी है । उसके बारे में क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि अपनी खातेदारी में से फोग या किसी भी प्रकार की लकड़ी काट सकता है । इसको गलत इन्टरप्रेट किया गया है । इसके लिए भी इन्स्ट्रक्शन्स भेज दिये गये हैं । सर्क्यूलर नं. एफ. 1(5) रेवेन्यू (4), दिनांक 11 मार्च, 1977, उसमें बहुत क्लियर लिखा गया है कि : "Under Sec.) 84 (2A Khatedar tenant is entitled to remove the trees for any purpose."

तो इस तरह से यह गलत बात कह कर इस समस्या को उलझाने की कोशिश की जा रही है । इस बारे में और ज्यादा क्लियर कर दिया जायगा ताकि ऐसी समस्या पैदा नहीं हो । लेकिन खातेदारी के अलावा जो जमीन है वहां पर उनको झाड़ियां और फोग काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे रेतीली मिट्टी टिकाऊ नहीं रह सकेगी, इसलिए उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती ।

जो पत्तियां सूख कर मिट्टी बन जाती हैं उसके लिए माननीय सदस्यों को अर्ज कर दूं । जो पत्तियां सूख कर मिट्टी बन जाती हैं वह उस जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाती है । वहां पर घास और पत्तियों का जमा रहना उस जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने में सहायक होता है । इसलिए उनको नहीं काटना चाहिए ।

जहां तक पशुओं को उस जगह पर न आने देने और न जाने देने का सवाल है उसमें थोड़ा सा विचार करना होगा । आज स्थति ऐसी हो गई है कि चरागाहों के अन्दर भी हमेशा की चराई के लिए घास का उगना बन्द हो गया है । इन चरागाहों को बनाये रखने और घास की पूरी व्यवस्था करने के लिए, पशुओं के लिए पूरी घास बराबर मिलती रहे इसके लिए चरागाहों के डवलपमेन्ट के लिए दो-चार साल तक तो समस्या को फेस करना पड़ेगा । अगर हम इस बात पर स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे और थोड़ा सा भी कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो चरागाह को कभी भी डवलप नहीं कर सकेंगे । इसी तरीके से घास बनी रहे इसके लिए भी यह जरूरी है ।

पशुधन की जहां तक बात है, पशु दूध के लिए जरूरी है । पशुधन को चरागाह के बिना घास नहीं मिलेगी तो श्वेत क्रान्ति

(श्री लालचन्द)
की जो बात करते हैं वह तो दूर रही, हरितक्रान्ति भी धरी रह जायगी ।

श्री मोहम्मद जहूर : इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है ।

श्री लालचन्द : आप जो कह रहे हैं कि पशुओं को जंगलों में नहीं जाने दे रहे हैं यह टेम्प्रेरी फेज है । जब घास इस स्थिति में पहुंच जायगी कि उसको पशुओं से नुकसान नहीं पहुंचेगा तो यह समस्या भी दूर हो जायगी ।

श्री रतनलाल वर्मा : ऐसा नहीं है, श्रीमन् । नीचे से ऊपर तक के अधिकारी लिप्त होते हैं । मैं इसकी जांच कराने को तैयार हूं । जंगल के जंगल बरबाद हो गये हैं और पत्थर निकल गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वर्माजी, बिराज जाइये ।

श्री लालचन्द : भ्रष्टाचार के बारे में निवेदन करूं, जिस से माननीय वर्माजी उत्तेजित हो रहे हैं और काफी माननीय सदस्य भी उत्तेजित थे, उसके लिए मैं आपको बहुत क्लियर बतला दूं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक डी आई. जी. की अध्यक्षता में सतर्कता आयोग का गठन किया गया है । उनके सामने काफी मसले इस तरह के रखे गये हैं । उसने उनकी जांच करके बहुत से केसेज की रिपोर्ट भी सरकार के सामने पेश की है । इससे यह साबित होता है कि सतर्कता आयोग के द्वारा हम बहुत जल्दी ही भ्रष्टाचार को खतम करने में कामयाब होंगे ।

एक माननीय सदस्य : उसमें एक जनप्रतिनिधि रख दीजिये ।

श्री लालचन्द : अभी माननीय सदस्य, रामेश्वरजी रामगढ़ का एक केस बता रहे थे, उस बारे में मदनसिंह को सस्पेण्ड करने के इन्स्ट्रक्शन्स डी. एफ. ओ., जयपुर को देदिये गये हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोटिया साहब की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी ?

श्री लालचन्द : उदयपुर के जू से, कहा गया कि रातों रात टाइगर गायब हो गया । मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि उस टाइगर को जयपुर के जू में लाया गया था । अब उसको वापस भेजने की व्यवस्था कर दी गई है ।

एक माननीय सदस्य : लाये क्यों और भेजा क्यों ?

श्री लालचन्द : सारी बातें बतलाना मेरे खयाल से जरूरी नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : क्योंकि वह उदयपुर का था ।

श्री लालचन्द : कुछ ऐसे सवाल उठाये, जिसमें डिमाण्ड की गई कि आराजी जंगलात की जमीन पर हो रही है, 15-20 साल से लोगों का कब्जा है और काश्त कर रहे हैं, उसके बारे में निवेदन कर दूं कि उनको रेगुलेराइज करने के बारे में भी सरकार पूरा विचार करेगी । बहुत जल्दी एक्शन लेने के बारे में सरकार सोच रही है

(श्री लालचन्द)

कुछ डिमाण्ड ऐसी आई कि जंगलात के अन्दर जो जमीन काबिल काश्त है वह, निकाल कर भूमिहीन किसानों को और गरीब किसानों को अलाट कर दी जाय। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हमें बर्डन आफ पापूलेशन जमीन पर बढ़ाना नहीं है। हमें बर्डन आफ पापूलेशन जमीन पर रोक कर लोगों को ज्यादा रोजगार देना है। दूसरी बात, जंगलात का कितना महत्व है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जमीन जंगलात की ओर एक्वायर की जाएं और जो जमीन जंगलात के अन्दर है, जब तक कोई विशेष बात न हो जाए, किसी से ट्रांसफर का मामला आ जाय या खेती की जमीन खतम हो जाय, इसके अलावा जंगलात की जमीन काश्त के लिए रिलीज नहीं की जाएगी, इस बारे में बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं।

श्री ओंकार लाल चौहान : आल्टरनेटिव सुझाव हैं क्या आपके पास ?

श्री लालचन्द : सिरोही सागर बांध की बातें एक सदस्य ने उठाईं, वह बता रहे थे कि कितने रुपयों का घोटाला है। इस बारे में मैं बता दूं कि डाइरेक्टर, विजिलेन्स ने इस केस की जांच कर ली है। यह केस आगे कार्यवाही के लिये डिपार्टमेंट आफ पर्सनल के पास भेज दिया गया है और बहुत जल्दी कार्यवाही की जाएगी।

श्री भूरा : कितने का घोटाला है ?

श्री लालचन्द : अभी उदयपुर के लिए कहा गया कि लकड़ी रिलीज करने के अंदर जंगलात सख्ती बरत रहा है। उसका कारण यह है कि लकड़ी की मांग 58.86 लाख टन है जब कि उपलब्धि लकड़ी की 8.53 लाख टन है। ऐसी स्थिति में लकड़ी रिलीज करने में काफी हिसाब से काम करना पड़ेगा।

इस सब बातों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वन संबंधी मांग को आप पारित करें।

श्री हरिसिंह यादव : 5 गांवों के काश्तकारों के बारे में मैंने कहा था.....

श्री लालचन्द : 5 गांवों के काश्तकारों के लिए मेरा निवेदन है कि जिनको हटाया गया था, उनको एवज में मांग के अनुसार जमीन और फैसिलिटीज दे दी गई हैं। बाकी रह गया हो तो उसको भी देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी : डाइरेक्टर ऑफ विजिलेन्स की अध्यक्षता में कमेटी बैठी, अच्छी बात है, लेकिन जंगलात के जो फ्लाइंग स्क्वाड लगे हुए थे, उनका क्या हुआ ?

मांग सं० 4, 8 व 9 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,60,85,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 8–राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,85,06,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 9–वन-के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,57,51,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

माँग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11.37 बजे बृहस्पतिवार, दिनांक 16 मार्च, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 243 की सूची)

DEPARTMENTAL CANDIDATES

S. No.	Name of the candidate with father's name	Date of birth	Educational Qualifications	Experience, if any	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Shri Syed Mohd. Ilyas Rizvi S/o Shri Syed Abdul Aziz Rizvi.	19-12-50	Secondary. III-67 B. Sc.-III-73, M. A., Sociology-II-75.	Working as L. D. C. in Employment Exchange, Jodhpur (Period not stated).	
2.	Shri Narendra Singh Solanki S/o Shri Lal Singh Solanki.	5-5-41	High School-III-57, Intermediate-II-60, B. A.-II-62, M. Com-II-73.	Working as L. D. C. in Employment Exchange, Jodhpur since 27-7-64.	
3.	Shri Guman Singh Sod S/o Shri Pratap Singh Sod.	7-7-46	H.-Sec.-III-63, B.A.-II-75.	Working as L. D. C. in Employment Exchange, Bikaner since 3-8-65.	
4.	Shri Daulat Singh Bordia, S/o Shri Amba Lal.	2-2-46	H. Sec.-II-64, B. A. Eco. with Stat.-II-75.	Working as L. D. C. in Employment Department since 24-4-65.	
5.	Shri Padam Singh S/o Shri Umrao Singh.	4-9-34	High School- II-53, B. A. III-57, M. Com. with Stat.-II-75.	Working as U. D. C. in Employment Exchange, Jodhpur since 14-7-60.	

1	2	3	4	5	6
6.	Shri Laxmi Chander Gupt. S/o Shri Hari Narain Gupt.	8-7-50	Secondary-II-67, H. Sec.-II-68, B. A. Hons.-II-72, M. A. Eco. Passed-74.	Working as L. D. C. in Employment Exchange, Sawai Madhopur since 29-1-76.	
7.	Shri Rajendra Prashad Sharma S/o Shri Ram Sarup Ji.	19-7-36	B. A.-III-75 (with Stat.).	Working as U. D. C. in the Directorate of Employment, Rajasthan, Jaipur (Period not stated).	
8.	Shri Srigopal Soni S/o Shri Gajadhar Soni.	7-9-51	Secondary-II-68, Pre. Univer.-III-69, B. Com.-III-72, M. Com. Eco. with Stat.-II-75.	Working as L. D. C. in Employment Exchange, Jhunjhunu since 31-10-74.	
9.	Shri Ramesh Chander Mittal S/o Shri Tara Chand Mittal.	11-5-51	Secondary.-III-67, B. Com. with Stat.-III-71.	Working as L. D. C. in Employment Exchange, Tonk since 20-1-73.	
10.	Shri Udai Lal Hinger	..	B. A. Passed.	Working as L. D. C. in Employment Exchange, Chittorgarh (Period not stated).	
11.	Shri Manohar Lal Bairagi S/o Shri Jai Ram Das.	10-8-47	Matric-I-65, H. Sec.-II-72, B. Com.-III-76.	Working as L.D.C. in Employment Department since 27-7-66.	

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 246 की सूची)

रावतभाटा के श्रमिकों की हड़ताल के समय पंजीबद्ध अपराधों का विवरण

क्र.सं.	अपराध संख्या मय धारा	ता. पंजीकरण अपराध	नाम फरियादी	नाम मुलजिम	नतीजा
1	2	3	4	5	6
1.	99/77 धारा 147-349-353 332–504–506 ता.हि.	18-9-77	श्री टी. एफ. पाहडयिला, मुख्य परियोजना अभियंता, अणु-शक्ति, रावतभाटा।	1. एम. एन. तिवारी 2. जगजोतसिह 3. विष्णु शर्मा 4. लुकमानसिंह 5. रिछपालसिंह 6. सीताराम 7. अब्दुल अजीज 8. मुबारिक अली	चालान नं. 55 दि. 29-10-77
2.	106/77 धारा 341/352 ता.हि.	10-10-77	श्री सुदर्शनसिंह बल ठेकेदार	1. के. सी. शर्मा 2. सीताराम 3. एस. एन. गुप्ता 4. एस. एन. सिंह. 5. रवीन्द्र डान्ड 6. आर. के. रावल	चालान नं. 63 दि. 25-11-77

1	2	3	4	5	6
3.	110/77 धारा 147, 341, 186, 504 ता. हि.	19-10-77	श्री बनारसी प्रसाद, सी. एस. श्रो., अणुशक्ति ।	1. श्री जी. डी. मेहता 2. श्री श्रार. के. रावल 3. पी. एन. राना 4. एन. के. शर्मा 5. रावकिशन 6. पी. एन. चौधरी 7. एस. श्रार. राय 8. गुरमीतसिंह 9. राजन ड्राइवर 10. लुकमानसिंह 11. देवनारायणसिंह	चालान नं. 57 दि. 29-10-77
4.	111/77 धारा 341, 323 ता. हि.	2-10-77	श्री सुरेन्द्र शर्मा कॉन्सट्रेक्शन मैनेजर, भारी पानी परियोजना, रावतभाटा ।	1. श्री श्रब्दुल मजीद	चालान नं. 60 दि. 17-11-77
5.	112/77 धारा 447, 323 ता. हि.	24-10-77	श्री धीरजमल फायरमैन, भारी भारी पानी परियोजना ।	1. श्री पीर मोहम्मद हेवी वाटर	चालान नं. 56 दि. 29-10-77
6.	114/77 धारा 147, 148, 307, 149 ता. हि.	25-10-77	श्री बलदेवराम एस. श्रो., भारी पानी परियोजना, रावतभाटा ।	1. श्री श्रब्दुल मजीद 2. श्री जे. पी. श्रोझा 3. श्री श्रहमद धनन 4. एस. ए. बी. शर्मा 5. एस. शफी 6. पी. एस. जांगिड़	चालान नं. 73 दि. 24-12-77

7. 117/77 धारा 188 ता. हि.	1-10-77	श्री घनश्याम लाल शर्मा, एस. एच. ओ., थाना पारसोली।	1. मोहन पूतमीया 2. अहमदअली 3. रामसुख 4. वचनमहोदय 5. हरीश पटेल 6. वलेश्वर 7. मांगीलाल 8. रेवड़ीलाल 9. रामविलास 10. जगदीश प्रसाद 11. बाबूलाल 12. हफीजुल रहमान 13. रामकरण 14. राजूसोनी 15. हजारी सिंह 16. जुम्मे खां नि. कोटा	चालान दि. 13-11-77
8. 122/77 धारा 341, 323 ता. हि.	1-12-77	श्री लारेन्स ईसाई, अणुशक्ति योजना।	1. श्री सलवचन 2. श्री मांगीलाल 3. श्री रामअवतार	चालान नं. 6 दि. 19-1-77
9. 126/77 धारा 341 ता. हि.	6-12-77	श्री मांगीलाल कलाल	1. श्री नन्दकिशोर, अणुशक्ति फेज नं. 2.	चालान नं. 3 दि. 14-1-78

Page No 260

(260)

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 249 की सूची)

पद का नाम	सृजन का विवरण
	आई.ए.एस.
1. आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, सिंचाई विद्युत् एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग।	नवम्बर, 1977 में राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये रु. 3000।- के वेतनमान के तीन पद थे। 28 नवम्बर, 1977 को श्री असोम कुमार राय द्वारा सेवा-निवृत्ति पूर्व अवकाश पर चले जाने तथा श्री गोपाल कृष्ण भनोत को मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति हो जाने से रु. 3000।- के वेतनमान के दो पद रिक्त हो गये। श्री भनोत के बाद श्री शेरसिंह की पदोन्नति वारिष्ठतम अधिकारी होने के नाते रु. 3000।- के वेतनमान के पद पर की गई। सिंचाई एवं विद्युत के कार्य की महत्वता को देखते हुए इस पद पर निरन्तरता बनाये रखने के लिये राज्य सरकार ने श्री शेरसिंह के पूर्व पद शासन सचिव, सिंचाई एवं विद्युत को पदोन्नत कर उन्हें वहीं रु. 3000।- का वेतनमान दे दिया।
2. आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव, राजस्थान नहर परियोजना, विभाग जयपुर	पहले राजस्थान नहर मण्डल का अध्यक्ष ही पदेन शासन सचिव का कार्य करता था। समुचित तकनीकी व्यक्ति के अभाव में चूंकि अध्यक्ष, राजस्थान नहर मण्डल का पद रिक्त भरा न जा सका, अतः राज्य सरकार ने आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान नहर परियोजना का पद सृजित कर श्री भीम सिंह को नियुक्त किया। श्री भीम सिंह ने 8 वर्ष तक सचिव, राजस्थान नहर मण्डल के पद पर तथा 1 वर्ष से अधिक समय तक अध्यक्ष, राजस्थान नहर मण्डल के पूर्व में कार्य किया था। राजस्थान नहर के कार्य को गति देने तथा उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए श्री भीम सिंह की नियुक्ति की गई। वे अध्यक्ष, राजस्थान नहर मण्डल का कार्य भी देख रहे हैं।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, खाद्य, नागरिक रसद व अकाल सहायता विभाग, जयपुर।	खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग की कार्य पहले मुख्य चुनाव अधिकारी के पास ही था तथा अकाल सहायता विभाग का कार्य शिक्षा आयुक्त देखा

1	2	3
		करते थे। राज्य में अभाव की स्थिति को देखते हुए दिसम्बर, 1977 में राज्य सरकार ने अकाल सहायता विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग के कार्य का एकीकरण कर 31 मार्च, 1978 तक के लिये आयुक्त एवं शासन सचिव, खाद्य, नागरिक, रसद एवं अकाल सहायता विभाग के एक नये पद का सृजन किया।
4.	महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान, अजमेर।	राजस्व मण्डल के एक सदस्य पहले अपने कार्य के अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का कार्य देखा करते थे। कार्य की अधिकता को देखते हुए तथा उप-पंजीयन कार्यालयों के समुचित नियंत्रण एवं निरीक्षण की दृष्टि से अलग से महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का एक नया पद सृजित किया गया।
	आई.पी.एस.	
1.	अतिरिक्त महानिरीक्षक, आरक्षी, सी.आई.डी. (क्राइम ब्रांच व रेल्वे) इन्टेलीजेन्स, राजस्थान, जयपुर।	विशेष अपराध अनुसंधान तथा गुप्तचर विभाग के कार्य का भलीभांति सम्पादन करने के लिये इस पद का सृजन किया गया। अपराध, गुप्तचर कार्य तथ रेल्वे पुलिस संबंधी कार्य का एकीकरण प्रशासनिक, दृष्टि से आवश्यक था। इस पद के सृजन में किसी पुलिस अधिकारी को पदोन्नति नहीं दी गई।
2.	उप-महानिरीक्षक, आरक्षी, भ्रष्टाचार, निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर।	भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में तत्परता से कार्यवाही करने के उद्देश्य से इस पद को सृजित किया गया है।
3.	उप-महानिरीक्षक आरक्षी, तथ्यान्वेक्षण समिति, विधि-विभाग, जयपुर।	तथ्यान्वेषण समिति को अपने कार्य में सहयोग देने हेतु इस पद का सृजन किया गया है। इस पद के लिये शाह कमीशन से विचार-विमर्श श्री कानसिंह द्वारा किया गया था और शाह कमीशन की राय के अनुसार ही यह पद सृजित किया गया।
	आर.ए.एस.	
1.	परियोजना अधिकारी, परियोजना फारमुलेशन सैल, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर।	विश्व बैंक परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना तैयार करने हेतु।

Page No 262

(262)

1	2	3
2.	उप-शासन सचिव, स्थानीय निकास, शहरी विकास एवं हाउसिंग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	स्थानीय निकास, शहरी विकास व हाउसिंग सम्बन्धी मामलों को सचिवालय स्तर पर सुचारु रूप से सम्पादन करने की दृष्टि से इस पद को सृजित किया गया है।
3.	सचिव, बेरी आयोग, जयपुर	भूमि आवंटन में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु नियुक्त बेरी आयोग की सहायतार्थ।
4.	भू-प्रबन्ध अधिकारी (ट्राइबल), उदयपुर।	जन-जातीय क्षेत्रों में लैण्ड रेकार्ड्स के कार्य को अद्यावधित (अप-टू-डेट) किये जाने के लिये।
5.	भू-प्रबन्ध अधिकारी, (ट्राइबल), बांसवाड़ा।	जन-जातीय क्षेत्रों में लैण्ड रेकार्ड्स के कार्य को अद्यावधित (अप-टू-डेट) किये जाने के लिये।
6.	विशेषाधिकारी, प्रोजेक्ट, मोनीटरिंग सैल, कृषि विभाग, जयपुर।	प्रोजेक्ट मोनीटरिंग के केन्द्र प्रवर्तित कार्य को कार्यान्वित हेतु एवं स्टेट सीड कॉरपोरेशन के गठन हेतु आवश्यक पृष्ठ भूमि तैयार करने के लिये।
7.	जिला पुनर्वास अधिकारी, गंगानगर।	गंगानगर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों को जमीन की बकाया राशि की वसूली इत्यादि किये जाने के लिये।

आर.पी.एस.

5 पद—अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	2 पद—ये जिला सवाई माधोपुर एवं भरतपुर के दस्यु समस्या के उन्मूलन हेतु हैं।
	1 पद—यह हनुमानगढ़ हेतु है।
	2 पद—भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जो 5 नये विशेष इन्टेलीजेन्स/इन्वेस्टीगेशन यूनिट्स खोले गये हैं, उनके लिये हैं।
13 पद—उप-पुलिस अधीक्षक	1 पद—भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की नागौर आउट पोस्ट हेतु है।
	4 पद—इनमें से एक पद राजस्थान पुलिस अकादमी हेतु, एक पद उदयपुर जिले के धरियावाद पुलिस वृत्त से अलग किये गये द्वितीय पुलिस वृत्त हेतु तथा दो पद सुरक्षा एवं सतर्कता हेतु सृजित किये गये हैं।

1	2	3
		3 पद—ये पद भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में 5 नये स्पेशल इन्टेलीजेन्स / इन्वेस्टीगेशन यूनिट्स जो खोले गये हैं, उन हेतु हैं।
		2 पद—ये पद सांगानेर एवं डबोक (उदयपुर) हवाई अड्डों की सुरक्षा हेतु हैं।
		1 पद—यह पद कम्प्यूटराइजेशन हेतु है।
		2 पद—ये पद आपातकालीन (ज्यादतियां) तथ्यान्वेषण समिति को अपने कार्य में सहयोग देने हेतु हैं।

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 251 की सूची)

राजस्थान सूचना केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना से अब तक रहे सहायक निदेशकों का विवरण

क्रमांक 1	नाम अधिकारी 2	कब से कब तक 3	विशेष विवरण 4
1.	श्री एच. भीष्मपाल	29-1-68 से 30-11-71	
2.	श्री के.के. द्विवेदी, सहायक निदेशक	1-12-71 से 13-3-72	
3.	श्री एच. भीष्मपाल, सहायक निदेशक	14-3-72 से 30-6-73	
4.	श्री दाऊलाल पुरोहित,–सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी ।	1-7-73 से 6-1-74	श्री भीष्मपाल, सहायक निदेशक के स्थानान्तरण के बाद श्री दाऊलाल पुरोहित, सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी को अपने पद के कार्य के अतिरिक्त, सहायक निदेशक के पद का कार्य भी सौंपा गया ।
5.	श्री आर. डी. विजयवर्गीय, सहायक निदेशक ।	7-1-74 से 2-5-74	
6.	श्री मनोहर प्रभाकर, सहायक निदेशक ।	3-5-74 13-6-75	

7.	श्री दाऊलाल पुरोहित, सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी ।	14-6-75 से 6-1-76	श्री प्रभाकर के स्थानान्तरण के कारण श्री दाऊलाल पुरोहित, सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी को अपने पद के कार्य के अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद का कार्य भी सौंपा गया ।
8.	श्री आर. बी. माथुर, सहायक निदेशक	7-1-76 से 6-5-76	
9.	श्री ए. के. अग्रवाल, सहायक निदेशक	7-5-76 से 19-10-77	
10.	श्री दाऊलाल पुरोहित, सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी ।	20-10-77 से 26-2-78	श्री अग्रवाल के स्थानान्तरण के कारण श्री दाऊलाल पुरोहित, सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी को अपने पद के कार्य के अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद का कार्य भी सौंपा गया ।
11.	श्री एस. एम. एस. भटनागर, सहायक निदेशक ।	27-2-78 से अब तक	

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 256 की सूची)

माह दिसम्बर, 1977 मार्गवार एवं दिनांकवार निरस्त परिचक्रों की सूची

दिनांक	मार्ग का नाम	निरस्त परिचक्रों की संख्या
1	2	3
1-12-77	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीम का थाना	2
2-12-77	खेतड़ी–पिलानी	1
	खेतड़ी–नीम का थाना	1
3-12-77	खेतड़ी–पिलानी	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
4-12-77	खेतड़ी–चिड़ावा	1
5-12-77	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
6-12-77	..	..
7-12-77	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
8-12-77	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
9-12-77	खेत ी–सूरजगढ़	1
	खेत ी–पिलानी	1
	खेत ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
10-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–पिलानी	1
11-12-77	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
12-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनू	2
13-12-77	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2

1	2	3
14-12-77	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
15-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	3
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
16-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
17-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–बसावता	1
18-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
19-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
	खेतड़ी–दिल्ली	1
20-12-77	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
21-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
22-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
23-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
24-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	कोपर–जयपुर	1
25-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
26-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	3
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	चिड़ावा–पिलानी	1
27-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
28-12-77	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	सिंघाना–जयपुर	1
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
29-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2

1	2	3
30-12-77	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
31-12-77	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–पिलानी	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	कुल योग . .	81

माह जनवरी, 1978 मार्गवार एवं दिनांकवार निरस्त परिचक्रों की सूची

दिनांक	मार्ग का नाम	निरस्त परिचक्रों की संख्या
1	2	3
1-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–जयपुर (12.45)	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
2-1-78	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
3-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
4-1-78	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
5-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	3
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
6-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
7-1-78	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–पिलानी	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
8-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–खण्डेला	1

1	2	3
9-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
10-1-78	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
11-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
	खेतड़ी–खंण्डेला	1
12-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
13-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	3
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
14-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
15-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
16-1-78	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
17-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
18-1-78	..	..
19-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
20-1-78	खेतड़ी–जयपुर	1
	चिड़ावा–झुन्झुनूं	1
21-1-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
	खेतड़ी–जयपुर (15.15)	1
	खेतड़ी–जयपुर (17.30)	1
	सूरजगढ़–जयपुर	1
22-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	2
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1

1	2	3
23-1-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	2
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–खेरकी	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
24-1-78	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–पिलानी	2
	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
25-1-78	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
26-1-78	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
27-1-78	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–सुजानगढ़	2
	खेतड़ी–पिलानी	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
28-1-78	खेतड़ी–पिलानी	1
	खेतड़ी–खण्डेला	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
29-1-78	सुजानगढ़–जयपुर	1
30-1-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–खेतड़ी प्रोजेक्ट	1
	खेतड़ी–खण्डेला	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
31-1-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
		114

माह फरवरी, 1978 मार्गवार व दिनांकवार निरस्त परिचक्रों की सूची

दिनांक	मार्ग का नाम	निरस्त परिचक्रों संख्या
1	2	3
1-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–सूरजगढ़	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–पिलानी	1

1	2	3
2-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
3-2-78	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–खण्डेला	1
4-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	2
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
	खेतड़ी–जयपुर	1
5-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–खण्डेला	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–जयपुर	1
6-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
7-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	2
	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
8-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ाव	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
9-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–दिल्ली	1
10-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
11-2-78	खेतड़ी–नीमकाथाना	3
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–दिल्ली	1
	खेतड़ी–झून्झुनूं	1
12-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनूं	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
13-2-78	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–रींगस	1
	खेतड़ी–पिलानी	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1

1	2	3
14-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	3
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
15-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
16-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
17-2-78	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	झुन्झुनू–चिड़ावा	1
18-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
19-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
20-2-78	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
21-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	2
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
22-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
23-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	3
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
24-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–सिघाना	1
25-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
26-2-78	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	2
	खेतड़ी–सिघाना	1
27-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	1
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	खेतड़ी–झुन्झुनू	1
28-2-78	खेतड़ी–चिड़ावा	2
	खेतड़ी–नीमकाथाना	1
	कुल योग ..	101

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

ग्राम जवाजा में बनाये गये परिवार नियोजन विभाग के क्वार्टर्स

259. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले की ब्यावर तहसील के जवाजा ग्राम के कुछ वर्षों पूर्व परिवार नियोजन विभाग के नये क्वार्टर्स बनाये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि लगभग पिछले तीन सालों से ये क्वार्टर्स समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र नामक संस्था को दे दिये गये तथा वर्तमान में भी उसी संस्था के पास हैं ? यदि हां, तो इस संस्था को ये क्वार्टर्स कि रुपये माहवार किराये पर दिये गये हैं ?

(3) क्या वर्तमान में परिवार नियोजन विभाग को इन क्वार्टर्स की आवश्यकता नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि क्वार्टर बनाये इसीलिए गये थे कि उनमें विभागीय कर्मचारी रहें, तो फिर क्यों कर ये क्वार्टर्स इस संस्था को दिये गये, जबकि विभागीय कर्मचारी निवास के लिए इधर उधर भटकते रहे हैं ?

(5) किस राजकीय आदेश से ये क्वार्टर्स इस संस्था को दिये गये तथा किस अधिकारी ने ये क्वार्टर्स इस संस्था को देने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मदद की ? कृपया उस राजकीय आदेश को प्रति सदन की मेज पर रखें जिसके द्वारा ये क्वार्टर्स इस संस्था को दिये गये ?

(6) क्या राज्य सरकार वर्तमान में भी इन क्वार्टर्स को इस संस्था के पास बने रहने देने का औचित्य मानती है ? यदि नहीं, तो कब तक राज्य सरकार इन्हें अपने आधिपत्य में पुनः ले लेगी ?

(7) क्या राज्य सरकार संबंधित उस राजकीय अधिकारी के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है जिसने कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर ये क्वार्टर्स इस संस्था को दिये ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जावेगी तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, किराये सम्बन्धित जानकारी इस विभाग को नहीं है क्योंकि इस विभाग द्वारा संस्था को नहीं दिया गया।

(3) आवश्यकता है।

(4) क्वार्टर विभाग को हस्तांतरित किया तो विभागीय कर्मचारी को सहूलियत रहेगी, परन्तु क्वार्टर्स विभाग को हस्तान्तरित होने से पूर्व ही उक्त संस्था को अस्थाई तौर पर आवंटित कर दिये गये।

(5) जिलाधीश, अजमेर के अ. शा.

(चिकित्सा मंत्री) पत्र क्रमांक 4384, दिनांक 27/30 मई, 1975 के द्वारा ये क्वार्टर्स उक्त संस्था को दिये गये पत्र एवं क्रमांक 25 (4) चिकाय/9298, दिनांक 11/15-10-75 द्वारा लगातार रखने के लिये लिखा गया।

(6) इस सम्बन्ध में जिलाधीश, अजमेर से पत्र-व्यवहार जारी है।

(7) समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र नामक संस्था को, जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित व डी. पी. ए. पी. द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त तीन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही थी, जिलाधीश द्वारा उन्हें क्वार्टर्स को उपयोग में लेने की अनुमति दी गई थी। क्वार्टर्स को प्राप्त करने की विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार

260. श्री ललाशंकर डेंडोर (सागवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जन-जाति का क्षेत्र जिला डूंगरपुर, बाँसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ घोषित किया हुआ है? यदि हाँ, तो क्या वह कुल कितनी आबादी का, कितने वर्गमील का क्षेत्र है?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार के द्वारा जन-जाति का बजट शिक्षा के नाम पर अन्य क्षेत्र में खर्च किया गया है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार जन-जाति क्षेत्र-जिला डूंगरपुर, सागवाड़ा, बाँसवाड़ा में शिक्षा के विस्तार हेतु विशेष व्यय करना चाहती है? यदि हाँ, तो कितना व कितने कालेज व उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय व प्राइमरी स्कूल नये खोलने का प्रावधान है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हाँ। यह सही है कि जिला बाँसवाड़ा व डूंगरपुर के पूरे जिले अनुसूचित जन-जाति उप-योजना क्षेत्र में आते हैं। जिला चित्तौड़गढ़ को प्रतापगढ़ तहसील व उदयपुर की फलासिया, खैरवाडा, कोटड़ा, सलूम्बर, लसाडिया तहसील व गिरवा पंचायत समिति जिला सिरोही की आबू रोड तहसील अनुसूचित जन-जाति उप-योजना क्षेत्र में सम्मिलित है।

इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 20,93,008 है तथा 19571 वर्ग कि. मी. क्षेत्र है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हाँ। सभी जन-जाति क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए केन्द्र से विशेष सहायता प्राप्त होती है।

अगले वर्ष जन-जाति क्षेत्र में 100 प्राइमरी स्कूल, 10 मिडिल स्कूल खोलने का प्रावधान है। नई संस्थाएं खोलने के प्रस्ताव माँगे जा रहे हैं तत्पश्चात ही समग्र रूप से उन पर विचार किया जायगा।

अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर

262. मेजर श्री फतहसिंह (भीम) क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर में चिकित्सकों की स्वीकृत संख्या कितनी है?

(मेजर श्री फतहसिंह)

(2) इस अस्पताल में कितने पुरुष चिकित्सक हैं और कितनी महिला चिकित्सक हैं ?

(3) इस अस्पताल में ऐसे कितने पुरुष चिकित्सक हैं जिनकी पत्नियाँ भी इसी अस्पताल में महिला चिकित्सक हैं ?

(4) इस अस्पताल में ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो तीन साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) अमृतकौर अस्पताल, ब्यावर में, चिकित्सकों के 31 पद स्वीकृत हैं।

(2) पुरुष चिकित्सक 20, महिला चिकित्सक 9 कार्यरत हैं 2 कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं।

(3) चार चिकित्सकों की पत्नियाँ भी इस अस्पताल में महिला चिकित्सक हैं।

(4) ऐसे आठ चिकित्सक हैं।

झालावाड़ जिले के बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

263. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में कितने मार्गों का बस राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि जितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया उतने मार्गों पर रोडवेज की बसेज नहीं चल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि झालावाड़ डिपो की व्यवस्था अत्यन्त खराब है और डिपो मैनेजर एवं वर्कशाप इंचार्ज के आपसी झगड़ों के कारण बसेज नियमित एवं यथा समय नहीं चलती हैं ?

(4) क्या यह सही है कि जिस दिन कोई चैकिंग पार्टी या मोबाइल मजिस्ट्रेट इस क्षेत्र का दौरा करते हैं उस दिन कन्डेक्टर ड्यूटी पर नहीं आते और बसेज खड़ी रहती हैं जिससे यात्री परेशान होते रहते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि आये दिन उक्त अव्यवस्था के कारण गाडियां कटैल कर दी जाती हैं और यह नोट लगा दिया जाता है कि आज सवारियां नहीं थीं ?

(6) क्या यह सही है कि बसेज में उसकी केपेसिटी से ज्यादा सवारियां भरी जाती हैं बल्कि छतों पर बैठ कर यात्रा करनी पड़ती है ?

(7) क्या यह सही है कि मनोहरथाना से बीनागंज या मध्य प्रदेश की सीमा में चलने वाली बसेज की कोई चैकिंग नहीं होता और कन्डेक्टर सवारियों से पैसा ले लेते हैं और टिकिट नहीं देते ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा झालावाड़ जिले में 22 मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है।

(2) जी हां। केवल 17 मार्गों पर निगम द्वारा वाहन चलाये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं। झालावाड़ आगार के मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है। अतः जो वाहन मार्ग से वापिस आकर पुनः

(यातायात मंत्री)
झालावाड़ से प्रस्थान करते हैं उनकी मरम्मत में लगने वाले समय के कारण ऐसे वाहनों के विलम्ब से प्रस्थान करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। ऐसा नोट उन्हीं परिस्थितियों में लगाया जाता है जब दो वाहन एक ही मार्ग पर प्रस्थान करते हैं और यात्री भार कम हो तो उस मार्ग पर एक ही वाहन भेजा जाता है।

(6) जी नहीं। कभी-कभी विशेष परिस्थितियों में भीड़ होने पर सवारियां जबरदस्ती छत पर बैठ जाती हैं।

(7) जी नहीं। मनोहरथाना से बीनागंज मार्ग या मध्य प्रदेश की सीमा में चलने वाली वाहनों का निरीक्षण किया जाता है। गत 5 माह में बीनागंज से मनोहरथाना मार्ग पर 14 भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये जिनमें 125 यात्री बिना टिकिट पाये गये एवं पांच परिचालक दण्डस्वरूप सेवा से पृथक किये गये हैं।

जयपुर में मेहतर परिवारों को आवंटित भूमि

264. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा हसनपुरा (अ) के मेहतर परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवन्टित किये गये हैं? यदि हां, तो कब और कितने भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं? सूची सदन के पटल पर निम्न विवरण के साथ रखने की कृपा करें :—

पट्टे दिये गये, कितने परिवारों को और कब ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर नगर विकास न्यास द्वारा जिन मेहतर परिवारों को 1972 में आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये उनका निर्माण न्यास द्वारा ठेके पर किया गया है। यदि हां, तो क्या उनका पूर्ण निर्माण हो चुका है? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण न्यास द्वारा अनुमोदित तखमीना जो 1972 में अनुमोदित हुआ है उसके अनुसार ही किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। हसनपुरा 'अ' हरिजन बस्ती में 266.66 वर्ग गज के 24 भू-खण्डों का आवंटन सन् 1958 में तथा 133.33 वर्गगज के 117 भू-खण्डों का इकजाई आवंटन पत्र सन् 1972 में समिति को दिया था तथा इनके व्यक्तिगत आवंटन-पत्र सन् 1974 में जारी किये गये थे। सूची 'अ' तथा 'ब' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। सन् 1972 में आवंटित आवासीय भू-खण्डों का निर्माण अधूरा है क्योंकि हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति ने ऋण की तीसरी किश्त रु. 1,40,400।- एवं प्रति सदस्य के हिसाब से हिस्सा राशि रु. 750।- जमा नहीं करवाये हैं।

(3) जी हां। विवरण 'स' के रूप में

(नगर आयोजना मंत्री)
सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मकराना में मजदूरों के लिए अस्पताल की व्यवस्था

265. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना में कितने मजदूर खानों, कारखानों एवं अन्य कार्यों में कार्यरत हैं ? इन मजदूरों को लेबर वेलफेयर की क्या सुविधा प्रदान की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछली सरकार ने मजदूरों के हित में एक अस्तपताल खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो विभाग ने उसे खुलवाने में क्या प्रयास किया और किन कारणों से मजदूरों का अस्पताल नहीं खोला जा सका ?

उत्तर

(1) मकराना के खानों में 3500 श्रमिक व अन्य कारखानों में 1687 श्रमिक कार्यरत हैं। फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत आने वाले कारखानों के श्रमिकों को नियमानुसार वेलफेयर सुविधा मिलती हैं। खानों का कार्य केन्द्र के अधीन है।

(2) मजदूरों का अस्पताल मकराना में खोलने की अभी तक कोई स्कीम नहीं है।

राज्य में परिवार कल्याण कार्य

266. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में परिवार कल्याण योजना के तहत जिलेवार कितने नसबन्दी करने के आंकड़े रखे गए हैं ?

(2) 1 जून, 1977 से 1 मार्च, 1978 के दरमियान राज्य में कुल कितने नसबन्दी के ऑपरेशन किये गए हैं ?

(3) छोटा, सीमित एवं सुखी परिवार के लिए राज्य सरकार ने क्या योजनाएं इस वर्ष बनाई हैं तथा कहां-कहां कार्यान्वित की है ?

(4) राज्य सरकार ने वर्ष 1977-78 के लिए परिवार कल्याण विभाग के लिए कितना बजट प्रावधान रखा था ? उसमें से कितना खर्च हुआ है ?

(5) इस परिवार कल्याण विभाग में कुल कितनी गाड़ियां हैं ? व इस कार्य के लिए कितना स्टाफ लगा हुआ है ? इस पर इस वर्ष में कितना खर्चा हो चुका है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1977-78 के लिए भारत सरकार ने नसबन्दी के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। अतः राज्य में नसबन्दी करने के आंकड़े जिलेवार निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) राज्य में 1 जून, 1977 से 31 दिसम्बर, 77 तक 953 पुरुष नसबंदी एवं 6,214 महिला नसबंदी ऑपरेशन किये गये हैं। आगे के महीनों के आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं।

(3) राज्य सरकार ने छोटा, सीमित एवं सुखी परिवार के लिये इस वर्ष विभिन्न योजनाएं बनाई हैं तथा क्रियान्वित की हैं।

(चिकित्सा मंत्री)

जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

राजस्थान में वर्ष 1977-78 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पखवाड़ा—

(1) दिनांक 1-10-77 से 15-10-77 तक राज्य के समस्त जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें गर्भवती माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया।

(2) जयपुर शहर में माह दिसम्बर, 1977 में इम्युनाईजेशन का विशेष अभियान आयोजित किया गया।

(3) भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय परिवार कल्याण पखवाड़ा दिनांक 15-12-77 से 31-12-77 तक मनाया गया। इस पखवाड़े का मुख्य विषय था "अगला बच्चा अभी नहीं, तीन के बाद कभी नहीं"

ड्राइव

जटिलता निवारण अभियान राज्य सरकार के निर्देशानुसार नवम्बर, 77 से दिसम्बर, 77 तक राज्य के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नसबंदी की जटिलता निवारण हेतु शिविर आयोजित किये गये जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विधायकों की सहमति भी थी। इन शिविरों में शल्य विशेषज्ञ एवं महिला रोग विशेषज्ञ आदि ने स्त्रियों का रोग निदान किया। इस दौरान सभी औषधियां निःशुल्क वितरित की गई।

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत स्वेच्छिक नसबंदी की सुविधाएं 17 सब-डिवीजनल हॉस्पिटल्स एवं 35 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई है (सूची संलग्न है)।

ऑरल पिल्स कार्यक्रम का विस्तार किया गया एवं इसका वितरण समस्त प्रा. स्वा. केन्द्रों, मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों एवं नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों तक विस्तृत किया गया है।

राज्य के ग्रामीण अंचलों में मातृ एवं शिशु कल्याण की सेवाओं की व्यापक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम बनाया गया तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 728 दाइयां प्रशिक्षित की जा चुकी हैं।

प्रसवोत्तर काल सेवा योजना के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु को विशेष सेवा उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष चार पोस्ट मॉर्टम केन्द्र, सवाई माधोपुर, नागौर, झुन्झुनूं एवं जैसलमेर मुख्यालयों पर और स्थापित किये जा चुके हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 77-78 के लिये निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

बजट प्रावधान (रु.)	व्यय दिसम्बर, 77 तक (रु.)
547.57 लाख	225.50 लाख

(5) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कुल 317 गाड़ियां की आपूर्ति गई थीं इनमें से 33 गाड़ियां भारत सरकार को लौटा दी गई हैं। इस कार्य के लिये जो स्टाफ लगा हुआ है उसकी सूची संलग्न है। इस वर्ष ट्रान्सपोर्ट के मद में कुल व्यय 6.34 लाख हुआ है।

LIST OF THE OFFICERS WORKING IN STATE HEALTH TRANSPORT ORGANISATION, RAJASTHAN, JAIPUR AS ON 6-3-1978

S.No.	Designation	Name of the Officer
1.	State Health Transport Officer	Shri R. L. Sharma
2.	Assistant Accounts Officer	Shri Kamal Chand Agarwal
3.	Senior Foremen	Shri Surendra Kumar Sharma
		Shri Ram Nath Khanna (working in D.M.H.S.)
		TOTAL : *Four.*

LIST OF STAFF WORKING IN STATE HEALTH TRANSPORT ORGANISATION AS ON 6-3-1978

S.No.	Designation	Staff Position
1.	Office Superintendent Gr. II.	1
2.	Accountant	1 (Vacant)
3.	Stenographer Gr. II	1
4.	U.D.C.-cum- Stenotypist.	1
5.	Junior Accountant	2
6.	U.D.C.-cum-Storekeeper	2
7.	U.D.C	2
8.	L.D.C.-cum-Asstt. Storekeeper	2
9.	L.D.C.	4
10.	Driver	1
11.	Chowkidar	3
12.	Foreman Gr. I	2
13.	Mechanic Gr. I	4
14.	Mechanic Gr. II	5
15.	Electrician	3
16.	Carpenter	1
17.	Welder	1
18.	Painter	1
19.	Upholster	1
20.	Helper	16
21.	Sweeper	1
	TOTAL ..	55

विद्युत् के मिनिमम चार्ज निर्धारित करने का आधार

267. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत् उपभोक्ताओं के लिए घरेलू और कृषि उपयोग के लिये कितना-कितना 'मिनिमम चार्ज' निर्धारित है ?

(2) 'मिनिमम चार्ज' के निर्धारित करने का आधार क्या है ?

(3) क्या विद्युत् बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को मिनिमम चार्ज के अनुरूप विद्युत् उपलब्ध कराने की गारंटी देता है ?

उत्तर

(1) घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं पर मिनिमम चार्जेज बताते हुये सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विद्युत् मण्डल द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करने हेतु पूंजीगत खर्च करना पड़ता है एवं उस पर अवक्षयण होता है तथा उपयुक्त मात्रा में उस उपभोक्ता को बिजली देने के लिये सिस्टम में क्षमता रखनी पड़ती है। अतः इन पूंजीगत खर्च पर ब्याज, अवक्षयण तथा विद्युत् सप्लाई के रख-रखाव पर होने वाले खर्च के बदले कोई न्यूनतम रिटर्न अवश्य प्राप्त हो इसके लिये न्यूनतम चार्जेज लगाने का प्रावधान विद्युत् मण्डल की टेरिफ में है।

(3) साधारणतया विद्युत् मण्डल अपने उपभोक्ताओं को बिजली उनकी मांग के अनुसार देता है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री माधोपुर के वरिष्ठ अध्यापक का मामला

268. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1974 में शिक्षा विभाग की डी. पी. सी. की बैठक में कितने वरिष्ठ-अध्यापकों को बर्खास्त किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि श्री दिनेश कुमार भारती, वरिष्ठ अध्यापक (जीव-विज्ञान), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को मई, 1974 में बर्खास्त किया गया ? यदि हां, तो उस सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

(3) बर्खास्तगी के समय श्री दिनेश कुमार भारती, वरिष्ठ अध्यापक की क्या उम्र थी ? क्या उनकी अन्यत्र सरकारी सेवा में नियुक्त किये जाने की उम्र थी ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है ? यदि हां, तो श्री दिनेश कुमार भारती के साथ किया गया व्यवहार राज्य सरकार की घोषित नीति के क्या विरुद्ध नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि श्री दिनेश कुमार भारती वरिष्ठ अध्यापक की बर्खास्तगी राजनैतिक कारणों से हुई थी, क्योंकि उक्त वरिष्ठ अध्यापक (जीव विज्ञान), चौमू क्षेत्र के पत्रकार श्री गोपाल भारद्वाज के भानजे होते हैं। तत्कालीन सरकार उक्त पत्रकार से सख्त नाराज थी, इसी लिए उसकी

Page No 281

(281)

(श्री रामेश्वर दयाल)
बर्खास्तगी हुई थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त वरिष्ठ अध्यापक (जीव विज्ञान) को न्याय देने के लिए बहाल करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सन् 1974 में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापकों की डी. पी. सी. नहीं हुई थी, बल्कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें अयोग्य पाये जाने के कारण पांच व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया था।

(2) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) श्री भारती की आयु उस समय 32 वर्ष थी जो कतिपय सरकारी सेवाओं में नियुक्त किये जाने योग्य थी।

(4) शिक्षित बेरोजगारों को राज्य सरकार रोजगार दिये जाने के लिए प्रयत्नशील है, इसी क्रम में श्री भारती के मामले पर भी विचार किया जा सकता है।

(5) जी नहीं। पत्रावली में ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध नहीं हैं।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DIRECTORATE OF EDUCATION.

ORDER

On screening under rule 6(b)(III) of the Rajasthan Educational Subordinate Service Rules, 1971, the following Senior Teachers have been found unsuitable for the post of Senior Teacher by the Screening Committee. Therefore the services of these senior Teachers are hereby terminated with immediate effect:—

S. No.	Name of the Senior teacher with present place of Posting	Date of birth
1.	Shri Brahm Singh, S.T. (Physics), G.H.S.S., Harsoli (Alwar).	1-7-44
2.	Shri Dinesh Kumar Bharti, S.T. (Biology), G.H.S.S., Srimadhopur (Sikar).	15-5-42
3.	Shri Deo Vrat Sen, S.T. (Biology), G.H.S.S., Gangdhar (Jhalawar).	25-5-49
4.	Shri Ramesh Chandra Bansal, S.T. (Biology,) G.H.S.S. Kajara (J. J. B.)	14-4-45
5.	Shri Kasi Mal Kara, S.T. (Mathematics), Govt. H.S.S., Jaisalmer.	5-3-44

Sd/-
(R.S. Kumat)
Director.
Primary & Secondary Education,
Rajasthan, Bikaner.

No. FDT/ESTT/C/O.A./D.P.C./S.T./G-59/73-74. D/- 8-5-74.

Copy forwarded to:—

1 to 6 (concerned officers and persons)

Sd/-
DIRECTOR

उदयपुर शहर के बिजली कन्जूमर्स के मीटर की जमा राशि

269. **श्री गोविन्द सिंह शक्तावत** (कुम्भलगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर शहर में बिजली कन्जूमर्स के मीटर्स की डिपोजिट रकम भण्डारी कम्पनी के पास जमा थी ? यदि हां, तो यह कुल रकम कितनी है ?

(2) क्या बिजली मीटर्स की डिपोजिट राशि राजस्थान राज्य विद्युत् बोर्ड ने जब भण्डारी कम्पनी से चार्ज लिया तब हस्तान्तरित की ?

उत्तर

(1) जी नहीं । उदयपुर शहर में बिजली कन्जूमर्स के मीटर्स की डिपोजिट रकम रुपये 18,15,918.00 महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर के पास 21 अप्रेल, 1975 ई. तक जमा थी ।

(2) जी नहीं । बोर्ड ने भण्डारी कम्पनी से कोई चार्ज नहीं लिया । महाराणा भूपाल इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को राजस्थान सरकार ने अध्यादेश संख्या 7।1975, दिनांक 21 अप्रेल, 1975 ई. के तहत हस्तगत किया जिसके अनुसार कम्पनी को उसकी सम्पत्ति की कीमत देनी थी जिनमें से कुछ कटौतियां भी करनी थीं । इन कटौतियों में से कन्जूमर्स सिक्यूरिटी, जो कि कम्पनी के पास थीं, वह भी काटनी थीं । कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय में केस दायर कर दिये जाने के कारण, अभी तक कम्पनी को सम्पत्ति का भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए सिक्यूरिटी ट्रांसफर करना भी संभव नहीं हुआ है ।

काश्तकारों से अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

270. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूर-सागर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सुथला, जोधपुर के काश्तकारों की कृषि भूमि हाउसिंग बोर्ड स्कीम के लिये अवाप्त की गयी थी ? अगर हां, तो किन किन काश्तकारों से कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गयी और उन्हें कितना-कितना मुआवजा मंजूर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इन काश्तकारों को उनकी कृषि भूमि के बदले में अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ? अगर हां, तो मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा और आज तक उन लोगों को कृषि से महरूम रहने पर जो नुकसान हुआ उस नुकसान को राज्य सरकार उन काश्तकारों को अदा करेगी ? अगर हां, तो कितनी-कितनी तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस थाना, केरला में दर्ज मामले की जांच

271. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पुलिस थाना, केरला, जिला पाली की देखरेख में श्री नृसिंह कुम्हार, गांव मोरिया, तहसील पाली का कोई झूठा मुकदमा अफीम रखने का, वहां के भूतपूर्व जागीरदार के कहने पर आवकारी विभाग के कर्मचारियों ने बनाया ? यदि हां, तो इस विषयक गृह मंत्री को रिपोर्ट करने पर क्या उसकी जांच हुई और उसका क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गयी।

उत्तर

पुलिस थाना केरला, जिला पाली में दिनांक 17-12-77 को श्री श्याम सुन्दर, आवकारी निरीक्षक ने एक अभियोग नं. 82, धारा 9, ओपियम एक्ट के अन्तर्गत श्री नृसिंह कुम्हार के विरुद्ध दर्ज करवाया था। तफतीश के बाद मुकदमे में दिनांक 11-1-78 को अदम-वकुआ में फाइनल रिपोर्ट की गई।

जालौर तहसील की नदियों का पानी और गांवों की रक्षा के उपाय

272. श्री टीकम चंद कान्त (जालौर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर तहसील के ग्राम सियाना की नदी के तट पर बसे हरिजन वासियों की रक्षा हेतु कोई तटबंदी की योजना या अन्य उपाय इस वर्ष राज्य सरकार कर रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इसी भांति जालौर के पास के गांव सोमतीपुरा, महेशपुरा व सरदारगढ़ के चारों ओर वर्षा में नदी का पानी घिर आता है और इस वर्ष वहां की मवेशी तथा जनता आदि पानी में वह सकते हैं और ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो सरकार इस हेतु क्या कदम उठा रही है ?

(3) जालौर के पास से बहते हुये खेजड़िया नाले के कारण उसके किनारे पर आये हुये अनेक बेरों की उपजाऊ भूमि आदि कट कर वह गई और हर वर्ष अनेकों किसानों को हानि उठानी पड़ती है। राज्य सरकार इस विनाश को किस तरह रोक रही है ?

(4) नरपड़ा गांव की वहुत सी उपजाऊ भूमि नदी के वहाव से कट कर वह गई है, अब शेष रही भूमि को बचाने का कौन सा उपाय विभाग सोच रहा है ?

उत्तर

(1) खारी नदी के तट पर बसे सियाना गांव, तहसील जालौर की सुरक्षा के लिए 2.50 लाख रुपये की योजना वर्ष 1976 में तैयार की गई थी, परन्तु स्वीकृति व धनाभाव के कारण इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

(2) जालौर के पास के गांव सामन्तीपुरा, महेशपुरा व सरदारगढ़ के बचाव के लिए 0.75 लाख, 3.00 लाख व 1.20 लाख रुपये क्रम की योजनाएं बनाई गई हैं। धनाभाव के कारण इन योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

(3) खेजड़िया नाले नाम का कोई नाला इस विभाग के रिकार्ड में नहीं है, लेकिन करनपुरा बांध में आने वाले नाले को इस नाम से भी पुकारा जाता है। इस नाले के बहने की गति अधिक तेज नहीं है और यहां तक कि

(सिंचाई मंत्री)

इसका पानी बांध तक भी कभी-कभी पहुंचता है। इससे भूमि कटाव की जानकारी सिंचाई विभाग को नहीं है। भूमि कटाव के कार्य भू-सर्वेक्षण विभाग के अधीन आता है अतः सिंचाई विभाग द्वारा कोई योजना इस विषय में तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) ग्राम नरपड़ा को खारी नदी की बाढ़ से बचाव की एक योजना 6.00 लाख रुपये की बनाई गई है। धनाभाव के कारण इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

देवली, हुल्ला व करमावास के बांधों का पानी

273. **श्री सुखलाल सेंणचा (रायपुर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार पंचायत समिति, सोजत के छोटे बांध देवली, हुल्ला व करमावास के बांधों पर नहरें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) देवली, हुल्ला व करमावस के बांधों की पानी की क्षमता कितनी है?

उत्तर

(1) यह बांध सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है। इन दोनों बांधों पर नहरें पहले ही बनी हुई है।

(2) यह बांध सिंचाई विभाग के अधीन नहीं हैं। प्राप्त जानकरी के अनुसार देवली, हुल्ला बांध की क्षमता 50 लाख घन फुट व करमावास बांध की क्षमता 90 लाख घन फुट है।

हाथीपुरा बांध का कार्य

274. **श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल)**: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हाथीपुरा, पंचायत समिति मांडल के पास एक बांध बनाने का कार्य अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ है?

(2) क्या यह सही है कि उसका बहुत बड़ा भाग पूरा हो गया है या केवल बीच का भाग उठाने मात्र की जरूरत है?

(3) क्या यह भी सही है कि इसके पूर्ण होने पर आसपास की काफी भूमि सिंचित होगी जो आज पूर्ण सूखी है? अगर हां, तो राज्य सरकार उक्त बांध कब तक पूर्ण होने का अनुमान करती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। बांध के पूरा हो जाने पर लगभग 80 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। अकाल राहत कार्यक्रम के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराया जावेगा।

सुजानगढ़ के मकानों को पानी से खतरा

275. **श्री जगदीश चन्द्र शर्मा (रतनगढ़)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ के आबादी क्षेत्र के मकानों के तलघरों में जल-

(श्री जगदीश चन्द्र शर्मा)

स्तर की ऊंचाई के कारण आज भी पानी भरा हुआ है ? यदि हां, तो इस समय यहां का भूमिगत जल स्तर कितना फुट गहरा है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अतिवृष्टि के कारण भूमिगत जल स्तर के बढ़ जाने से सुजानगढ़ के मकानों को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो इस सुन्दर नगर को बचाने के लिये राज्य सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्तमान में भूमिगत स्तर 2 से 3 फुट तक गहरा है ।

(2) जी हां, इस मामले में जांच कराली गई है व तकनीकी राय के अनुसार मकानों को कोई गम्भीर खतरा नहीं है । पानी के समुचित निकास हेतु राज्य के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा 17.5 लाख रुपये की योजना बनाई जा चुकी है ।

286

परिशिष्ट 7

(तारांकित प्रश्न संख्या 245 की सूची)

कामा पहाड़ी ड्रेन पर किये गये व्यय की तालिका 'अ'

वर्ष	निर्माण	रख-रखाव	रिमोडलिंग
1963-64	1.75	..	..
1964-65	6.40	..	..
1965-66	12.69	..	..
1966-67	17.31	..	..
1967-68	8.23	..	..
1968-69	13.25	..	..
1969-70	10.81	..	..
1970-71	7.24	..	..
1971-72	2.58	..	..
1972-73	0.32	..	..
1973-74	..	0.39	3.27
1974-75	..	1.20	0.08
1975-76	..	1.55	..
1976-77	..	0.05	..
1977-78	..	..	..
	80.58	3.19	3.35

कामां क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर भिन्न-भिन्न वर्षों में व्यय किये गये द्रव्य की तालिका 'ब'

वर्ष	कुल व्यय राशि	जुलाई से सितम्बर माह तक व्यय	विशेष विवरण
1968-69	..	..	
1969-70	..	..	
1970-71	..	..	
1971-72	..	..	
1972-73	..	..	
1973-74	..	..	
1974-75	..	..	
1975-76	..	..	
1976-77	44.57 लाख	10.60 लाख	5.45 लाख 6 ट्रीपर ट्रक खरीदे गये।
			9.03 लाख पानी निकालने में व्यय किये गये।
			18.16 लाख 11 के. वी. लाइन लगवाने में व्यय हुआ।
			1.33 लाख पम्पिंग सेट खरीदने में व्यय हुआ।
1977-78 (जनवरी, 79 तक)	20.09 लाख	6.78 लाख	इससे सालपुर बांध को ऊंचा उठाने का पहाड़ो डिस्ट्रीब्यूटरी और क्षेत्र से पानी निकालने का व्यय भी सम्मिलित हैं।

Page No 288

2-88

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 248 का विवरण)

(ख) विभागीय पुनर्गठन:—विभागीय पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 1977 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की एक चौकी नागौर में स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की तथा उसके लिये 1 पुलिस उप-अधीक्षक, 1 पुलिस निरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षक, 7 कान्स्टेबल, 1 वरिष्ठ लिपिक 1 फर्राश के पदों की स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त 1 पद पुलिस उप-महानिरीक्षक का तथा उनके सहयोग के लिए 1 पुलिस उप-निरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षक, 4 कान्सटेबल (एक ड्राइवर कान्स्टेबल सहित) तथा 1 शीघ्रलिपिक (द्वितीय श्रेणी) के पद सृजित किये गये। आलोच्य वर्ष में 5 पद पुलिस निरीक्षकों के विभिन्न विभागीय चौकियों के लिये तथा 2 पद वरिष्ठ लिपिकों के विभाग के मुख्यालय के लिये राज्य सरकर द्वारा नये सृजित किये गये।

हाल ही में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अन्तर्गत पांच विशिष्ट अनुसंधान इकाईयों (एस. आई. यू.) का सृजन गृह (ग्रुप–2) विभाग के पत्र संख्या 15 (22) गृह–2,77/दिनांक 28 जनवरी, 1978 के द्वारा किया है। इस नवगठित इकाईयों में एक इकाई स्पेशल इन्टेलीजेन्स यूनिट है। इन पांच इकाईयों की पद संख्या निम्न प्रकार है:—

	एक इकाई (इन्टेलीजेन्स)	चार इकाईयां (इन्वेस्टीगेशन)
अपर पुलिस अधीक्षक	1	1
उप-पुलिस अधीक्षक	..	3
पुलिस निरीक्षक	2	4
पुलिस उप-निरीक्षक	6	..
सहायक उप-निरीक्षक	..	4
कांस्टेबल शिक्षित एवं आर्डरली	6	16
ड्राइवर	1	2
यू. डी. सी.-कम-स्टेनो	1	1
एल. डी. सी.	..	4
	17	35

उक्त इकाईयों तथा विभाग के अनुसंधान/जांच इत्यादि में सहायता हेतु एक लेखाधिकारी के पद का भी सृजन किया गया तथा उक्त इकाईयों को एक पुलिस अधीक्षक के अन्तर्गत रखा गया है जो कि पुलिस उप-महानिरीक्षक की निगरानी में कार्य करेंगे।

उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के बजट में वर्ष में 10.52 लाख रुपये का रेकरिंग तथा 7.42 लाख रुपये का नोन-रेकरिंग अतिरिक्त भार पड़ेगा।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 3 की सूची)

बाड़मेर नगर, बालोतरा नगर एवं बायतू ग्राम में 20,000/- रुपये से अधिक की चार वर्षों में हुई चोरी की सूची

क्रम सं.	नाम नगर/ ग्राम	वर्ष	नाम मुस्तगीस मय पता	तादाद सम्पत्ति, जो चोरी गई	तादाद सम्पत्ति; जो बरामद हुई	अभियोग नं. मय दिनांक	विस्तारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बाड़मेर नगर,	बालोतरा नगर व बायतू ग्राम में वर्ष 1974 में कोई भी नकबजनी या चोरी का अपराध 20,000/- रुपये से अधिक का दर्ज नहीं हुआ।					
2.	बाड़मेर नगर	1975	श्री भंवरलाल पुत्र केसरीमल महाजन, नि. बाड़मेर।	30,000/-	..	169/18-5-75	एफ.आर. प्रथम पता दी गई।
3.	बाड़मेर नगर	"	श्री कीरतमल, पुत्र जवाहरमल सेवक, नि. बाड़मेर।	35,800/-	..	210/4-7-75	"
4.	बालोतरा नगर	"	श्री कानराज पुत्र मीठालाल महाजन, नि. पचपदरा (बालोतरा)	40,195/-	40,195/-	121/14-8-75	चालान पेश अदालत किया गया।
5.	बायतू ग्राम	1976	श्री भूरचन्द पुत्र उदयमल महाजन, नि. बायतू	50,000/-	..	30/7-2-76	राज्य सरकार के आदेशानुसार सी.आई.डी. (सीबी), बीकानेर उक्त मुकदमें की तफतीश कर रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	बाड़मेर नगर	1876	श्री मालचन्द पुत्र पूनमचन्द ओसवाल, नि. बालोतरा।	33,130/-	33,130/-	144/8-7-76	चालान पेश अदालत किया गया।
7.	बालोतरा नगर	,,	श्री मदनलाल पुत्र बस्तीमल ओसवाल, नि. बालोतरा।	35,000/-	35,000/-	78/27-6-76	,,
8.	बाड़मेर नगर	1977	श्री पूनमचन्द पुत्र शंकरलाल, नि. बाड़मेर।	25,000/-	..	58/30-6-77	अनुसंधान सी. आई. डी. (सीबी), राज., जयपुर द्वारा किया जा रहा है।
9.	बालोतरा नगर	,,	श्री पुखराज पुत्र पूरणचन्द	45,000/-	45,000/-	23/7-2-76	चालान पेश अदालत किया गया जो जेर तजवीज अदालत है।
10.	बाड़मेर नगर	,,	श्री रिडमल सिंह पुत्र उत्तम सिंह, नि. बाड़मेर।	30,000/-	30,000/-	206/30-8-77	,,

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 6 की सूची)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर

स्ट्रिप ग्रौर मेटरनेली की सूची वर्षवार :—

1972-73	49
1973-74	32
1974-75	26
1975-76	49
1976-77	28
1977-78	78
	262

सचिव,
नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

URBAN IMPROVEMENT TRUST, JODHPUR.

Fixation of Reserve Price for Strip of Land in Jodhpur Approved by the Government vide Order No. F. 3 (305) TP/74, dated 15-12-1974

'A' The Commercial Roads (Bazar Roads)

S. No.	Sites and Situation	Provided Rate per sft.		Old Rate per sft.	
		On outright	On lease	Out right	On lease
1	2	3	4	5	6
1.	Road from Southgate of Public Park on Kachheri Road up to Sanischarji-Ka-Than via Sojatigate, M. G. Hospital.	50/-	25/-	30/-	15/-
2.	Station Road from Sojatigate to General Post Office.	60/-	30/-	30/-	15/-
3.	Raj Ranchhodji-Ka-Temple to Railway Station.	50/-	25/-	30/-	15/-
4.	M. G. Hospital to Jalorigate.	50/-	25/-	30/-	15/-
5.	Road from Sanischarji -ka- Than to Massuria.	50/-	25/-	15/-	7.50
6.	Sanischarji-ka-Temple to Siwanchigate up to Mahesh School.	45/-	22.50	15/-	7.50
7.	Siwanchigate to Residency Road (Rawan Road and Pal Road.)	45/-	22.50	15/-	7.50
8.	Road from Jalorigate to W. I. S. M. up to Foot Bridge.	25/-	12.50	15/-	7.50
9.	Road from Station Road to W. I. S. M. and up to Foot Bridge	25/-	12.50	15/-	7.50
10.	'B' Road. Sardarpura from Jalorigate to Sardarpura, Road 3.	40/-	20/-	15/-	7.50
11.	Road from Railway Over-Bridge (Near Coffee House) to Ratanada up to Ratanada Market constructed by the U. I. T.	30/-	15/-	15/-	7.50
12.	Road from Southerngate of Public Park to Mandore Road up to Mahamandir Railway Station.	25/-	12.50	15/-	7.50
13.	Road from Mertiagate Junction of Mandore Road.	25/-	12.50	15/-	7.50
14.	Road from Mertiagate up to Junction of Mandore Road.	25/-	12.50	15/-	7.50

The following new Roads also consider as Commercial Roads and are to be included in the above list:—

1.	Pal Road from Rawan-Ka-Chabootra to Kalji-Ki-Piao.	35/-	17.50	—	—
2.	Sardarpura. 'C' Road.	35/-	17.50	—	—
3.	Road from 3rd Road, Sardarpura to Residency Crossing ('B' Road).	20/-	10/-	—	—
4.	Road from Tale-cum-Building to Residency (6 D) Road Sardarpura).	20/-	10/-	—	—
5.	Residency Road from Pal Road Crossing to Medical College Crossing.	25/-	12.50	—	—
6.	Ratanada Main Market to Subhash Chowk, Ratanada.	30/-	15/-	—	—
7.	Road Paota Crossing to Bilara Road.	30/-	15/-	—	—
8.	Nagorigate Commercial Area.	15/-	7.50	—	—
9.	Mandore Commercial Area.	15/-	7.50	—	—
10.	Bombay Motor Chowraha to Balotra Road Crossing.	45/-	22.50	—	—

It was decided not to include area of Commercial Roads and Wards situated within city walls other than Commercial Roads proposed as follows:—

S. No.	Sites and Situation	Rate per sft. situated on Road other than Market Rd.	Land situated in lanes	Other than lanes
1	2	3	4	5
1.	Kagari-Ki-Nahar, Ram Mohalla, Kaga, Machhukhan-Ka-Takia, Achal Ashram, Mehtaji- Ka-Mandir.	5/-	2.50	2/-
2.	Udai Mandir, Khariya Kuwa, Sojatigate to North of High Court Road, Building of Atma Ram to Ratna Ram Building,. Public Park, Kachheri and Neniji-Ka-Temple.	10/-	5/-	3/-
3.	Bungalow of Pt. Sahib, Karbala. Kutton-Ka-Bara, Bungalow of Bhakari, South of Mahamandir, Mandore Road, North part of Udaimandir Asan, Kachheri Road, Paota, Rai-Ka-Bagh Stn., Jalam Villas, part of Mahamandir Rly. Stn., Maghraj ji-Ka-Tanka.	10/-	5/-	3/-
4.	North of Chandpole, Matera Bhagi Pole, North Bari of Rampole, Rampole-Ki-Ghati, Hazari Chabootra, Nallah, Sathgaron-Ka-Bass, Bohron-Ka-Bass, Nallah of Padamsagar, Soorsagar Road, Opposite Bohron-Ka-Bass, Nallah of Bar, Ozha-Ka-Talab, Jogiyon-Ka-Bass, Bhagwan-Ka-bagh, Lal-Ki-Pole,Dhobiyon-Ki-Sal, Bayasa-Ki-Ghati, Raoti Road, Kharbooja Baori, Dhay-Ki-Baori, Sanischarji-Ki-Pole, North of Vidhyashala, Jhalara outside Rampole,Chandpole Road North part.	4/-	2/-	2/:
5.	M. G. Hospital, Rly. Qtrs., Godown, Post Office, Sahkari Bazar, Rly. Office Road, Ganchhiyon-Ki-Bagechi, North part of R.R. Tej Singh-Ka-Temple to Kalla ji-Ka-Bagh, Brahm Bagh, Khankhiyon-Ka-Akhada, Bheru Bagh, Sardar High School, Idgah and Quarter of Pustikar School, Bakhat Sagar Road No. 1, South of Road No. 'C'.	10/-	5/-	5/-

6.	Maliyon Ka-Bass, Surat Singh-Ki-Haveli, Shivram Singh-Ki-Building, Darbar School, Police Line, Bungalow of Maharaj Ajit Singh, Old Public Park, Rai-Ka-Bagh Palace, Band and Old Police Line, Rly. Station Quarter, Ugamji-Ka-Bungalow, Power House, Jail, New Running Shed Area, Maharaj Hanwant Singh Kishan Singh-Ka-Bungalow, Maheshwariyon and Thatheron-Ki-Bageohi.	10/-	5/-	5/-
7.	Running Shed Colony, Power House, Jail, New Running Shed Area, Bungalow of Maharaj Hanuwant Singh Kishan Singh to Bungalow of Bhanwarlal Sunar and Dhabai Amar Singh (South part of Road).	8/-	4/-	2/-
8.	Loco Running Shed to area of Pokaran House, Sahib-Ka-Bungalow, P.W.D. Office, all South part of Rly. Line, Bhagat Ki-Kothi, Station, all area of Residency and State R. R. Hanwant Singh, Sanghi Bungalow area etc., Sardar Infentory, Beldarpura, Kutton-Ki-Baori, Indian Guest House, Umed Palace and Ganeshji-Ka-Mandir, Ratanada Palace.	10/-	5/-	3/-
9.	Outside Jalorigate Road to Sojatigate-Ki-Bari, North Road of Jaswant Sarai, Digamber Jain Temple and his Qrts., Pratap School, Rly. Workshop, Running Shed, Staff Qrts., Bungalows of Rly. Officers, Area of Srivastawa Sanghi Dassji-Ki-Sarai, Puri Brothers, Govind Ram, Kishan Ram Sah., Jaswant Dharayji Villas, Summer Chand Sarai and Rly. Station, Institution Part, Indian Institute and Northern Rly. Qrts., Beriyon-Ka-Mohalla and Sikhdwara.	10/-	5/-	5/-
10.	Jalorigate, Road '2-B', Sardarpura, Jai Narain Tapariya Building, North Part of Sardarpura, Rd. No. 'B' & between Part 'C' & 'D', Sardarpura, Bhattyon-Ka-Bass, 'B' & 'C', Sardarpura.	10/-	5/-	5/-
11.	Sardarpura Road No. '3', Sardarpura Road '1' & '2', South Part of Road 'C', Bakhat Sagar, Rly. Bungalow between Road '1' & '3', Chopasani Road between 'B' & 'C'.	10/-	5/-	3/-
12.	Gordhan Talab, Sherali-Ka-Kabristan, Umed Hospital, Sanischarji-Ka-Than to Chopasani Road, South Part of Junction of Kaiylana to Sanischarji-Ka-Than, South Part of Chopasani Road, Dodidar Building, Vyasji-Ka-Nohara, Alfoo Building, Kachoriyon-Ka-Mohalla, Area of Chune-Ki-Bhatti.	10-/	5/-	3/-

	2	3	4	5
13.	East of Soorsagar, Natiya & Kasaiyon-Ka-Bass, Purani Residency and Ramdwara, West of Soorsagar area, Rajbagh, Bhavi Bhan Sukhramdassji-Ka-Tauta and Jagan Nath Fidusar-Ki-Ghati, Kailana and South of Chandpole Samsan.	4/-	2/-	1/-
14.	Chopasani Road, Sardarpura, Road No. '5', '6', '7', '8', Massuria Hill and Road No. 'C' (West Portion, East Part of Road '5', '4', '3', & '5', Western, Main Chopasani Rd. No. '3' East.	10/-	5/-	3/-
15.	Opposite Rly. Line to Mandore 1st Mile-Stone and turning to the East of Road leading up to Tennri to the West of Tribhuwan Nath Bungalow and therefrom North of Tribhuwan property to city wall of Mahamandir leading up to Mandore, Gate of Mahamandir and thereto the South-Eastern portion of Mahamandir city wall.	4/-	2/-	1/-
16.	Road from Siwanchigate to Chandpole.	3/-	3/-	1.50

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 13 की सूची)

बाड़मेर व जैसलमेर जिले के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची :—

(अ) बाड़मेर जिला :

1 बाड़मेर
2 खवास
3 माहूवार
4 बाथिया
5 तिम्बला
6 माडका
7 मोकलसर
8 सिवाना
9 बालोतरा
10 देवन्डी
11 महिलावास
12 मावडी
13 जानियाना
14 पारलू
15 सिलोरा
16 जसोल
17 बिथूजा
18 आसोतरा
19 कनाना
20 सराना
21 जेठान्तरी
22 समदड़ी
23 किटनोट
24 करमावास
25 रामसीन
26 नुंडराना
27 मोगला
28 रामनियां
29 मूंगरा
30 पचपदरा
31 होटलू
32 अरजानिया
33 बिजलिया
34 गोलिया
35 पिपलून
36 मेली
37 गूंगरोट
38 पादडी कलां
39 मेवानगर
40 कुसीप
41 देवरा
42 असाडा
43 टापरा
44 बुदीवारा
45 बानसीन (सिवाना)
46 उत्तरलाई (ढूढा)
47 जगसा.

(ब) जैसलमेर जिला :

1 जैसलमेर
2 डाबला
3 पोकरण

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की सूची)

सूची 'अ'

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत तहसील नादोती एवं टोडाभीम के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची:-

तहसील नादोती :

(1) विद्युत् मण्डल की सामान्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत:-

1. गुढ़ाचन्दजी

तहसील टोडाभीम :

(1) विद्युत् मण्डल की सामान्य ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत:-

1	टोडाभीम	11	असरो
2	मनकपुरा	12	मानोज
3	पाटोली	13	नन्दीपुर
4	मेहन्दीपुर	14	त्रिशूल
5	साकरवाड़ा	15	एदलपुर
6	मूडा	16	राजोर
7	पाडली जागीर	17	नांगल शेरपुर
8	सरसेनाचक	18	भण्डारी बेरूनी
9	भसीना	19	बालघाट
10	महन्द बाडा	20	पहाड़ी

(2) पंचायत समिति-टोडाभीम, महुवा और हिण्डौन क्षेत्र की ग्रा. वि. नि. योजना:-

21	करनपुर	37	खानपुर
22	मजेडा	38	नांगल सुल्तानपुर
23	दांतली	39	बढलेटा खुर्द
24	गहरोली	40	माचड़ी
25	जोधपुरा	41	भंडारी अन्दरूनी
26	अजीजपुर	42	धवान
27	मिरजापुर	43	कमलपुर
28	सेहराखार	44	राजोली
29	दोहनपुर	45	मोरड़ा
30	जंसनी	46	पाडली
31	खेड़ी	47	बढलेटाबुजर्ग
32	मंडेर	48	मूंडिया
33	डोरावली	49	लपावली
34	जोंल	50	कंजोली
35	बोल	51	मोपुर
36	करारी	52	निसूरा

सूची 'ब'

पंचायत समिति, नादौती क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में स्वीकृत ग्रामों की सूची:-

तहसील नादौती:	तहसील नादौती:	तहसील वामनवास:
1. नादौती	35. सोप	69. श्यामपुरा
2. भीलवाड़ा	36. बाड़ा पिचोनोता	70. टूण्डीयापट्टी खालसा
3. बाढ़केमरी	37. खेड़ा चैनपुरा	71. डूंगरवाड़ा
4. ढेहारिया	38. गुडली	72. गूजर कुलेटा
5. मोठरा	39. बामोरी	73. रानील
6. थडोंगा	40. इब्राहीमपुर	74. जरा
7. भंवरागूजर	41. बाढबजीदपुर	75 तोड़ा (ढोढा)
8. बालाखेड़ा	42. केमरी बुजर्ग	76. दांता सूती
9. मालूपाड़ा	43. बड़ा गांव	77. बढ़ोला
10. मांधीया खेड़ा	44. खेडला गूजर	78. टीकरिया
11. घाटोली	45. खेडली तेसगांव	79. अभयपुरा
12. माचड़ी	46. तेसगाव	80. राघोपुरा
13. खूर्द	47 रलावता	81. सराय
14. तिमावा	48. बिलाई	82. गंडाल
15. घोलेटा	49. कला उर्फ उडेदन	83. धाढ़झाड़ोली
16. बाड़ा	50. रोशी	84. झाडोली
17. तालचिड़ा	51. कुंजेला	85. कुंडली
18. चैनपुरा	52. मिलकसराय	86. किशनपुर
19. बरदाला	53. केमला	87. नाग तलाई
20. जीरना	54. सिकन्दरपुर	88. राघेकी
21. आलूदा	55. बाढसिकन्दरपुर	89. साफी पुरा
22. लोधा	56. बाढ़ नादौती	90. दागडा
23. जीतकीपुर	57. बाढ़ बरदाला	91. शेरपुर दामाव
24. दलपुरा	58. मोरुची खालसा	92. बाढ़ दांतासुती
25. सलावद	59. मोरुची जागीर	93. कादीपुर
26. बागोर	60. गढी खोलपुर	94. बाढ़ बढ़ोला
27. खोयली	61. बाढ़ बागोर	95. बानोर
28. पालड़ी	62. सांवता	96. बाड़ढ झारा
29. हुरनोदा	63. होदाहेली	97. बाढराघ पुरा
30. गढखोहा	64. बाढ़ बड़ा गांव	98. कीर्तिपुरा
31. रायसना	65. चककेमला	99. बन्दावल
32. केमा	66. हाफजाबाद	100. कोताई
33. लावद	67. नयावास	101 रामसिंहपुरा
34. शहर	68. बाढजीरना	

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची)

पंचायत समिति, खेतड़ी क्षेत्र में दिये गये कनेक्शनों का ग्रामवार विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	कृषि कनेक्शनों की संख्या 31-12-72 तक	कृषि कनेक्शन के लिये पेंडिंग पत्रों की संख्या (28-2-78 तक)
1	2	3	4
	(अ) चिडावा (ओ. एण्ड एम.) उप-खण्ड		
1.	बबाई	21	..
2.	गोथरा	12	..
3.	खेतड़ी	7	..
4.	मानोता खुर्द	4	1
5.	पपुरना	..	..
6.	मण्डाना	..	..
7.	प्रतापपुरा	..	..
8.	जसारपुरा	..	20
	(ब) झुंझुनू (ओ. एण्ड एम.) उप-खण्ड		
1.	लोयल	14	..
2.	नंगली सलादीपुरा	..	2
3.	मानोता (जाटान)	..	..
4.	चारावास	4	..
	(स) नवलगढ़ (ओ.एण्ड.एम.) उप-खण्ड		
1.	चिचरोली	4	3
2.	दलेलपुरा	4	11
3.	कांकरिया	39	11
4.	माधोगढ़	4	18
5.	पड़ेवा	9	2
6.	सपेरा गंवार	..	5
	(द) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम उप-खण्ड (चिडावा)		
1.	गोरिर	..	9
2.	सिमला	..	84
3.	बसई	..	4

1	2	3	4
4.	टीबा	..	..
5.	मेहाडा	..	6
6.	नयानगर	..	..
7.	नंगलिया	..	..
8.	नालपुर	..	2
9.	बेसरड़ा	..	4
10.	ढाणो इलाखार	..	3
11.	डोसी	..	12
12	ददवा	..	6
13.	ढाढा फतेपुरा	..	5
14.	जमालपुरा	..	2
15.	दलोता	..	1
16.	गणेशपुरा	..	2
17.	मुकुन्दपुरा	..	..
18.	ठांठबाडी	..	3
19.	सिहोड	..	28
20.	किशनपुरा	..	10
	योग	130	254

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 18 की सूची)

पंचायत समिति, सायला क्षेत्र की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची :—

1. तुरा
2. आसाना
3. बोरवाड़ा
4. पोसाना
5. उनडी
6. विशाला
7. मोडकवाणा
8. देताखुर्द
9. देताकलाँ
10. पुनराऊ
11. कोमता
12. चौराऊ
13. पुनावास
14. सुराणा
15. हरमू
16. मासवाडा
17. तिकोडा
18. दाधाळ
19. वालेरा
20. मोकनीखेडा
21. बावतरा
22. मेंगलवा
23. मं डवा
24. आलियाणा
25. जाखाणा
26. आकवा
27. दूधवा
28. सागाना
29. आलवाड़ा
30. खोतलावा
31. दहीका
32. सिराणा
33. [illegible]ारी
34. विराणा
35. लोदराऊ
36. धनाणी
37. धलवाडा
38. पायेडी
39. बाकरा
40. बेरठ
41. कसरासन
42. तडवा
43. पिजोपुरा
44. नरसाना
45. छिपी
46. निम्बलाना
47. मूंडी
48. रेटून्जा
49. कोलर
50. खानपुर
51. थलूण्डा
52. कलापुरा
53. खेडा गंगवाना

(49–53) नोनपोटेन्शियल

पंचायत समिति, रानीवाड़ा क्षेत्र की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची:—

1. रानीवाडा खुर्द
2. तेजावास
3. दौलतपुरा
4. मालवाडा
5. केर
6. बाडा
7. डूंगरी
8 आखराड
9. डाडोकी
10. कागमाला
11. चिरपटिया
12. दूधवट
13. गोलवाडा
14. मेडा
15. डोडवाडिया
16. सेवाडिया
17. आदरवाडा
18. सिंगलवास
19. मेडकखुर्द
20. जोडवा
21. आजोदर
22. मोखामपुरा
23. मेडककली
24. वडगांव
25. माटवास
26. रामपुरा
27. रोडा
28. सूरजवाडा
29. धूलियाचारनान
30. धामसीन
31. धानोल
32. मंवीरिया
33. जेतपुरा
34. रूपावाटी
35. बामनवाडा
36. जालेराकलां
37. जालेराखुर्द
38. दईपुर
39. मैत्रीवाडा
40. जाखडी
41. रतनपुरा
42. मारुबाडा
43. गांग
44. पाल
45. कुडा
46. हरसवाडा
47. मंडारडी
48. सातरू
49. करवाडा
50. सेताडा
51. मोखातरा

204

पंचायत समिति, जसवन्तपुरा क्षेत्र की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची:—

1. जोडवाड़ा
2. सोमता
3. सिणधरा
4. ग्राम्बातरी
5. गाजीपुरा
6. उचमल
7. राजीकाबास
8. राजपुरा
9. पंसेरी
10. चेकला
11. जसवन्तपुरा
12. धानसा
13. गोला
14. सीकवाडा
15. मोदरा
16. चान्दना
17. तातोल
18. बासडागोगा
19. कलापुरा
20. कोलर
21. बूगांव
22. बोठणा
23. ग्राजबर
24. चान्दर
25. गोलाना
26. पेदानी
27. पावटी
28. बीकणावास
29. गजापुरा
30. बाड़ाभवजी
31. पादर
32. मालपुरा
33. लूर
34. बासडाधनजी
35. सेरणा
36. पहाड़पुरा
37. डोरडा
38. मादरडा
39. रतपुरा
40. भूतवास
41. कारलू
42. शिवगढ़
43. मनोहरजीकाबास
44. थानमाताजी
45. पूरणा
46. डेरडी
47. धानपुरा
48. कोटड़ा
49. दौतलावास
50. जाविया

पहले से विद्युतिकृत गांव:

51. देलवाड़ा
52. भारुंडी
53. मन्थलांकाबा
54. तवाब
55. थूर
56. मन्थालींसिली
57. रामसीण
58. पुनंगखुर्द
59. पुनंगकलां
60. खानपुर
61. खण्डा देवाल
62. सवीदर
63. मणाधर
64. पावली
65. कोडिटा
66. मान्डोली
67. झाफ

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची)

प्रतिलिपि

कार्यालय नगरपालिका, लाडनूं (नागौर)

क्रमांक 778 से 790 दिनांक 30-9-75

आदेश

विषय:—राज्यादेशानुसार अनिवार्य सेवा निवृत्ति।

राज्या देशानुसार आपने लाडनूं नगरपालिका के सेवाकाल में 50 वर्ष की आयु पार करली है और सेवा समय में आपका कार्य सन्तोषप्रद नहीं रहा है। आपको अनेकों शिकायतों पर वार्निग जुर्माना आदि सजा यें दी जा चुकी हैं, जो रेकार्ड पर हैं तथा आपके खिलाफ पालिका कोष की रकम के गबन की गम्भीर रूप से पुलिस के पास व विभागीय जांच विचाराधीन चल रही हैं, तथा जिलाधीश महोदय, नागौर के अनुसार नियुक्त जांच अधिकारी ने आपको प्रारम्भिक जांच में दोषी माना है तथा आपके खिलाफ गम्भीर आरोपों के कारण निर्वाचित बोर्ड व जिलाधीश महोदय ने निदेश दिये हैं। जिससे आप दौरान जांच निलम्बित भी हैं। जो जांच होकर अन्तिम निर्णय होने पर आपको अवगत किया जाकर कानूनी सलूक किया जावेगा। परन्तु क्यों कि आपका सेवा का रेकार्ड ठीक नहीं रहा है और गम्भीर गबन के मामले साबित हो चुके हैं। तथा आपका आचरण शुद्ध नहीं पाया गया है। और आपकी अवस्था 50 वर्ष से ऊपर तथा सेवा काल 20 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 1-10-75 से आपको अनिवार्य रूप से सेवा निवृत किया जाता है।

ह. श्री मन्तकुमार व्यास
प्रशासक,
नगरपालिका, लाडनूं।

प्रतिलिपि:—

1. श्री जिलाधीश महोदय, नागौर।
2. श्री निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री परीक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. लेखा स्थापना शाखा।
5. गार्ड फाइल।

श्री मन्तकुमार व्यास
30-9-75
प्रशासक,
नगरपालिका, लाडनूं।

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची)

सवाईमाधोपुर में चल रही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सूची:—

क्र. सं.	नाम संस्था
(1)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बौंली
(2)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सिवाड़
(3)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खिरनी
(4)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महावीरजी
(5)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भगवतगढ
(6)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नादोती
(7)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मण्डरायल
(8)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बामनवास
(9)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वजीरपुर
(10)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बडागांव सेल्ला
(11)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नांगल पहाड़ी
(12)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सुरोठ
(13)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मांसलपुर
(14)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मलारना चौर
(15)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रतनजिला
(16)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खडखेडा
(17)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुरगांव
(18)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पदमपुरा
(19)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कस्बा शहर
(20)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महुइब्राहीमपुर
(21)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सौंप
(22)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मित्रपुरा
(23)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, करेरो
(24)	राजकीव माध्यमिक विद्यालय, हाडोती
(25)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खण्डोप
(26)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सूंडिया
(27)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, घरनाला
(28)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मलारना डूंगर
(29)	राजकीज माध्यमिक विद्यालय, बालाहेडी
(30)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इसरदा
(31)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, छोटो उदर्ण
(32)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सुरवाल
(33)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय डिडोर
(34)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लिवाली
(35)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय वालेर
(36)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मांकरी
(37)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शेरपुर

क. सं. नाम संस्था

(38) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चोडागांव
(39) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बालघाट
(40) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मेहसया
(41) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, केमरो
(42) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भनकपुरा
(43) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शेरपुर खिलचीपुर
(44) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मानटाऊन
(45) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पिलौदा
(46) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सेवा
(47) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पुरतला
(48) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कैमजा
(49) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रसोदपुर
(50) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीपलबाडा
(51) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पिपलदा
(52) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, काचरोली
(53) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भारेडा
(54) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चंनपुरा
(55) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ईनायती
(56) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बहरावंडा खुर्द
(57) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुंडेरा

सवाईमाधोपुर जिले में चल रही राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों की सूची:—

(1) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, सवाई माधोपुर
(2) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, करौली
(3) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, हिण्डौन
(4) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, गंगापुर सिटी
(5) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, महुवा
(6) राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर महुवा रोड

सवाई माधोपुर जिले में चल रही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची:—

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करौली, शहरी
(2) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खन्डार, पं. स., खण्डार
(3) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर, महुवा रोड, महवा
(4) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, महवा
(5) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुडाचन्द्रजी, नादोती
(6) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सपोटरा, सपोटरा
(7) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नारोलोडांग, सपोटरा
(8) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर
(9) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिण्डौन, शहरी
(10) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडाभीम, शहरी
(11) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, महुवा, महवा

सवाई माधोपुर जिले में चल रही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय:—

(1) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवाई माधोपुर

308

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 27 की सूची)

नियमत बस्तीवार भूखण्डों की नामावली:—

क्रम संख्या	बस्ती का नाम	कुल भूखण्ड	नियमित भूखण्ड	शेष भूखण्ड
1.	रातानाडा	38	28	10
2.	कागाबारी	259	61	198
3.	उमरावखां पेट्रोल पम्प	74	39	35
4.	हरिराम जी बगेची	34	34	..
5.	इन्द्रा कॉलोनी	124	85	39
6.	दमामी कालोनी	41	41	..
7.	शिप हाऊस	184	103	81
8.	जवाहर कालोनी	141	138	3
9.	श्रमिकपुरा 'ए' सेक्टर	157	144	13
10.	श्रमिकपुरा 'बी' सेक्टर	111	106	5
11.	श्रमिकपुरा 'सी' सेक्टर	78	77	1
12.	भगत की कोठी	103	..	103
13.	पंचोलियों की नाडी	43	36	7
14.	नवल बस्ती	52	43	9
15.	लाला लाजपतराय कालोनी ..	118	94	24
16.	पृथ्वीपुरा रसाला रोड	197	189	8
17.	महादेव जी की बावडी	28	28	..
18.	नेहरू कालोनी (बी)	200	187	13
19.	सांसी बस्ती, बग्गी खाना	247	217	30
20.	मण्डेर फार्म बाग	..	..	..
21.	मण्डोर डिस्टिलरी	102	45	57
22.	मण्डोर हवाला कोठडी	64	35	29
23.	सिंधी मुसलमान बस्ती	120	120	..
24.	भील बस्ती, सुरसागर	84	75	9
25.	भदवासिया रोड के सामने ..	194	141	53
26.	महामन्दिर इन्द्रा कालोनी .	65	64	1
27.	महामन्दिर खटीक बस्ती	40	8	32
28.	मावड़ियों की घाटी	55	46	9
29.	उदयमन्दिर हरिजन बस्ती	352	167	185
30.	दुर्गादास कालोनी	152	137	15
31.	भील बस्ती, चान्दपोल	54	5	49
32.	मिरासी कालोनी	33	27	6

Page No 309

(309)

क्र.सं.	बस्ती का नाम	कुल भूखण्ड	नियमित भू-खण्ड	शेष भू-खण्ड
33.	जनावड़ा कालोनी	77	77	..
34.	नटिया बस्ती	60	60	..
35.	हरिजन बस्ती, मसूरिया	80	80	..
36.	गवारिया बस्ती	28	28	..
37.	बरगी बस्ती, मसूरिया	140	140	..
38.	मोची बस्ती	..	..	..
39.	भील बस्ती	..	..	..
40.	पार्टिजन कालोनी	..	..	..
41.	रिफ्यूजी कालोनी	..	..	..
42.	व्यापारियों का बास, सूरसागर	..	..	..
43.	महामन्दिर, झालरा	..	..	..
44.	मेघवाल बस्ती, राजबाग	..	..	..
45.	बेलदार बस्ती	..	..	..
46.	महामन्दिर, नाथ सागर का जाव	..	..	..
	कुल योग ..	3,789	3,008	787

Page No 310

PROGRESS REPORT ON SLUM IMPROVEMENT SCHEMES OF 46 BASTIES FOR THE QUARTER ENDING ON SEPTEMBER, 1977

S. No.	Name of Scheme	Roads		Drains		Water Mains		Electric		G. Total of Expenditure upto Sept., 1977.
		Total Provision sanctioned	Total Exp. up-to Sept., 1977	Total Provision sanctioned.	Total Exp. upto Sept., 1977	Total Provision sanctioned.	Total Expenditure up-to Sept., 1977	Total Provision sanctioned.	Total Expenditure up-to Sept., 1977	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indra colony	75,600	45,059	..	24,033	..	..	..	..	69,092
2.	Baggikhana	57,600	32,085	2,42,457	81,254	58,750	58,750	9,600	9,600	1,99,980
3.	Jawahar Colony	..	..	67,390	43,398	17,500	17,550	..	..	60,948
4.	New Bheel Basti	11,300	..	24,950	..	10,000	10,000	3,600	3,600	13,600
5.	Mawarion-Ki-Ghati	19,740	6081	..	..	7,625	7,625	6,000	6,000	19,706
6.	Lala Rajpat Rai	36,910	34,097	36,625	32,865	15,250	15,250	..	..	82,212
7.	Hari Ramji-Ki-Bagichi	19,000	27,528	10,255	9,802	..	..	..	..	37,430
8.	Janawara Colony	..	..	8,790	7,372	..	..	..	..	7,372
9.	Damani Basti.	10,450	6,082	6,006	2,841	5,000	5,000	..	..	13,927
10.	Natia Basti.	64,613	37,650	5,767	..	..	..	..	..	70,380
11.	Sharmikpura.	..	2,320	1,02,550	67,086	20,000	20,000	12,000	12,000	1,11,406
12.	Harijan Basti	..	2,000	29,300	18,762	..	..	..	..	20,762
13.	Gawaria Basti	..	..	5,860	4,650	..	..	..	..	4,650
14.	Bargi Basti.	..	..	29,300	20,137	..	..	..	..	20,137
15.	DurgaDass Colony	42,930	15,739	43,950	33,091	10,000	10,000	12,000	13,182	72,012
16.	Mochi Basti.	..	2,000	32,230	25,170	..	..	..	..	27,170
17.	Harijan Basti, Ratanada.	7,752	..	21,243	..	2,675	6,954	1,284	1,284	8,238
18.	Prithvipura.	2,09,000	1,71,584	1,39,175	68,823	22,875	22,875	..	..	2,63,282

19.	Mochi Musalman Basti, Udaimandir.	1,36,230	1,05,801	2,05,000	1,76,973	48,000	48,000	12,000	12,000	3,42,774
20.	Jatia Sargara Basti.	1,33,000	79,186	99,913	96,667	..	..	..	..	1,75,853
21.	Meghwal Basti.	1,14,000	1,04,744	1,02,550	90,750	..	..	..	..	1,95,503
22.	Khatikh Basti.	70,560	67,003	55,670	15,242	14,100	14,100	3,240	3,240	99,585
23.	Bhadasia Jatia Basti.	1,33,000	1,11,633	..	5,914	..	..	..	..	1,17,547
24.	Sansi Basti.	85,500	26,498	80,575	45,396	15,000	15,000	..	..	86,894
25.	Bheel Basti, Kaga.	95,000	10,611	36,625	20,252	16,000	16,000	..	..	48,863
26.	Hawalakothari.	28,500	25,803	..	..	8.000	8.000	..	..	33,803
27.	Mandore Distillery	30,400	12,639	21,975	18,338	12,500	12,500	..	..	43,477
28.	Mahamandir Zalara	19,800	5,459	14,650	11,263	4,650	4,650	948	948	22,320
29.	Farmbagh, Mandore.	11,400	4,440	7,325	4,278	5,000	5,000	..	..	13,718
30.	Bhambhi Basti o/s Ramohalla	45,100	50,693	58,600	46,291	..	..	..	..	96,984
31.	Harijan Basti, Nagoribera.	17,100	7,171	10,255	9,441	..	..	..	..	16,612
32.	Ship House Khania.	1,05,440	28,625	58,600	24,765	15,100	15,100	8,040	9,540	77,430
33.	Mirashi Colony	25,200	25,044	..	..	..	..	3,600	3,600	28,644
34.	Rajbagh, Sursagar.	56,000	46,943	39,550	51,571	22,500	22,500	..	..	1,21,015
35.	Beldar Basti, Masuria.	..	..	43,950	42,675	..	..	..	..	42,671
36.	Artisan Colony.	..	..	21,975	20,975	..	..	..	..	20,975
37.	Sindhi Musalman Colony.	..	..	41,020	40,397	..	..	..	..	41,185
38.	Vayaparion-ka-Bas.	54,600	45,722	51,275	20,923	..	..	..	788	75,645
39.	Refugee Colony.	28,105	48,624	1,00,719	8,820	..	..	..	..	58,445
40.	Harijanbasti Baiji-ka-talab.	23,560	42,552	17,580	1,472	9,000	9,000	2,088	2,088	55,082
41.	Bholibai Harijan Basti.	3,726	..	2,198	1,624	1,754	1,754	732	732	4,110
42.	Dholion-ka-bas' Chandpolegate.	9,720	..	..	..	..	..	..	..	..
43.	Gol-Nadi.	57,000	76,649	52,740	15,305	8,551	8,551	3,600	3,600	1,06,392
44.	Kalia Dhuka Harijan Basti.	36,400	28,102	27,835	27,835	7,845	11,133	5,124	5,434	52,514
45.	Kalal Colony, o/s Nagorigate.	63,617	1,35,178	1,02,550	97,088	20,000	20,000	..	..	2,52,266
46.	Jogiyan-ka-bas, Nagorigate.	28,000	29,310	29,300	22,960	8,325	8,325	1,392	1,392	61,993
	Total ..	..	15,27,098	..	13,51,282	..	3,93,616	..	89,028	33,61,024

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची)

भू-सम्पति के मालिक का नाम	क्षेत्रफल	सब-डिविजन दिनांक या वर्ष	विकास राशि की मांग	वसूली	बकाया
1	2	3	4	5	6
1. श्रीमती सोमारानी	पूर्व में निकाला नहीं गया	63–64	20,000	4,500	13,500
2. श्री भूपत सिंह	,,	63-64	43,000	10,000	33,000
3. श्री तखतसिंह	,,	63-64	39,500	..	39,000
4. श्री नरपत सिंह	,,	63-64	90,000	..	90,000
5. श्री जैन एण्ड कं.	,,	64-65	12,000	12,000	..
6. श्री धर्मनारायण काक	,,	64-65	10,000	10,000	..
7. श्री गुरूदयाल कौर	,,	64-65	5,000	..	5,000
8. श्री भिखम चन्द वल्द श्री छोगा लाल	,,	64-65	18,000	..	18,000
9. श्री सी. वी. देसाई	.	64-65	..	..	..
10. श्री नटवर सिंह	,,	64-65	7,500	7,500	..
11. श्री जसवन्त सिंह	,,	65-66	6,300	..	6,300
12. श्री प्रहलाद सिंह	,,	65-66	5,900	..	5,900
13. श्री पूनम चन्द नाहटा	,,	65-66	14,243	..	14,243
14. श्री हिम्मत सिंह	,,	65-66	24,523	..	25,523
15. श्री सोहन लाल सांघी	,,	65-66	12,000	12,000	.
16 श्री रतन सिंह	,,	65-66	2,250	2,250	..
17. श्री के. एन. गुप्ता	,,	66-67	25,000	..	25,000
18. श्री आई. एन. कौल	,,	66-67	5,000	..	5,000
19. श्री भंवर लाल प्रताप	,,	67-68	18,322	18,322	..
20. श्री चांदमल अग्रवाल	,,	67-68	4,000	..	60,000
21. श्री नरेन्द्र कुमार	,,	68-69	5,900	..	5,900
22. श्री हिम्मत सिंह	,,	69-70	2,08,400	..	2,08,400
23 श्री अविनाश नारायण	,,	69-70	4,000	..	4,000
24. श्रीमती अभय कुमारी	,,	69-70	16,500	4,000	12,500
25. श्री एच. एच. प्रापर्टी	,,	70-71	33,500	...	33,500

1	2	3	4	5	6	7
26.	श्री पारशमल कांकरिया	पूर्व में निकाला नहीं गया	70-71	1,28,160	1,28,160	..
27.	श्री भैरू सिंह	,,	70-71	11,000	11,000	..
28.	श्री जोधान रियल स्टेट डबल पेमेन्ट	,,	70-71	12,500	12,500	..
29.	श्री जोधान रियल स्टेट डबल पेमेन्ट	,,	70-71	1,11,600	1,11,600	..
30.	श्री जोधान रियल स्टेट डबल पेमेन्ट	,,	70-71	33,000	33,000	..
31.	श्री राजाराम आत्माराम आदि	,,	..	..	..	..